Friday, 26 May, 1972

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[**चौथा सत्र**
Fourth Session]

Preservation Unit
18-8-92
Fumigated
On 15-2-84
Parliament Library

[खंड 16 में अंक 51 से 57 तक हैं
Vol. XVI contains Nos. 51 to 57]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 53, शुक्रवार, 26 मई, 1972/ 5 ज्येष्ठ, 1894 (शक)

No. 53, Friday, May 26, 1972/Jyaistha 5, 1894 (Saka)

विषय		SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.			
1001	भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्तियों के बारे में विभिन्न राज्यों के नियमों में समानता	Uniformity in rules of various States Governing Appointments of Ex-Servicemen	1—3
1002	हैवी व्हीकल्स फैक्टरी आवडी में तालाबन्दी की घोषणा	Declaration of Lock-out at Heavy Vehicles Factory, Avadi.	3—4
1007	आयकर आयुक्तों का सम्मेलन (1972)	Conference of Income-tax Commissioners (1972)	4—7
1008	पर्यटकों को आकर्षित करने के विचार से गोविन्द सागर नागार्जुन सागर के लिए चार वातानुकुलित मोटर नावों के क्रयादेश	Order for the supply of four Air-conditioned motar Launches for Gobind Sagar and Nagarjunasagar to Attract Tourists,	7—8
1009	ढाका जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय विमानों का डमडम हवाई अड्डे पर न रुकना	Non-stoppage of Dacca Bound International Flights at Dum-Dum Airport	8—9
1010	लाभांशों की अधिकतम सीमा	Ceiling on dividends	9—10
1011	एशियाई देशों के बीच भ्रमण को प्रोत्साहित करने की योजना	Scheme to promote Travel within Asian Counries	10—11
1014	बिड़ला फर्मों पर आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income-tax against Birla group of Firms	11—14
1015	पटसन मिलों को ऋण	Grant of Advances to Jute Mills	14—17
1016	एसोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनी के इक्विटी शेयर	Equity shares of Associated Cement Company	17—18

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicate that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE

1018	व्यक्ति और परिवार के व्यय का अधिकतम सीमा निश्चित करना	Ceiling on Expenditure by Individual and by a family	18—19
1020	राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट	Overdrafts by State	19—20

प्रश्नों के लिखित उत्तर — **Written Answers to Questions**

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

1003	राजस्थान में जयपुर हवाई अड्डे पर ग्लाइडिंग प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal to set up Gliding Training Centre at Jaipur Aerodrome (Rajasthan)	20—21
1004	गुजरात में लघु उद्योगों के विकास के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गए ऋण	Loans Advanced by the Nationalised Banks in Gujarat for the Development of Small Scale Industries	21
1005	डमडम हवाई अड्डे पर इन्टरनेशनल एयर टर्मिनल बिल्डिंग का प्रयोग न किया जाना	Non-utilization of International airterminal building at Dum Dum Airport	21
1006	अनाज पर ऋण देने सम्बन्धी प्रतिबन्ध	Restrictions on Loans against Food-grains	21—22
1012	बिक्री कर के विभान्न दरों का अन्तर्राज्यीय व्यापार पर प्रभाव	Impact of differential rates of Sales-Tax on Inter-State Trade	22—23
1013	भारत को अशोधित तेल बेचने की ईराक की पेशकश	Offer from Iraq for Selling Crude to India	23
1017	कृषि पुनर्वित निगम की सहायता प्राप्त योजनाएं	Schemes Aided by Agricultural Refinance Corporation	23—24
1019	भारत में पेट्रोलियम के अन्वेषण के लिए रूसी विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण	Techni-Economic Survey by Soviet Experts for Exploration of Petroleum in India	24—25

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

7480	बिहार में संयुक्त स्कन्ध कम्पनियां	Joint Stock Companies in Bihar	25—26
7481	गत युद्ध में भारतीय सेना द्वारा पकड़े गये पाकिस्तानी हथियार	Pakistani Arms captured by Indian Forces during last Conflict	26
7482	नेवल आर्मामेंट डीपो एम्पलाइज यूनियन आलवे (केरल) से अभ्यावेदन	Representation from Naval Armament Depot Employees' Union, Alweye (Kerala)	26—27
7483	पोलिस्टर फिलामेंट यार्न की आवश्यकता तथा खपत	Requirement and consumption of Polyester Filament Yarn	27—28

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
7484	मन्त्रियों द्वारा दौरों पर भारतीय वायु सेना के विमानों का प्रयोग	Use of I.A.F. Aircraft by Ministers during tours	
7485	अमरीकी सहायता को पुनः चालू करना	Resumption of U. S. Aid	28—29
7486	वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए राजस्थान को धन दिये जाने के बारे में राजस्थान के मुख्य मंत्री का वक्तव्य	Statement made by Chief Minister of Rajasthan re. advancing of funds by Financial Institutions to Rajasthan for setting up Industriles	29—30
7487	भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों और उनके परिवारों द्वारा विदेशों में चिकित्सा पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति	Reimbursement of Medical Expenses incurred by I. O. C. Employees and their Families in Treatment Abroad	30—31
7488	सेना मुख्यालय, नई दिल्ली में रिटेल कैंटीन का नवीकरण	Renovations of Retail Canteen at Army Headquarters New. Delhi	31
7489	आयकर आयुक्त रेंज 11, नई दिल्ली के नियंत्रणाधीन आयकर की वापसी	Refund of Income-Tax under the Commissioner, Income-Tax Range II, New Delhi	31—32
7490	इण्डियन एयरलाइन्स के पायलटों द्वारा एवरो एच० एस० 748 विमान चलाने से इन्कार करना	Refusal by Indian Airlines pilots to fly Avro H. S.—748 Aeroplanes	32—33
7491	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रबन्धक	Managers in Public Sector Undertakings	33
7492	इण्डियन एयर लाइन्स कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने सम्बन्धी मामले की जांच करने के लिये एक आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up a Commission to go into Revision of Pay of Employees in Indian Airlines	33
7493	लड़ाकू विमान के निर्माण में सहयोग करने के लिये मिश्र का अनुरोध	Request from Egypt for Collaboration in manufacture of Fighter Aircrafts	34
7494	पंजाब में पेट्रोल पम्प स्थापत करने के लिये लाइसेंस दिये जाने के बारे में अभ्यावेदन	Represeutation re : Licences for Opening Petrol Pumps in Punjab	34
7495	फालतू वस्तुओं के निपटान के लिये नियुक्त नीलामकर्ताओं की सूची में संशोधन	Revision of List of Auctioneers appointed for disposal of surplus and Salvaged Stores.	34—35
7497	देश में कैंसर के इलाज के लिए औषधि की कमी	Shortage of Anti Cancer drug in the Countjy	35
7498	ई० एस० डी० (एम) कांकीनारा (पश्चिम बंगाल) के सिविलियन कर्मचारियों को नगर भत्ता	City Compensatory Allowance to Civilian Employees of E. S. D. (M) Kankinara (West Bengal)	35—36

अता० प्र० सं० U. S. Q Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
7499	हिमाचल प्रदेश में एक हवाई अड्डे की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal to set up an Airport in Himachal Pradesh	36
7500	मैसर्स देवी दयाल ट्यूब इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बम्बई के जमाकर्ताओं को धन वापसी	Refunds to Depositors of M/S Devidayal Tube Industries Limited, Bombay	36
7501	दिल्ली क्षेत्र में इण्डियन आयल कम्पनी के उत्पादों के वितरण के लिये योजना	Scheme for Delivery of I. O. C. Products in Delhi Area	36—37
7502	सिकन्दराबाद (आंध्र प्रदेश) में तत्कालीन रेस कोर्स मैदान में भवनों का निर्माण करने का प्रस्ताव	Proposal for raising Buildings at Erstwhile Race Course Ground in Secunderabad (A. P.)	37
7503	वर्ष 1971-72 में सैनिक सामान तथा उत्पादन पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange spent on defence Supplies and Production in 1971	37
7504	भारत में पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों से जब्त व्यक्तिगत डायरियां	Personal Diaries seized from Pak, P. O. Ws. in India	37—38
7505	स्वेडन द्वारा भारत को विमान भेदी तोपों, पुनः सप्लाई किया जाना	Resumption of delivery of Anti-Aircraft Guns in India by Sweden	38
7506	स्वेडन को हथियार सप्लाई करने के लिये क्रयादेश देना	Orders for Supply of Arms with Sweden	38
7507	भारतीय उर्वरक निगम के दुर्गापुर एकक का चालू किया जाना	Commissioning of Durgapur Unit of Fertilizer Corporation of India	38—39
7508	चुनावों के दौरान प्रधान मन्त्री द्वारा किये गये हवाई दौरों पर व्यय	Flight Charges on Tours of Prime Minister during Elections	39
7509	'कोलम्बो प्लान' के अन्तर्गत प्रशिक्षण पाने वाले भारतीय	Colombo Pian Trainees	39—40
7510	विश्व मुद्रा सुधार 20 देशों का समूह (ग्रुप आफ 20)	"Group of 20" for World Monetary Reforms	40
7511	हिन्दुस्तान एरानाटिक्स लिमिटेड, कानपुर में काम करने वाले भारतीय सशस्त्र सेना के सेवा निवृत कर्मचारियों की छटनी	Retrenchment of Retired Employees of Indian Armed Forces working in Hindustan Aeronautics Ltd., Kanpur	40—41
7512	विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा भारतीय इन्जीनियरों को आकर्षित किया जाना	Temptation to Indian Engineers by Foreign Air Companies	41
7513	राष्ट्रीयकृत बैंकों में बोनस का प्रश्न	Bonus Issue in the Nationalised Banks	41
7514	तस्करी करने वालों को दण्ड	Punishment to Smugglers	41—42

अता० प्र० सं० U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
7515	सेना को रम की सप्लाई के बारे में जांच	Inquiry into Supply of Rum to Army	42
7516	गणतन्त्र दिवस समारोह के अवसर पर कुछ संसद सदस्यों के लिए सीटों का आरक्षण	Reservation of Seats for certain Members of Parliament at Republic Day Celebrations	42—43
7517	सरकार द्वारा ऋण के लिये गारंटी देना	Issuing of Guarantees for Loans by Government	43
7518	इण्डियन आयल कारपोरेशन और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में आफिसर्स एसोसियेशन का कार्यकरण	Functioning of Officers' Associations in I. O. C. and O. N. G. C.	43—44
7519	भारत में सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक से सहायता	World Bank Assistance to Irrigation and Power Projects in India	44—45
7520	औषध उद्योग में अफीम का प्रयोग	Use of Opium in Medical Industry	45
7521	चरस बेचने के अपराध में व्यापारियों को गिरफ्तार किया जाना	Arrest of Traders for selling 'Charas'	45
7522	उद्योगों के काम आने वाले कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि का थोक मूल्य सूचकांक पर प्रभाव।	Effect of increase in Price of Industtrial Raw Materials on Whole sale Price Indices	45—46
7523	इन्दौर नगर में रोलिंग मिलों की ओर उत्पादन शुल्क की बकाया राशि	Excise Duty outstanding against Rolling Mills in Indore	46
7524	औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उड़ीसा राज्य का औद्योगिक सर्वेक्षण किया जाना	Carrying out of Industrial Survey of Orissa State by Industrial Development Bank of India	46—47
7525	एकाधिकारी पूंजी को समाप्त करने की मांग	Demand to end Monopolistic Capital	47
7526	हैरियर टाइप फिक्सड विंग वी/स्टोल विमान को लेने का प्रस्ताव	Proposal to Acquire Harrier Type Fixed Wing V/STOL Aircraft	47
7527	भारत श्री लंका पर्यटक करार	Indo-Ceylon Agreement on Tourists	47—48
7528	इन्दौर स्थित इस्पात कारखानों की ओर आयकर की बकाया राशि।	Arrears of Income-tax outstanding against Steel Units in Indore	48
7529	राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए स्थानों का चयन करने के मामले में संसद सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना	Association of Members of Parliament in the selection of Places for opening Branches of Nationalised Banks	48
7530	भारतीय उर्वरक निगम के विभिन्न एककों में उचित प्रतिनिधित्व के लिए अनुसूचित जातियों के संघों से अभ्यावेदन	Representations from Associations Scheduled Castes for proper Representation in the various Units of Fertilizer Corporation of India	49

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
7531	जयपुर में फ्लाइंग क्लब का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal for upgrading Flying Club at Jaipur	49
7532	राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of Nationlised Banks	49—50
7533	सोने के तस्कर व्यापारियों का पकड़ा जाना	Apprehension of Gold Smugglers	50
7534	छोटे सिक्कों की कमी	Shortage of Small Coins	50—51
7535	स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् रेजमेंटों के क्षेत्रीय नामों का हटाया जाना	Shedding of Regional Names of Regiments after Independence	51
7536	न्यू बिल मार्किट स्कीम	New Bill Market Scheme	51
7537	गुजरात में तेल की खोज पर व्यय तथा कोयली तेल शोधक कारखाने द्वारा राज्य सरकार को दी गई रायल्टी	Expenditure of Exploration of Oil in Gujarat and Royalty paid by Koyali Rsfinery to State Government	51—52
7538	गुजरात के भारतीय पेट्रो रसायन निगम द्वारा सेवा में रखे गए व्यक्तियों की संख्या	Number of Persons Employed by Indian Petrochemicals Corppo-rrtion in Gujarat	52
7539	आयकर की वसूली के लिए इन्दौर में रोलिंग मिलों का रजिस्ट्रेशन	Registration of Rolling Mills in Indore for Recovery of Income-Tax	52—53
7540	हिमाचल प्रदेश में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक द्वारा लघु उद्योगों को ऋण दिया जाना	Grant of Loan by United Commercial Banks in Himachal Pradesh to Small Scale Industries	53
7541	राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान	Payment of Overtime Allowance to Employees of Nationalised Banks	53
7542	कृषि बित्त निगम तथा औद्योगिक वित्त द्वारा दिया गया ऋण	Loans distributed by Agrscultural Finance Corporation and Industrial Finance Corporation	53—54
7543	इन्दौर पुलिस द्वारा छोटे सिक्कों की बरामदगी	Seizure of Small Coins by Indore Police	54—55
7544	आय कर आयुक्तों के सम्मेलन में आयकर विभाग में भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने हेतु सुझाये गये उपाय	Sugge tions to eliminate Corruption in the Income-Tax Department made at Conferance of Income-Tax Commissioners	55
7545	पालम हवाई अड्डे पर एयर फ्रांस विमान कम्पनी के अधिकारियों द्वारा एक यात्री के साथ मारपीट करने के बारे में की गई जांच	Enquiry held regardiug Assault on a Passenger by Air France Officials at Palam Airport	55

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
7546	देश में ध्वनि तथा प्रकाश कार्यक्रम आरम्भ करने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposal for Mounting of 'Sonet Lumiere' in the Country	55—56
7547	दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में मिट्टी के तेल की कमी	Shorage of Kerosene Oil in Certain Southern States	56
7568	पैराफीन मोम के विवरण तथा मूल्यों पर नियन्त्रण करने के बारे में निर्णय	Decision to control the Distribution and Prices of Paraffin wax	56
7549	विमान में बम होने की आशंका के कारण इण्डियन एयर लाइन्स की बम्बई से कलकत्ता की उड़ान में देरी	Delay in Indlan Airlines Flight from Bombay to Calcutta due to Bomb Scare	56—57
7550	युद्ध सम्बन्धी नई चालों के कारण भारतीय वायु सेना की विमान दुर्घटनाओं में वृद्धि	More I. A. F. Plane Mishaps due to New Combat Tactics	57
7551	देश में पर्यटकों के लिये झीलों, गरम पानी के चश्मों, बनो तथा झरनों का विकास	Lakes, Hot Water Springs, Forests and Falls Developed for Tourists in the Country	57—60
7553	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे सहायक निदेशक	Assistant Directors Working on ad hoc basis in the Ministry of Tourism and Civil Aviation	60
,554.	दिल्ली तथा अन्य हवाई अड्डों पर हैंगरों का निर्माण	Construction of Hangars at Delhi and other Airports	60—61
7555.	एकाधिकार आयोग के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने का निर्णय	Decision on Enlarging the Sphere of Functions of Monopolies Commission	61
7556.	गत भारत पाक युद्ध में लापता हुए सैनिकों के परिवारों को सहायता	Assistance to Families of Missing Personnel of Last Indo-Pak war	61—62
7557.	एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयर लाइन्स में पायलटों के चयन के लिये अपनाई गई कसौटी	Criteria Adopted for Selection of Pilots in Air India and Indian Airlines	62—53
7558.	इण्डियन एयर लाइन्स के इन्जीनियरों के 'धीरे काम करो' आन्दोलन के कारण हुई हानि	Loss suffered due to Go-slow Agitation by Engineers of Indian Airlines	63
7559.	श्रीनगर हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाना	Ungrading of Srinagar Airport	63
7560.	मुजफ्फरपुर से दैनिक विमान सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव	Proposal to Introduce Daily Air Service from Muzaffarpur	63—64

7561.	रूसी टी० यू०-154 विमान अमरीकी डी० सी० 10, लांक हीड-1011 और एयर बस ए-300 विमानों का मूल्यांकन	Evaluation of Soviet made TU-154 Aireraft and U. S. made DC-10, Lock Heed 1011 and Airbus A-300	64
7562.	बोइंग 747 विमान के चलाये जाने के पश्चात् यातायात में वृद्धि	Increase in Traffic after the Introduction of Boeing 747	64
7563.	कर-दाताओं के स्थायी खाता संख्या जारी करना।	Allotment of Permanent Account Nos for Tax Payers	64—65
7564.	इण्डियन एयर लाईन्स के प्रबन्धकों और विमान मेंटेनन्स इन्जीनियरों के बीच विवाद	Disspute between Management and Aircraft Maintenance Engineers in Indian Airlines	65—66
7565.	ग्लोब मोटर कम्पनी, नई दिल्ली, में अपना धन जमा करने वाले व्यक्ति	Depositors of Globe Motors Co. New Delhi	66
7566.	बिहार में सोने के आभूषणों की बिक्री	Selling of Gold ornaments in Bihar	66
7567.	बिहार में वाणिज्यिक बैंकों की शाखायें खोलना	Opening of Branches of Commercial Banks in Bihar	66—67
7568.	रांची और हजारी बाग जिलों (बिहार) में विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों को दिये गये ऋण	Loans Advanced to Different Categories of Persons in Ranchi and Hazaribagh -istricts (Bihar)	67
7569.	पर्यटकों के लिये बिहार में होटलों में स्थान की कमी	Shortage of Hotel Accommodation for Tourists in Bihar	67—68
7570.	बिहार में रिक्शा और तांगे खरीदने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण	Loans given by Nationalised Banks for purchese of Rickshaws and Tongas in Bihar	68
7571.	विमको एण्ड ग्रामोफोन कम्पनी आफ इण्डिया के कार्यों की जांच	Fnquiry into the Affairs of Wimco and Gramophone Company of India	69
7572.	देश में पर्यटक आकर्षण स्थानों पर मध्यवर्गीय पर्यटकों के लिए होटल खोलने का प्रस्ताव	Proposal to open Hotels for Middle Class Tourists at Places of Tourist Interst in the Country	69
573.	उड़ीसा में पहाड़ी पर्यटक केन्द्र का विकास	Development of Hill-Side Tourist Centre in Orissa	69—70
7574.	बालासोर (उड़ीसा) में स्थित रक्षा प्रतिष्ठानों के तूफान और बाढ़ पीड़ित कर्मचारियों को अग्रिम धन	Advance to Cyclone and Flood affected Employees of Defence Installation at Balasore (Orissa)	70

7575.	पाकिस्तानी सैनिको द्वारा खेमकरण और अजनाला (अमृतसर) में गोलीं चलाया जाना	Fire opened by pak Troops in Khemkaran and Ajnala (Amritsar)	70
7576.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा रिक्शा चलाने वालों और बैलगाड़ी वालों को ऋण	Loans to Rickshaw-Pullers and Bullock-Cart Drivers by Nationalised Banks	71
7577.	हैवी व्हीकल फैक्ट्री, आवड़ी की कुल पूंजी, इसका वार्षिक उत्पादन और निर्यात क्षमता	Heavy Vehicles Eactory, Avadi-its Capital, Annual Production and Export Capability	71
7578.	नेशनल कैडेट कोर की युद्ध में उपयोगिता और 1971-72 में इस पर किया गया व्यय	Usefulness by N. C. C. during War and Fxpenditure incurred in 1971	71—72
7579.	एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम	Monopolies and Restrictive Trade Practices Act	72
7580.	कोटा (राजस्थान) में गैस सप्लाई की कमी	Shortage of Gas Supply in Kota (Rajasthan)	72—73
7581.	विष्णू शूगर मिल्स लिमिटेड, सरना (बिहार) के विरुद्ध जांच	Enquiry against Vishnu Sugar Mills Ltd, Saran (Bihar)	73
7582.	रिजर्व बैंक की पटना शाखा में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिये आवास की व्यवस्था	Residential Facilities Provided to Employees workins in Reserve Bank Patna	73
7583.	राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को दिये जाने वाले बोनस में अन्तर	Difference in Payment of Bonus to Employees of Nationalised Banks	73—74
7584.	वर्ष 1972-73 में मध्य प्रदेश में पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकसित किये जाने वाले स्थान	Places in Madhya Pradesh Proposed to be Developed as Centres during 1972-73	74—75
7585.	मध्य प्रदेश में पर्यटक केन्द्रों के विकास की प्रगति और उस पर व्यय	Pregress made and Expenditure incurred on Development of Tourist Centres in Madhya Pradesh	75
7586.	मध्य प्रदेश के खाद्यान्न व्यापारियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	Loan given by Nationalised Banks to Foodgrain Traders of Madhya Pradesh	75—76
7587.	मध्य प्रदेश सरकार को दिया गया ऋण	Loans to Madhya Pradesh Government	76

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
7588.	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों में काम कर रहे अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees working in Madhya Pradesh	76
7589.	सूरजमल नागरमल ग्रुप द्वारा पूंजी निवेश	Investment by Sooraj Mull Nagarmull Group	76
7590.	सोने के तस्कर व्यापारियों द्वारा अपनी गतिविधियों को सुन्दरबन में स्थानान्तरित करना	Shifting of venue of operation by gold smugglers to Sundarbans	76
7591.	खेमकरण सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा एक भारतीय किसान का मारा जाना	Indian farmer killed by Pak Troops in Khemkaran Sector	77
7592.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और रक्षा अनुसंधान विकास तथा उत्पादन और पूर्ति संगठनों में समन्वय	Liaison between C. S. I. R. and Defence R. & D., production and Supply Organisations	77—78
7593.	मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना	Opening of branches of Nationalised Banks in Morena District, Madhya Pradesh	78
7594.	मध्य प्रदेश के भिन्ड जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना	Opeping of branches of Nationalised Banks in Bhind District, Madhya Pradesh	78
7595.	मध्य प्रदेश के गुना जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना	Opening of branches of Nationalised Banks in Guna District. Madhya Pradesh	78—79
7596.	मध्य प्रदेश के रीवा जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना	Opening of branches of Nationalised Banks in Rewa District, Madhya Pradesh	79
7597.	मध्य प्रदेश के सतना जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना	Opening of branches of Nationalised Banks in Satna District Madhya Pradesh	79
7598.	त्रिपुरा में तुईसिन्दराई में हवाई पट्टी के लिये अर्जित की गई भूमि के मालिकों को मुआवजा देना	Payment of compensation to owners of land acquired for landing ground in Tuisindrai (Tripura)	79—80
7599.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा त्रिपुरा में कृषकों और उद्योगपतियों को दिये गये ऋण	Amount advanced to agriculturists and industrialists from the Nationalised Banks in Tripura	80

7600.	स्टेट बैंक आफ इण्डिया की भुवनेश्वर शाखा के एक कर्मचारी द्वारा एक बड़ी रकम का उड़ा देना ।	Swindling of huge amount by an employee of a branch of the S. B. I., Bhubnes war	80
7601.	भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा अपनाया गया नया मजूरी ढांचा	New wage structure adopted by India Tourism development Corporation	80—84
7602.	आम बीमा (जनरल इन्श्योरेंस) के फील्ड स्टाफ को अन्तिम सहायता देना	Grants of Interim Relief to field Staff of General Insurance	81
7603.	भारत को फिर से अमरीकी सहायता दिया जाना	Resumption of U. S. Aid to India	81
7604.	बम्बई मुख्यालय के पायलटों द्वारा एच० एस० 748 विमान चलाने का प्रस्ताव	Offer made by Bombay-Based Pilots to Fly H. S.—748 Aircraft	81—82
7605.	भारत से चांदी को चोरी छिपे बाहर ले जाया जाना	Smuggling of Silver out of India	82
7607.	भारत में युद्ध बन्दियों की डाक का वितरण	Distribution of Mail for P. O. Ws in India	82—83
7607.	इण्डियन आयल कारपोरेशन तथा इसके अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Iudian Oil Corporation and its Officials	83
7608.	राजस्थान में गांजे का पकड़ा जाना	Seizure of Hemp in Rajasthan	83—84
7609.	बज बज अमेलागामेटिड मिल्स लिमिटेड	Budge Budge Amalgamated Mills Limited	84
7610.	भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में वृद्धि	Increase in Pension of Ex-Servicemen	84
7611.	भूमि विकास के बारे में कृषि पुनर्वितत निमम द्वारा स्वीकृत योजनायें	Schemes Sanctioned by Agricultural Refinance Corporation egarding Land Development	85
7612.	इण्डियन एयर लाइन्स के तकनीकी और गैरतकनीकी कर्मचारियों को दिया गया समयोपरि भत्ता	Overtime paid to Technical and non-Technical Employees of Indian Airlines	85
7613.	महालेखापाल त्रिचूर, केरल के कर्मचारियों के लिये कार्यालय भवन का निर्माण	Construction of Office for thc Staff of A. G. Trichur, Kerala	85
7614.	त्रिपुरा में आसाम अगरतला रोड की देखभाल के लिये दायित्व	Responsibilty for Maintaining Assam-Agartala Road in Tripura	85—86

7615.	ग्रामोफोन कम्पनी ग्राफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा जारी किये गये शेयर	Shares issued by Gramophone Company of India Limited	86
7616.	ग्रभ्रक की तस्करी	Smuggling of Mica	87
7617.	भारत में युद्ध बन्दियों के शिविरों में दर्शक	Visitors to Camps of P, O. Ws. in India	87
7618.	सरकारी यात्रा संगठनों के ग्रन्तर्राष्ट्रीय संघ की ग्रंकारा में हुई बैठक	Meeting of International Union of Official Travel Organisation in Ankara	87-88
7619.	पश्चिम रेलवे के 'लो ग्रेड' तथा हरिजन कर्मचारियों के लिये बैंकों का खोला जाना	Opening of Ban s for low grade and Harijan Employees working on Western Railway	88
7720.	कूच बिहार शरणार्थी सेवा	Cooch Bihar Refugee Service	88
7621.	ग्रायाकर ग्रधिकारियों द्वारा बम्बई में मारे गये छापे	Raids conducted by Income-Tax Authorities in Bombay	88—89
7622.	ग्रायकर ग्रायुक्त नई दिल्ली के कार्यालय में ग्रायकर निरीक्षकों के लिये पैनल	Penal for Income-Tax Inspectors in the Office of Commissioner, Income-Tax, New Delhi	89
7623.	ग्रायकर ग्रायुक्त नई दिल्ली के कार्यालय में ग्रायकर निरीक्षकों के लिये विभागीय परीक्षा	Departmental Examination for Income-Tax Inspectors in the office of Commissioner, Income-Tax, New Delhi	89—90
7624.	रांची शिविर में युद्ध बन्दियों द्वारा खोदी गई भूमिगत सुरंग	Underground tunnel dug by P. O. Ws. in Ranchi Camp	90
7625.	बैंकों में धोखाधड़ी के मामले	Bank Frauds	90
7626.	कालगेट पामोलिब कम्पनी ग्राफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड	Colgate-Palmolive Company India (Pvt.) Ltd.	90—91
7627.	कालगेट पामोलिव इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड के तैयार माल ग्रौर मशीनों को रेहना रखना।	Hypothecation of finished Goods and Machinery of Colgate Palmolive India (Pvt.) Ltd.	91
7628.	एलेम्बिक फार्मास्युटिकल कम्पनी के उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of Preduct of Alembic Pharmaceutical Company	91—92
7629.	सोने का मूल्य	Price of Gold	92
7630	नारकोटिक्स विभाग में ग्रनुसूचित जातियों तथा ग्रनुसूचित ग्रादिम जातियों के कर्मचारियों का स्थायी बनाया जाना	Confirmation of Employees belonging to Scheduled Castes in the Narcotics Departments	92—93

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
7631.	सेना के नियंत्रणाधीन फार्म	Milit.ry Farms	93
7632.	पाकिस्तानी हिरासत में बीमार भारतीय युद्धबन्दी	Number of Sick Indian P. O. Ws. in Pakistani Custody	93—94
7633.	पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में अन्य कर्मचारियों की तुलना में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों की संख्या	Number of S. C. T. Employees Vis a-Vis others in the Ministry of Petroleum and Chemicals	94
7634.	संसाधनों में कमी को पूरा करने के लिये राज्यों को विशेष सहायता	Special Accommodation in States to cover Gap in esoureces	94—95
7635.	ब्रिटेन में विमान प्रदर्शनी में नैट विमान को रखा जाना	Display of GNAT at AIR Show in U. K.	95—96
7636.	विदेशी मुद्रा की भारी हानि	Huge Exchange loss	96
7637.	जनता से एकत्रित की गई पूंजी में वृद्धि	Increase in Capital issues	96—97
7638.	रूस से सहायता	Assistance from U. S. S. R.	97
7639.	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में सैनिक स्कूलों को खोलना	Opening of Sainik Schools in Kerala during Fourth Five Year Pl. n	97
7640.	केरल में व्यक्तियों व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापे	Raids on Individuals/Commercial Establishments in Kerala	97—99
7641.	केरल में औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण	Loan advanced by I.. F. C. in Kerala	99—100
7642.	केरल में 'सी' श्रेणी के नगर	'C' Class Cities in Kerala	100
7643.	केरल के विभिन्न जिलों के तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्र के किनारे पर पर्यटक स्थल विकसित करने का प्रस्ताव	Proposal to develop Sea-side Tourist Resorts in the coastal areas of various districts of Kerala	100
7644.	तमिलनाडु में पांच रुपये के नोटों का परिचालन	Circulation of Five Rupees Notes in Tamiln du	I00—101
7645.	रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से राज्यों को तथा अग्रिम धन	Loans and advances to States from the Reserve Bank of India	101
7646.	मथुरा में छोटे सिक्कों का गलाया जाना	Melting of Small Coins in Mathura	101
7647.	बम्बई स्थित रूसी कोच एण्ड बोडी बिल्डर्ज के स्वामी श्री कापाशी से कुछ दस्तावेजो का पकड़ा जाना	Seizure of Certain Documents from Shri Kapashi, Proprietor Ruby Coach and Body Builders, Bombay	101—102

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
7648.	उत्पादन शुल्क विभाग में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया	Procedure adopted for appointing Hindi Officers in the Excise Department	102
7649.	आयकर अधिकारियों द्वारा मारे गये छापे	Searches conducted by Income-Tax Authorities	102—104
7650.	छावनी निधि कर्मचारी नियमों का पुनरीक्षण	Revision of Cantonment Fund Servant Rules	104—105
7651.	छावनी बोर्ड और कर्मचारी संघ के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार नामजद व्यक्ति की नियुक्ति	Appointment of Nominee in Terms of Memorandum of Settlement between Cantonment Boards and Employees Federation	105
7652.	पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देवगढ़ (उड़ीसा) में प्राकृतिक जल के रख रखाव के लिये कार्यवाही	Steps to Maintain Natural Waterfal at Deogarh (Orissa) to Attract Tourists	105
7653.	युद्ध विराम रेखा के पार मनब्बर तवी क्षेत्र में पाक सैनिकों द्वारा गोलाबारी तथा पुंछ हाजीपीर क्षेत्र के साथ-साथ सेना का भारी जमाव	Firing by Pak troops Across Ceasefire line in Munawar Tawi Area and Concentrations along Poonch-Hajipir Bulge	105
7654.	बैंकों द्वारा अन्य नगरों के चैकों की वसूली	Collection of Outstation Cheques by Banks	105—106
7655.	आंध्र प्रदेश में पर्यटक सुविधाओं का विकास करने हेतु भारतीय पर्यटन विकास निगम का कार्यक्रम	Programme of India Tourism Development Corporation for Developing Tourist Facilities in Andhra Pradesh.	106
7656.	राजस्थान के प्रत्येक पर्यटन केन्द्र में व्यय किया गया धन	Amount spent on Tourist Centres in Rajasthan,	106—107
7657.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टरों गुंटूर तथा हैदराबाद में कार्य कर रहे इन्सपैक्टर और सब इन्सपैक्टर	Inspctors and Sub Inspectors working in Central Excise Collectorates, Guntur and Hyderabad.	107—108
7658.	आंध्र प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान	Places of Tourist Importance in Andhra Pradesh.	108—109
7659.	हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे ग्रामीण उद्योगपतियों को ऋण दिया जाना	Grant of Loans to Small Rural Industrialists by Nationalised Banks in Himachal Pradesh	109
7660.	ग्रीक जहाज को छोड़ना	Release of Greek Ship	109

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of privilege	109
नेशनल इन्डस्ट्रियल डेवलैपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को गुमराह करने का कथित समाचार	Alleged misleading of Committee on Public Undertakings by Managing Director of National Industrial Development Corporation Ltd.	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	112
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	
कार्यवाही सारांश	Minutes	113
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	113
विधेयक पर सहमति	Assent to Bill	
सभा का कार्य	Business of the House	
सदस्य की गिरफ्तारी (श्री ए० के० गोपालन)	Arrest of Member (Shri A. K. Gopalan)	115
विधेयक पुर: स्थापित	Bills Introduced	
(एक) कराधान विधि (जम्मू और कश्मीर पर विस्तार) विधेयक ।	Taxation Laws (Extension to Jammu and Kashmir) Bill	116
(दो) सविधान (31वाँ संशोधन) विधेयक,	Constitution (Thirty-first Amendment Bill	116
(तीन) संविधान (32वां संशोधन) विधेयक	Constitution (Thirty-second Amedment) Bill	117
(चार) दिल्ली भूमि (अन्तरण पर निबंधन) विधेयक	Delhi Lands (Restrictions on Transfer) Bill	117
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक खंड 2, 3 और 1	Industrial Disputes (Amendment) Bill Clauses 2, 3, and 1	117
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass as amended	
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	119
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	119
श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar	
छावनी (भाटक नियन्त्रण विधियों का विस्तारण) संशोधन विधेयक	Cantonments (Extension of Rent contool Laws) Amendments Bill	120
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram	121—122
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	122

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	122
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade	
खण्ड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	
सिकन्दराबाद और औरंगाबाद छावनी गृह किराया नियंत्रण कानून (निरसन) विधेयक	Secunderabad and Aurangabad Cantonments House Rent Control La (Repeal) Bill	
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	
श्री जगजीवन राम	Shri Jag jivan Ram	122
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	122
खण्ड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	
केरल और भारत के समूचे पश्चिमी घाट में कृषिजन्य वस्तुओं की कीमतों में भारी गिरावट के सम्बन्ध में चर्चा	Discussion resteep fall in prices of agricultural commodities in Kerala and other States on Western Coast of India	
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	123—124
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	Shri K. P. Unnikrishnan	124—125
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	125—126
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	126—127
श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले	Shri R. Balakrishna Pillai	127—128
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	128
श्री के० बालकृष्णन	Shri K. Balakrishnan	128—129
श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा	Shri D. B. Chandra Gowda	129
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन	Shrimati Bhargavi Thankappan	129
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	130—131
श्री पी वेंकटासुब्बैया	P. Venkatasubbaiah	132
श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी	Shri P. Narasimha Reddy	132
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Sinde	133
विधेयक पुरः स्थापित	Bills introduced	
खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1972 (धारा 2, 7 आदि का संशोधन), श्री मान सिंह भौरा द्वारा	Prevention of Food Adutceration (Amendment) Bill (Amendment of section 2, 7 etc) by Shri B. S. Bhaura	133

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
(दो) लाटरी रोक विधेयक, 1972, श्री अनादि-चरण दास द्वारा	Prevention of Lotteries Bill by Shri Anadi Charan Dass	133
(तीन) साम्प्रदायिक राजनीतिक दलों पर प्रति-बन्ध विधेयक 1972 श्री समर गुह द्वारा	Ban on Communal Political Parties Bill by Shri Samar Guha	134
(चार) पूजा के सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश की स्वतंत्रता विधेयक, 1972 श्री समर गुह द्वारा	Freedom of Entry to Public Places of Worship Bill by Shri Samar Guha	134
(पाँच) नागरिक स्वतन्त्रा आयोग विधेयक. 1972 डा० कर्णी सिंह द्वारा	Civil Liberties Commissions Bill by Dr. Karni Singh	135
(छ:) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1972 (अनुच्छेद 335 का प्रतिस्थापन) श्री सी० टी० दण्डपाणी द्वारा	Constitution (Amendment) Bill (Substitution of article 335) by Shri C. T. Dhamapani	135
(सात) कारखाना (संशोधन) विधेयक, 1972 (धारा 2 का संशोधन) श्री सी० टी० दण्डपाणी द्वारा	Factories (Amendment) Bill (Amendment of Section 2) by Shti C, T. Dhandapani	135
(आठ) रेल (आकस्मिक श्रम का उत्पादन) विधेयक 1972 श्री हुकम चन्द कछवाय द्वारा	Railways (Abolition of Casual Labour) Bill by Shri Hukam Chand Kachwai	136
(नौ) घरेलू कर्मकार (सेवा की शर्तें) विधेयक, 1972 श्री हुकम चन्द कछवाय द्वारा	Domestic workers (Conditions of Service) Bill by Shri Hukam Chand Kachwai	136
(दस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1972 (७तम अनुसूची का संशोधन) श्री अर्जुन सेठी द्वारा	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Seventh Schedule by Shri Arjun Sethi	136
(ग्यारह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1972, (अनुच्छेद 74 और 163 का संशोधन) श्री हुकम चन्द कछवाय द्वारा	Constiution (Amendment) Bill (Amendment) of articls 74 and 193) by Shri Hukam Chand Kachwai	137
(बारह) व्यवसाय संघ (मान्यता) विधेयक, 1972 श्री हुकम चन्द कछवाय द्वारा	Trade Uninns (Recognition) Bill. by Shri Hukm Chand Kachwai	137
(तेरह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1972, (अनुच्छेद 19 का संशोधन तथा अनुच्छेद 326 का प्रतिस्थापन) श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा द्वारा	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 19 aod substitution of article 326) Shri Sukhdeo Prasad Verma	137
(चौदह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1972 (अनुच्छेद 330 का प्रतिस्थान और अनुच्छेद 332 आदि का संशोधन) श्री आर० पी० उलगम्बी द्वारा	Constitution (Amendment) Bill (Substitution of Article 330 and amendment of article 332 etc) by Shri R. P. Ulaganambi	

संविधान (संशोधन) विधेयक-वापिस लिया गया (नवम् अनुसूची का संशोधन) श्री सी० के० चन्द्रप्पन द्वारा	Constitntion (Amendment) Bill withdrawn (Amcndmeut of Ninth Schedule) by Shri C. C, Chandrappan	138
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	138—139
आयु विषयक छूट (सेवाएं) विधेयक-वापिस लिया गया श्री बी० के० दास चौधरी द्वारा	Age Relaxation (Services) Bill withdrawn by Shri B. K. Daschaud-haury	139
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री बी० के० दास चौधरी	Shri B. K. Daschowdhury	139—140
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta	140—141
श्री जे० एम० गौडर	Shri J. M. Gowder	141
श्री ईश्वर चौधरी	Shri Ishwar Chaudhry	141—142
श्रीमती एम० गोडफ्रे	Shrimati M. Godfrey	142
श्री भागीरथ भंवर	Shri Bhagirath Bhanwar	142
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga	142—143
श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati T. Laxshmikanthamma	143
श्री झारखण्डे राय	Shri Jharkhande Rai	143—144
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	144
श्री राम भगत पासवान	Shri Aam Bhagat Paswan	144—145
श्री एम० आर० गोपाल रेड्डी	Shri M. Aam Gopal Reddy	145
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	145
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	147—148
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 74 का संशोधन) डा० कर्णी सिंह द्वारा	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 74) by Dr. Karni Singh	148
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	149—150
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta	150
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra:	150—151
श्री आर० डी० भंडारे	Shri R. D. Bhandare	151
आधे-घन्टे की चर्चा के बारे में	Re Half-an-Hour Discussion	151

लोक सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 26 मई, 1972/5 ज्येष्ठ, 1894 (शक)
Friday, May 26, 1972/Jyaistha 5, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति के बारे में विभिन्न राज्यों के नियमों में समानता

*1001 **श्री नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई है कि विभिन्न राज्यों में उन पदों के लिए आयु और अर्हताओं की छूट देने वाले नियमों में समानता नहीं है जिन पर भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो इन नियमों में समानता लाने के लिए कौन से प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ग) यह समानता कब तक लाई जायेगी ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

सरकार द्वारा इस विषय पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । विभिन्न राज्य सरकारों के अपने कर्मचारियों की भरती और नियुक्ति सम्बन्धी अपने नियम हैं । इससे भूतपूर्व सैनिकों की आयु और शैक्षिक अर्हताओंमें दिए गये शिथिलन के बारे में एक दूसरे राज्य के बीच काफी हद तक अन्तर आ गया है । राज्य सरकारों को समय-समय पर अनुरोध किया जाता है कि उनके अधीन सेवाओं में आरक्षण और आयु तथा शैक्षिक अर्हताओं में शिथिलन के लिए वही प्रतिमान अपनाए जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए केन्द्रीय सरकार ने अपनाए हैं । ऐसे प्रयत्न किये जाते

रहते हैं। क्योंकि यह पूर्णतया राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है अतः एकरूपता लाना अन्ततः राज्य सरकारों की नीतियों पर ही निर्भर करेगा।

श्री नारायण चन्द्र पाराशर : श्रीमान् जी, जो विवरण सभा पटल पर रखा गया है उससे मेरे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं होता है विवरण का प्रथम वाक्य है :

"सरकार द्वारा इस विषय पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।"

मैंने स्वयं रक्षा मन्त्री को इससे सम्बद्ध एक शिकायत भेजी है और मुझे उसका उत्तर भी प्राप्त हो गया है। मैं उसके बारे में उनका उत्तर जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : उस शिकायत का उल्लेख मत कीजिये।

श्री नारायण चन्द्र पाराशर : मैं विवरण के प्रथम वाक्य को ही चुनौती देता हूँ। मेरे पास मन्त्री महोदय का दिया हुआ वह उत्तर मौजूद है जिसमें बताया गया है कि इस मामले की जांच की जा रही है।

श्री जगजीवन राम : मैं इसकी जाँच करूंगा और यदि इनकी बात सत्य हुई तो मैं अपना वक्तव्य ठीक कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : एक अनुपूरक प्रश्न की भी जाँच की जा रही है।

श्री नारायण चन्द्र पाराशर : क्या यह ठीक है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय वन सेवा के लिए चुने गये भूतपूर्व एमरजैंसी कमीशन प्राप्त अफसरों को स्वीकार नहीं किया है ? क्या यह भी ठीक है कि उन्हें काम पर नहीं लगाया गया है, उन्हें विभाग का सामान्य कार्य करने की अनुमति भी नहीं है और उन्हें बकाया वेतन भी नहीं दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं ?

श्री जगजीवन राम : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में जो भी रियायतें दी गई है, वह शोर्ट कमीशन प्राप्त अधिकारियों पर लागू नहीं होती है।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रक्षा विभाग द्वारा जो अर्हतायें उन्हें प्रदान की गई थी, उन्हें सिविल विभागों द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है और यदि हाँ तो क्या सरकार ने इसके बारे में कोई कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न आपने कहां से उठा दिया ?

श्री आर० पी० उलगनम्बी : इसका सम्बन्ध आयु और शैक्षिक अर्हताओं से ही है। रक्षा विभाग द्वारा जो अर्हतायें डिग्रियाँ या डिप्लोमे उन्हें प्रदान किये गये थे उन्हें सिविल विभागों द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है। क्या सरकार ने इसके बारे में कोई कार्यवाही की है ?

अध्यक्ष महोदय : केवल मात्र अर्हतायें शब्द का प्रयोग करने से ही आप का अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न की परिधि में नहीं आ सकता। आप इस प्रश्न के लिए अलग से प्रश्न सूचना दीजिये। इसका उत्तर देने के लिये मन्त्री महोदय को सम्बद्ध जानकारी एकत्रित करनी पड़ेगी।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, sir, different states are adopting different criteria for absorbing the ex-servicemen and the rules framed by central Government are not being adhered to properly. May I know what specific steps are being taken by the Government to ensure strict compliance of such rules by the states ? I would also like to know what is the percentage of rules which are being complied with and those that are complied with.

Shri Jagjivan Ram : The reply to this question has already been given in the statement Hon. Member should have gone through the reply first.

Shri Hukam Chand Kachawai : What action has been taken for removal of disparity ?

Shri Jagjivan Ram : This too has been replied to in the statement.

हैवी व्हीकल्स फैक्टरी, आवडी में तालाबन्दी की घोषणा

* 1002. **श्री एस० एम० बनर्जी :**

श्री पीलू मोदी :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी व्हीकल फैक्टरी, आवड़ी के सरकारी क्षेत्र के कारखाने के प्रबन्धकों ने 2 मई, 1972 के मध्यान्ह पश्चात् से तालाबन्दी घोषित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस तालाबन्दी के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) हैवी व्हीकल फैक्टरी आवडी के मजदूरों के एक दल ने जिसने 28 अप्रैल 1972 को बैठें रहो हड़ताल की थी, 28-29 अप्रेल तथा 9 मई 1972 को हिंसक कार्यवाहियां की थी जिसके फलस्वरूप कुछ कर्मचारियों तथा अफसरों को जो ड्यूटी पर थे गम्भीर चोटें आई थीं तथा सरकारी सम्पत्ति को भी क्षति पहुंची थी। फैक्टरी के प्रबन्धकों ने 2 मई 1972 को अपराहन से तालाबन्दी अपनी अद्वितीय मशीनरी तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये घोषित कर दी थी।

(ग) तालाबन्दी के फलस्वरूप उठने वाली समस्याओं पर हैवी व्हीकल फैक्टरी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से 8 तथा 9 मई 1972 को चर्चा की गई थी तथा 9-5-1972 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे; जिसके फलस्वरूप 11-5-1972 से तालाबन्दी समाप्त कर दी गई थी।

श्री एस० एम० बनर्जी : रक्षा उत्पादन मन्त्री ने इस मामले पर अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों समेत इनके प्रतिनिधियों के साथ चार घन्टे से भी अधिक समय तक चर्चा की थी। यद्यपि इस कारखाने में काम करने की सामान्य स्थिति बहाल कर दी गई है। परन्तु फिर भी निलम्बन के कई मामलों का अभी तक निपटारा नहीं हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन निलम्बनों को तुरन्त समाप्त कर दिया जायेगा ?

श्री जगजीवन राम : इसकी व्यवस्था समझौते के अन्तर्गत ही कर दी गई थी तथा जो बात आप कह रहे है। उसे क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने आदेश जारी कर दिये थे।

श्री एस० एन० बनर्जी : वहां कोई मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ नहीं है। इसके स्थान पर विभिन्न संघों की समन्वय स्थिति वहां काम कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उनकी एक शर्त यह भी थी कि वहां संयुक्त सलाहकार व्यवस्था को क्रियान्वित किया जायेगा, तो क्या इसे अब तक क्रियान्वित कर दिया गया है और यदि हां, तो क्या उसकी कोई बैठक हुई है ?

श्री जगजीवन राम : मुझे इस बात की कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि उनकी कोई

बैठक हुई है या नहीं, क्योंकि कुछ समय पूर्व ही तो यह समझौता हुआ था। जैसा कि मैंने अभी बताया, समझोते में जो कुछ भी शामिल था उसे क्रियान्वित करने के लिये आदेश दे दिये गये हैं।

आयकर आयुक्तों का सम्मेलन (1972)

*1007. **श्री पी० नरसिन्हा रेड्डी :**

श्री विभूति मिश्र :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर का निर्धारण करने तथा वसूल करने के लिये प्रशासन को प्रयोजन से हाल में हुये आयकर सुहृढ़ करने के आयुक्तों के सम्मेलन में क्या निर्णय किया गया है; और

(ख) क्या कर की बकाया राशि की वसूली के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : कर-निर्धारण तथा वसूली कार्य में तेजी लाने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया और ऐसे सिद्धांन्त निर्धारित किये गये जिनके आधार पर किसी आयकर कार्यक्षेत्र विशेष की समस्त्रों को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक **आयकर आयुक्त** के कार्यक्षेत्र का गठन किया जाना था। कुछ महत्वपूर्ण उपायों को सदन की मेज पर रखे गये विवरण-पत्र में बताया गया है। जहां तक वसूली का सम्बंध है, करों की बकाया की वसूली के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा की गई ताकि उन्हें दूर करने के लिये कदम उठाये जा सके। विचार-विमर्श के दौरान ऐसी कुछ बड़ी बड़ी कठिनाइयों पर विशेष रूप से चर्चा की गई जिनका विभाग को सामना करना पड़ता है और जिनका हल निकालना आवश्यक है सदन की मेज पर रखे गये विवरण-पत्र में इनका उल्लेख किया गया है। **राजस्व प्राप्तियों** के बजट-अनुमान तैयार करते समय बकाया को वसूली के अनुमानों को भी हिसाब में लिया जाता है।

विवरण

कर-निर्धारण—

(i) बिलकुल पर्याप्त करने वाले केन्द्रीय कार्यक्षेत्रों का इस रूप में पुनर्गठन करना जिससे जालसाजी के मामलों को सम्यक जाँच पड़ताल तेजी से और अभियोजन कार्यवाही को ध्यान में रख कर की जा सके।

(ii) प्रादेशिक कार्यक्षेत्रों में महत्वपूर्ण मामलों की विस्तृत जांच पड़ताल के लिये और छान-बीन के लिये आयकर अधिकारियों को इस प्रकार आबंटित करने की इच्छा व्यक्त की गई जिससे कि वे ऐसे मामलों को सम्यक रूप से और शीघ्रता से पूरा कर सके।

(iii) परिणामतः, ऊपर (i) और (ii) के अन्तर्गत नहीं आने वाले शेष मामलों का संक्षिप्त आधार पर निपटान किया जाना था ताकि कार्यभार का लगभग 75 प्रतिशत भाग संक्षिप्त कर-निर्धारणों के अन्तर्गत आ सके।

(iv) संक्षिप्त कर-निर्धारणों के लिये मामलों को चुनने तथा उनके निपटान के लिये

मार्गदर्शक सिद्धांन्त निर्धारित किये गये ।

वसूली—

(1) **चूककर्ता** हिन्दू अविभाजित परिवार के 'कर्ता' को कर की अदायगी में चूक करने के लिये हवालात नहीं भेजा जा सकता ।

(2) ऐसे कर-चूककर्ता को हिरासत में लेने में कठिनाई जो कर-वसूली अधिकारी के अधिकार-क्षेत्र के बाहर स्थान परिवर्तन करता रहा हो ।

(3) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के शेयरों को बेचने में कठिनाइयां ।

(4) अभिग्रहणाधीन **अचल** सम्पत्तियों को वास्तविक बिक्री और उसके लिये बोली लगाने वाले व्यक्ति पाने में कठिनाइयां ।

(5) प्रशासनिक कठिनाइयां, जैसे—**अभिग्रहणाधीन** माल नकदी आदि को भंडार में रखने की सुविधाओं की कमी और सहयोगी कर्मचारियों की कमी ।

श्री० पी० नरसिम्हा रेड्डी : मेरे प्रश्न के उत्तर से सम्बद्ध जो विवरण प्रस्तुत किया गया है उसमें यह कहा गया है कि कर-निर्धारण और निपटारे से सम्बद्ध मामलों को कायम करने के लिये मार्ग दर्शक सिद्धांत निर्धारित कर दिये गये हैं । मैं समझता हूं कि ऐसा छोटे करदाताओं की सहायता के लिये किया गया है । मैं इस सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को प्रत्यक्ष कर जांच समिति को उन सिफारिशों की जानकारी है जिसके अन्तर्गत कहा गया है कि कर-निर्धारण और निपटाने के मामलों का चयन करने के लिये समान मानक अपनाये जाने चाहिये और छोटे कर-दाताओं की सहायता के लिये इस विभाग द्वारा कर दाता की सहायता के लिये करदाता और सेवाविंग स्थापित किये जायेगे ?

श्री के० आर० गणेश : यह सिफारिशें विचाराधीन है ।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : प्रत्यक्ष कर जाँच समिति ने यह भी बताया है कि बकाया करों की वसूली न होने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि इस अधिनियम की द्वितीय और तृतीय अनुसूची के अन्तर्गत वसूली अधिकारियों की जो शक्तियां प्रदान की गई है । वह उनका पूर्ण उपयोग नहीं करते । यदि हां, तो बकाया करों की वसूली के कार्य को तीव्र गति प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री के० आर० गणेश : इस सम्बन्ध में जो भी सिफारिशें की गई है । सरकार उनसे अच्छी तरह से परिचित है । कर-निर्धारण अधिकारियों से दी गई शक्तियों के पूर्ण उपयोग का प्रश्न भी उठाया गया था । आयुक्तों ने स्वंय ही इस प्रश्न पर चर्चा की थी । उन्होंने अपनी खोज सम्बन्धी और मुकदमें सम्बन्धी शक्तियों का अधिकाधिक उपयोग करने का विरोध भी किया है ।

Shri Bibhuti Misra : Mr. Speaker, Sir, in this connection I would like to state that mostly over assessment is made and thus it becomes difficult for the assessee to make its payment. Secondly it is also staled in the statement that property is also attached and it is difficult then to dispose it quickly. May 1 know if Government is proposing to formulate a legislation to set right all these things and ensure realisation of tax arrears ?

श्री के० आर गणेश : इन सभी बातों पर चर्चा की गई थी। आयुक्तों ने स्वंय ही इन मामलों पर चर्चा की थी। जहां तक अचल सम्पत्ति का सम्बन्ध है उसके बारे में कुछ व्यवहारिक कठिनाईयां हैं। विभाग इन कठिनाइयों का समाधान करने का पूर्ण प्रयत्न कर रहा है। इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि कर की बकाया राशि वसूल करने से सम्बद्ध जो सम्पत्ति होती है, उसे नीलाम करने, बोली लगाने वाले लोग बड़ी कठिनाई से मिलते है। वास्तव में इस मामले पर बहुत गम्भीरता से विचार किया जा रहा है और हमें आशा है कि इसका कुछ न कुछ समाधान निकल आयेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : Government does not make good of the long experience of 10, 15 Years service of Income Tax Officers and new degree holders are recruted directly. These newly recruted officers are placed in higher positions as Compared to those already in service. This leads to jealousy among the old officrs.

So, will you take care that while making appointments in senior grades erperienced hands will not be forced to work under new recriuts ?

Mr. Speaker : How does this questions arise ? Please do not be irrelevant.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : न्यायालय द्वारा कुर्क की गई सम्पत्ति की बोली लगाने के लिये कोई तैयार नहीं होता। यही बात मंत्री महोदय ने कही है। सरकार स्वयं उस सम्पत्ति को अधिग्रहीत क्यों नहीं कर लेती ?

श्री के० आर० गणेश : यह तो कार्यवाही के लिये एक सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय : आप हमेशा कार्यवाही के लिये सुझाव ही देते हैं। कृपया कभी कभी प्रश्न भी पूछा कीजिये।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : यह तो एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : तो कृपया इसे प्रश्न के रूप में ही पूछिये।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : उन्होंने कहा था कि कुर्की वाली सम्पत्ति पर कोई बोली नहीं लगाता। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि स्वयं सरकार ही उस सम्पत्ति कर अधिग्रहण क्यों नहीं कर लेती।

अध्यक्ष महोदय : ठीक यही बात है। आपने स्वयं "प्रस्ताव" शब्द कहा है। आप तो बस प्रस्ताव कर रहे हैं। यह एक सुझाव है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : जब कोई बोली लगाने नहीं मिलता तो सरकार उस सम्पत्ति को बाजार मूल्य पर प्राप्त कर सकती है।

श्री के० आर० गणेश : यह तो कार्यवाही हेतु सुझाव है और इस पर संवैधानिक सीमा में विचार करना होगा।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : संसद पहले ही एक कानून पास कर चुकी है।

अध्यक्ष महोदय : अब मानवीय सदस्य कृपया बैठ जायें। मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने माननीय सदस्य का सुझाव नोट कर लिया है। यह कार्यवाही हेतु एक सुझाव है।

Shri M. C. Daga : May I know the major difficulties being faced in recovering the

out standing arrears of taxes ? was it dicussed in the conference and what sort of legislation do you want to bring forward in this connection.

Mr. Speaker : It is given in the statement and it is a quite bing statement.

Shri M. C. Daga : Please state the difficulties experienced by you and whether they are the result of the mistakes on tee part of the Government of the public ? What sort of legislation do you propose to bring forward ?

श्री के० ग्रार० गणेश : इस समस्या पर प्रत्यक्ष कर जाँच समिति ने विस्तार से विचार किया था। आयुक्तों ने भी इस समस्या पर विचार किया है। बकाया करों की वसूलों का प्रश्न एक निरन्तर चलता रहने वाला प्रश्न है और इस सम्बन्ध में मैं समय-समय पर सभा में वक्तव्य देता रहा हूँ। गत चार वर्षों में बकाया करों की वसूली में वृद्धि हुई है। उदाहारणार्थ, वर्ष 1967-68 में 15·2 करोड़ रुपये 1970-71 में 159·61 करोड़ रुपये तथा गत वित्तीय वर्ष में 230 करोड़ रुपये से अधिक राशि की वसूली की गई जिसमें से 70 करोड़ रुपये नकद वसूल हुए तथा शेष को हिसाब-किताब में जोड़ लिया गया।

Shri M. C. Daga : What are the difficulties.

Mr. Speaker : He wants to know the difficulties.

Shri K. R. Ganesh: Well brother, the difficulties are endless. I have said that the Direct Tax inquiry committee has gone into it and made certain recommandations which are being examined and the decision will be taken accordingly. I have alrady summitted the dicission taken and efforts made in this behalf.

Mr. Speaker : You called him brother and he is satisfied.

Shri M. C. Daga : No. I am not satisfied.

पर्यटकों को आकर्षित करने के विचार से गोविन्द सागर और नागार्जुन सागर के लिये चार वातानुकुलित मोटर-नावों के क्रयादेश

*1008. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के विचार से गोविन्द सागर और नागार्जुनसागर के लिये चार वातानुकूलित मोटर नावों की सप्लाई हेतु क्रयादेश दिये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका मूल्य क्या है और उनके कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) : जी, हाँ। चार लौंचों के लिये–दो गोविंदसागर और दो नागार्जुनसागर में—केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम, कलकत्ता को आदेश दिये जा चुके हैं।

(ख) इन लौंचों की अनुमानित लागत 24·96 लाख रुपये हैं। लौंचों के सितम्बर-दिसम्बर 1972 के बीच मिल जाने की आशा है।

श्री बी० के० दास चौधरी : पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु गोविन्दसागर तथा नागार्जुन सागर में छोड़ी जाने वाली लौंचों के सर्वोत्तम उपयोग के लिये सरकार द्वारा किये गये प्रयासों

की प्रशंसा करते हुए क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या यह सरकार की नीति है कि इन पर्यटक नावों को अधिकाधिक आकर्षक बनाने के लिये अन्य झीलों में भी सरकार ऐसी ही व्यवस्था करेगी, और ऐसे पर्यटक स्थलों पर, जहाँ झीलें न हों, परन्तु पहाड़ी क्षेत्र आदि अन्य पर्यटकों की रुचि के स्थान हों, वहाँ सरकार टूरिस्ट बसें आदि चलायेगी ?

डा० सरोजिनी महिषी : क्या माननीय सदस्य पहाड़ी क्षेत्र पर नाव चलाने की बात कह रहे हैं ।

श्री बी० के० दास चौधरी : नावें नहीं, टूरिस्ट बसें ।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न केवल लोंचों के बारे में है ।

डा० सरोजिनी महिषी : यह अपने प्रकार की पहली सुविधा है, समय के साथ अन्य स्थानों पर अन्य सुविधायें भी दी जायेंगी ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यदि पंजाब आये तो इन नावों को देख सकते हैं ।

ढाका जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय विमानों का डमडम हवाई अड्डे पर न रुकना

*1009. **श्री समर गुह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढाका जाने वाले सभी अन्तर्राष्ट्रीय विमानों को यह आदेश दिये गये हैं कि वे डमडम हवाई अड्डे पर न रुककर दिल्ली और बम्बई से सीधे ढाका की उड़ान भरें; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जी, नहीं ।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता ।

श्री समर गुह : क्या डमडम हवाई अड्डे पर अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा भी अनुपस्थिति डाक आश्चर्य (**माया**) नहीं है ? अनेक समाचार पत्रों में समाचार हैं कि डमडम हवाई अड्डे से अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा हटाली गई है । पर यह भी डाक (**माया**) है तो मुझे मालूम नहीं क्योंकि मंत्री महोदय ने भी उत्तर में "जी नहीं" तथा "प्रश्न नहीं उठता" कहा हैं ।

मेरा सीधा प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि कम से कम छः अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं को हटाकर डमडम से न होकर सीधे बम्बई या दिल्ली से उड़ान भरने का आदेश दिया गया था; और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री कर्ण सिंह : लगता है माननीय सदस्य स्वयं '**माया**' की दुनिया में विचरते हैं क्योंकि प्रश्न यह था कि क्या ढाका को जाने वाले सभी विमानों को डमडम न ठहरने के आदेश दिये गये थे । मैंने कहा है कि ऐसे कोई आदेश नहीं दिये गये हैं ।

दूसरे, डमडम होकर जाने वाले विमानों का मार्ग बदलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं हैं । ऐसी कोई बात नहीं हुई है । कलकत्ते की अपेक्षा ढाका को होकर जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को अधिक लम्बा मार्ग तय करना होता है । एयर इण्डिया के विमान बम्बई और दिल्ली से ढाका के लिए सीधे उड़ते हैं । कलकत्ता से ढाका तक का हवाई मार्ग छोटा है और उस पर इण्डियन एयर लाईन्स के विमान उड़ते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाईनों को हमारे देश तथा बंगला देश के मध्य हुए उनके समझौतों के अनुसार चाहे जिस प्रकार

उड़ाने भरने की स्वतंत्रता है ।

श्री समर गुह : क्या सरकार का ध्यान दो या तीन दिन पूर्व **अमृत बाजार पत्रिका** तथा **जुगान्तर** में प्रकाशित इस समाचार की ओर मिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल के मंत्री श्री तरुण कान्ति घोष ने कुछ अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइनों से यह सीधी अपील की है—

अध्यक्ष महोदय : वास्तविक जानकारी के लिये कोई साधारण सा प्रश्न पूछिये । इसे लम्बा खींचने का प्रयास मत कीजिए ।

श्री समर गुह : यह कलकत्ता से संबंधित प्रश्न है । इससे नगर की महत्ता कम हुई है । है । अब मन्त्री ने कुछ अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइनों से अनुरोध किया है कि वे अपने विमानों को डमडम पर ठहरायें और वे एयर लाइनें ऐसे करने को राजी है यदि सरकार उन्हें इसकी अनुमति दे । यदि यह सच है, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और अनेक घरेलू उड़ानों को माड़ने के फलस्वरूप क्या कलकत्ता में पर्यटन की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है !

डा० कर्ण सिंह : मुझे नहीं मालूम कि श्री तरुण कान्ति घोष ने क्या अपील की थी और यदि उन्होंने कोई स्पष्ट अपील की है और एयर लाईनों ने उस पर ध्यान दिया है तथा कलकत्ता को भी अपने ठहराने के मार्ग में शामिल कर लिया है तो मुझे खुशी है । परन्तु मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ । मैंने यह बात अनेक अवसरों पर कही है कि अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाईने दो देशों के मध्य हुए करारों के आधार पर अपने विमान उड़ाती हैं । यह सम्भव नहीं है कि हम किसी अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाईन को किसी विशिष्ट मार्ग से विमान उड़ाने को बाध्य करें । वे अपने वाणिज्यिक हितों के अनुसार कार्य करती हैं । इसी प्रकार एयर इण्डिया भी अपने व्यापक वाणिज्यिक हितों के अनुसार कार्य करती हैं । मुझे दुःख है कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाईनों ने कलकत्ता से हटकर अपनी सेवायें जारी रखी है जिसके कारणों मैं इस समय नहीं जाना चाहता परन्तु मेरे विचार से कारणों के बारे में हर व्यक्ति का अपना अनुमान होता है । तथापि बंगला देश के स्वाधीन हो जाने से, और कलकत्ता में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो जाने से मुझे आशा है कि यह विपरीत मनोवृत्ति बदल जायेगी । परन्तु स्वभावतः ही पहले जैसी स्तिथि आने में कुछ समय तो लगेगा ही । जहां तक इस मन्त्रालय का सम्बन्ध है, हम हर संभव और यथाशक्ति प्रयास करेंगे कि ये लोग अपने विमान कलकत्ता मार्ग से उड़ायें ।

लाभांशों की अधिकतम सीमा

*1010. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाभांशों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) : जी नहीं; परन्तु लाभांशों को विनियमित करने के लिए कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(ख) : इन प्रस्तावों का सम्बन्ध लाभांश घोषित करने के लिए प्रारक्षित निधियों का उपयोग किये जाने से है ।

श्री जी० वाई० कृष्णन् : यह विनियमन किस प्रकार कार्यान्वित किये जा रहे हैं और क्या यह सच है कि व्यापार गृह भी इस अधिकतम सीमा के अधीन आ जायेंगे ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : वास्तव में यह मामला कम्पनी कार्य विभाग से सम्बन्धित है। मेरे विचार में वे अधिनियम के अधीन कार्यवाही करने का विचार कर रहे हैं। इस विनियमन सम्बन्धी जो भी सुझाव हमने दिये हैं, वह उस उपाय के बारे मेंहैं जो उन नियमों में जोड़े जाते हैं जिनका सुझाव हमने कम्पनी व्यर्थ विभाग को दिया है। लाभांश की मात्रा को बनाये रखने के लिये जो प्रारक्षित विधियां बनाई जाएगी वह पहले पंच वर्षों के औसत अथवा प्राप्त पूंजी के दस प्रतिशत के आधार पर बनाई जायेगी तथा उस पर कम्पनी कार्य विभाग विचार करेगा।

एशियाई देशों के बीच भ्रमण को प्रोत्साहित करने की योजना

*1011. **श्री राम सहाय पाण्डे** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशियाई देशों के बीच भ्रमण को प्रोत्साहित करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या उपरोक्त योजना को क्रियान्वित करने के लिए एयर इण्डिया द्वारा कोई रियायत दी जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (डा० सरोजनी महिषी) : (क) और (ख) : एशिया क्षेत्र के अन्तर्गत भ्रमण-यात्राओं के प्रस्तावों का सरकार स्वागत करती है। विभिन्न यात्रा अभिकरणों द्वारा ऐसी अनेक यात्राओं का संचालन किया जा रहा है।

(ग) : भारत तथा एशिया के देशों के बीच पर्यटन यातायात का सृजन करने के लिये एयर इण्डिया के पहले ही घटी दरों पर कई प्रोत्साही किराये हैं। अतिरिक्त पर्यटन यातायात का सृजन करने के लिये इन किरायों का एयर इण्डिया द्वारा निरंतर पुनरालोकन किया जाता है।

Shri R. S. Pandey : The hon. Minister stated that the forces have wen reduced. I want to know the extent to which the faces have been reduced ?

डा० सरोजनी महिषी : ग्रुप बनाकर जाने वालों को 46 प्रतिशत तथा कभी–कभी इससे कम रियायतें दी जाती है।

Shri R. S. Pandey : May I know whether the serviecs which we have been rendering to the cause of Asian countries as port of international Services have decreascd or increased with in this year.

Dr. Sarojini Mahishi : The period of one year is not sufficient but indications are that the number is likely to increase :

Shri A. P. Sharma : Which are the countries to which 40 percent reduction in fares has ben made ?

Mr. Speaker : It may relate to the countries which have the services.

Dr. Sarojini Mahishi : Percentage is different for different countries. It is 46 percent in respect of Japan, 37 percent in respect of Fizi and 30 percent in respect of Manila, it depends upon the groups the distances and the countries from which they come.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या एशियाई देशों से आने वाले कम आय वाले लोगों की यात्रा तथा पर्यटन सम्बन्धी कोई योजना विचाराधीन है ?

डा० सरोजनी महिषी : आखिर यह विमान यातायात है। माननीय सदस्य क्या कम आय वाले वर्ग से क्या तात्पर्य है, मुझे यह मालूम नहीं है। हम पर्यटन को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और इस हेतु विमान किराये तथा यातायात संवर्द्धन के लिये विमान किराये में कमी की गई है।

Appears of Income-Tax Agains Birla Group of Firms Question

*1014 **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) The amount of arrears of Income-Tax payable by the Birla Group of Firms; and

(b) Since when the said amount is outstanding and the reasons for which Government has not been able to realise this amount ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :(क) तथा (ख) . बिड़ला समूह की 59 कम्पनियों पर 31 मार्च 1952 को आयकर की बकाया रकम और उसके बकाया पड़े रहने के कारणों के बारे में सूचना सदन की मेज पर रखे गये विवरण-पत्र में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3058/72]** इसके अलावा, इस बारे में सूचना कि ये रकमें कब से बकाया है तथा अन्य कम्पनियों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

Shri Ishwar Chaudhry - The question as to "when the said amount is outstanding and the reasons for which the Government has not been able to realise this amount" was quite clear. According to the statement crores of Rupees are outstanding against Birla Coumpanies. Eitter the cases are in action or appeals have been filed or the notices for the recovery of arrears have been issiued What was the difficulty in collecting the information when notice to the question was given well in advance. What was the expenditure incurred by the Government of India for the recovery of crores of Rupees and what rules and regulations are being applied by the Government to recover the arrears ?

श्री के० आर० गणेश : यह एक प्रश्न 151 प्रश्नों के बराबर है। ऐसा मैं इसलिये कह रहा हूँ कि एकाधिकार जांच आयोग द्वारा रिपोर्ट दिये जाने के समय बिड़ला बन्धुओं ने 151 कम्पनियाँ बनाई थीं। संभव है बाद में भी कुछ और कम्पनियां बनाई गयी हों।

अध्यक्ष महोदय : आप यह पूछें कि इनका तात्पर्य किस कम्पनी से है।

श्री के० आर गणेश : यह बहुत कठिन है। यह प्रश्न बिड़ला से सम्बन्धित है और मैं माननीय सदस्य के मन में यह बात नहीं रखना चाहता कि हम कोई बात छिपा रहे है। लेकिन 151 कम्पनियों सम्बन्धी सूचना एकत्र करना एक कठिन कार्य है 59 कम्पनियों सम्बन्धी सूचना हमारे पास उपलब्ध थी जो हमने दे दी है। माननीय सदस्य ने इस बात को नहीं देखा कि इस धन के बकाया के कारण क्या हैं। ये कहते हैं कि इनमें से बहुत से मामले अदालतों में पड़े हैं। यदि मामला मुकदमेबाजी में फंसा हो तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है। सरकार इन मुकदमों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने का प्रयत्न कर रही है। लेकिन प्रक्रिया का पालन तो करना ही पड़ता है। इन 59 कम्पनियों के अतिरिक्त बाद में हमने 9 अन्य कम्पनियों सम्बन्धी सूचना एकत्र की है। इन 68 कम्पनियों के मामले अधिकाँश बकाया राशि के रहने का कारण यह है कि उनके मामले में न्यायालयों ने ऐकादेश दिये हैं या बकाया राशि में कुछ शुद्धियाँ करनी बाकी हैं या मांगों का समायोजन करना बाकी है।

Shri Ishwar Chaudhry : I wanted to know the expenditure incurred by Government of India on these appeals and the number of cases in the court and the time by which they are likely to be disposed off? Are you taking same steps to see that these cases are disposed off earlier.

Is it a fact that some officers file the cases deliberately and campromise lateron.

श्री के० आर० गणेश : यह आरोप पूर्णतया झूठा है कि कुछ अधिकारी भी उनसे मिले हुये हैं। ये मामले अधिकारियों अथवा विभाग द्वारा न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण में नहीं ले जाये जाते। मामले निर्धारिती द्वारा ले जाये जाते हैं। यह बात फैली हुयी है कि विभाग द्वारा वड़े निर्धारीतियों से बकाया राशि वसूल करने के प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। अगस्त 1971 को आधे घन्टे की चर्चा के दौरान मैंने इसका उत्तर दे दिया है। अकेले पश्चिम बंगाल में ही, जहाँ बिड़ला समूह की सबसे अधिक फर्में हैं, आयकर, अधिलाभ कर, बिक्री कर, सम्पत्तिकर तथा उपहार कर के कारण माँग बढ़ी है और जुर्माने को राशि 30 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी है जिसमें से 26 करोड़ रुपये की राशि वसूल कर ली गयी है। 4 करोड़ रुपये की बकाया राशि विभिन्न मामलों के चल रहे मुकदमों के अन्तर्गत आती है। आज की कानूनी स्थिति के परिणामस्वरूप विभाग के सम्मुख आने वाली कठिनाईयों के उपरान्त भी हमने अगस्त 1971 में 26 करोड़ रुपये की राशि वसूल की है। अत: यह राशि इस धारणा, को गलत सिद्ध कर देती है कि बड़े निर्धारीतियों के मामलों में विभाग कुछ नहीं कर रहा है।

Shri Hukam Chand Kachwai : It has not been replied as to how much amount has been spent.

Shri Ishwar Chaudhary : I want your protection sir. I was expecting that you wil make him to reply my question, therfore, I did not ask again. I would like to know as tol how much amount has been spent on these cases.

Mr. Speaker : You should expect reply from the Minister not for me.

Shri Ishwar Chaudhary : Protection, you can give.

श्री एस० एम० बनर्जी : बिड़ला बन्धुओं के सम्बन्ध में दिये गये विवरण की 8वीं मद से यह प्रकट होता है कि 6,67,000 की राशि बकाया है। विवरण के अन्तर्गत विशेष कालम में बताया गया है कि इस राशि का "कुछ भाग स्थगित कर दिया गया है और शेष तसदीकी के लिये अनिर्णीत पड़ा है।" सैन्ट्रल इन्डिया इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के विरूद्ध 23,62,000 रुपये की राशि बकाया है। टिप्पणी दी गई है कि "मांग को धारा 104 के अधीन अपीलों में विवादग्रस्त किया गया इसलिये उसको स्थगित कर दिया गया।" ग्वालियर रेयन एण्ड सिल्क मेनू० (वीविंग) कम्पनी लिमिटेड के विरूद्ध 32,26,781 रुपये की राशि बकाया है। टिप्पणी दी गई है कि "निरीक्षक सहायक आयकर आयुक्त द्वारा मांग स्थगित कर दी गई है और कर निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिये लगभग 12000 रुपये की मांग अभी देय नहीं हुई है।" मांग स्थगित करने से पूर्व क्या इन फर्मों से कोई प्रतिभूति ली जाती है?

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रतिभूति निर्वाचन के समय में ली गई थी।

श्री के० आर० गणेश : मांगे विभिन्न न्याय प्राधिकारियों द्वारा स्थागित की गई हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : ग्वालीयर रेयन एण्ड सिल्क मेनू० कम्पनी लिमिटेड के मामले में मांग निरीक्षक सहायक आयुक्त द्वारा स्थगित की गई है, न्यायालय द्वारा नहीं। क्या आप सहायक आयुक्त को विभागीय न्यायिक निकाय मानते है? क्या इस मामले में कोई प्रतिभूति ली गई है?

श्री के० आर० गणेश : पहली बात तो यह है सहायक आयुक्त अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी है। यदि आप आज की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं ·····

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या कोई प्रतिभूति ली गई है ?

श्री के० आर० गणेश : आपने ठीक प्रश्न पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : वह आपके दिये हुये विवरण से उद्धृत कर रहे हैं।

श्री के० आर० गणेश : मैं मूल समस्या के विषय में बता रहा हूँ। जहां तक बिड़ला बन्धुओं का सम्बन्ध है····· **(व्यवधान)**

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या सरकार ने प्रतिभूति मांगी थी ? मन्त्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर देने में आनाकानी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह मूल समस्या के विषय में बता रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : प्रश्नकाल के दौरान मूल समस्या पर विचार नहीं किया जा सकता। इस अवधि में केवल जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके तथा मंत्री महोदय के बीच हस्तक्षेप करना नहीं चाहता।

श्री के० आर० गणेश : इस समय आपके प्रश्न का यही उत्तर दिया जा सकता है कि प्रतिभूतियां उन फर्मो से ली जाती हैं जिनकी वित्तीय स्थिति कमजोर हैं। हम एक ऐसे औद्योगिक गृह की बात कर रहे हैं। जिससे हमने 26 करोड़ रुपया वसूल किया है। यह एक ऐसा औद्योगिक गृह है जिसकी कर की राशि में वर्ष 1969 से आज के बीच 14 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। अतः यह विचार निकाल दिया जाना चाहिये कि विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

Shri Ram Chandra Vikal : May I know whether Government is thinking of issuing orders to the effect that the income Tax cases are decided within the sehedued time and if so, by what time ?

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले आपको ही इन आदेशों का पालन करना होगा।

श्री पीलू मोदी : श्रीमान्, माननीय सदस्य ने एक छोटा सा प्रश्न पूछा था परन्तु उन्हें अभी तक उत्तर नहीं मिला है। प्रश्न यह था कि क्या सरकार प्रतिभूति मांगती हैं। यह एक साधारण सा प्रश्न है। मन्त्री महोदय कह सकते हैं कि सरकार ऐसा नहीं करती।

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न पूछने से पूर्व कम-से-कम मेरी अनुमति प्राप्त करने का कष्ट करना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु श्रीमान्, मैं एक प्रश्न पूछने अथवा एक स्पष्टीकरण के लिये आपकी अनुमति चाहता हूँ। मन्त्री महोदय ने जो कुछ कहा है वह भ्रमात्मक है तथा विरोधाभास पूर्ण है उन्होंने कहा है कि बिड़ला बन्धुओं से, जिनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है, सरकार को प्रतिभूति मांगने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ यह निकलता है कि बड़े व्यापार गृहों से प्रतिभूति के भुगतान के लिये नहीं कहा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : ये आपके विचार हैं। आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा है। मन्त्री महोदय ने आपको सूचना दे दी है। यही पर्याप्त है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कहा है वह प्रश्न नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने कहा है "कि यह आपकी राजनैतिक विचारधारा है ।"

अध्यक्ष महोदय : इसी कारण मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपकी अनुमति से इसका स्पष्टीकरण चाहता हूँ । क्या आयकर के लिये प्रतिभूति मांगने की व्यवस्था केवल वित्तीय दृष्टि से दुर्बल लोगों पर ही लागू होती है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : श्रीमान्, अनावश्यक रूप से एक छोटे से प्रश्न को बढा दिया गया है । वास्तव में यह आयकर अधिकारी के मत पर निर्भर करता है कि आयकर की राशि सुरक्षित है अथवा असुरक्षित । प्रतिभूति की व्यवस्था है । यदि किसी बड़े गृह से आयकर राशि के भुगतान का कोई भय नहीं है तो अधिकारी इस व्यवस्था का उपयोग नहीं भी करते हैं । परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वे कोई प्रतिभूति मांगगे ही नहीं । पता नहीं प्रश्न को अनावश्यक रूप में व्यक्तिनिष्ठ क्यों बनाया जा रहा है जबकि इस पर वस्तुनिष्ठ ढंग से विचार किया जा रहा हैं । हमें प्रश्न को इसी ढंग से देखना चाहिये ।

पटसन मिलों को ऋण

*1015. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद कच्चा पटसन खरीदने के लिये पटसन मिलों को ऋण देने की पहली प्रक्रिया में कोई परिवर्तन हुआ है ।

(ख) यदि हां, तो नई प्रक्रिया की मुख्य बातें क्या हैं ?

(ग) क्या रिजर्व बैंक आफ इन्डिया द्वारा गठित अध्ययन दल ने जनवरी 1970, में यह बताया था कि मिलें जूट सप्लाई के बिलों के भुगतान में विलम्ब कर रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप कच्चे पटसन की खरीद के सम्बन्ध में दोहरा वित्त पोषण चल रहा है तथा अधिक राशि के बीजक बनाये जाते हैं; और

(घ) क्या उक्त जानकारी के अनुसरण में इस सम्बन्ध में त्रुटियों को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा-पटल रख दिया गया है ।

विवरण

दोहरे वित्त पोषण को पटसन उद्योग में पहले से प्रचलित व्यापार-परिपाटियों से प्रोत्साहन मिला । अप्रैल 1968 में इण्डियन बैंक्स एसोसियेशन ने एक प्रणाली पेश की जिसमें यह सिफारिश की गई मिलों को कच्चे पटसन की सप्लाई के सम्बन्ध में मुद्दती हुण्डियों (बिलों) को इस शर्त के साथ जारी किया जाये कि ऐसी हुण्डियों को तभी चुकाया जायेगा जबकि उनके साथ प्रत्यक्ष पत्र हों ।

क्योंकि पटसन उद्योग या व्यापार में इन सिफारिशों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया अतः 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक ने पटसन उद्योग की अल्पावधिक ऋण सम्बन्धी समस्याओं का

अध्ययन करने के लिये एक अध्ययन दल नियुक्त किया। अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट में प्रत्यय-पत्रों से समर्थित मुद्दती हुण्डियों को चुकाने की प्रणाली का समर्थन किया और यह सुझाव दिया कि सम्बधित बैंकों को हुण्डियां करने की शक्ति की निरन्तर समीक्षा करते रहना चाहिये और यह सिफारिश भी की, कि केवल वही बैंक जो मिल का नकद ऋण खाता सभालते हों, प्रत्यय पत्र जारी करें। यह भी सिफारिश की गई कि मिलों की ओर से पूर्तिकर्ता के पक्ष में प्रत्यय पत्रों को खोलते समय बैंक यह शर्त लगा सकता है कि पूर्तिकर्ता को सम्बद्ध मिलों के पास माल भेजने के बारे में उस बैंक के माध्यम से, जहां से मुद्दती हुण्डियां चली थीं, वित्त देने वाले बैंकों को सूचित करना चाहिये।

अध्ययन दल की सिफारिशों के अलावा, राष्ट्रीयकरण के बाद सरकारी क्षेत्र बैंकों द्वारा नीति के तौर पर बैंक-वित्त के अन्ततः प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मिलों की कार्य-चालन पूंजी की आवश्यकता की ठीक से जांच और मूल्यांकन किया जाता है ताकि उत्पादन और वितरण की केवल न्यायोचित आवश्यकताएं ही पूरी की जायें। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र द्वारा पट्सन कपड़ा मिलों को धन देने वाले बड़े बैंकों को प्रत्यय-पत्रों से समर्थित मुद्दती हुण्डियों के प्रयोग को बढ़ाने की सलाह दी है जिससे वाणिज्यिक बैंकों को हुण्डियों के पुर्नभुगतान की नई योजना का लाभ मिल सकेगा। मिलों की जरूरतों की जांच समय-समय पर की जाती है इसका उद्देश्य परम्परागत व्यापार परिपाटियों के माध्यम से दोहरे वित्तपोषण को सम्भव सीमा तक दूर करना है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : भारतीय रिजर्व बैंक ने जिस अध्ययन दल का गठन किया उस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच नहीं है कि इस दल की मुख्य सिफारिश यह थी कि बैंकों का पटसन मिलों को तब तक अल्पावधि ऋण नहीं देने चाहिये। जब तक कि प्राप्त कर्ता पटसन मिल कच्चे पटसन के सप्लाई बिल मुद्दती हुंडी के आधार पर स्वीकार नहीं कर लेती और क्या यह सच नहीं है कि इस सिफारिश के उपरान्त भी प्राप्त करने वाली पटसन मिलों के द्वारा सप्लाई बिलों के स्वीकार किये जाने से पूर्व ही बहुत से बैंक शत प्रतिशत ऋण दे रहे हैं। यदि हां, तो सरकार काले धन के महत्वपूर्ण स्रोत को समाप्त करने के लिये कौन से कदम उठायेगी।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : समस्या को समझने से पूर्ण हमें सर्व प्रथम सिफारिशों को ठीक रूप में जानना आवश्यक है। अध्ययन दल ने तीन प्रकार की सिफारिशें की हैं। पहली सिफारिश यह है कि उस बैंक को जो मिल का नकद ऋण खाता संभालता हो प्रत्यय पत्र देने चाहिये अन्यथा लेखों के यह सम्बन्ध की जांच न हो सकेगी। दूसरे सप्लायर को अपने बैंक के माध्यम से मिल के बैंक को माल भेजने के बारे में नियमित रूप से सूचना देनी चाहिये। तीसरे संबन्धित बैंक को हुण्डियां करने की शक्ति को निरन्तर समीक्षा करते रहना चाहिये जिससे प्रत्यय पत्रों के अन्तर्गत मिलों को प्राप्त भण्डार का मूल्य घटाया जा सके। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रत्यय पत्रों पर वित्तीय व्यवस्था करने तथा कच्चे पटसन के भंडार को बंधक रखने पर वित्तीय व्यवस्था करने के बीच कोई उचित सम्बन्ध नहीं रहेगा। वास्तव में अध्ययन दल की यही मुख्य सिफारिशें हैं। मेरे विचार से बैंकिंग संघ ने इन्हें स्वीकार कर लिया है और उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है।

माननीय सदस्य मुझ से यह आश्वासन चाहते हैं कि क्या इससे दोहरी वित्तीय व्यवस्था की संभावना समाप्त हो जायेगी। मैं स्वीकारात्मक उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि एक

सीमा तक ऐसा सम्भव हो सकता है। परन्तु इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम ऐसी स्थिति के प्रति पूर्णतया सजग रहेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मंत्री महोदय को इस तथ्य का पता है कि हाल ही में, पश्चिम बंगाल की यदि सबसे बड़ी भी नहीं तो बड़ी मिलों में से एक पटसन मिल को कच्चे पटसन की खरीद के लिये जो अग्रिम धन राशि दी गयी थी उसे मिल मालिकों ने जाली नाम से इसी कम्पनी के शेयर खरीदने के लिये उपयोग किया है। बाहर से खरीद का तो प्रश्न नहीं उठता, उस धन को मिल की गतिविधियों के विस्तार के लिये प्रयोग किया गया है ? क्या उन्हें इस तथ्य का भी पता है कि ऐसी बातों पर कोई नियन्त्रण नहीं रखा जाता है और यह भी सुनिश्चित नहीं कराया जाता कि इस उद्देश्य के लिये बैंक द्वारा दी गई राशि पूर्णतया उसी उद्देश्य पर व्यय की जाती है; बैंक मशीनरी को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, नहीं। मुझे इस विशेष मामले का पता नहीं है परन्तु मैं यह मानता हूं कि ऐसी घटना हो सकती है। रिजर्व बैंक अथवा संबंधित बैंक को यह देखना चाहिये कि धनराशि जिस उद्देश्य के लिए दी गई है उस पर व्यय की गई है अथवा नहीं। यह एक महत्वपूर्ण बात है और इस पर ध्यान रखा जायेगा।

उस मामले में, बड़ी राशियों के बारे में एक फार्म निर्धारित किया गया है। मैंने सभा में कई बार 25 लाख रु० से अधिक राशि के ऋण और अग्रिम राशि की मांग के बारे में पूरी प्रक्रिया का स्पष्टीकरण किया था। कई प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें चेष्टा की जाती है कि सम्बन्धित निधि का दुरुपयोग न हो। तब भी हो सकता है कुछ व्यक्तियों ने ऐसा किया हो। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले का उल्लेख करेंगे तो मैं निश्चय ही उस पर ध्यान दूँगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अग्रिम राशि को वापस क्यों नहीं लिया जाना चाहिये।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : आप निश्चय ही चाहते हैं कि पटसन व्यापार जारी रहे। मेरी कठिनाई यही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कुछ दिन पहले बताया गया था कि सरकार पूरे पटसन व्यापार को अधिकार में लेना चाहती है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मुझे उम्मीद है कि वे ऐसा कर रहे हैं। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, हमें देखना है कि व्यवसाय बना रहे तथा पटसन का निर्यात देश की अर्थ-व्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण है इस पर ध्यन देना आवश्यक है। बैंकिंग पद्धति यह कार्य कर सकती है। उन्हें निश्चय ही कुछ उद्देश्यों की पूर्ति करनी होती है परन्तु बीच की अवधि के लिये उन्हें कुछ वास्तविकताओं को स्वीकार करना होता है। यह ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिससे कि बैंकिग पद्धति कर पूरा कार्य ही रुक जाये। मेरी कठिनाई यह है। यदि माननीय सदस्य विशेष मामले का उल्लेख, अभी नहीं, बाद में भी कर दें, तो मैं इस पर ध्यान दूँगा।

श्री पीलू मोदी : उन्हें नाम बताना चाहिए।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यदि वह अभी बताते हैं। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं। यह

उनका विवेक है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे प्रस्तुत मामले पर नीति निर्धारित करते समय वस्तु के व्यापार को तथा उद्योग को पृथक-पृथक मानते है जबकि इन दोनों का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह उनका मुख्य प्रश्न है। उसीका हमने उत्तर दिया हैं।

एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी के इक्विटी शेयर

*1016. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी के कुल कितने एक्विटी शेयर रखने है;

(ख) एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी के सात प्रतिशत से अधिक एक्विटी शेयर रखने वालों के नाम क्या हैं तथा उनमें से प्रत्येक के पास कितने शेयर हैं; और

(ग) एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी के नियन्त्रणाधीन कम्पनियों द्वारा एक दूसरे को दिये जाने वाले ऋणों और अग्रिम धन का ब्यौरा क्या है ?

कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेद व्रत बरुआ) : (क) एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनीज लिमिटेड के 31–7–1971 तक के तुलन-पत्र के अनुसार, 100 रु० की दर के अभिदत्त साम्य हिस्सों की कुल संख्या 28, 48, 386 थी।

(ख) एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापारी प्रथा अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकरण के लिये इस कम्पनी के दिनांक 11–9–70 के आवेदन-पत्र के अनुसार, भारतीय जीवन बीमा निगम ही अकेला ऐसा हिस्सेधारी था, जिसके पास 3, 90,782 साम्य हिस्सों सहित, कम्पनी के कुल साम्य हिस्सों के 7 प्रतिशत से अधिक थे।

(ग) तुलन-पत्रों में उपलब्ध अन्त: कम्पनी ऋणों से सम्बन्धित सूचना के अनुसार, ए० सी० सी० समूह की केवल एक कम्पनी, अर्थात ए० सी० सी० विकर्स बेबकाल लिमिटेड ने, अपनी पूर्णत: स्वामिक सहायक, यथा, बेबकाक एण्ड विलकाक्स आफ इण्डिया लिमिटेड को 31-3-1971 तक 27·31 लाख रु० की राशि के ऋण तथा अग्रिम धन दिये थे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या कम्पनियों द्वारा दर्शाए गये संतुलन पत्रों के जांच की कोई व्यवस्था है ? क्या कम्पनी के कुछ भागीदारों ने सरकार को कम्पनी के विरुद्ध कुछ गम्भीर आरोपों की सूचना दी है जिनके अनुसार कदाचारों तथा निदेशकों एवं उनके संबन्धियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के मामले का उल्लेख किया गया है यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है।

श्री वेदव्रत बरुआ : कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत संतुलन पत्र दिया जाना होता है। और इन सन्तुलन पत्रों में सभी अपेक्षित तथ्य होते हैं। यदि कोई गलत बात होती है तो हम कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न के बारे में इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता, परन्तु हमें लगता है कि इस कम्पनी का प्रबन्ध भली प्रकार चल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि निदेशक समुचित प्रबन्ध नहीं करते। पिछले 2 वर्ष से यह 12 प्रतिशत लाभ कमा रही है। इसके भागीदार की संख्या बहुत अधिक है और किसी भी निदेशक के पास कम्पनी के 5 प्रतिशत से अधिक अन्श नहीं है। अधिकांश भागीदार किसी बड़े व्यापार समूह से सम्बन्धित नहीं हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : भागीदारों ने एक ज्ञापन सरकार को दिया था। उन्होंने कम्पनी के विरुद्ध कुछ विशेष आरोप लगाये हैं। क्या उन्हें उक्त ज्ञापन मिल गया है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है।

श्री वेदव्रत बरुआ : मैं इस मामले पर ध्यान दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह घटना कई महीने पूर्व की है। कदाचार के अत्यन्त गम्भीर आरोप लगाए गये हैं। क्या सरकार इस मामले पर ध्यान देगी ?

श्री वेदव्रत बरुआ : हम मामले पर ध्यान देंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : धन्यवाद।

व्यक्ति और परिवार के व्यय की अधिकतम सीमा निश्चित करना

*1018. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यक्ति और परिवार के व्यय की अधिकतम सीमा निश्चित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री डी० के० पण्डा : जबकि हम सम्पत्ति की सीमा और शहरी आय की सीमा निर्धारण करने जा रहे हैं, उस स्थिति में व्यक्ति अथवा परिवार द्वारा किए जाने वाले व्यय की सीमा भी क्यों नहीं निर्धारित करते ?

अध्यक्ष महोदय : क्या कार्यवाही के लिये यह सुझाव दिए गये इस उत्तर से, "जी नहीं, और प्रश्न उपस्थित नहीं होता" पैदा होता है ?

श्री डी० के० पण्डा : व्यय के लिये सीमा निर्धारित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री पीलू मोदी : हम पूरी तरह साम्यवादी नहीं बने हैं। साम्यवाद इस देश में विफल रहा है इसलिये इसे लादा नहीं जा रहा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि यह मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

Shri Jherkhande Rai : May I know whether this matter was discussed by the cabinet at any stage.

Mr. Speaker : How can he tell the preceedings of the cabinet ?

Shri Jherkende Rai : Is it a fact that this matter was considered at certain level but-was given up taking it as impracticable.

Mr. Speaker : This was the question and the Minister has replied in nagative.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं यह नहीं चाहता कि मेरे इन उत्तरों, 'जी नहीं' और 'यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता' को गलत समझा जाये। मैं इसका उत्तर देना चाहता हूँ। उत्तर का यह अभिप्राय नहीं है कि हम व्यर्थ के व्ययों पर नियंत्रण नहीं चाहते। वास्तव में हमारी कर लगाने अथवा कर न लगाने की नीतियाँ इसी पर आधारित थी। परन्तु व्यय कर अथवा आय की निर्धारित सीमा को व्यवहार में लाना अत्यन्त कठिन है। इसलिए हमें ऐसे परिणाम प्राप्त करने

के लिए अन्य उपाय करने पड़ेंगे और मैं समझता हूँ कि हम ऐसा कर रहे है। मैं नहीं चाहता कि इस मामले में सरकार की नीति के बारे में मुझे गलत समझा जाये। ऐसा हम चाहते हैं और वास्तव में हमारे आर्थिक विकास का यह एक मूल आधार है।

श्री पीलू मोदी : मंत्रियों से तथा उसके पश्चात् संसद सदस्यों से आरम्भ करें।

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट

*1020. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1972 तक प्रत्येक राज्य सरकार ने कितना धन अनधिकृत ओवरड्राफ्ट के रूप में निकला है;

(ख) क्या सरकार ने इन ओवरड्राफ्टों को स्वीकृत कर लिया है तथा अब इस धन को केन्द्रीय सरकार द्वारा उन राज्य सरकारों को दिये गये ऋण के रूप में माना जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे ऋणों की शर्तें क्या हैं और इस पर राज्य सरकारों से किस दर पर ब्याज लिया जाता है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें 29 अप्रैल, 1972 को राज्यों के ओवरड्राफ्टों की स्थिति बताई गयी है।

भारत सरकार ने अंशतः अर्थोपाय अग्रिम देकर और अंशतः 1972–73 में देय आयोजनागत सहायता तथा केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से को अग्रिम देकर राज्यों के ओवरड्राफ्टों को चुका दिया है। अर्थोपाय अग्रिम चालू वित्तीय वर्ष में वापस लौटा दिये जाने हैं और उन पर $4\frac{1}{4}\%$ ब्याज लगता है।

विवरण

	29 अप्रैल, 1972 को राज्य सरकारों के ओवरड्राफ्ट* (करोड़ रुपयों में)
आन्ध्र प्रदेश	92-61
असम	45·49
बिहार	49·47
हरियाणा	36·24
हिमाचल प्रदेश	2·91
केरल	57·76
महाराष्ट्र	26·29
मैसूर	71·49
राजस्थान	99·60
तमिल नाडु	68·31
उत्तर प्रदेश	44·45
पश्चिम बंगाल	47·30
	641·92

* **टिप्पणी** : 30 अप्रैल, 1972 को रविवार था। अतः ये आंकड़े 29 अप्रैल को कारोबार समाप्त होने के समय के हैं।

श्री डी० डी० देसाई : कुल दी गई अग्रिम राशियाँ कब तक वापस ली जा सकेंगी और हमारे ऋण लेने और ऋण देने की ब्याज की दरों में कितना अन्तर है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : सामान्यत: ओवरड्राफ्टों की कुल राशि मैंने पहले ही विवरण में बता दी है । 29 अप्रैल 1972 को कुल राशि 641·92 करोड़ रुपए थी और इन सभी अग्रिम राशियों की अदायगी एक वर्ष में की जानी होती है और इन पर ब्याज की दर 4·25 प्रतिशत है ।

श्री डी० डी० देसाई : अब ओवरड्राफ्टों को ऋण मान लिया गया है और यदि ऋणों को ओवरड्राफ्टों के स्थान में पूरा धन प्राप्त हो गया माना जाता है, तब कितनी अवधि में ऋणों की अदायगी की जायेगी ? मैं जानना चाहता हूँ कि जो ऋण सरकार लेती है तथा जो ऋण सरकार देती है क्या उन पर कुछ हानि होती है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य ने अदायगी की प्रक्रिया को समझा नहीं है । ऋण और ऋणों की अदायगी अलग प्रश्न हैं और इन पर पृथक विचार किया जायेगा । यह प्रश्न ओवरड्राफ्टों की अदायगी का है क्योंकि ओवरड्राफ्टों की ऐसी प्रक्रिया था जिन्हें राज्य अपनी बजट पद्धति की कमियों को दूर करने के लिये उपयोग में लाते थे ।

श्री पीलू मोदी : अपव्ययी राज्यों द्वारा ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : कठिनाई एक दो तरह से उत्पन्न हो जा सकती है । एक तो अन्तिम शेष के कारण अस्थायी कठिनाइयां हैं और दूसरे, उपलब्ध स्रोतों का वचनबद्ध व्ययों से कम रह जाने के कारण, इस प्रकार के बजट के कारण स्थायी प्रकार के हैं । वास्तव में ओवरड्राफ्टों के कुछ कारण हैं । उसे पहले समझा जाना चाहिये । राज्य को कठिनाइयों से बचाने के लिये हम कुछ मार्ग खोज रहे हैं क्योंकि यह अनधिकृत अग्रिम राशियां हैं । इन अनधिकृत अग्रिम राशियों की अदायगी की जानी चाहिये । इनकी तीन साधनों द्वारा अदायगी की जा सकती है । एक तो है योजना सहायता के रूप में अग्रिम राशि देना । दूसरे उन्हें करों के भाग की अग्रिम अदायगी करना ऐसी कुछ अदायगियां हैं जो वर्ष के दौरान राज्यों को की जानी थी और उसके बदले हम अग्रिम अदायगी कर रहे हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

राजस्थान में जयपुर हवाई अड्डे पर ग्लाईडिंग प्रशिक्षण केन्द्र क स्थापना का प्रस्ताव

*1003. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **पर्यटन और नागर** विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में जयपुर हवाई अड्डे पर ग्लाइडिंग प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो उस केन्द्र द्वारा कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा; और

(ग) उस केन्द्र को प्रशिक्षण के उद्देश्यों के लिये कितने ग्लाइडिंग विमान दिये जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी, नहीं ।

जयपुर में राजस्थान फ्लाइंग क्लब का एक ग्लाइडिंग विंग पहले ही विद्यमान है ।

(ग) : राजस्थान फ्लाइंग क्लब के पास पहले ही चार ग्लाइडर हैं ।

गुजरात में लघु उद्योगों के विकास के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण

*1004. **श्री बेकारिया** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970 **और** 1971 में गुजरात में लघु उद्योगों के विकास के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : गुजरात राज्य में लघु उद्योगों के विकास के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के बारे में दिसम्बर 1970 और 71 के अंतिम शुक्रवार के आँकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(रकम लाख रुपयों में)

दिसम्बर 1970		दिसम्बर 1971*	
खातों की संख्या	बकाया रकम	खातों की संख्या	बकाया
8560	2961·20	8621	2983·88

डमडम हवाई अड्डे पर इण्टरनेशनल एयर टर्मिनल बिल्डिंग का प्रयोग न किया जाना

*1005. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि डम डम हवाई अड्डे पर इण्टरनेशनल एयर टर्मिनल बिल्डिंग का प्रयोग नहीं किया जा रहा है; और

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के मुख्य कार्यालय (हैड आफिस) को इस भवन में स्थापित किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सरकार को पता है कि कलकत्ता विमान क्षेत्र की नहीं अन्तर्राष्ट्रीय टर्मीनल इमारत का अभी तक पूरा उपयोग नहीं हो रहा है ।

(ख) : जी, नहीं ।

Restrictions on loans Against Foodgains.

*1006. **Dr. Laxminarain Panday** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether the restrictions on loans against foodgrains, oil and cotton have been relaxed considerably by the Reserve Bank of India;

(b) If so, the reasons therefor; and

(c) Its impact on the market price ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c) : The Reserve Bank of

* आंकड़े अनन्तिम हैं ।

India operates selective credit controls from time to time after taking into account the trend in prices and the supply situation. Recently, the Reserve Bank of India after reviewing the situation, has made certain relaxations in their controls on bank advances against foodgrains, cotton and kapas, oil-seeds and vegetable-oils including vanaspati. The details of the relaxations are briefly given in the annexure. While operating its selective credit controls, Reserve Bank of India ensures that genuine needs for productive and distributive purposes of trade and industry are met and at the same time hoarding and speculative practices are kept in check. The controls are operated with a view to maintaining reasonable stability in the price level.

Foodgrains : In view of the larger output of foodgrains this year, banks have been permitted to increase their advances against foodgrains by 10% (beginning from March-April, 1972) compared to the level of the advances last year. This additional credit may be allocated by the banks on a preferential basis to their branches located in those areas where production and consequential need for credit has increased recently. Banks have, however, been advised to exercise caution and restraint in respect of advances against pulses, as the output and supply position of pulses is still not comfortable.

2. **Cotton and Kapas** : In line with the increase in the length of period for which the mills can hold cotton stocks permitted by Textile Commissioner, the Reserve Bank has increased the existing specified periods of stock consumption of cotton by textile mills in respect of which minimum margins are prescribed by the Bank, by four weeks in all case. Further, with a view to giving relief to parties other than cotton textile mills, the minimum margins prescribed for advances to such parties in respect of stocks of cotton and kapas marketed from October 1, 1971 on wards, have been reduced by 10%.

With a view to further encouraging the production of new varieties of cotton, the concessions relating to lower minimum margin of 25% and eemption from ceiling control have been extended to some additional new and/or long-staple varieties of cotton viz, Hampi, Varalaxmi, Maljhari, Narmada A-51/9. Khandwa I and Badnavar, I

3. **Oilseeds/Oils** : The minimum margin on advances to oil mills in States other than West Bengal and Bihar against rapeseed/mustardseed equivalent to two months consumption of each mill has been reduced from 60% to 40%.

4. **Warehouse Receipts** : With a view to encouraging the use of storage facilities provided by the warehouses of Central and state warehousing corporations, a reduction of 10% has been allowed (as in the case of foodgrains) in respect of other controlled commodities also, in the minimum margin to be maintained by banks in respect of their advances against warehouse receipts issued by such corporations. Bank advances upto Rs. 25,000/— per borrower against such warehouse receipts have also been exempted from ceiling control in respect of all the controlled commodities.

5. **Exemption in Border Districts** : The period of exemption from control, previously extended upto the end of April, 1972 in respect of bank advances against foodgrains, oilseeds and vegetable oils (including vanaspati), cotton and kapas, sugar. gur and khandsari in the border and near border districts, has been extended further upto the end of October, 1972.

Further it has been decided that the banks may, on merits, continue to grant extended credit facilities to textile mills and dealers for a further period of three months, i, e. upto the end of July, 1972.

ब्रिक्री कर की विभिन्न दरों का अन्तर्राज्यीय व्यापार पर प्रभाव

*1012. श्री रणबहादुर सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार को पता है कि विभिन्न राज्यों में बिक्री कर की दरों में काफी अन्तर है;

(ख) क्या इस अन्तर का अन्तर्राज्यीय व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हाँ ।

(ख) तथा (ग) : किसी भी राज्य में, समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर कर लगाने का विषय, संविधान की अनुसूची VII की सूची 11 में प्रविष्टि 54 के अधीन, राज्य सरकार के अधिकार का है । इसलिये, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई विशेष अध्ययन कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता । परन्तु प्रत्येक समूह में स्थित राज्यों में बिक्री कर लगाने के मामले में यथा संभव एकरूपता लाने के प्रश्न पर, संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार गठित क्षेत्रीय बिक्री कर व्यवस्थापक परिषदों की बैठकों में विचार विमर्श किया जाता है ।

अन्तर्राज्यीय बिक्रियों पर कर का नियमन, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के होता है, जिसमें, कुछ साधारण से अपवादों को छोड़कर, व्यवस्था है कि रजिस्टर्ड व्यापारियों को बेचे गये माल पर 3 प्रतिशत की एकसार दर लगाई जाय ।

Offer From Iraq for Selling Crude to India

*1013. **Shri Hari Singh :**

Shri Raja Kulkarni :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) Whether Government of Iraq have made any offer to sell crude oil to the Government of India;

(b) if so, the salient features of the offer;

(c) Whether the price quoted by Iraq is less than the price charged by the foreign Oil Companies for the same vrriety of crude oil; and

(d) if so. the extent of difference ?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) : Detailed terms and conditions are still under negotiation. It will not be in the public interest to disclose these details.

कृषि पुनर्वित्त निगम की सहायता-प्राप्त योजनायें

*1017. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये कृषि पुनर्वित्त निगम की सहायता प्राप्त योजनाओं के सम्बन्ध में पिछड़े राज्यों के कृषि उत्पादन आयुक्तों से विचार-विमर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त विचार–विमर्श का ब्यौरा क्या है और उसमें क्या निर्णय किये गये हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) : जी, हां ।

(ख) असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मेघालय, नागालैंड. उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों के कृषि उत्पादन आयुक्तों और भारतीय रिजर्व बैंक, कृषि पुनर्वित्त निगम, कृषि वित्त निगम और कृषि मन्त्रालय के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन, इन राज्यों द्वारा कृषि पुनर्वित्त निगम की सहायता का लाभ उठाने में दिखाई देने वाले असन्तुलन के कारणों पर विचार करने के लिये 14 सितम्बर, 1971 को बुलाया गया था । इन राज्यों में जून, 1971 में इन योजनाओं के समर्थन और क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जो स्थिति थी उसकी समीक्षा की गयी । यह देखा गया कि इन योजनाओं को बनाने और उनके क्रियान्वयन की असंतोषजनक प्रगति के लिये, पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं विशेष रूप से भूमिगत जल संगठन की कमी, कमजोर सहकारी ढांचा, अपर्याप्त अन्तर्विभागीय समन्वय मुख्यत: जिम्मेदार थे । इस बैठक में जो निर्णय लिये गये वें ये थे कि सम्बन्ध राज्य अपने भूमिगत जल संगठन को सुदृढ़ बनायें, परियोजना प्राधिकरणों, राज्य बिजली बोर्डो और वित्तीय अभिकरणों के बीच और प्रभावकारी समन्वय स्थापित करें, राज्य कानून विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के अनुसार, जहां आवश्यक हो ऐसे कानून बनाने के लिये तेजी से कदम उठाये जायें जिनका प्रभाव वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कृषि ऋणों पर पड़ता हो; छोटे किसान के विकास अभिकरणों में शामिल और उनसे बाहर के दोनों प्रकार के छोटे किसानों के वित्त पोषण के लिये योजनायें तैयार करें, नेता बैंकों का सहयोग प्राप्त करें और कमजोर सहकारी संस्थाओं के पुनर्वास के लिये उपयुक्त आयोजनायें तैयार करें ।

भारत में पेट्रोलियम के अन्वेषण के लिए रूसी विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण

*1019. **श्री आर० आर० सिंहदेव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तेल के अन्वेषण के संबंध में रूसी विशेषज्ञों और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किए गए तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या सर्वेक्षण के आधार पर कोई दीर्घकालीन योजना बनाई जा रही है; और

(ग) इस योजना के परिणार्म स्वरूप अनुमानत: कितनी मात्रा में तेल मिल सकेगा ।

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : **(क) से (ग)** : तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कार्यवाही के लिए दो वैकल्पिक सुझावों का उल्लेख था । पहले सुझाव, जिसमें एक अधिक विस्तृत कार्यक्रम की सिफारिश की गयी थी और जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है, में 64 मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल के अतिरिक्त प्राप्य भंडारों की स्थापना का लक्ष्य तथा प्रथम 5 वर्षीय अवधि के अन्त तक कच्चे तेल के 8 मिलियन मीटरी टन की दर से वार्षिक उत्पादन क्षमता का विकास परिकल्पित है । दूसरे सुझाव के अन्तर्गत, जिसे स्वीकार नहीं किया गया है, तेल भंडारों में केवल 30·8 मिलियन मीटरी टन तदनुरूपो वृद्धि हुई होती और 6.8 मिलियन मीटरी टन वार्षिक उत्पादन क्षमता । जबकि प्रथम सुझाव में 1·31 मिलियन मीटरों का व्यधन निहित है, दूसरे सुझाव में केवल 0·9 मिलियन मीटरों का व्यधन परिकल्पित है । रिपोर्ट में द्वितीय 5–वर्षीय अवधि के लिये एक संभाव्य योजना

का भी सुझाव दिया है और उस योजना के अन्तर्गत सुझाव I के अन्तर्गत, इस अनुवर्ती अवधि के अन्त तक वार्षिक उत्पादन 13 मिलियन मीटरी टनों की दर से होगा, जबकि सुझाव II के अन्तर्गत यह 7 मिलियन मीटरी टन हुआ होता।

पहले सुझाव को स्वीकार करते हुए, सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रथम 5 वर्षीय अवधि 1973 से शुरू होगी। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को इस सुझाव के आधार पर आगामी पांच वर्षों के लिए एक विस्तृत परिचालन योजना बनाने और विभिन्न आवश्यकताओं तथा कठिनाइयों (वित्तीय अथवा कोई और) का पता लगाने के निर्देश दिये गए हैं।

बिहार में संयुक्त स्कन्ध कम्पनियां

7480. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969–70, 1970–71 और 1971–72 के अन्त में बिहार में जिलावार काम कर रही जायंट स्टाक कम्पनियों की कुल संख्या कितनी-कितनी थी; और

(ख) इन वर्षों के अन्त में जायंट स्टाक कम्पनियों को प्रदत्त पूंजी कितनी थी ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) 1969–70, 1970–71 एवं 1971–72 (31–12–1971 तक) के वर्षों की समाप्ति पर, बिहार राज्य में कार्यरत कम्पनियों की संख्या एवं उनकी प्रदत्त पूंजी निम्न प्रकार थी :—

समाप्ति पर	कम्पनियों की संख्या	प्रदत्त पूंजी (करोड़ रु० में)
1969-70	398	798·5
1970-71	422	817·1
1971-72 (31-12-1971 तक)	442	821·6

इन वर्षों के मध्य कार्यरत कम्पनियों को जिले-अनुसार संख्या संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

विवरण

क्रम सं० जिले का नाम	कार्यरत कम्पनियाँ (हिस्सों द्वारा सीमित) 1969-20	1970-71	1971-72 (31-12-71 तक)
1. भागल पुर	5	5	5
2. चम्पारन	2	2	2
3- दरभंगा	24	24	25
4. धनवाद	31	37	42

5. गया	19	19	9
6. हजारी बाग	28	29	28
7. मुंगेर	5	5	5
8. मुजफ्फरपुर	14	14	14
9. पालामऊ	3	3	3
10. पटना	166	180	190
11. पुरिया	4	4	4
12. रान्ची	24	27	29
13. सहरसा	—	—	—
14. सन्थाल परगना (एस० पी०)	1i	11	12
15. सारन	4	3	4
16. शाहाबाद	27	26	28
17, सिंहभूमि	31	33	33
योग	398	422	442

हाल के युद्ध में भारतीय सेनाओं द्वारा पकड़े गये पाकिस्तानी हथियार

7481. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के साथ हाल ही के युद्ध में कितना उपकरण पकड़ा गया और उन देशों के नाम क्या हैं, जिन्होंने ये उपकरण सप्लाई किये थे;

(ख) क्या भारतीय सरकार ने इन हथियारों के प्रयोग के विरुद्ध उन देशों को कोई विरोध पत्र भेजा है; और

(ग) यदि हाँ, तो उन देशों को क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) : पूरे ब्योरे सुलभ नहीं हैं । पाकिस्तान के साथ अभी हाल के युद्ध में पकड़े गये सैनिक लोह सामग्री की पहचान, निरीक्षण तथा वर्गीकरण किया जा रहा है ।

तथापि प्राथमिक परीक्षण से यह देखा गया है कि हथियार तथा उपस्कर मुख्यतया अमेरिका तथा चीन मूल के हैं । इस सदन को विदित है कि ये देश सैनिक हार्डवेयर पाकिस्तान को पूर्ति करते रहे हैं । इस सम्बन्ध में हमारे विचार तथा भावनाएं इन देशों को भली प्रकार विदित है । गत अनेकों अवसरों पर सदन को अमेरिका से प्रकट किये गए विरोध के सम्बन्ध में सूचित किया गया है । सरकार अनुभव करती है कि अपने विचारों को दुहराने या पकड़े गए उपस्कारों के सम्बन्ध में नए विरोध करने से कोई लाभदायक प्रयोजन हल नहीं होगा ।

नेवल आर्मामेंट डीपो एम्पलाइज यूनियन आलवे (केरल) से अभ्यावेदन

7482. **श्री वयालार रवि** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेवल आर्मामेंट डिपो एम्पलाइज यूनियन आलवे (केरल से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : 18-3-1972 को यूनियन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। अभ्यावेदन में उठाई गई बातें और उनकी वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में बताई गई है।

उठाई गई बातें	स्थिति
1- नेवल आर्मामेंट डिपो, आलवे के कर्मचारियों को केरल पंचायत अधिनियम के अधीन व्यावसायिक कर से मुक्त किया जाना चाहिये।	यूनियन के इस अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं हो सका।
2 सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली के अधीन प्रतिपूर्ति के लिये आयुर्वेदिक चिकित्सा को एलोपेथी के बराबर समझा जाना चाहिये।	यह सरकार के विचाराधीन है।
3. यूनियन को वेतन के दिन कर्मचारियों से मासिक सदस्यता फीस एकत्र करने की इजाजत होनी चाहिये और यूनियन के परिपत्रों आदि को प्रदर्शित करने की सुविधा होनी चाहिये।	यूनियन को दोपहर के भोजन के समय खाली घंटों में अथवा कार्य-समय के पश्चात् चन्दा एकत्र करने की इजादत दे दी गई है। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, उन्हें आम सूचना के परिपत्र आदि स्थापना के सूचना पट पर लगाने की इजाजत है।
4- डिपो के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देना चाहिये।	मामले पर विचार किया जा रहा है।
5, कठिन प्रकृति वाले कार्य को ध्यान में रखते हुये डिपो कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देना चाहिये।	जोखिम और हानिकर ड्यूटियों पर लगे हुए अकुशल कर्मचारियों को इस समय 3 रु० प्रतिमास का भत्ता ग्राह्य है। इस भत्ते को बढाने के लिये तीसरे वेतन आयोग को सिफारिश कर दी गई है।

पोलिस्टर फिलामेंट यार्न की आवश्यकता तथा खपत

7483. **श्री बी० के० दास चौधरी** . क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आगामी पाँच वर्षों के लिये पोलिस्टर फिलामेंट यार्न की आवश्यकता के

बारे में अनुमान लगाया है और गत तीन वर्षों में इसकी औसतन वार्षिक कितनी खपत थी ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : डैवलपमेंट कौंसिल आफ मैन-मैड फाइबर्स (हस्त-निर्मित तन्तुओं के लिये विकास परिषद) में लगाये गये अनुमानों के अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में इस पदार्थ की मांग का प्रतिवर्ष 6,000 मीटरी टन अनुमान लगाया गया है । पाँचवीं योजनावधि के लिये माँग अनुमानों को इस समय तैयार किया जा रहा है । वर्ष 1968-69; 1069-70 तथा 1970-71 के दौरान (देशीय उत्पादन एवं आयात के आंकड़ों को सम्मिलित करते हुए) खपत आंकड़े क्रमशः 229·9 मीटरी टन, 403·5 मीटरी टन तथा 760·4 मीटरी टन थे ।

मन्त्रियों द्वारा दौरों पर भारतीय वायु सेना के विमानों का प्रयोग

7484. **श्री समर गुह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मन्त्रियों को सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यों के लिये भारतीय वायु सेना के विमानों का उपयोग करने का अधिकार है;

(ख) सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यों के लिये विमानों तया हैलीकाप्टरों के किराये की अलग-अलग क्या दरें निर्धारित हैं ;

(ग) गत चुनाव अभियान के दौरान केन्द्रीय मन्त्रियों ने कितनी बार भारतीय वायु सेना के विमानों तथा हैलीकाप्टरों का उपयोग किया; और

(घ) मन्त्रियों द्वारा विमान किराये के रूप में कितनी राशि या राशियाँ देय हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) : केन्द्रीय मन्त्री भारतीय वायु सेना के वायुयानों को सरकारी प्रयोजनों के लिये प्रयोग करने के हकदार हैं । चालू निर्धारित दरें निम्न प्रकार हैं:—

टी० यू–124	8000 रुपये प्रति उड़ान घण्टा
एवरो (एच० एस० 748)	2700 रुपये प्रति उड़ान घण्टा
डकोटा	1360 रुपये प्रति उड़ान घण्टा
करीव्	6,540 रुपये प्रति उड़ान घण्टा
एम० आई०– 4हैलीकाप्टर	4,460 रुपये प्रति उड़ान घण्टा
अल्यूटी हैलीकाप्टर	4,230 रुपये प्रति उड़ान घण्टा

इसके अतिरिक्त प्रथम 24 घण्टों से अधिक ठहरने पर रोक रखने के लिये प्रभारित किया जाता है । जैसा सदन को विदित है, प्रधान मन्त्री भारतीय वायुयान को तब भी प्रयोग करने की हकदार हैं जबकि यात्रा सरकारी प्रयोजनों के अन्यथा भी हो ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अमरीकी सहायता को पुनः चालू करना

7485. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** :

श्री पीलू मोदी :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार भारत को गैर-योजना व्यय के लिये पुनः सहायता देने पर विचार कर रही है ।

(ख) क्या अमरीकी सरकार ने भारत सरकार को इस सम्बन्ध में कोई संकेत दिया है, और

(ग) यदि हाँ, तो अमरीका का कितना और किन शर्तों पर ऋण देने का विचार है और क्या भारत सरकार ने इस पेशकश को स्वीकार कर लिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिये राजस्थान को धन दिये जाने के बारे में राजस्थान के मुख्य मन्त्री का वक्तव्य

7486. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 मई, 1972 के टाइम्स आफ इण्डिया (नई दिल्ली) में राजस्थान इन नीड आफ फंडस फार इण्डस्ट्रीज शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित राजस्थान के मुख्य मन्त्री के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : **(क) और** (ख) : जी, हां । मुख्य मन्त्री, राजस्थान विधान सभा में उद्योग की मांगों पर हुई बहस के दौरान उस स्थिति के बारे रहे थे जो राज्य में वित्तीय संस्थाओं और केन्द्रीय सरकार द्वारा रियायतें देने पर भी औधोगिक क्षेत्र में विद्यमान थी ।

कुछ राज्यों ने अपेक्षाकृत औद्योगिक पिछड़े-पन के कई कारण हैं । पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एककों को आकर्षित करने के लिये यह जरूरी है कि उस क्षेत्र के कुल साधनों की संभाव्यताओं के बारे में विस्तृत सर्वेक्षण किया जाये जिनमें सामान और जन शक्ति सम्बन्धी संभाव्यताएं भी शामिल हैं और उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिये आधारभूत सुविधायें प्रदान की जायें वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे सम्भाव्यता की दृष्टि से सक्षम परियोजनायें के लिये ऋण की व्यवस्था करें ।

ऐसी परियोजनाओं को हाथ में लेने प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, वित्तीय संस्थाओं ने ब्याज की रियायती दरों पर ऋण देने की विशेष सुविधायें देने की घोषणा की है और केन्द्रीय सरकार इन क्षेत्रों में काम शुरू करने वाले नये उद्यमकर्ताओं के पूंजी निवेश में राजसहायता देने के लिये सहमत हो गयी है, राज्य के 26 जिलों में से 16 जिलों को रियायती दरों पर वित्त प्राप्त करने के पात्र के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है और इनमें से दो जिलों को लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों के स्थिर पूंजीगत निवेश पर 10 प्रतिशत की केन्द्रीय राजसहायता प्राप्त करने के लिये चुना गया है

इसके अलावा, औद्योगिक विकास बैंक ने राजस्थान राज्य का एक सर्वेक्षण भी किया है जिसमें राज्य की औद्योगिक सक्षमता का मूल्यांकन किया गया है और कुछ औद्योगिक परियोजनाओं का चुनाव किया गया है जिन्हें राज्य में चालू किया जा सकता है। अब तक, राजस्थान में सक्षम उद्योग स्थापित करने के लिये केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने के लिये दिया गया कोई आवेदन पत्र इन संस्थाओं द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है।

भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों और उनके परिवारों द्वारा विदेशों में चिकित्सा पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति

7487. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम को मार्किटिंग डिवीजन में एक अधिकारी ने विदेश में अपनी पत्नी की चिकित्सा पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में एक लाख रुपये से अधिक राशि का दावा किया है।

(ख) क्या भारतीय तेल निगम के कर्मचारी विदेशों में चिकित्सा करवा सकते हैं और उस व्यय का भुगतान सरकार करती है।

(ग) क्या भारतीय तेल निगम ने इस अधिकारी को विदेश में चिकित्सा का लाभ उठाने की तदर्थ अनुमति दी थी और यदि हां, तो यह निर्णय लेने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उपरोक्त अधिकारी ने विदेश आने जाने के लिये यात्रा सम्बन्धी व्यय की वापसी का दावा किया है और यदि हां, तो क्या इसका भुगतान किया गया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (घ) भारतीय तेल निगम के मार्केटिंग डिवीजन में किसी अधिकारी ने विदेश में अपनी पत्नि की चिकित्सा पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में एक लाख रुपये से अधिक राशि का दावा नहीं किया है। किन्तु एक केस है जिसमें भारतीय तेल निगम के मार्केटिंग डिवीजन के प्रबन्ध निदेशक को, टाटा मैमोरियल हस्पताल बम्बई के चिकित्सा-विशेषज्ञों तथा जे० जे० ग्रुप आफ हास्पिटल बम्बई के अधीक्षक के अनुभवयुक्त चिकित्सा परामर्श पर कैंसर के एक तत्कालिक प्रमुख अपरेशन के लिये विदेश में जाना पड़ा। परिचर्या करने वाले डाक्टर ने भी समरूप परामर्श दिया था। इसके पश्चात रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने उन्हें तथा उनकी पत्नि को जिसने चिकित्सा परामर्श पर एक अनुरक्षक के रूप में साथ दिया था, विदेशी मुद्रा प्रदान करने की स्वीकृति दी। अमरीका में पहुंचने पर उनका सफलता पूर्वक आपरेशन किया गया। स्वास्थ्य लाभ के पश्चात उनके स्वदेश लौटने पर, उन्होंने औषधिचिकित्सा पर किये गये खर्चों का एक विवरण प्रस्तुत किया' जिसके साथ यथावत वाउचर संलग्न थे। किन्तु उन्होंने 1·13 लाख रुपयों के कुल व्यय की पूर्ण प्रतिपूर्ति का विशेष रूप से दावा नहीं किया था। अमरीका को प्रस्थान करने से पूर्व, भारतीय तेल निगम ने उन्हें तत्कालिक सुविधा के रूप में 5,000 हजार डालर अग्रिम धन प्रदान किया तथा उनके एवं पत्नी के लिये दो वापसी हवाई यात्रा टिकटों (इकानामि क्लास) की भी व्यवस्था की गई। भूतपूर्व वित्त निदेशक को पूर्व स्वीकृति से अग्रिम राशि एवं हवाई टिकटों का मूल्य दिया गया था और बाद में निदेशकों के बोर्ड को सूचित किया गया था; जिन्होंने 16-12-1970 को अनुमोदन किया था।

क्योंकि मार्केटिंग डिवीजन के चिकित्सोपस्थान नियमावली में इस प्रकार के फुटकर व्यय की व्यवस्था नहीं है; इस मामले (केस) एवं इस प्रकार के मामलों में चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति तथा इसकी मात्रा के सम्पूर्ण प्रश्न पर भारतीय तेल निगम के निदेशकों के बोर्ड ने विचार किया है; जिसने इस विषय पर सरकार को सलाह लेने का निर्णय किया है। भारतीय तेल निगम से इस मामले पर विशेष संदर्भ प्राप्त होने पर सरकार द्वारा इस पर विचार किया जायेगा।

सेना मुख्यालय नई दिल्ली में रिटेल कैंटीन का नवीकरण

7488. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना मुख्यालय नई दिल्ली में सी० एस० डी० (आई) की रिटेल कैंटीन के नवीकरण में कितना समय लगा है और उस पर कितना व्यय हुआ है;

(ख) नवीकरण में इतना अधिक समय लगने के क्या कारण है ?

(ग) क्या सरकार का विचार इस कैंटिन के लिये कोई नया भवन बनाने का भी है, और

(घ) यदि हां, तो इस अवस्था में कैंटीन का नवीकरण करने के क्या कारण थे ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सेना मुख्यालय में सी० एस० डी० (आई) की कैंटीन के नवीकरण में लगभग 6½ महीने लगे और इस पर लगभग 1 42 लाल रुपये खर्च आया।

(ख) इसे पूरा करने के लिये अनुमानित अवधि में ही यह कार्य पूरा हो गया।

(ग) जी नहीं, श्रीमन्।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आयकर आयुक्त रेज ।।, नई दिल्ली के नियंत्रणाधीन आयकर की वापसी

7489. **श्री चन्द्रशेखरसिंह** . क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर आयुक्त, रेज, ।।, नई दिल्ली के आधीन जिला VIII के आय-कर अधिकारियों को गत तीन वर्षो में, वर्षवार कर वापसी के लिये कितने आवेदन-पत्र मिले हैं।

(ख) इस जिले में विभाग द्वारा विलम्ब से भुगतान किये जाने के कारण कितने मामलों में वर्षवार ब्याज दिया गया था और कर वापसी और ब्याज के भुगतान के कितने आवेदन-पत्र अभी तक विचाराधीन हैं; और

(ग) कर वापसी और ब्याज के भुगतान के आवेदन-पत्र शीघ्र निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) निरीक्षी सहायक आयुक्त, रेन्ज, II के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत जिला VIII के आयकर अधिकारियों को दिये गये कर-वापसी सम्बन्धी आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में सूचना नीचे दी गई है—

	1969-70	1970-71	1971-72	जोड़
(1) वर्ष के दौरान प्राप्त हुये कर वापसी आवेदन पत्रों की संख्या	40	50	51	141
(2) वर्ष के दौरान निपटाए गये कर-वापसी आवेदन पत्रों की संख्या	38	48	45	131

(ख) विगत तीन वर्षो के दौरान दाखिल किये गये कर-वापसी आवेदन-पत्रों से सम्बन्धित किसी भी मामले में कोई ब्याज नहीं दिया गया क्योंकि कर वापसी समय के अन्दर मंजूर कर दी गई थी। जहाँ तक अन्य कर-वापसियों का सम्बन्ध है, जिनके लिये निर्धारिती को कर-वापसी का आवेदन पत्र देना आवश्यक नहीं होता है, 27 मामलों में नीचे बताये गये अनुसार ब्याज का भुगतान किया गया—

1969–70	5
1970–71	7
1971–72	15

कर-वापसी की मंजूरी और विलम्बित कर वापसियों के लिये, ब्याज के भुगतान के क्रमशः 10 और 6 आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े है।

(ग) आयकर अधिकारियों को कर-वापसी आवेदन पत्रों पर तुरन्त कार्यवाही करने और उन्हें शीघ्रता से निपटाने के लिये समय-समय पर अनुदेश दिये जाते रहे है। जिन कर-निर्धारण आदेशों के परिणामस्वरूप कर-वापसी करनी पड़ती है उनको पास करने के साथ ही साथ कर वापसी वाउचरों को जारी करने की भी उनसे अपेक्षा की जाती है। यह कार्य अब निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त के सीधे निरीक्षण में आयकर अधिकारी (वसूली) द्वारा किया जा रहा है। इस दिशा में काफी सुधार हुआ है और अब कर निर्धारण आदेश के पास होने और कर-वापसी वाउचर के जारी करने के मध्य सामान्य अन्तराल लगभग 10 दिन का है।

इण्डियन एयरलाइन्स के पायलटों द्वारा एवरो एच० एस० 748 विमान चलाने से इन्कार करना

7490. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **पर्यटन और नागर विमान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के पायलटों ने 'इण्डियन कर्मशियल पायलट एसोसिएशम के निदेश पर एवरो एच० एस० 748 विमान उड़ाने से इन्कार कर दिया है।

(ख) यदि हाँ, तो पायलटों ने इसके क्या कारण बताये हैं, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) से (ग) : इण्डियन एयरलाइन्स के बम्बई स्थित एवरो विमानचालकों ने कुछ निष्पादन त्रुटियों का आरोप लगाते हुये 44,495 पौंड के प्रमाणित समस्त भार के साथ एच० एस–748 विमानों को उड़ाने मे इन्कार कर दिया था सरकार द्वारा नियुक्त एक तकनीकी समिति ने सावधानीपूर्वक इस विवाद की जांच की तथा पाया कि उक्त समस्त भार के साथ विमान का उड़ाया जाना सुरक्षित ,था। इण्डियन एयरलान्स के कुछ विमानचालकों ने इस समस्त भार के साथ कारपोरेशन द्वारा इन विमानों के परिचालनों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये बम्बई तथा कलकत्ता उच्च न्यायालयों में प्रादेश याचिकायें (रिट पेटीशंस) दाखिल की हैं।

बम्बई क्षेत्र के 8 एवरो कमांडरों ने हाल में उड़ान मैनुअल के अनुसार पूरे भार के साथ इस विमान को उड़ाने के लिये सहमति दी है और अभी कुछ समय पूर्व भारतीय वाणिज्यिक

विमानचालक संघ के प्रधान ने इण्डियन एयरलान्स के प्रबन्धक वर्ग को लिखा है कि संघ अपने पुरा परिपत्र को वापिस ले रहा है जिसमें उसने अपने सदस्यों को 40,000 पौंड से अधिक भार के साथ इस विमान को उड़ाने से मना कर दिया था।

कारपोरेशन तकनीकी समिति के निष्कर्षो को कार्यान्वित करने तथा विमानों का उड़ान मैनुअल के अनुसार परिचालन करने के लिये कदम उठा रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रबन्धक

7491. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धकों के कार्य का मूल्यांकन करने हेतु एक नई व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० **गणेश**) : **(क) और (ख)** . सरकारी उद्यम अपने प्रबन्धकों के कार्य का मूल्याँकन करने के लिए, कुल मिलाकर, सरकारी प्रणाली का ही अनुसरण कर रहे हैं। यह प्रणाली उन संगठनों की आवश्यकताओं के लिए स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है. जिन्हें वाणिज्यिक आधार पर चलाए जाने की आशा की जाती है, क्योंकि इसमें प्रबन्धकों के कार्यों के वास्तविक मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं है। इसलिये सरकार ने ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इण्डिया, हैदराबाद की सहायता से विभिन्न सरकारी उद्यमो में वर्तमान प्रबन्धकीय मूल्याँकन प्रणाली का अध्ययन करना आरम्भ किया है ताकि ऐसी आदर्श मूल्यांकन प्रणाली बनायी जा सके, जिसे उपयुक्त संशोधनों के साथ अधिकांश उद्यमों द्वारा अपनाया जा सके। ऐसी प्रबन्धकीय मूल्याँकन प्रणाली, संगठनात्मक प्रभावोत्पादकता तथा व्यक्तिगत और सामूहिक अभिप्रेरणा के लिए भी अनुकूल होगी। ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इण्डिया द्वारा जिस प्रणाली की सिफारिश की गयी है उसमें प्रबन्धकीय लक्ष्य स्थापित करने और उसके सन्दर्भ में मूल्यांकन करने की और कार्य निष्पादन सम्बन्धी परामर्श देने की तथा व्यक्तिगत विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने के लिए मूल्यांकन सम्बन्धी सूचना का इस्तेमाल करने की और कार्य-निष्पादन सम्बन्धी भावी लक्ष्य और पारिश्रमिक के स्तर निर्धारित करने की परिकल्पना की गयी है।

इण्डियन एयरलाइन्स कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने सम्बन्धी मामले की जांच करने के लिए एक आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव

7492. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने सम्बन्धी मामले की जांच करने के लिये एक आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग के सदस्यों के नाम क्या हैं और इसके निदेशपद क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (**डा० कर्ण सिंह**) : **(क) और** (ख) . मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया जा रहा है।

लड़ाकू विमान के निर्माण में सहयोग करने के लिए मिश्र का अनुरोध

7493. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मिश्र एच० एफ० 24 के फ्रेम और जर्मन तकनीकी की सहायता से, मिस्र में तैयार किये गये इन्जनों वाले लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए भारत-मिश्र परियोजना को फिर चालू करने पर विचार कर रहा है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में मिश्र सरकार से कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं श्रीमन् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब में पेट्रोल पम्प स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिये जाने के बारे में अभ्यावेदन

7494. **श्री रामानन्द शास्त्री** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला गुरदासपुर (पंजाब) के भारत-पाकिस्तान युद्ध में मारे गये सैनिकों के कुछ आश्रित जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से रक्षा मंत्रालय के बन्दोबस्त महानिदेशक के पास आये थे और उस क्षेत्र में पेट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने का अनुरोध किया था;

(ख) क्या सरकार ने उन्हें गुजरात अथवा महाराष्ट्र में पेट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने की पेशकश की है;

(ग) क्या उन्होंने सरकार को अभ्यावेदन भेजा है कि उन लाइसेंसों को पंजाब के लिए मान्य करार दिया जाय; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) एक ऐसा व्यक्ति महानिदेशक पुनर्व्यवस्थापन के पास पंजाब में पेट्रोल पम्प खोलने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आया था ।

(ख) भारतीय तेल निगम कोई भी पेट्रोल पम्प पंजाब में आवंटित करने को स्थिति में नहीं था । तथा महानिदेशक पुनर्व्यवस्थान ने भारतीय तेल निगम को एक पेट्रोल पम्प गुजरात या महाराष्ट्र में खोलने की पेशकश को उन्हें बता दिया था ।

(ग) जी नहीं, श्रीमन् ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

फालतू वस्तुओं के निपटान के लिए नियुक्त निलामकर्ताओं की सूची में संशोधन

7495. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा फालतू और बचाये माल के निपटान के लिए नीलामकर्ताओं की सूची में हर दो वर्षों के बाद संशोधन किया जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसमें कितनी अवधि के बाद संशोधन किया जाता है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) सेना प्राधिकारियों द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में निर्धारित कार्यभार के आधार पर नीलामकर्ताओं की रक्षा पेनल पर नियुक्त किया जाता है। उनका पेनल पर बना रहना उनके द्वारा किए गये कार्य पर निर्भर करता है।

देश में कैंसर के इलाज के लिए औषधि की कमी

7497. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कैंसर के लिए माइटोमाइसिन नाम की औषधि की भारी कमी है;

(ख) क्या यह औषधि भारत में नहीं बनाई जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस औषधि का आयात करने के लिये सरकार द्वारा क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

विधि और न्याय तथा पट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) इस औषधि की कमी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) इस औषधि का उत्पादन भारत में नहीं होता है।

(ग) समय-समय पर यथा अपेक्षित इस औषधी के लिए तथा अन्य जीवन रक्षक औषधियों के लिए भी विशेष आयात लाइसेंस दिये जाते हैं और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई कमी न हो।

ई० एस० डी० (एम) कांकीनारा (पश्चिम बंगाल) के सिविलियन कर्मचारियों को नगर भत्ता

7498. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैरकपुर और इशापुर (पश्चिम बंगाल) में रक्षा प्रतिष्ठानों में सिविलियन कर्मचारियों को नगर भत्ता दिया जा रहा है जबकि ई० एस० डी० (एम०) काँकीनारा के कर्मचारियों को यह लाभ नहीं दिया जाता है, जो इन दो स्थानों से क्रमश: 9 और 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) ईशापुर में रक्षा सिविलियनों को नगर प्रतिकर भत्ता तथा मकान किराया भत्ता 1948 से प्राप्त हो रहा है। चूंकि ईशापुर बैरकपुर का एक भाग है अत: विशेष मामले के रूप में 1962 में इन सुविधाओं को बैरकपुर में रक्षा सिविलियनों के लिए भी लागू कर दिया गया है। ईशापुर तथा बैरकपुर की विशेष परिस्थितियों तथा कांकीनारा के रक्षा सिविलियनों को नगर प्रतिकर भत्ता तथा मकान किराया भत्ता तथा अन्य दोनों स्थानों के मध्य परिस्थितियों में समानता के लिए औचित्य नहीं है।

हिमाचल प्रदेश में एक हवाई अड्डे की स्थापना का प्रस्ताव

7499. **श्री नारायण चंद पाराशर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में एक हवाई अड्डे की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के विचाराधीन इसके निर्माण के लिए कौन से स्थान हैं; और

(ग) यह परियोजना किस अवधि तक पूरी हो जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) . हिमाचल प्रदेश में कुलू (भुंतर) में एक हवाई अड्डा पहले से विद्यमान है। कांगड़ा घाटी में हवाई अड्डे के लिये एक और संभव स्थल का निर्धारण किया जा चुका है तथा मामले को राज्य सरकार के विचार जानने के लिए उनके पास भेजा जा चुका है। राज्य सरकार के विचारों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

मैसर्स देवी दयाल टयूब इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बम्बई के जमाकर्ताओं को धन की वापसी

7500 **श्री लीलाधर कटकी :** क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाप्त हो चुकी मैसर्स देवी दयाल ट्यूब इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई को कुल देयताओं के मुकाबले आस्तियों की बिक्री से सरकारी परिसमापक ने मार्च, 1922 तक कितनी धन-राशि वसूल की है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त राशि का कुछ प्रतिशत तरजीही अंशधारियों के अतिरिक्त कुछ छोटे मियादी जमाकर्ताओं को उनकी कठिनाइयां दूर करने के लिये देने का है; और

(ग) अंशधारियों को, श्रेणीवार, अब तक कितनी राशि दी गई है ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ग) . अपेक्षित सूचना, सरकारी समापक उच्च न्यायालय, बम्बई से संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ख) इस परिसमापित कम्पनी की परिसम्पतियों से वसूल की गई राशि सरकारी समापक द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 530 के उपबन्धों को दृष्टि में रखते हुए वितरित की जायेगी। इस बाबत कम्पनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 275 के अनुशरण में अपेक्षित, न्यायालय की स्वीकृत उसके द्वारा प्राप्त कर ली गई है। इस विषय में केन्द्रीय सरकार के कहने के लिए कुछ नहीं है।

दिल्ली क्षेत्र में इण्डियन आयल कम्पनी के उत्पादों के वितरण के लिए योजना

7501. **श्री लीलाधर कटकी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयल कारपोरेशन ने, दिल्ली क्षेत्र में, अपने उत्पादों के वितरण के लिये एक नई योजना प्रारम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) गाड़ियों पर पेट्रोल बेचने वाले छोटे व्यापारियों के हित पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) . तेल मूल्यांकन समिति की सिफारिशों में से सरकार ने एक यह सिफारिश स्वीकार की थी कि तेल कम्पनियों को कई नियम प्रादेशिक सीमाओं में भट्टी के तेल को मानक परिदान प्रभार पर अपनी निजी गाड़ियों में वितरण करना चाहिए और यह वितरण कार्य उपभोक्ताओं की गाड़ियों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली और हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के संलग्न क्षेत्रों के उपभोक्ताओं सहित समस्त देश भर में तेल कम्पनियों द्वारा यह सिफारिश उत्तरोत्तर कार्यान्वित की जा रही है।

उपर्युक्त सिफारिश के अनुसरण में भारतीय तेल निगम ने 21 ग्राहकों को, जिनमें से 5 ग्राहक दिल्ली संघ प्रदेश के है, भट्टी के तेल की सप्लाई का उत्तरदायित्व लिया था। इस व्यवस्था के अपनाने से किसी परिवहन मालिक की सेवाएं सामान्यतः निष्फल नहीं होनी चाहिये। क्योंकि ग्राहकों द्वारा ऐसी सेवाओं के प्रयोग की बजाए, भारतीय तेल निगम प्रतियोगी टैन्डरों के आधार पर विकसित मानक शर्तों पर ऐसी सेवाओं का उपयोग कर सकता है और करता है।

सिकन्दराबाद (आन्ध्र प्रदेश) में तत्कालीन रेस कोर्स मैदान में भवनों का निर्माण करने का प्रस्ताव

7502. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिकन्दराबाद (आँध्र प्रदेश) में तत्कालीन रेसकोर्स मैदान में भवनों का निर्माण करने के बारे में सैनिक अधिकारियों के प्रस्ताव की क्रियान्वित न होने देने हेतु सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या शिक्षा मन्त्रालय ने भी इस विचार का समर्थन किया है कि उक्त मैदान पर निर्माण न करने दिया जाये क्योंकि यह मनोरंजन तथा खेल-कूद के लिए है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) . जी हां।

(ग) मामला स्थानीय सैनिक प्राधिकारियों के साथ परामर्श पर विचाराधीन है।

वर्ष 1971-72 में सैनिक सामान तथा उत्पादन पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा

7503. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वित्तीय वर्ष के दौरान सैनिक सामान तथा उत्पादन पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : इस सूचना को प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

भारत में पाकिस्तानी युद्ध बंदियों से जब्त व्यक्तिगत डायरियां

7504. **श्री समर गुह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों से बड़ी सख्या में व्यक्तिगत डायरियां जब्त की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनमें किस प्रकार की जानकारी थी; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन डायरियों में लिखित बंगला देश और भारत के प्रति

पाकिस्तानी नीति के बारे में पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं की प्रतिक्रियाओं का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रकाशित करने का है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) हमारी हिरासत में पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों से कुछ डायरियाँ पकड़ी गई हैं ।

(ख) इन डायरियों में आमतौर से सम्बन्धित व्यक्तियों के वैयक्तिक मामलों के सम्बन्ध में सूचना है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

स्वेडन द्वारा भारत को विमान भेदी तोपें पुनः सप्लाई किया जाना

7505. **श्री निहार लास्कर** :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत को विमान भेदी तोपें पुनः सप्लाई करने का सम्बन्ध में स्वेडन की सरकार के साथ बातचीत की है; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में स्वेडन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : **(क) तथा (ख)** . इस सम्बन्ध में 26 मई 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7506 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

स्वेडन को हथियार सप्लाई करने के लिए क्रयादेश देना

7506. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हथियार सप्लाई करने के लिए स्वेडन को क्रयादेश भेजे ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के हथियारों के क्रयादेश भेजे गये हैं;

(ग) कितनी राशि के क्रयादेश भेजे गये हैं; और

(घ) हथियारों से लदे पहले जहाज में भारत में कब तक पहुंचने की आशा है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : **(क) से (ग)** . हमारी अनिवार्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिन हथियारों की आवश्यकता देशी स्रोतों से पूरी नहीं हो सकती उन कुछ रक्षा उपस्करों की एक थोड़ी भी मात्रा हम स्वेडन से आयात करते रहे है । दिसम्बर 1971 में भारत-पाक युद्ध के पश्चात कुछ महीनों तक इस सप्लाई में कुछ रुकावट रही । और अधिक ब्यौरा देना जन हित में नहीं है ।

भारतीय उर्वरक निगम के दुर्गापुर एकक का चालू किया जाना

7507. **श्री सत्य चरण बेसरा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर एकक को चालू करने का दायित्व भारतीय उर्वरक निगम के योजना और विकास विभाग का है; और

(ख) दुर्गापुर एकक को फलतः कितने समय तक पूरा करने की योजना थी तथा क्या एकक चालू हो गया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) दुर्गापुर प्रायोजना को चालू करने का दायित्व संयुक्त रूप से भारतीय उर्वरक निगम के योजना तथा विकास विभाग और स्थल पर स्थित भारतीय उर्वरक निगम के दुर्गापुर उर्वरक प्रायोजना संख्या का है ।

(ख) दुर्गापुर एकक को मूलतः अक्तूबर, 1969 तक पूरा करने की योजना थी । निर्माण कार्य पूरा हो गया है और सन्यंत्र में परीक्षण उत्पादन शुरू हो गया है ।

चुनावों के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा किये गये हवाई दौरों पर व्यय

7508. **श्री समर गुह** : क्या रक्षा मन्त्री चुनावों के दौरान प्रधान मन्त्री के दोरों के बारे में 12 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2575 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री 13 फरवरी से 9 मार्च, 1972 तक किये गये 15 राज्यों के गैर-सरकारी दौरों के लिए नियमानुसार निर्धारित दर पर कितनी धन राशि देय थी;

(ख) प्रधान मंत्री ने भारतीय वायु सेना के जिन विमानों से यात्रा की थी, उनका किराया कितना है;

(ग) क्या इस बीच उक्त राशि को वसूल कर लिया गया है, और क्या इस प्रकार की यात्रा का किराया प्रधान मंत्री के वेतन में से काट लिया जाता है या सीधे उनके निजी कार्यालय से बसूल किया जाता है; और

(घ) क्या भारतीय वायु सेना से इस प्रकार लिये गये विमानों के किराये और इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों के किराये में अन्तर है; और यदि हाँ, तो दौनों में कितना अन्तर है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) प्रधान मंत्री द्वारा कतिपत दौरों के दौरान हवाई-यात्रा के सम्बन्ध में ब्यौरों की सम्बन्धित यूनिटों से अभी प्रतीक्षा है । इन ब्यौरों के प्राप्त हो जाने के पश्चात् 13 फरवरी से 9 मार्च, 1972 की अवधि के लिए देय की ठीक राशि निर्धारित दरों पर तैयार की जाएगी ।

(ख) यदि गन्तव्य स्थान नियमित वाणिज्य वायु सेना से जुड़ा है तो देय किराये का हिसाब वाणिज्य दरों पर लगाया जाता है और अन्य मामलों में 0·41 रु० प्रति मानक मील की दर पर ।

(ग) जूंहीं विस्तृत हिसाब-किताब पूरा हो जाएगा । देय राशि उगाही जाएगी । वर्तमान प्रक्रिया के अधीन, अदायगी के विल प्रधान मंत्री सचिवालय की अदायगी के लिए भेजे जाते हैं ।

(घ) प्रधान मंत्री जब सरकारी ड्यूटी से भिन्न अन्य यात्रा करता/करती है तो वह अपने और अपनी पार्टी के सदस्यों का किराया सुरक्षा आदि की सरकारी ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर जो यात्रा भत्ता पाने के पात्र हैं, उपर्युक्त भाग (ख) में बताई गई दर पर देता/देती है । यदि इण्डियन एयरलाइन्स का वायुयान किराये पर लिया जाता है तो विभिन्न किस्म के वायुयानों के लिए इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा निर्धारित पूरे किराये की दर पर भाड़ा देय होगा ।

'कोलम्बो प्लान' के अन्तर्गत प्रशिक्षण पाने वाले भारतीय

7509. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 के दौरान कितने भारतीय प्रशिक्षण पाने हेतु, 'कोलम्बो प्लान' के अन्तर्गत विदेश गए,

(ख) उन्हें किन क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया,

(ग) वे प्रशिक्षण हेतु किन देशों को भेजे गए; और

(घ) वर्ष 1971-72 के दौरान 'कोलम्बो योजना' के सदस्य देशों को कितनी फैलोशिप दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 294

(ख) कृषि पशुपालन, इन्जीनियरी, शिक्षा, दूर संचार, स्वास्थ्य और चिकित्सा, सिंचाई और बिजली, लोक प्रशासन, खनन, परिवहन और संचार, निर्यात प्रोत्साहन आदि जैसे विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों के अन्तर्गत विभिन्न विशिष्ट विषयों में ।

(ग) ब्रिटेन, कनाड़ा, आस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैण्ड ।

(घ) कोलम्बो योजना सदस्य देशों के बीच तकनीकी सहायता का लगातार चलने वाला कार्यक्रम है : भारत द्वारा किसी वर्ष-विशेष में निर्धारित संख्या में देशवार अधिछात्रवृत्तियाँ नहीं दी जाती । विदेशों में हमारे मिशनों के माध्यम से सदस्य-देशों की ओर से प्राप्त अनुरोधों पर प्रशिक्षण सुविधाएं मुहैया की जाती हैं किन्तु ये सुविधाएं बजट में की गयी व्यवस्था की सीमा के अन्तर्गत ही दी जाती हैं । भारत ने 1971-72 में सदस्य-देशों के लिए 308 प्रशिक्षण स्थानों की व्यवस्था की थी ।

विश्व मुद्रा सुधार के लिए 20 देशों का समूह (ग्रुप आफ 20)

7510. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपियन साझा बाजार के देश इस बात पर सहमत हो गये हैं कि विश्व में मुद्रा सम्बन्धी सुधार करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों में से 20 देशों का समूह बनाया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो समझौते का स्तर क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) . विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 24-सदस्यीय अन्तः सरकारी दल की बैठक अप्रैल 1972 में कैराकास, वेन्जुएला में हुई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में सुधार से सम्बन्धित विषयों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के गवर्नरों को बोर्ड को सलाह देने के लिये बोर्ड की एक समिति का गठन किए जाने के प्रस्ताव का समर्थन करते का निश्चय किया गया था ।

Retrenchment of retired employees of Indian armed forces working in Hindustan aeronautics Ltd. Kanpur.

7511 **Dr. Sankata Prasad :** Will the minister of **Defence** be pleased to state :

(a) Whether retired employees the Indian armed forces have been working in the Hindustan Aeronautics Limited, located in Kanpur Division for the last two years ;

(b) If so whether they are naw being retrenched from the said factory ; and.

(c) If so the action proposed to be taken by goveren ment for giving them atlernative emyloyment ?

The Minister of state Defence Production in the ministry of Defence (Shri Vidya Charan

Shukla) : (a) Yes, sir.

(b) No, sir.

(c) Does not arise.

Temptation to Indian Engineers by Foreign Air Companies.

7512. **Shri Ata Bihari Vajpayee :**

Dr. Laxminarain Pandey :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) Whether Government are aware that foreign air companies are trying to tempt Indian Engineers to serve in their companies; and

(b) If so, Government's reaction there to ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation : (Dr. Karan Singh) : (a) : No, Sir.

(b) : Does not arise.

राष्ट्रीयकृत बैंकों में बोनस का प्रश्न

7513. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 के लिये बोनस के प्रश्न पर 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्धकों और कर्मचारियों में कुछ मदभेद है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में बैंक कर्मचारियों की माँगें क्या है; और

(ग) सौहार्दपूर्ण समझौते के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : बैंकिंग उद्योग में प्रत्येक बैंक के लिये यह परिपाटी रही है कि वह अपने कर्मचारी संघ के साथ प्रत्यक्ष बातचीत करके बोनस घोषित करे। इसी परिपाटी के अनुसार, 1971 के वर्ष,के लिये, 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से अधिकतर बैंकों में उनके कर्मचारी संघों से प्रत्यक्ष बातचीत करने के बाद बोनस की अदायगी को अन्तिम रूप दे दिया गया है। बाकी के कुछ बैंकों में भी, आशा है कि बोनस को अन्तिम रूप देने में अधिक समय नहीं लगेगा।

तस्करी करने वालों को दण्ड

7514. **श्री निहार लास्कर** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण तथा अन्य वस्तुओं की तस्करी के लिये न्यायालयों द्वारा दिये गये दण्ड के बारे में हाल में किये गये अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि जिन मामलों में तस्करी किया जाना सिद्ध हो गया था उनमें भी कम दण्ड दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कड़े दण्ड की व्यवस्था करने हेतु सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) ऐसे मामले नोटिस में आये हैं जिनमें कानून के अधीन जितनी सजा की व्यवस्था है, न्यायालय द्वारा उससे कम सजा दी

गयी है और कुछ मामलों में, कुछ प्रकार के अपराधों के लिये सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन निर्धारित न्यूनतम सजा से भी कम सजा दी गयी है ?

(ख) इस मामले का विधि-आयोग द्वारा अध्ययन किया गया था, जिन्होंने सामाजिक तथा आर्थिक अपराधों के मुकदमें एवं सजा पर अपनी 47 वीं रिपोर्ट में हाल ही में विभिन्न सिफारिशें पेश की थीं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, इस पहलू पर भी विचार किया गया। सरकार इस रिपोर्ट पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

सेना को रम सप्लाई के बारे में जांच

7515. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ से प्रकाशित होने वाले 'नेशनल हेराल्ड' दिनांक 24 अप्रैल, 1972 में इस आशय का समाचार छपा है कि सेना को सप्लाई की गई रम की लगभग 35,000 बोतलों में अपमिश्रित रम पाई गई है;

(ख) यदि हां. तो रम सप्लाई करने वालों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) मैसर्स खोदेज इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड; बंगलौर

(ग) मामले की जांच की जा रही है ।

(घ) कोई नहीं ।

गणतन्त्र दिवस समारोह के अवसर पर कुछ संसद सदस्यों के लिए सीटों का आरक्षण

7516. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ महत्वपूर्ण संसद सदस्यों के लिये गणतन्त्र दिवस समारोह के दर्शनार्थ इण्डिया गेट पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिये नियत स्थान (वी० आई० पी० एनक्लोजर) में सीट का आरक्षण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो कितने और किन-किन सदस्यों के लिए वहां सीटों का आरक्षण किया जाता है;

(ग) संसद सदस्यों में महत्वपूर्ण दर्जा किस आधार पर निर्धारित किया जाता है; और

(घ) क्या यह प्रथा भविष्य में भी जारी रखने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) गणतन्त्र दिवस परेड 1972 में पूर्व प्रथा के अनुसार कुछ स्थान प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एनक्लोजर में विरोधी दलों । ग्रुपों के नेताओं तथा कुछ दोनों सदनों के अन्य विशिष्ठ सदस्यों के लिए नियत किए गए थे ।

(ख) गणतन्त्र दिवस परेड 1972 में जिन सदस्यों के लिये सीटें आरक्षित की गई उनकी

सूची संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3059/72]**

(ग) वरिष्ठ संसद सदस्यों के लिये जो कम से कम तीन सत्रों में संसद के सदस्य रहे हों, मन्त्रिमण्डल रैंक के भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व राज्यपाल तथा दोनों सदनों के अध्यक्षों की नामिका में सम्मिलित सदस्यों के लिये सामान्यतः सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की जाती है।

(घ) इस सुस्थापित प्रथा को चालू रखने का प्रस्ताव है।

सरकार द्वारा ऋण के लिए गारन्टी देना

7517. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई गारंटियों में से 1970-71 के अन्त में एक उस गारण्टी को पूरा करना शेष था जिसमें एक गैर-सरकारी व्यक्ति को ऋण लेने के लिए गारण्टी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त व्यक्ति का नाम तथा पता क्या है और उसके मामले में कितने धन की गारण्टी दी गई थी; और

(ग) गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा ऋण लेने के लिये सरकार द्वारा गारण्टी देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) जी हां, बम्बई के श्री राजनाथ द्वारा, एक मिल को चलाने के लिये, महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम से लिये गये 7 लाख रुपये के ऋण की गारण्टी सरकार ने दी है। एक विस्थापित व्यक्ति, श्री राजनाथ ने अहमद मिल्स, अम्बरनाथ के नाम से ज्ञात सम्पत्ति खरीदी थी; और मिल के शेष बिक्री मूल्य के लिये उसको सरकार के नाम बन्धक कर दिया है। सरकारी रकम की वसूली के हित में और मिल के सुचारु रूप से चलने की दृष्टि से गारण्टी देना आवश्यक समझा गया।

इण्डियन आयल कारपोरेशन और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में आफिसर्स एसोसियेशन का कार्यकरण

7518. **श्री चन्द्र शैलानी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों में आफिसर्स एसोसियेशन बनाने की अनुमति है; और

(ख) क्या इण्डियन आयल कारपोरेशन और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में आफिसर्स एसोसियेशन सुचारु ढंग से कार्य कर रही हैं और इनको प्रबन्धकों तथा सरकार दोनों से मान्यता प्राप्त हो गयी है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में कार्य कर रही तीन आफिसर्स एसोसियेशनों में से दो को प्रबन्धकों ने मान्यता दे रखी है। तीसरी एसोसियेशन के मान्यता के लिये किये गये अनुरोध पर आयोग विचार कर रहा है। ये एसोसियेशनें सुचारु ढंग में कार्य कर रही है।

भारतीय तेल निगम में एक अमान्य आफिसर्स एसोसियेशन कार्य कर रही हैं। निगम के प्रबन्धकों के साथ इसके सम्बन्ध संतोषजनक बताये जाते हैं। क्योंकि मान्यता देना निगम के प्रबन्धकों का काम है, सरकार द्वारा मान्यता देने का प्रश्न नहीं उठता।

भारत में सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

7519. **श्री पम्पन गौडा : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य की उन सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं जिनको विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मिल रही है; और

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी-कितनी सहायता दी गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : **(क) और** (ख) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गयी है।

विवरण

सिंचाई और बिजली सम्बन्धी वे परियोजनाएं जिनको विश्व बैंक समूह से सहायता प्राप्त हो रही हैं

क्रम सं०	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	करार की तारीख	रकम (लाख रुपयों में	परियोजना का संक्षिप्त ब्यौरा
1	2	3	4	5	6
1	पंजाब	व्यास उपकरण परियोजना	29-6-1966	230.0	व्यास नदी से पन-बिजली का विकास और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार
2.	गुजरात	कदना सिंचाई परियोजना	9-2-1970	350.0	कदना में माही नदी पर एक बाँध का तथा परि-योजना क्षेत्र में सिंचाई की नहरों, सड़कों आदि का निर्माण
3.	आंध्र प्रदेश, बिहार गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल	दूसरी बिजली पारेषण परियोजना	3-5-1971	750.0	कालम 2 में उल्लिखित राज्यों के बिजली बोर्डों तथा भाखड़ा प्रबन्ध

1	2	3	4	5	6
					बोर्ड द्वारा पारेषण लाइनों और छोटे बिजली घरों का निर्माण
4.	आंध्र प्रदेश	पोचमपाद सिंचाई परियोजना	23-8-1971	390.0	गोदावरी नदी पर एक बांध का तथा परि–योजना क्षेत्र में रजबहों, सड़ाकों आदि का निर्माण

टिप्पणी :—ये ऋण, उदार शर्तो पर ऋण देने वाली विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा दिये जाते हैं, इन ऋणों पर कोई ब्याज नहीं लगता किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिये उन पर 3/4 प्रतिशत की वार्षिक दर से सेवा प्रभार लगता है। ये ऋण 50 वर्षों में वापस किये जाते हैं जिनमें 10 वर्षों की रियायती अवधि शामिल है।

औषध उद्योग में अफीम का प्रयोग

7520. **श्री राजदेव सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में औषध उद्योग के लिये अफीम की कितनी मात्रा निर्धारित की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : प्रत्येक राज्य की आवश्यकता को देखते हुये चिकित्सा-उद्योग को सप्लाई की जाने वाली अफीम की मात्रा के बारे में प्रतिवर्ष भारत के औषध-नियंत्रक के साथ परामर्श करके फैसला किया जाता है। वर्ष 1972 में भारत में चिकित्सा-उद्योग में इस्तेमाल की जाने वाली अफीम की मात्रा लगभग 64 टन होने की आशा है।

Arrest of Traders for Selling "Charas"

7521. **Shri Mahadeepak singh Shakya**: Will the minister of **Finace** be pleased to state ;

(a) Whether two persons were arrested in Delhi for selling 'Charas' worth Rs. seven lakhs as reported in the 'Navbhrat Times' dated the 31st March, 1972; and

(b) if so, their names and the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) In March, 1972, two Indian nationals were arrested in Delhi for possessing 46·52 Kgs. of Eharas. Its price in the illicit market in India is estimated at about Rs. 46,000/—.

(b) (i) Shri Mohinder Kapoor.

(ii) Shri Surender Sood.

Investigations are in progress.

उद्योगों में काम आने वाले कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि का थोक मूल्य सूचकांक पर प्रभाव

7522. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 1971-72 में चार प्रतिशत तक मूल्यों में वृद्धि

हुई है;

(ख) क्या उद्योगों में काम आने वाले कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि ही मुख्यतः विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में तीव्र वृद्धि के लिये उत्तरदायी है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) 1971-72 में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने के कई कारण थे, जिनमें से एक कारण औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि होना था।

(ग) सरकार की नीति का एक मुख्य उद्देश्य मूल्यों में, खास तौर पर उपभोग की अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अनुचित वृद्धि को रोकना है। कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा,

सरकार विभिन्न प्रकार के राजस्व, मुद्रा और प्रशासन सम्बन्धी उपाय करती है। जहां तक महत्वपूर्ण कच्चे माल का सम्बन्ध है कपास, तेलहनों और तेलों के सम्बन्ध में दिए जाने वाले ऋणों पर लगे नियन्त्रण को कड़ा बनाये रखा गया है, और वायदे के सौदों को निलम्बित करके/उन पर प्रतिबन्ध लगाकर सट्टेबाजी सम्बन्धी क्रियाकलापों की रोकथाम की गई है। देश के अन्दर उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिये इन वस्तुओं एवं इस्पात जैसे कच्चे माल के आयात की समय-समय पर व्यवस्था की जाती है।

Excise duty Outstanding Against Rolling Mills in Indore

7523. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) The amount of arrears of Excise duty payable by each rolling mill, foundry, moulding steel unit and other steel unit in Indore city during the last three years; and

(b) The action taken or proposed to be taken to realise the said amount ?

The Minister of state in the Ministery of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The required information is as follows :

Name of the Rolling Mill	Amount of arrears of excise duty papyable in		
	1969—70	70—71	71—72
	Rs.	Rs.	Rs.
1. Kalani Udyog Rolling Mill	—Nil—	18,867	18,867
2. Indore Rolling Mills	—Nil—	—Nil—	473

(b) Kalani Udyog Rolling Mill has filed a Revision application against the demand and hence the outcome of the revision application is awaited. Necessary steps are being taken to recover the amount from Indore Rolling Mills.

औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उड़ीसा राज्य का औद्योगिक सर्वेक्षण किया जाना

7524. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने उड़ीसा राज्य में औद्योगिक सर्वेक्षण किया है तथा उड़ीसा सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया हैं;

(ख) यदि हाँ तो राज्य सरकार को यह प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था; और

(ग) क्या सरकार प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखेगी ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : जी हाँ। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने जो दल उड़ीसा राज्य के औद्योगिक सर्वेक्षण के लिये भेजा था, उसने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट की एक प्रति उड़ीसा सरकार को नवम्बर, 1971 में भेजी गयी थी।

(ग) : अध्ययन दल की यह रिपोर्ट, एक विभागीय दस्तावेज है जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के उपयोग के लिये है। इसे सभा-पटल पर नहीं रखा जाता। उद्योगों सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं, संस्थाओं के प्रसार, राज्य के प्राकृतिक साधनों तथा वहां के मौजूदा औद्योगिक ढांचे पर विचार करने के बाद, रिपोर्ट में वहाँ की औद्योगिक संभाव्यताओं को आंका गया है तथा क्रियान्विति के लिये बहुत सी परियोजनाओं के बारे में सुझाव दिया गया है। अध्यय दल ने कुछ औद्योगिक परियोजनाओं को निर्धारित भी कर दिया है।

Demand to End Monopolistic Capital

7525. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Company Affairs** be pleased to state :

(a) Whether a Seminar of the Labour Unions of Asia was held in Delhi recently and a demand to put an end to the monopolistic capital was made: and

(b) If so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) :(a) & (b) : A non-official Seminar called the Asian trade Union Seminar on Industrialisation and the growth of Monopoly; its effect on wages, prices and role of trade unions" was held in New Delhi from 24th to 28th April, 1972.

हैटियर टाइप फिक्सड विंग वी/स्टोल विमान को लेने का प्रस्ताव

7526. **श्री पी० वी० जी० राजू** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर फोर्स तथा नेवी के एयर विंग को सुदृढ़ बनाने के लिये हैटियर पाइप फिक्सड विंग वी/स्टोल (वर्टिक्ल/शार्ट टेकआफ एण्ड लैंडिंग) विमान को लेने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे विमान अपने विमान कारखानों में बनाने का है।

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) इस विषय पर सूचना प्रकट करना वांछनीय नहीं होगा।

Indo-Ceylon Agreement on tourists

7527. **Shri Phool Chand Verma** : Wil
pleased to state :

(a) Whether India aud Ceylon have _
tourists to sheir countries: and

(b) If so, the salient features of the agreement ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Karan Singh) : (a) While there is no specific agreement between India and Ceylon to make joint efforts to attract more tourists to their countries, both countries have ratified the various resolutions adopted by the Ministerial conference of the South Asia Travel Commission (Satc) held in New Delhi in March

1969 for joint promotion of tourist traffic to the SATC region whtch includes India and Ceylon.

(b) These resolutions covered :

(i) Exchange of information, literature and research statistics whithin the SATC region.

(ii) Joint hospitality to foreign travel writers, travel agents etc.

(iii) Standardisation of hotel classification norms within the region.

(iv) Facilitation measures to ensure easy movement of tourists in the region.

(v) Coordinated efforts to develop attractive promotional air fares and charter traffic within the region.

However, the resolutions have not yet been ratified by the other participants.

Arrears of Income-Tax oustanding Against Steel Units in Indore

7528. **Shri Phool Chand Verma :**

Shri Ishwar Chaudhary :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) The arrears of Income-tax outstanding against each of the moulding steel units, foundries and other steel units located in Indore city in Madhya Pradesh during the last three years, separately; and

(b) The action taken or proposed to be taken to realise the arrears of Income-tax ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) : The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House as eanly as possible.

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए स्थानों का चयन करने के मामले में संसद सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना

7529. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए स्थानों का चयन करने के मामले में संसद सदस्यों का सहयोग प्राप्त करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) . नये कार्यालय खोलने के लाइसेंस रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अन्तर्गत दिये जाते हैं जिसमें रिजर्व बैंक से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि नये कार्यालय खोलना लोक हित में होगा । रिजर्व बैंक को नये कार्यालय खोलने के लिये आवेदन-पत्र देते समय, बैंक जमा की रकमें जुटाने की सम्भावनाओं और स्थानीय जनता की ऋण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तावित कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हैं । सर्वेक्षण करते हैं । सर्वेक्षण करते समय यदि स्थानीय जनता द्वारा कोई विचार व्यक्त किये जाएं तो बैंक उनका भी ध्यान रखते हैं ।

भारतीय उर्वरक निगम के विभिन्न एककों में उचित प्रतिनिधित्व के लिए अनुसूचित जातियों के संघों से अभ्यावेदन

7530. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों के संघों से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उन्हें भारतीय उर्वरक निगम के विभिन्न एककों में विभिन्न पदों पर भर्ती और पदोन्नति के लिए उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : कम्पनी में विभिन्न पदों पर नियुक्ति करते समय, अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय उर्वरक निगम को एक निदेश-पत्र जारी किया गया है। निगम की सेवाओं में इन जातियों के प्रतिनिधित्व में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है किन्तु उनके लिए आरक्षित पदों की तुलना में कर्मचारियों की वास्तविक संख्या में कमी हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि निगम, रोजगार कार्यालय के माध्यम से अथवा उनके द्वारा प्रकाशित किये गये प्रेस विज्ञापनों के उत्तर में योग्य अभ्यार्थियों के चयन में असमर्थ रहा। फिर भी, निगम को यह जानने के लिए, कि इन कमियों को यथाशीघ्र पूरा किया जायेगा, उचित उपाय अपनाने को कहा गया है।

जयपुर में फ्लाइंग क्लब का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव

7531. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर (राजस्थान में) वर्तमान फ्लाइंग क्लब का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि वहाँ हिन्द फ्लाइंग क्लब, इलाहाबाद की भांति 'बी' क्लास के वाणिज्यिक पायलटों को प्रशिक्षण दिया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इस प्रयोजन के लिए जयपुर क्लब को दो और चार इन्जनों वाले कितने विमान दिये जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) . फ्लाइंग क्लब के दर्जे (स्टेटस) को बदलने का कोई विचार नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

7532. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री राज राज सिंह देव :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर के बैंक कर्मचारियों में निकट भविष्य में देश व्यापी हड़ताल करने की धमकी दी है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है या करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) बैंक कर्मचारियों द्वारा निकट भविष्य में कोई देश-व्यापी हड़ताल किये जाने के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

Apprehension of Gold Smugglers

7533. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) The number of gangs of gold smugglers apprehended during the last three years for smuggling gold and the quantity of gold seized from them ;

(b) Whether the persons arrested include some foreigners also ;

(c) If so, the action taken against them; and

(d) The names of the centres in the country, where such smugglers are active ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (c) : Information in this regard is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(d) Gold smugglers are generally active along most of west coast of the country but the centres of their activity keep on shifting from one place to another depending upon the intensity of the customs vigilance and the availability of their contacts.

छोटे सिक्कों की कमी

7534. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कुल मुद्रा के साथ सिक्कों की प्रतिशतता, वर्षवार, कितनी रही है;

(ख) किन स्थानों से सिक्कों की कमी की रिपोर्टें मिली हैं; और

(ग) सिक्कों की कमी की समस्या कब तक पूरी तरह हल हो जायेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जनता में प्रचलित मुद्रा के कुल मूल्य के प्रति छोटे सिक्कों का प्रतिशत मूल्य गत तीन वर्षों में इस प्रकार था :—

वर्ष	प्रतिशतता
1969-70	3·0
1970-71	3·0
1971-72	3·0

(ख) पिछले छः महीनों अर्थात दिसम्बर 1971 से मई 1972 (20-5-1972 तक) की अवधि में, आन्ध्र प्रदेश के मसूलीपटम और विजयवाड़ा, असम के गोलाघाट, चण्डीगढ़, नई दिल्ली, गुजरात के बिलखा (जूनागढ़ के समीप), जामनगर, राजकोट, कुटियाना, अहमदाबाद, पालनपुर,

भावनगर, पौरबन्दर, जेतपुर, भुज-कच्छ और पिपलोड़, हरियाणा के भिवानी, केरल के चुलाई और कोजिकोड, मध्य प्रदेश के इन्दोर, बुलनी (भोपाल) और रायपुर, महाराष्ट्र के बम्बई और गोन्दिया, मैसूर के हुबली, हसन और शिमोगा, पंजाब के लुधियाना और अमृतसर, राजस्थान के श्री डूंगरगढ़, हिण्डौन, जयपुर, पारिता, कोटा और उदयपुर, तमिलनाडु के मदुरै, कोयम्बतूर, मद्रास और तुत्तिकोरन, उत्तर प्रदेश के देहरादून और आगरा तथा पश्चिम बंगाल के चन्द्रनगर, रानीगंज और इच्छापुर नामक स्थानों से सिक्कों की कमी की शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ग) एक वर्ष पहले की स्थिति की तुलना में अब स्थिति काफी अच्छी है और कार्य-पद्धति में लगातार की जा रही अतिरिक्त पूर्ति से स्थिति में और भी सुधार होगा, किन्तु इस कमी के पूर्णरूप से दूर हो जाने की कोई निश्चित तारीख बताना कठिन है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् रेजीमेंटों के क्षेत्रीय नामों का हटाया जाना

7535. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् कितनी सैनिक रेजीमेंटों के नाम बदले गये हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सैनिक रेजमेंटों का कोई क्षेत्रीय नाम नहीं बदला गया है।

न्यू बिल मार्किट स्कीम

7536. **श्री बेकारिया** : क्या **वित्त** मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लागू-की गई न्यू बिल मार्किट स्कीम ने पयाप्त सफलता प्राप्त नहीं की है क्योंकि 1971 के बैंकिंग सैक्टर में कुल जमा राशि का केवल 13 प्रतिशत हो इसमें जमा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार क्या उपाय करने का है जिससे व्यापारी इसक स्वीकार करके इसका अधिक लाभ उठायें ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सकारी गयी हुण्डियों की रकम जो अक्टूबर 1970 में, लगभग उस समय, जब रिजर्व बैंक ने इस योजना को लागू किया था, 207·83 करोड़ रुपया थी, बढ़ कर दिसम्बर, 1971 के अन्तिम शुक्रवार को 385·93 करोड़ रुपया हो गयी। योजना की लगातार समीक्षा की जा रही है तथा व्यापारी समुदाय और बैंकों में उसे अधिकाधिक लोकप्रिय बनाने के लिये रिजर्व बैंक उसमें समय समय पर अनेक छूटें देता रहा है अथवा उसमें संशोधन करता रहा है।

गुजरात में तेल की खोज पर व्यय तथा कोयलों तेल शोधक कारखाने द्वारा राज्य सरकार को दी गई रायल्टी

7537. **श्री बेकारिया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गत तीन वर्षों में गुजरात राज्य में ड्रिलिंग तथा अन्वेक्षी कार्य पर कितना व्यय किया गया; और

(ख) कोयली तेल शोधक कारखाने द्वारा गत तीन वर्षों में गुजरात सरकार को अशोधित तेल पर कितनी रायल्टी दी गई ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) 1969-70 से लेकर 1971-72 तक के तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में तेल के अन्वेषण तथा व्यधन पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा लगभग* 47·72 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे इसके अतिरिक्त, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात राज्य में इसी अवधि में उत्पादन, परिवहन तथा विक्रय पर 38·10 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे।

(ख) कानून के अन्तर्गत, सम्बन्धित राज्य को कच्चे तेल पर रायल्टी परिष्करणशाला द्वारा नहीं बल्कि तेल उत्पादक द्वारा दी जानी है। गुजरात राज्य में 1969-70 से लेकर 1971-72* तक वर्षों के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात सरकार को लगभग 11·45 करोड़ रुपये की रायल्टी दी गयी।

गुजरात में भारतीय पेट्रो रसायन निगम द्वारा सेवा में रखे गये व्यक्तियों की संख्या

7538. **श्री वेकारिया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में, अपनी परियोजनाओं के लिए भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लि० ने श्रेणीवार कितने व्यक्ति सेवा में रखे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (**श्री दलबीर सिंह**) : सूचना निम्न प्रकार है :—

वेतनमान रुपये	अधिकारी		स्टाफ	
	तकनीकी	गैर तकनीकी	तकनीकी	गैर तकनीकी
3,500—4,000	1	—	—	—
1,800—2,500	—	1	—	—
1,400—2,000	14	5	—	—
1,100—1,600	10	2	—	—
800 —1,300	28	15	—	—
500 — 950	39	11	—	—
350 —650	—	2	—	—
270 —520	—	—	10	21
210 —425	—	—	8	55
150 —275	—	—	25	60
120 —220	—	—	3	23
80 —1 0	—	—	—	21
योग	92	36	46	180

आज तक कर्मचारियों की कुल संख्या 354

Registration of Rolling Mills in Indore for Recovery of Income-Tax

7539. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the total number of rolling mills functioning in Indore City and the names of places where these

* वार्षिक लेखों के पूरा होने तक वर्ष 1971-72 के आँकड़े अस्थाई समझे जायेंगे।

mills have been registered for Income-tax purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The total number of rolling mills functioning in Indore City is thirteen. Nine of the mills are assessed to income-tax at Indore, one at Amritsar, one at Calcutta and remaining two are not assessed so far.

हिमाचल प्रदेश में यूनाइटेड कमशियल बैंक द्वारा लघु उद्योगों को ऋण दिया जाना

7540. **श्री प्रताप सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाईटेड कमशियल बैंक हिमाचल प्रदेश में सेब की पेटियाँ बनाने के लिये लघु उद्योगों को अल्पावधिक/दीर्घावधिक ऋण देता रहा है; और

(ख) यदि हां, तो बैंक की प्रत्येक शाखा ने कितने ऋण आवेदन पत्र मंजूर किये हैं और कितने मजूर नहीं किये हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) यूनाइटेड कमशियल बैंक ने हिमाचल प्रदेश में सेब की पेटियां बनाने के लिये तीन लघु उद्योग एककों को कुल 13,000 रुपये के सावधिक ऋण दिये हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान

7541. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को वर्ष 1971-72 में समयोपरि भत्ते की कुल कितनी राशि दी गयी; और

(ख) क्या सरकार का विचार अन्य व्यक्तियों को रोजगार के अवसर जुटाने हेतु समयोपरि भत्ते का भुगतान बन्द करने का है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

Loans Distributed by Agricultural Finance Corporation and Industrial Finance Corporation

7542. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) The amount of loans distributed by Agricultural Finance Corporation and Industrial Finance Corporation to each state during 1970—71, separately; and

(b) The names of institutions/establishments in Madhya Pradesh which were granted loan and the amount of loan given ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) & (b) : The required information in respect of the Industrial Finance Corporation of India is given in the attached Statements I and II.

Similar information in respcet of the Agricultural Finance Corporation is being collected and will be laid on the table of the House.

Statement I

State-wise Distribution of Loans sanctioned and Disbursed by the Industrial Finance Corporatton of India During the Financial year 1970—71

(Rs. in lakhs)

State	Amount of loans, Sanctioned.	Disbursed-
1- Andhra Pradesh.	150·00	102·12
2. Assam,	—	72·50
3. Bihar.	214·00	30·45
4. Gujarat.	248·61	97·96
5. Haryana.	123.84	32·58
6. Kerala.	55·00	31·45
7. Madhya Pradesh.	90·00	77·53
8. Maharashtra.	804·90	484·63
9. Mysore.	135·28	140·26
10. Orissa.	181·05	24·97
11. Punjab.	3·43	23·74
12. Rajasthan.	81·10	4·00
13. Tamil Nadu.	213·56	248·19
14. Uttar Pradesh·	414·17	109·55
15. West Bengal.	89·90	166·25
Total—	2804·84	1646·18

Note—Disbursements include disbursals in respect of earlier sanctions also.

Statement II

Names of Industrial Concerns in Madhya Pradesh to whom Loans were Sanctioned and Disbursed during the Financial year 1970—71 by the Industrial Finance Corporation of India

(Rs. in lakhs)

Industrial Finance Corporation of India

Sl. No.	Name of industrial concern	Loans Sanctioned	Disbursed
1.	Shree Synthetics Ltd.Ujjain.	50·00	—
2.	Co-op. Spg. Mills Ltd., Burhanpur.	40·00	—
3.	Morena Mandal S. S. K. Ltd.,	—	60·00
4.	Sha-Leiner Ltd., Berhaghat.	—	16·00
5.	Binod Mills Co. Ltd., Ujjain.	—	1.53
	Total	90·00	77·53

Note—1. No application for financial assistance was recevived during 1970—71, The above sanctions were against two applications pending as on 31-3-1970.

2. Disbursements are against carlier sanctions.

Seizure of Small coins by Indore Police

7543. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) Whether the small ccins weighing 105 Kgs. were recently seized in the bullion

market of Indore; and

(b) If so, the number of persons arrested in this connection and a brief account of the case ?

The Minister of State in the Ministery of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) - Infomation is being collected from the Government of Madhya Pradesh and will be laid on the table of the House as soon as received.

आयकर आयुक्तों के सम्मेलन में आयकर विभाग में भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने हेतु सुझाये गये उपाय

7544. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर आयुक्तों के हाल के सम्मेलन में आयकर विभाग में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये कोई उपाय सुझाये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : **(क) और (ख)** . जी, नहीं। उक्त सम्मेलन में विचार विमर्श वर्तमान अभिरूचि की ऐसी समस्याओं तक सीमित थे जिन पर आयकर आयुक्तों के मतों और व्यावहारिक अनुभव के प्रकाश में सामूहिक रूप से चर्चा की जानी आवश्यक थी। विभाग में भ्रष्टाचार को दूर करने की आवश्यकता पर केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड, केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के साथ परामर्श करके बराबर ध्यान देता रहता है। भ्रष्टाचार के मामलों में बोर्ड, अपने मुख्य सतर्कता अधिकारी, अपर सतर्कता अधिकारी और सतर्कता अधिकारियों के जरिए चौकसी रखता है।

पालम हवाई अड्डे पर एयर फ्रांस विमान कम्पनी के अधिकारियों द्वारा एक यात्री के साथ मारपीट करने के बारे में की गई जांच

7545. **श्री बी० के दास चौधरी** :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम हवाई अड्डे पर एयर फ्रांस के अधिकारियों द्वारा 30 अप्रैल, 1972 को एक यात्री के साथ की गयी मारपीट के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे प्राधिकरण ने जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : **(क) और (ख)** . जी हाँ। एयर फ्रांस ने इस घटना पर हार्दिक खेत व्यक्त किया है तथा अपने कर्मचारियों को सतर्क कर दिया है कि ऐसी घटनाएं फिर न होने पावें।

देश में 'ध्वनि तथा प्रकाश' कार्यक्रम आरम्भ करने सम्बन्धी प्रस्ताव

7546. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने जी कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन पर्यटक केन्द्रों के राज्यवार नाम क्या हैं जहां 'ध्वनि तथा प्रकाश' कार्यक्रम आरम्भ किये हैं; और

(ख) उन स्थानों ये राज्य-वार नाम क्या हैं जहां सरकार का विचार ऐसे कार्यक्रम आरम्भ करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पर्यटन विभाग ने देश में निम्नलिखित स्थानों पर ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं :—

(1) लाल किला, दिल्ली	दिल्ली का संघ राज्य क्षेत्र
(2) साबरमती आश्रम, अहमदाबाद	गुजरात

(ख) विभाग ऐसे ही कार्यक्रमों का निम्नलिखित स्थानों पर भी आयोजन कर रहा है ।

(1) शालीमार गार्डन्स	जम्मू व काश्मीर
(2) महाबलिपुरम्	तमिलनाडु

दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में मिट्टी के तेल की कमी

7547. **श्री पम्पन गौडा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में मिट्टी के तेल की बहुत कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पेराफीन-मोम के विवरण तथा मूल्यों पर नियन्त्रण करने के बारे में निर्णय

7548. **श्री पम्पन गोडा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पैराफीन-मोम के वितरण तथा मूल्यों पर नियन्त्रण करने के सम्बन्ध में निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) 4 फरवरी, 1972 को पैराफीन मोम (प्रदाय, वितरण एवं मूल्य निर्धारण) आदेश, 1972 जारी किया गया था ।

(ख) पेराफीन मोम के वितरण का युक्तिकरण करना तथा असली प्रयोगकर्ताओं को उचित मूल्यों पर इस मोम की उपलब्धता को सुनिश्चिय करना ।

विमान में बम होने की आशंका के कारण इण्डियन एयर-लाइन्स की बम्बई से कलकत्ता की उड़ान में देरी

7549. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री प्रसन्नाभाई मेहता :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनाँक 3 मई, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में आई० ए० बाम्ब

स्केयर डिलेज फ्लाइट शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो घटना के तथ्य क्या हैं तथा इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) : जी, हाँ।

(ख) : 2 मई, 1972 को लगभग 1700 बजे, अर्थात् इण्डियन एयर-लाइन्स उड़ान आई० सी०–175–बम्बई/कलकत्ता—जो कि इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा चार्ट किये गये एयर-इण्डिया 707 विमान द्वारा परिचालित की जाती है, कि अनुसूचित रवानगी से 15 मिनट पूर्व बम्बई स्थित इण्डियन एयरलाइन्स के यातायात कार्यालय के एक कर्मचारी को एक अज्ञात व्यक्ति से टेलीफन पर हिन्दी में इस आशय का संदेश प्राप्त हुआ, "आपका कलकत्ता जाने वाला हलवाई जहाज सुरक्षित नहीं पहुंचेगा। सभी यात्री मार दिये जायेंगे।" टेलीफोन करने वाले ने तुरन्त टेलीफोन काट दिया।

इस संदेश के प्राप्त होते ही तुरन्त तोड़-भोड़ निरोधक जाँच पड़ताल कार्य करने का निश्चय किया गया। यात्री जो कि विमान में सवार हो चुके थे, उतारे गये तथा माल व डाक भी उतार दिये गये। निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार सुरक्षा सम्बन्धी पूरी जाँच की गई। यात्रियों की शारीरिक तलाशी, तथा उनके सामान और हाथ के सामान की भी तलाशी ली गई। किन्तु कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला और उड़ान अनुसूचित समय से 1 घंटा और 15 मिनट विलम्ब से छूटी।

युद्ध सम्बन्धी नई चालों के कारण भारतीय वायु सेना को विमान दुर्घटनाओं में वृद्धि

7550. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'दी मदर लैन्ड' दिनांक 30 अप्रैल, 1972 में 'न्यू कम्बेट टैक्टिक्स कॉस योर आई० ए० एफ० प्लेन मिसहैप्स' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार को इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ख) एयर कोम्बेट टैक्टिक्स का मानांकन एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है उच्चतम स्तर की संक्रियात्मक कुशलता को बनाए रखने के लिये लगातार प्रशिक्षण अपरिहार्य है। उड़ान सुरक्षा को बिना जोखिम में डाले यह किया जाता है।

देश में पर्यटकों के लिये झीलों, गरम पानी से चश्में, वनों तथा झरनों का विकास

7551. **श्री जी० आई० कृष्णन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : देश के प्रत्येक राज्य गत दो वर्षों में पर्यटकों के लिये किन-किन झीलों, गरम पानी के चश्मों, वनों और झरनों का विकास किया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० **कर्ण सिंह**) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. चौथी योजना में योजनाओं की प्रगति (केन्द्रीय क्षेत्र में)—

1. 1970 में गोविन्दसागर झील पर 11·26 लाख रुपये की लागत से एक कैफीटेरिया का निर्माण कार्य पूरा किया गया।

2. 1971 केन्द्रीय आन्तर-स्थलीय जल परिवहन निगम, कलकत्ता को 24·96 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 4 मोटर लांचों 2 गोविन्द सागर झील तथा 2 नागार्जुनसागर झील के लिये—के निर्माण का आदेश दिया गया। इन लांचों के नवम्बर 1972 तक प्राप्त हो जाने की आशा है।

3. 1970-71 में कौडेनाल झील में बोटिंग सुविधाओं को विकसित करने के लिए कौडे-कनाल बोट क्लब को 20,000/ रुपये का अनुदान दिया गया था।

4. गुलमर्ग में 338 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक हिम क्रीड़ा प्रायोजना का कार्य प्रगति पर है।

5 कोवालम में 221·50 लाख रुपये की अनुमानित लागत से समुद्र तट बिहार प्रायोजना का कार्य प्रगति पर है।

6. 1969-70 में बारासिंघा प्रजनन प्रायोजना पर 52,000/-रुपये, तथा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में नदी बाँध (एनकट्स) के निर्माण पर 59,000/—रुपये, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये 4,19,500/—रुपये, तथा सारिस्का वन्यजीव शरण स्थान में स्थल-दृश्य-निर्माण के लिए 5,000/—रुपये व्यय किये गये।

7. काजीरंगा वन्यजीव शरण स्थान (असम), कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान (उत्तर प्रदेश) भरतपुर पक्षी शरण स्थान (राजस्थान), गिरवन्य जीव शरण स्थान (गुजरात), कान्हा राष्ट्रीय उद्यान (मध्य प्रदेश) वादीपुर तथा डांडेली वन्य जीव शरण स्थानों (मैसूर) में विश्राम गृहों का, तथा सारिस्का वन्यजीव शरण स्थान (राजस्थान) में आवासीय क्षेत्रों का विद्युतीकरण का कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है; जबकि कान्हा राष्ट्रींय उद्यान में क्वार्टरों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है।

जलदापारा वन्यजीव शरण स्थान (पश्चिम बंगाल) में एक विश्राम गृह के निर्माण, बरू-नाई हाड वाटर स्प्रिंग स (उड़ीसा) तथा गोताघाट हाट वाटर स्प्रिंग्स (असम पर सुविधाओं का विकास, राजगिर में हाट वाटर स्प्रिंग्स के निकट एक कैन्टीन का निर्माण, तथा महावनीपुरय के समुद्रतट पर 'ध्वनि एवं प्रकाश' प्रदर्शन के आयोजन का प्रस्ताव है।

8. 1970-71 में कुछ चुने हुए वन्यजीव शरण स्थानों में पर्यटकों के प्रयोग के लिये 4·50 लाख रुपये की लागत से 12 मिनि बसें प्रदान की गई थीं। वन्यजीव शरण स्थानों पर 4 लाख रुपा की अनुमानित लागत से 10 और मिनि बसें प्रदान करने का प्रस्ताव है।

II. पूर्व योजनावधि में कार्यान्वित योजनायें (केन्द्रीय क्षेत्र)

	(रुपये)
1. उदयपुर (राजस्थान) में फतहसागर झील में द्वीप की सौन्दर्य वृद्धि	3,30,000

2. नागार्जुनसागर (आन्ध्र प्रदेश) में विजय बिहार सर्किट हाउस में 8 कमरों के अतिरिक्त खण्ड का निर्माण	2,40,216
3. नागार्जुनसागर (आन्ध्र प्रदेश) में एक मध्य आय वर्ग पर्यटक बंगले का निर्माण	1,33,715
4. नागार्जुनसागर (आन्ध्र प्रदेश) में पर्यटकों को परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये एक स्टेशन वैगन का क्रय	21,000
5. नागार्जुनसागर (आंध्र प्रदेश) में पर्यटकों के लिये लांचों की व्यवस्था	59,800
6. हैदराबाद में हिमातसागर/उस्मानसागर झीलों पर पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्था	22,400
7. विशाखापत्तनम (आन्ध्र प्रदेश) में लासन बे पर समुद्रतटीय सुविधाओं की व्यवस्था	13,500
8. चीका झील (उड़ीसा) में रम्पा में निम्न आय वर्ग बंगला	2,25,368
9. कन्या कुमारी (तामिल नाडु) में निम्न आय वर्ग विश्रामगृह	1,85,000
10. थेकाड्डी (केरल) में विश्रामगृह में सुधार	40,000
11. ढिकाला विश्रामगृह (उत्तर प्रदेश) का विद्युतिकरण	63,000
12. कोचीन (केरल) में अन्तर्गत में परिभ्रमण के लिये लांचों की व्यवस्था	2,31,953
13. थेकाड्डी (केरल) में अरण्य निवास होटल का विस्तार	2,07,358
14. पेरियार झील (केरल) में पर्यटकों के प्रयोग के लिये लांचों की व्यवस्था	1,14,983,
15. पेरियम् जील (केरल) में ढलवां जेटी का निर्माण	48,000
16. जोग फाल्स (मैसूर) में निम्न आय वर्ग विश्रामगृह	64,154
17. जोग फाल्स (मैसूर) में पर्यटक होस्टल	1,08,100
18. वृन्दावन (मैसूर) में निम्न आय वर्ग विश्रामगृह	99,000
19. डायमंड हार्बर (पश्चिम बंगाल) में केन्टीन	2,50,000
20. काजीरंगा (असम) वन्यजीव शरण स्थान का विद्युतीकरण	1,70,335
21. कोणार्क (उड़ीसा) में निम्नआय वर्ग विश्रामगृह	1,92,559
22. कोणार्क (उड़ीसा) में श्रेणी (1) पर्यटक बंगला	1,78,000
23. राजगीर (बिहार) में पर्यटक शाला	2,33,000
24. बडखल झील (हरियाणा) में पर्यटक सुविधायें	2,35,000
25, भरतपुर वन्यजीव शरण स्थान (राजस्थान) में सड़कों का सुधार	1,91,000

26.	सिलिसेयड़ु (राजस्थान) में विश्रामगृह का सुधार	60,000
27.	दामोदर घाटी कार्पोरेशन क्षेत्र से विश्रामगृह	5,00,000
28	दामोदर घाटी कार्पोरेशन क्षेत्र में में परिवहन सुविधाएं	1,37,000
29.	महाबलीपुरम (तमिल नाडु) में केन्टीन	78,173
30.	महाबलीपुरम समुद्रतट (तमिल नाडु) पर पर्यटक बंगला।	1,81,000

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे सहायक निदेशक

7553. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में कितने सहायक निदेशक तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) उनकी नियुक्ति के लिये क्या कसौटी निर्धारित की गई है;

(ग) उनके मन्त्रालय में सहायक निदेशकों के कुल कितने पद हैं; और

(घ) क्या स्थायी किये जाने से पहले इन अधिकारियों की संघ लोक सेवा आयोग के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : पर्यटन विभाग में ऐसे 19 अधिकारी है।

(ख) : सहायक निदेशक (पर्यटन के पद के भर्ती नियमों के अनुसार, उक्त ग्रेड में 75% रिक्तियाँ संघ लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती हैं। तथा शेष 25% रिक्तियाँ सूचना सहायक तथा अधीक्षक के ग्रेडों में से पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं। उक्त ग्रेड में तदर्थ नियुक्तियाँ निम्नलिखित की पूर्ति के लिये की जाती हैं:—

(1) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित अधिकारियों के आने तक सीधी भर्ती के कोटे में होने वाली रिक्तियाँ; तथा

(2) अन्य अल्प–कालिक रिक्तियां।

(ग) : पर्यटन विभाग में 45.

(घ) : ऐसी तदर्थ नियुक्तियाँ इन पदों पर तदर्थ रूप से नियुक्त अधिकारियों को इस प्रकार का कोई अधिकार प्रदान नहीं करतीं; उन्हें सीधी भर्ती के मामले में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तथा पदोन्नति के मामले में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन की सामान्य प्रक्रिया में से गुजरना ही पड़ेगा।

दिल्ली तथा अन्य हवाई अड्डों पर हैंगरों का निर्माण

7554. **श्री रामसहाय पांडे :** क्या **पर्यटन और नागर विमान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा अन्य हवाई अड्डों पर हैंगरों के निर्माण में देरी हुई है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उनके निर्माण में देरी किये जाने से कोई हानि हुई है; और यदि हां, तो

कितनी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) से (ग) : पालम विमान क्षेत्र पर एयर-इण्डिया के हैंगर का निर्माण कार्य पर अनुसूचित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। एयर-इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स बम्बई में भी एक-एक हैंगर का निर्माण कर रहे हैं। इन निर्माण कार्यों में, मुख्यतः लोहे की कमी के कारण, कुछ विलम्ब हुआ है। इण्डियन एयरलाइन्स के हैंगर के प्रकरण में कुछ विलम्ब डिजाइन-समस्या के कारण हुआ था। इन विलम्बों के परिणामस्वरूप एयर-इण्डिया के मामले में निर्माण व्यय लगभग 15 लाख रुपये, तथा इण्डियन एयरलाइन्स के मामले में 18 लाख रुपये बढ़ गया है। इण्डिन एयरलाइन्स की प्रायोजना में विस्तार भी किया गया, जिससे व्यय में लगभग 39 लाख रुपये की वृद्धि होगी।

एकाधिकार आयोग के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने का निर्णय

7555. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकाधिकार आयोग के कार्यक्षेत्र में विस्तार करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो इस निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) इस निर्णय के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

Assistance to Families of Missing Personnel of last Indo-Pak war

7556. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state the salient features of Government's policy in regard to providing assistance to the families of personnel who are reported missing in the last Indo-Pak War.

The Minister of Defenece (Shri Jagjivan Ram) : The salient features of the assistance provided by Government for the families/dependants of Defence Services personnel reported missing in the last Indo-Pak conflict are as under—

Officers : Payment of special family allowance at 2/3rds of pay in respect unmarried officers and 45 % of pay in respect of unmarried officers for a period of six months or until death is presumed. This allowance has been enhanced to 3/4 the of pay in respect of married officers and 50% of pay for parents of unmarried officers with effect from 1st February, 1972.

Personnel Below Officer Rank : Payment of special family allowance at 2/3 rds of pay for six months or until death is presumed. If the amount of the family allotment made by the soldier was higher, the higher amount is paid for four months, and thereafter special family alowance is paid. The amount of the allowance has been enhanced to full pay with effect from 1st February 1972.

All Ranks : (1) Payment of emoluments was authorised, on an **ad hoc** basis, for the months of December 1971 and January 1972 in respect of all those reported missing during the operations against Pakistan in December, 1971. Payments made on account of special family allowance/pensions, pending enquiry awards, family allotments, etc., were adjusted against the full emoluments for these two months.

(ii) Children of missing personnel are eligible for the following free educational concessions upto the first degree course/post-graduate course at institutions controlled by the Ministry of Education, tiil the expiry of six months or tillthe date of return of the missing personnel, whichever is earlier—

(a) complete exemption from tuition and other fees.

(b) full cost of books and stationery; and

(c) full cost of uniform where this is compulsory.

Criteria Adopted for Selection of Pilots in Air India and Indian Airlines

7557. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of selections held for recruitment of pilots in Air India and Indian Air lines during the last three years; and

(b) the number of pilots selected and criteria adopted for their selection ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karn Singh) :

	Air-India	Indian Air lines
(a)	9	Nill
		However, Indian Airlines had issusd an advertisment during January, 1972 in response to which 457 applications were received. Selections have not yet been finalised.

(b) Air-India

52 pilots were selected during the last three years.

Criteria adopted for recruitment from Indian Airlines and open market :

Educational qualifications :	Sr. Cambridge. S. S. C. or its equivalent.
Technical qualifications :	(a) Possession of Airline Transport Pilots Licence.
	(b) Current instrument rating.
	(c) Current F. R. T. O. Licence
Flying experience:	(a) 1500 hrs. of which 1000 hrs. should be on twin or multi-engine aircraft
	(b) 100 hrs, night flying experience in command.
Age :	Between 26 and 35 years relaxable in exceptional cases up to 37 years.

Criteria for recruiftment from I. A. F.

Educational qualifications :	Sr. Cambridge, S. S. C. or its equivalent.
Technical qualifications :	Possession of Indian Airline Transport Pilots Licence or F. R. T. O. Licence or eligible for issuance of Indian Airline Transport pilots or F. R. T. O. Licence
Flying experience :	1000 hrs. in command on jet aircraft or 1000 hrs. in command of which 500 hrs. should be on twin or multi-engine aircraft. In case of those having jet flying experience, they must possess Master-green Instrument rating of Instrument Rating Examiners Ticket. (Requirement of 1000 hrs. in command on jet aircraft further reducible to 750 in case of pilots currently employed on active fiying duty).
	100 hrs. night flying experience.
Age :	30 to 37 years.

Indian Airlines

Criteria followed for eligibility for the post of pilot in 1968 :

(a) Possession of current commercial pilots licence. licence, FRTO and should have passed the technical examination for DC-3 Instrument Rating.

(b) Maximum age 30 years relaxable by 5 years for retrenched pilots of Kalinga Airlines and ex-Air Force personnel.

Qualification/Experience prescribed recently for the post of pilots :

(a) Current C. P. L. and F. R. T. O. Licences.

(b) a minimum of 15 hours actual instrument flying experience on aircraft.

(c) Maximum age 30 years on 1-1-1972; 35 years for SC/ST candidates and ex-Defence services personnel;

Age linit relaxable by 3 years in respect of candidates continuously employed as pilots during the last 3 years.

Loss suffered due to Go-slow Agitation by Engineers of Indian Airlines

7558. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) Whether Government have suffered heavy loss as a result of go-slow agitation by Engineers in Indian Airlines during the months of March and April, 1972;

(b) If so, the extent there of; and

(c) Whether Government are devising a permanent solution so that the strikes are avoided in future ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) : Indian Airlines suffered some loss due to the go slow tactics adopted by some of its maintenance engineers. It is, however, not possible to quantify it.

(c) Constant efforts are being made in this direction.

Upgrading of Srinagar Airport

7559. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) Whether the question of upgrading Srinagar Airport is under consideration; and

(b) If so, whether airports located in the capitals of other States are also proposed to be upgraded and renovated ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) A proposal to construct a new civil air terminal at Srinagar is being processed. The possibility of international services to this airport is being examined separately in view of its special attraction for international tourism.

(b) The improvement and development of operational and terminal facilities is a continuous process, and special attention is being paid to State capitals.

Proposal to Introduce Daily Air Service from Muzaffarpur.

7560. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) Whether during its journey from Delhi to Calcutta via Muzaffarpur and back an aircraft stops at Muzaffarpur thrice in a week;

(b) Whether passengers intending to board from Muzaffarpur do not get tickets for want of seats; and

(c) If so, whether Government propose to introduce daily air service from Muzaffarpur ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) : Yes, Sir.

(b) : Intending passengers are occasionally refused seats at Muzaffarpur as the pay-load is restricted by the absence of fuelling facilities at Kanpur and Muzaffarpur. More-over, the seats available are requrired to be shared the other stations on the route.

(c) : The frequency on the Patna/Muzaffarpur/Patna sector will be increased when Indian Airlines fleet position improves. Efforts arc being made to secure fueiling arrange-ments at Kanpur.

रूसी टी० यू०–154 विमान अमरीकी डी० सी०-10, लांक हीड-1011 और एयरबस ए–300 विमानों का मूल्यांकन

7561. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह वताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसी टीयू 154 विमान, अमरीकी डी० सी०-10 लाक हीड-1011 और एयरबस ए-300 विमानों की कार्यक्षमता के भारतीय जलवायु की परिस्थितियों में अनुकूलता का पता लगाने के लिए मूल्यांकन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : इण्डियन एयर-लाइन्स अपने मार्ग-जाल पर परिचालन की उपयुक्तता की दृष्टि से विभिन्न विमानों का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन प्रगति पर है।

बोइंग 747 विमान के चलाये जाने के पश्चात् यातायात में वृद्धि

7562. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'बोइंग 747' विमान के चलाये जाने के उपरान्त यातायात में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) क्या 'एयर इण्डिया' द्वारा रियायती किराये की योजना लागू करने के पश्चात् सरकार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में सफल हुई है; और

(ग यदि हाँ, तो किस सीमा तक ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जी, हां।

(ख) और (ग) : रियायती किरायों की कुछ सफलता मिली है। यदि पिछले वर्ष कुछ ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न न होती, जैसे संयुक्त राज्य अमरीका तथा पश्चिमी देशों में मुद्रा संकट तथा उपमहाद्वीप की घटनायें जो अन्नतः पाकिस्तान के भारत पर आक्रमण में परिणत कदाचित् और भी अच्छे रहते।

कर-दाताओं के स्थायी खाता संख्या जारी करना

7563. **श्री एम० एम० जौजफ** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में करदाताओ की स्थायी खाता संख्या जानी करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस आशय के प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने इस

सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही नीचे दी गई है :—

क—**प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें** :

1. प्रस्ताव यह है कि ऐसे प्रत्येक करदाता को, जिसका नाम आयकर विभाग के रजिस्टरों में दर्ज है, एक स्थायी खाता संख्या निर्धारित कर दी जाय जो हमेशा के लिए अपरिवर्तनीय होगी, भले ही उसका मामला एक स्थान से दूसरे स्थान में अन्तरित क्यों न हो जाय। इससे ऐसी अनेक कठिनादयां दूर होंगी जो घटते-बढ़ते सामान्य सूचकांकों की वर्तमान प्रणाली से पैदा होती हैं।

2. स्थायी खाता संख्या में प्रतिनिधि निर्धारितियां से भिन्न सभी निर्धारितियां के लिये नौ अंक और दो अक्षर होते हैं और प्रतिनिधि निर्धारितियों, जैसे—न्यासी, अभिकर्त्ता आदि के लिए आंठ अंक और दो अक्षर होते हैं।

3. सम्वन्धित मामले पर क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर अधिकारी के पास विभिन्न दस्तावेज शीघ्रता से भेजना सुगम बनाने की दृष्टि से एक स्वत: स्पष्ट कोड तैयार किया गया है जिसमें नगर तथा कर-निर्धारण कर्ता आयकर अधिकारी के पदनाम को संक्षिप्त रूप में देने की योजना है। इसे स्थायी खाता संख्या के नीचे दिया जायगा।

ख—**सरकार द्वारा की गई कार्यवाही** :

1. स्थायी खाता संख्या योजना का, प्रारम्भिक आधार पर, देश में पाँच स्थानों पर चुने हुए परिमण्डलों में परीक्षण किया गया था। इससे प्राप्त अनुभव के आधार पर इस योजना को अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वियन के लिये सरल बनाया गया। स्थायी खाता संख्याओं के निर्धारित किये जाने सम्बंधी आरम्भिक कार्य और इसके लिए अपनाई जाने वाली कार्यविधि के संबंध में अनुदेश जारी कर दिये गये हैं। कार्य की प्रगति पर सामयिक रिपोर्टों के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है।

2. आशा हैं कि सभी कर-दाताओं को खाता संख्यायें निर्धारित करने का कार्य जून 1972 तक पूरा हो जायगा।

इण्डयन एयर-लाईन्स के प्रबन्धकों और विमान मेंटेनेन्स इन्जीनियरों के बीच विवाद

7564. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स के प्रबन्धकों और विमान मेंटेनेन्स इन्जीनियरों के बीच वेतन सम्बन्धी विवाद निपटाने का मामला फैसले के लिए प्रधान मन्त्री को सौंप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : **(क) और (ख)** . जी, नहीं।

मामला सरकार के विचाराधीन है ।

Depositors of Globe Motor Co., New Delhi

7565. **Shri Hari Singh :**

Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Company Affairs** be pleased to state the number of persons who deposited their money wlth a Delhi firm known as Globe Motors Co. and the number of persons who have not yet got back their deposits ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) : According to the information furnished by the Globe Motors Ltd. to the Registrar of Companies. Delhi, the total number of accounts of the despositors is 1709, and some instalments have been paid in respect of 1617 accounts.

Selling of Gold Ornaments in Bihar

7566. **Shri Hari Singh :**

Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether a number of gold dealers from various parts of the country go to Bihar to Sell Gold ornament;

(b) Whether Government are aware that a number of goldsmiths in Bihar have been rendered jobless as a result there of and great discontenment is prevailing among them on this account; and

(c) If so, the action taken by Government to safeguard the interests of goldsmiths in Bihar ?

The Minister of State in the Ministiry of Finance (Shri K. R. Ganesh) (a) to (c) : Representations were made by goldsmiths organisations in Bihar like the Bihar State Goldsmiths. Association, Patna Zila Swarnkar Sangh and the Akhil Bharatiya Swarnakar Sangh, that the inter-state sale of ornaments through travelling salesman by dealers was adversely affecting the local goldsmiths,

Since the hawking of ornaments through travelling salesmen of licensed gold dealers was open to abuse and gave scope for malpratices, and the Gold (Control) Act does not permit a licensed dealer to carry on business as such dealer except in his licensed premises, the hawking of ornaments through travelling salesmen of licensed gold dealers has been stopped.

बिहार में वाणिज्यिक बैंकों की शाखायें खोलना

7567. **कुमारी कमल कुमारी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-सरकारी वाणिज्यिक बैंकों को 1972-73 में बिहार में अपनी शाखायें खोलने की अनुमति दे दी है; और

(ख) ये बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी शाखायें खोल रहे हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (ख) : वित्तीय बर्ष 1972-73 के दौरान, दि यूनाइटेड इन्डस्ट्रियल बैंक लिमिटेड को, जो कि गैर-सरकारी क्षेत्र का एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, पटना में एक नया कार्यालय खोलने का लाइसेंस दिया गया था;

(ख) : बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक की शाखा खोलने के लिए लाइसेंस देने का कोई मामला इस समय विचाराधीन नहीं है ।

रांची और हजारीबाग जिलों (बिहार) में विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों को दिये गये ऋण

7568. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के पालामऊ रांची और हजारीबाग जिलों में किन-किन बैंकों ने छोटे दूकानदारों, रिक्शा चालकों, टैक्सी चालकों किसानों, कालेज लैक्चरारों, स्कूलों के अध्यापकों को अपना जीवन स्तर सुधारने के लिये ऋण दिये है; और

(ख) कितने आवेदन पत्र मन्जूरी के लिए विचाराधीन है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) : दिसम्बर, 1971 के अन्त में बिहार के इन जिलों में निम्नलिखित बैंक काम कर रहे थे :—

1. पालामऊ :	(i)	भारतीय स्टेट बैंक
	(ii)	पंजाव नेशनल बैंक
2. रांची	(i)	भारतीय स्टेट बैंक
	(ii)	सेण्ट्रल बैंक आफ इन्डिया
	(iii)	बैंक आफ इण्डिया
	(iv)	पंजाब नेशनल बैंक
	(v)	बैंक आफ बड़ौदा
	(vi)	यूनाइटेड कर्मशियल बैंक
	(vii)	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया
	(viii)	यूनियन बैंक आफ इण्डिया
और	(ix)	इलाहाबाद बैंक
3. हजारीबाग :	(i)	भारतीय स्टेट बैंक
	(ii)	सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
	(iii)	बैंक आफ इण्डिया
	(iv)	बैंक आफ बड़ौदा
	(v)	यूनाइटेड कर्मशियल बैंक
	(vi)	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया
	(vii)	यूनियन बैंक आफ इण्डिया

नीति के रूप में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण देते हैं जिसमें उन व्यक्तियों के सभी वर्ग शामिल है जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है।

(ख) पूछी गयी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और उसे इकट्ठा किया जा रहा हैं।

पर्यटकों के लिये बिहार में होटलों में स्थान की कमी

7569. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में कुल कितने पर्यटक होटल हैं और उनमें कुल कितने कमरे हैं ?

(ख) क्या उस राज्य में पर्यटकों के लिये होटलों में स्थान की कमी है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : बिहार में पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित तीन होटल हैं। अन्य होटलों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) : यह माना जाता है कि देश में पर्यटन महत्व के लगभग सभी स्थानों पर अच्छे होटल आवास की सामान्य कमी है। बिहार में, पर्यटकों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है तथा पटना, नालन्दा, राजगिर, बोध गया तथा वैशाली में भी सुविधाएं प्रदान करके उनमें और बृद्धि कर दी जायेगी। सरकार का बिहार में होटलों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु पटना में एक पर्यटक स्वागत केन्द्र का निर्माण करने की आशा है जिसमें, अन्य सुविधाओं के साथ,-साथ, पर्यटकों के लिये रिहायशी आवास भी सम्मिलित होगा। निजी क्षेत्र में, पटना में आयोजना स्तर पर चार होटल प्रायोजनाओं का अनुमोदन किया जा चुका है, जिनके पूरा होने पर 362 कमरों की व्यवस्था होने की आशा हैं। निजी क्षेत्र को अनेक प्रोत्साहन प्रदान करके देश में और अधिक होटल स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया गया है। इन प्रोत्साहनों में कर एवं वित्तीय राहतें, होटल विकास ऋण योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता, होटल निर्माण के लिये सरकारी भूमि का रियायती दरों पर विक्रय, तथा होटल उद्योग की आवश्यकताओं के लिये अग्रता प्रदान करना सम्मिलित हैं।

बिहार में रिक्शा और तांगे खरीदने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

7570. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में रिक्शा चालकों और तांगा चालकों को रिक्शा और तांगे खरीदने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी जिलावार संख्या कितनी है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : **(क) और (ख)** : रिक्शा चालकों और तांगा चालकों को दिये जाने वाले ऋण 'परिवहन चालकों' की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। रिक्शा चालकों और तांगा चालकों के बारे में आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते। फिर भी, कुल मिलाकर बिहार राज्य में सड़क परिवहन चालकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के बारे में सूचना नीचे दी गई है :—

बिहार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सड़क परिवहन चालकों को दिए गए ऋण

निम्नलिखित मास की समाप्ति पर	खातों की संख्या	बकाया राशि (लाख रुपयों में)
दिसम्बर 1970	784	165
दिसम्बर 1971	1837	354

ऊपर दी गइ सूचना का जिलेवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है और जहां तक सम्भव होगा एकत्रित किया जायगा और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विमको एण्ड ग्रामोफोन कम्पनी ग्राफ इण्डिया के कार्यों की जांच

7571. **श्री वी० वी० नायक : क्या कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या एकाधिकार ग्रायोग ने विमको एण्ड ग्रामोफोन कम्पनी ग्राफ इण्डिया के कार्यों की जांच के ग्रादेश दिये हैं ग्रौर यदि हाँ, तो यह जांच किए जाने के क्या कारण हैं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : हाँ, श्रीमान। एकाधिकार एवं निर्वन्धनकारी व्यापार प्रथा ग्रायोग को, 30-6-1971 व 19-7-1971 को, यह ग्रारोप लगाते हुये दो संस्थाग्रों से दो परिवाद प्राप्त हुये थे, कि विमको निर्वन्धनकारी व्यापार प्रथाग्रों का ग्रनुसरण कर रही है। इन परिवादों के प्राप्त होने पर ग्रायोग ने जांच-पड़ताल प्रारम्भ कर दी है।

ग्रामोफोन कम्पनी ग्राफ इण्डिया में रजिस्ट्रार, निर्वन्धनकारी व्यापार ग्रनुबन्ध को पाँच प्रमाण ग्रनुबन्ध प्रस्तुत किये हैं, जो विभिन्न ग्रामोफोन रिकार्ड व्यापारियों, रिकार्ड क्रीड़ा उपकरण व्यापारियों, फिल्म उत्पादकों एवं कलाविज्ञों के साथ किये गये थे। इन ग्रनुबन्धों से पता चला कि यह कम्पन्नी निर्वन्धनकारी व्यापार प्रथा ग्रपना रही है व पुनः विक्रय कीमतें संधारण कर रही है। 21-4-1972 को रजिस्ट्रार, निर्वन्धनकारी व्यापार ग्रनुवन्ध ने, ग्रधिनियम की धारा 10 (क) (3) के ग्रन्तर्गत एकाधिकार एवं निर्वन्धनकारी व्यापार तथा ग्रायोग के समक्ष एक ग्रावेदन-पत्र कम्पनी द्वारा समागमित, कथित निर्वन्धनकारी व्यापार प्रथा को जांच-पड़ताल के लिये पेश किया।

देश में पर्यटक ग्राकर्षक स्थानों पर मध्यवर्गीय पर्यटकों के लिये होटल खोलने का प्रस्ताव

7572 **श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या पर्यटन ग्रौर नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटकों के लिए ग्राकर्षक स्थानों पर मध्यवर्गीय पर्यटकों के लिये होटल खोलने का कोई प्रस्ताव है; ग्रौर

(ख) क्या विदेशों से ग्राने वाले विद्यार्थियों ग्रौर मध्यवर्गीय पर्यटकों के लिये तम्बुग्रों की ग्रारामगाह व्यवस्था करने का भी कोई प्रस्ताव हैं ?

पर्यटन ग्रौर नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : मध्यम श्रेणी के पर्यटकों के लिये सस्ते ग्रावास स्थान की व्यवस्था करने के लिये युवा होस्टलों, स्वागत केन्द्रों, विश्राम गृहों तथा पर्यटक बंगलों के निर्माण का प्रस्ताव है। भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा होटलों के निर्माण तथा कुछ विद्यमान यात्री लाजों के विस्तार का भी प्रस्ताव है।

(ख) : जी, हां। जहाँ पर्यटक यातायात की सघनता ग्रधिक है वहाँ के सड़क मार्गों पर शिविर स्थल बनाने का प्रस्ताव है। राज्य सरकारों के परामर्श से इस योजना के ब्यौरों को ग्रन्तिम रूप दिया जा रहा है।

उड़ीसा में पहाड़ी पर्यटक केन्द्र का विकास

7573. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या पर्यटन ग्रौर नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा में किसी पहाड़ी पर्यटक केन्द्र का विकास करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं और उनका विकास कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जी, नहीं ।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता ।

वालासोर (उड़ीसा) में स्थित रक्षा प्रतिष्ठानों के तूफान और बाढ़-पीड़ित कर्मचारियों को अग्रिम धन

7574. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी परिपत्र के अनुसार वालासोर (उड़ीसा) में स्थित रक्षा प्रतिष्ठानों के तूफान और बाढ़-पीड़ित कर्मचारियों को गृह-निर्माण के लिए अग्रिम धन दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो अग्रिम धन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें अग्रिम धन नहीं दिया गया था ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमान् । अग्रिम धन उन सभी कर्मचारियों को दिया गया था जिन्होंने अग्रिम धन के लिए अभ्यावेदन दिया था और जो इस विषय पर सरकारी आदेशों के अधीन ऐसा अग्रिम धन पाने योग्य पाए गए थे ।

(ख) ऐसा अग्रिम धन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग 270 होगी ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

Fire opened by Pak troops in Khemkaran and Ajnala (Amritsar)

7575. **Shri Shiv Kumar Shastri** :

Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Pakistani troops recently opened fire on the Indian patrol parties in Khemkaran and Ajnala (Amritsar) sector; and

(b) if so, the brief account of the incidents ?

The Minister of defence (Shri Jagjivan Ram) (a) Yes, Sir.

(b) A statement is attached.

Statement

At 1645 hours on 3rd April, Pak troops opened fire from across the Line of Actual Control on our patrol in area 8 miles North West of Chuganwan, as a result of which two of our other ranks were wounded; our troops returned the fire effectively. Pak casualties are not known.

(2) At 1445 hours on 20th April, our patrol while extinguishing a fire in area 8 miles North, North West of wagah was fired upon by Pak troops; our patrol returned Pak fire effectively. There was no casualty on our side; Pak casualties are not known.

(3) On 30th April and 1st May, Pak troops fired intermittently from across the Line of Actual Control on our troops in area 2 miles North of Ranian. The fire was returned by

our troops who did not suffer any casualties.

(4) At 1250 hours on 30th April Pak troops fired from across the Line of Actual Control on our troops in area 2·5 miles West of Khemkaran: our troops returned the fire. One of our other ranks was wounded and three Pak soldiers were seen falling down.

Loans to Rickshaw-Pullers and Bullock-Cart Drivers by Nationalised Banks

7576. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether rickshaw-pullers and bullock-cart drivers are also advanced loans by the nationalised banks; and

(b) if so, the number of rickshaw-pullers and bullock-cart drivers given loans during 1970 and 1971, separately indicating the amount of loans given and the rate of interest charged thereon ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) & (b) Advances to rickshaw-pullers and bullock-cart drivers are covered under the category of 'Road Transport Operators'. Separate statistics in respect of rickshaw-pullers and bullock cart drivers are not maintained. However. the information in regard to nationalised bank's advances to road transport operator in the contry as a whole is set out below—

Advances to road transport operators by public sector banks

As at the end of	No. of borrowal accounts	Amount outstanding (Rs. lakhs)
Dec. 1970	15,523	2934·42
Dec. 1971	22,645	3832·00

The rate of interest charged by the banks on advances of this category ranges between 10% and 11%.

Heavy vehicles Factory. Avadi–Its capitals. Annual Production and export capability

7577. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the total capital invested in the Heavy Vehicles Factory, Avadi and the value of its annual production; and

(b) whether Government have any proposal under consideration to ex-port the products of this Factory.

The Minister of state (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Total capital invested in the Heavy Vehicles Factary, Avadi is Rs. 17·27 crores. The value of its annual production has been commensurate with the capital invested It will not be in the public interest to disclose the details.

(b) No. Sir,

Usefulness by N. C. C. During war and expenditure Incurred in 1971-72

7578. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) Whether Government have evaluated the usefulness of the National Cadet Corps. during the war;

(b) If so, the reaction of Government in regard to this organisation; and

(c) The amount of expenditure incurred by Government in 1971-72 ?

The Minister of defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) & (b) : NCC cadets and officers do not have any liability for combatant duties or other duties involving use of fire arms during the war. They can be employed on passive Air Defence Work, manning Civil Defence Posts, maintenance of essential services, traffic control, Messenger Service, Duties in Hospitals etc.,

Whenever required. During the recent conflict. NCC cadets and officers performed such duties in various states whenever called upon to do so. No separate evaluation of the performance of NCC cadets and officers in this regard has been made.

It is however, prcposed to set up a Committee to evaluate the functioning of NCC in its entirety.

(c) The entire expenditure on NCC is not booked separately. Based on per capita cost of training and strength of cadets, estimated expenditure on NCC borne by Central Government and the State Governments during 1971-72 is as under :—

Centre	State	Total
(Expenditure in lakhs of Rs.)		
1198.C0	873.72	2071.72

Monopolies and Restrictive Trade Practices Act

7579 : **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Company Affairs** be pl:ased to state whether Government have been able to achieve the aims and objects for which Monopolies and Restrictive Trade Practices Act; 1969 was enacted and, if so, the broad outlines of the achievements ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) : The M. R. T. P. Act came into force on 1.6.70 Soon after the Act came into force, verious administrative measures were taken including the setting up of the Monopolies and Registrar of Restrictive Trade Agreement and the Director of Investigation who are important functionaries under the scheme of the Act. On account of the working and administration Annual Administrative Report to be laid shortly on the table of both the Houses of Parliament in terms of Section 62 of the Act.

To state the position very briefly it may be said that within this short period the Act has brought about a new orientation in the thinking of these concerned with the control and regulation of industrial and economic activities in the country. The monopoly angle has become one of the important consideration with the administrative ministries and other functionaries in taking decisions in the economic and industrial field. The Ministries dealing with industries have become conscious of the need to ensure that undertakings or interconnected group of undertakings which attract the provisions of the Act are not allowed to expand their activities and business further unless such expansion is found not to lead to concentration of economic power to common detriment and to be positively expedient in the public interest. In allowing such expansions special care is taken to ensure that countervailing conditions consistant with public interst such as broad-basing of the equity structure, convertibility of public loans into equity, export obligations or setting up projects in backward areas are incorporated.

From the date of commencement of the Act upto **30-4-1972** a total No. of **847** undertakings have registered themselves under section 26 (2) of the Act. The Act also provides for the registration of agreements relating to restrictive trade practices, Upto **30-4-1972** a total of **9229** agreements were filed, with the Registrar out of which **2536** agreements had been examined. Enquiries by the M. R. T. P. Commission into some of the agreements have also been initiated.

Shortage of Gas Supp y in Kota (Rajasthan)

7580, **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) The consumption of gas cylinders in Kota, Rajasthan during the current year as compared to that in 1969;

(b) Whether there have been reports of shortage of gas supply in the current year; and

(c) If so, the remedial steps taken in this regard ?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale) : (a) Only one oil company, namely Esso markets Liquified petroleum Gas (LPG); under the trade name Esso gas in Kota in Rajasthan. The consumption of LPG during the year 1969 was 152 tonnes. During 1971, the consumption was 273 tonnes. The actual consumption during 1972 is expected to be even more.

(b) No reports or shortage have been received. Esso has stated that there are no waiting lists and 30 to 40 fresh connections are being given each month.

(c) Does not arise.

विष्णु शुगर मिल्स लिमिटेड सरना (विहार) के विरूद्ध जांच

7587. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा के कुछ सदस्यों से दिनांक 15 जुलाई, 1971 का एक पत्र मिलने पर, सरकार ने विष्णु शुगर मिल्स लिमिटेड, गोपालगंज, सारन, विहार के विरुद्ध जांच कराई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) जाँच-पड़ताल अभी भी की जा रही है और आवश्यक सूचना यथा संभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

Residential Facilities Provided to Employees Working in Reserve Bank. Patana

7582. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) Whether only 72 out of the 800 employees of the Reserve Bank of India, Patna have been provided with residential accommodation;

(b) Whether the Reserve Bank Employees Association has submitted any memorandum to the management of the Bank for providing residential accommodation to the employees; and

(c) If so, the reaction of Government there to ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes Sir.

(b) The Local Employees Association had forwarded to the Reserve Bank a resolution passed at their Annual General Meeting in March 1971 urging upon the bank to construct adequate number of staff quarters at Patna,

(c) The Reserve Bank in spite of their best efforts through the Improvement trust, State Governmet and advertisement in the press; have not so far been able to secure any land at Patna for construction of additional quarters. They are however, continuing their efforts in this regard.

Difference in Payment of Bonus to Employees of Nationalised Banks

7583. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) Whether there is some difference between the amount of bonus paid to the employees of the Nationalised Banks and that paid to the employees of the State Bank of India;

(b) If so, the extent of the difference; and

(c) The reaction of Government thereto ?

The Minister of Finance ((Shri Y. B. Chavan) : (a) and (c) : It has been the practice in the Banking industry for each of the banks to declare bonus after direct negotiations with the respective employees unions, keeping in mind the working results of the year for the Banks. Govrnment have not interfered with this practice. As the working results of the banks vary from one another, the amount of bonus paid by each of the banks will consequently differ, not only between the nationalised banks on one siad and state Banks of India on the other, but also amongst the nationalised banks themselves.

(b) The published profits (adjusted) and the bonus provided/paid in the State Bank of India and the 14 nationalised banks are given in the Annexure.

Statement

Rupees in lakhs

Name of the Bank S. No.	Published Profit (adjusted)	Bonus for the year 1971.	Remarks.
1. Central bank of India.	288·55	176·00	This does not include Diamond Jubilee Bonus of Rs. 21 lakhs proposed by the management.
2. Bank of India.	235·46	126·00	
3 Punjab National Bank	245·00	129·00	
4. Bank of Baroda	218·79	120·00	
5. United Commercial Bank.	180·45	81·50	
6. Canara Bank.	139·07	72·40	
7. United Bank of India.	93·44	51·73	
8. Dena Bank.	65·13	30·00	
9. Syndicate Bank.	89·99	43·01	
10. Union Bank of India.	74·05	37·55	
11. Allahabad Bank.	54·06	30·06	
12. Indian Bank.	24·11	17·50*	*Provisional
13. Bank of Maharashtra.	36·44	13·42*	
14. Indian Overseas Bank.	39·42	25·72	
15. State Bank of India.	777·78	495·00	

Places In Madhya Pradesh Proposed to be Developed as Tourist Centres During 1972—73

7584. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the names of the places in Madhya Pradesh proposed to be developed as Tourist Centres during 1972—73 ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karn Singh) : In the Central Sector. the following schemes are expected to be completed or taken up in Madhya Pradesh during 1972—73 :

1. Completion of the Youth Hostel at Bhopal.
2. Completion of the water supply scheme at Sanchi.
3. Completion of the expansion of the Travellers Lodge at Khajuraho.
4. Construction of a Rest House at Kanha National Park.
5. Internal electrification of the Kanha National Park.

6. Water supply scheme at Kisli.
7. Water supply scheme at Khajuraho.

Progress Made and Expenditure Incurred on Development of Tourist Centres in Madhya Fradesh

7585. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be plesed to refer to the reply given to Unstatred Question No. 447 on the 11th June, 1971 regardin; the proposal to develop new places as Tourist Centres in Madhya Pradesh and state the progress made in regard to the development of the places of tourist interest and the expenditure incurred on them ?

The Minister of Tourtism and Civil Aviation ((Dr. Karan Singh) : The progress on the Tourism schemes taken up in the Central Sector in Madha Pradesh is as follows:—

Department of Tourism :

(1) **Bhopal :** Work on the construction of a Youth Hostel at an estimated cost of Rs. 2·50 lakhs is in progress and it is expected to be completed by October this year.

(2) **Kanha National Park:** Dnring 1971-72. a mini-bus at an estimated cost of Rs. 43,000/-was provided to the State Government for the use of tourists.

The work on the electrification of the living quarters in the Parks has been completed at a cost of Rs. 2·50 lakhs.

The work on the construction of the Rest House, estimated to cost about Rs. 11 lakhs. is in progress.

The work on the provision of water supply scheme in the Park would be started soon.

(3) **Khajuraho :** An amount of Rs. 1 lakh was given to the State Government last year for the repair of 2 water tanks and acquisition of land for a camping site. This work has been accomplished.

The work relating to the water supply scheme would be taken in hand shortly.

(4) **Sanchi :** Work on the Water supply scheme is in progress and is expected to be completed during the current financial year. The estimated cost of the scheme is Rs. 1·92 lakhs. An expenditure of Rs. 70,000/-has so far been incurred on the scheme.

India Tourism Develomeat Corporation :

The work on the expansion of the Travelles Lodge at Khajuraho at an estimated cost of Rs. 32 lakhs is in progress. and is expected to be completed during the current financial year. As a result 40 rooms will be added to the existing accommodation. The expenditure so far incurred on this schems is Rs. 5·73 lakhs.

Loan Given by Nationalised Banks to Foodgrain Traders of Madhya Pradesh

7586. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether foodgrain traders of Madhya Pradesh have been given any loans for trade in foodgrains;

(b) If so, the total amount of loans given for this purpose after the nationalisation of banks; and

(c) Whether the loans advanced to them had any effect on the prices of foodgrains ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, sir.

(b) The figures of amounts outstanding in respect of advances to the traders against foodgrains in Madhya Pradesh stood as follows :

	(Rs. crors)
Mid-June 1969	(Amount out standing)
(immediately before Nationalisation)	6·0
June 1970	5·3
June 1971	4·4

(c) Loans to foodgrain dealers are subject to selective credit control of the Reserve Bank of India under which from time to time, restrictions on the minimum trade of interest minimum margins and ceilings on loans are prescribed after taking into account the trend of prices and the supply situation. Controls are so regulated as to ensure that while the genuine needs of credit for productive and distributive purposes are met, hoarding and speculative practices are kept in check.

Loans to Mhdhya Pradesh Government

7587. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) Whether Madhya Pradesh Government have requested the Central Government to reduce the amount of loan due to be paid by the State Goverement to the Centre, and

(b) If so, the reaction of Central Government thereto ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chaven) : (a) No, Sir,

(b) Does not arise.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Fmployees Working in Nationalisd Banks of Madhya Pradesh

7588. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the category wise percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees working in the nationalised banks in Madhya Pradesh ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

सूरजमल नागरमल ग्रुप द्वारा पूंजी निवेश

7589. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सूरजमल नागरमल ग्रुप के नियन्त्रणाधीन फर्मों ने कुल कितनी राशि का अन्तर्निगम पूंजी निवेश किया;

(ख) प्रत्येक फर्म के प्रत्येक मामले में कितनी कितनी राशि का पूंजी निवेश किया;

(ग) क्या सरकार ने इस ग्रुप के अन्तर्निगम पूँजी निवेश पर कोई रोक लगाई है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ) सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

सोने के तस्कर व्यापारियों द्वारा अपनी गति-विधियों को सुन्दरबन में स्थानान्तरित करना

7590. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अप्रैल, 1972 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सोने के

तस्कर व्यापारी सुन्दरबन को सुरक्षित मानते हैं" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गय' है; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) : दिनांक 28 अप्रैल, 1972 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित रिपोर्ट को सरकार ने देख लिया है । इस मामले में की गयी जाँच-पड़ताल से ऐसा कोई पता नहीं चलता है कि सुन्दरबनों के जरिये सोने का कोई तस्कर-आयात हुआ है । फिर भी निगरानी बरती जा रही है ।

Indian Farmer Killed by Pak. Troops in Kehmkaran Sector

7591. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) Whether Pakistani patrolling troops opened fire several times in Khemkaran Sector in April, 1972 as a result of which one farmer was Killed;

(b) Whether Government propose to grant any compensation to the family of the deceased farmer; and

(c) If so, the amount there of ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) On April 25, two civilians were killed and two wounded as a result of unprovoked firing by Pak troops near the border in khem Caran area.

(b) and (c) : The matter is under consideration.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और रक्षा अनुसंधान विकास तथा उत्पादन और पूर्ति संगठनों में समन्वय

7592. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन तथा रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति संगठन में निरन्तर समन्वय के फलस्वरूप राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अत्यावश्यक रक्षा आवश्यकताओं के लिये जानकारी का विकास करने हेतु अनेक परियोजनाएँ आरम्भ की गई हैं;

(ख) क्या 97 प्रतिशत मामलों में या तो उत्पादन क्षमता पहले ही विद्यमान थी या उपलब्ध उपकरणों और कर्मचारियों के आधार पर सरलता से विकसित की जा सकती थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन संगठनों में समन्वय को सुदृढ़ करने और विस्तृत करने पर विचार रखती है ?

रक्षा मन्त्रालय रक्षा उत्पादन में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमन् । अत्यावश्यक रक्षा आवश्यकताओं के लिये जानकारी विकसित करने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास, रक्षा पूर्ति और रक्षा उत्पादन द्वारा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को कई एक परियोजनाएं दी गई हैं ।

(ख) कई एक मामलों में विकास के सफल उपयोग द्वारा उत्पादन बड़ी मात्रा में हुआ है । वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद विकास करती है और वह जानकारी उन वस्तुओं की भारी मात्रा में उत्पादन करने के लिये फर्मों को भेज देती है । उपयुक्त समय और लागत को

सुनिश्चित करने तथा अन्य वस्तुओं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन करने के लिये बातचीत चल रही है ।

(ग) सरकार की यह नीति रही है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाया जाए और संगठनों के बीच सम्पर्क को मजबूत किया जाय ।

Opening of Branches of Nationalised Banks in Morena Disirict Madhya Pradesh

7593. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) The total number of new branches of the nationalised banks opened in Morena district of Madhya during last two years; and

(b) The total amount advanced by the said branches to the farmers for increasing agricultural production and the number of applications pending at present ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) During the 2-years period ending 31st March 1972, one nationalised bank viz. Central Bank of India, which is also the lead bank of the district, opened one new office in Morena District, Madhya Pradesh- Besides, State Bank of Indore, a subsidiary of State Bank of India, opened 3 new offices in the district during the said period. Including the new offices, on 31st March. 1972, there were nine offices of public sector banks operating in Morena.

(b) The information, to the extent possible is being collected and will be laid on the Table of the House.

Opening of Branchs of Nationalised Banks in Bhind District, Madhya Pradesh

7594. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of new branches of nationalised banks opened in Bhind District, in Madhya Pradesh during the last two years; and

(b) the amount of loan advanced by the said branches to farmers for increasinging agricultural production and the number of loan applications pending for consideration at present ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : During the two-years period ending 31 st March, 1972 one of the nationalised banks, viz Central Bank of India, opened two new offices in Bhind District, Madhy Pradesh. Besides, the State Bank of Indore, a subsidiary of State Bank of India, also opened two new offices in the District during the said period. With these additions, the total number of offices of Public Sector Banks functiong in the district as on 31st March, 1972, as 7.

(b) Information, to the extent possible, is being collected and will be laid on the Table on the House.

Opening of Branches of Nationalised Banks In Guna District. Madhya Pradesh

7595. **Shii Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) The total number of new branches of nationalised banks opened in Guna District in Madhya Pradesh during the last two years; and

(b) The amout of loan advanced by the said branches to farmers for increasing

agricultural production and the number of loan applicaions pending for consideration at present ?

The Minister of Finance (Shri Y, B. Chavan) : (a) During the 2 years period ending 31st December, 1971 while none of the 14 nationalised banks as such opened any new offices in Guna District, State Bank of Indore, which is a subsidiary of the state Bank of India and is also the lead bank for the District, opened five new offices in the District. Including these new offices, the number of public sector banks' offices functioning in the District on December 31. 1971, was 10.

(b) At the end of April 1972, the amount outstanding in respect of loans to farmers for increasing agricultural production, given by 2 out of the 5 new offices, amounted to Rs. 3·13 lakhs. All applications are considered on merit and no application is pending with these offices for a long time.

Opening of Branches of Natonalised Banks in Rewa District in Madhya Pradesh

7596. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the number of new branches of nationalised banks opened in Rewa district in Madhya Pradesh by the end of the financial year 1971—72 ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : During the financial yeat 1971—72, Allahabad Bank which is also the lead bank for the District opened four new offiices in Rewa District (Madhya Pradesh). Including these new offiices, the number of offiices of the public sector banks functioning in the District as at the end of March 1972, was 12.

Opening of Branches of Nationalised Banks in Satna District, Madhya Pradesh

7597. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the number of new branches of nationalised banks opened in Satna District in Madhya Pradesh by the end of the Financial year 1971—72 ?

The Minister of Finance (Shrj Y. B. Chavan) : during the financial year 1971—72, Allahabad Bank which is also the lead bank for the District opened three new offices in Satna District in Madhya Pradesh, Including these three new offices, the total number of offiices of the public sector banks operating in Satna as at the end of March, 1972 was 12.

त्रिपुरा में तुईसिन्दराई में हवाई पट्टी के लिए अर्जित की गई भूमि के मालिकों को मुआवजा देना

7598. **श्री दशरथ देव** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में तुईसिन्दराई में हवाई पट्टी के लिए अर्जित की गई भूमि के मालिकों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इससे कितने परिवारों पर प्रभाव पड़ा है; और

(ग) भूमि के मालिकों का सम्भवतया कब तक मुआवजा दे दिया जायेगा तथा वह किस दर से दिया जायेगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अक्तूबर 1971 में सम्बन्धित भूमि पर कब्जा लेते समय फसल, झोंपड़ियों, तथा खड़े हुए वृक्षों के लिये प्राथमिक मुआवजे के रूप में 1,76,089·69 रुपए भुगतान किये गये थे ।

(ख) प्रभावित परिवारों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) भूमि को अर्जित करने का काम हाथ में है। अर्जित की गई भूमि के लिए मुआवजा स्थानीय भूमि अर्जन अफसर के द्वारा भुगतान किया जायगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा त्रिपुरा में कृषकों और उद्योगपतियों को दिये गये ऋण

7599. **श्री दशरथ देव** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गत तीन वर्षों में त्रिपुरा में कृषकों और उद्योगपतियों को कितना कितना ऋण दिया;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिये कोई अभिकरण है; और

(ग) क्या किसी नकली कम्पनी ने उद्योग स्थापित करने के बहाने तभी तक त्रिपुरा में बैंकों से ऋण दिया लिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) ऋणकर्ताओं को दिये गये ऋणों के उचित उपयोग की देख रेख के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास अपनी व्यवस्था है।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया की भुवनेश्वर शाखा के एक कर्मचारी द्वारा एक बड़ी रकम का उड़ा लेना

7600. **श्री अर्जुन सेठी** :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया की भुवनेश्वर शाखा के एक कर्मचारी ने जाली हस्ताक्षर बनाकर उड़ीसा राज्य सरकार की एक बड़ी राशि उड़ा ली है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त राशि की वसूली के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार स्टेट बैंक आफ इण्डिया की भुबनेश्वर शाखा का कोई कर्मचारी, जाली हस्ताक्षर बनाकर उड़ीसा राज्य सरकार की एक बड़ी राशि उड़ा लेने के सूचित मामले में अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा अपनाया गया नया मजूरी ढांचा

7601. **श्री भानसिंह भौंरा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री भारतीय पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को अन्तरिक सहायता की अदायगी के बारे में 7 अप्रैल 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2138 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा अपनाये गये मजूरी संघ ढांचे की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) निगम का मूल्य सूचकांक में वृद्धि के लिये अपने कर्मचारियों की किस प्रकार प्रति-पूर्ति करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) होटलों के सम्बन्ध में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अपनायी गयी वेतन परिपाटी वही है जिसमें वेज बोर्ड ने दिल्ली के होटलों के लिये सिफारिश की है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन-मान तथा भत्ते मुख्यालय, यात्री लॉजों, परिवहन यूनिटों, शुल्क-मुक्त दुकानों, आदि के लिये मार्ग-दर्शन का काम करते हैं।

(ख) मुख्यालय तथा उपरि-निर्दिष्ट अन्य छोटी यूनिटों में, कर्मचारियों को मिलने वाले वर्तमान कुल वेतन, सामान्यतया होटल उद्योग में उनके समान श्रेणियों के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतनों से अधिक हैं, और कुछ मामलों में तो सरकारी सेवा में लगे कर्मचारियों से भी अधिक हैं। फिर भी, प्रबन्धकवर्ग समय-समय पर इस बात पर विचार करते हैं कि क्या मूल्य सूचकांक के संदर्भ में वेतनों में और वृद्धि की आवश्यकता है।

Grant of Interim Relief to field Staff of General Insurance

7602. **Shri R. R. Sharma** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether the Clerical staff of the General Insurance were given gross salary for two months as an interim relief;

(b) Whether the field staff of the General Insurance have also been given such a relief; and

(c) If not. the reason therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) : (a) Yes.

(b) and (c) : The position is being examined

भारत को फिर से अमरीकी सहायता दिया जाना

7603. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'दी स्टेट्समैन' नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 1972 में 'यू० एस० रीथिंकन आन ऐडटू इण्डिया' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ' तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हाँ।

(ख) सरकार स्थिति पर नजर रख रही है।

बम्बई मुख्यालय के पायलटों द्वारा एच० एस० 748 विमान चलाने का प्रस्ताव

7604. **श्री सी० के चन्द्रप्पन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई मुख्यालय के अनेक पायलटों ने एच० एस०-748 विमान उड़ाने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) क्या इस विमान के उड़ान-योग्य होने के सम्बन्ध में विवाद समाप्त हो गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) . इण्डियन एयर-लाइन्स के बम्बई स्थित एवरो विमानचालकों ने 40,000 पौंड के समस्त भार से अधिक की स्थिति में इस विमान को उड़ाने से इन्कार कर दिया था। बम्बई क्षेत्र के 8 कमांडरों ने एवरो को उड़ान

मैनुअल के अनुसार उड़ाने के बारे में कारपोरेशन को लिखित रूप में अपनी इच्छा व्यक्त की है। भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ के प्रधान ने भी इण्डियन एयरलाइन्स के प्रबंधकवर्ग को लिखा है कि संघ अपने पुराने परिपत्र को वापिस ले रहा है जिस में उन्होंने अपने सदस्यों का 40,000 पौंड से अधिक भार की स्थिति में इस विमान को उड़ाने को मना किया था।

भारत के चांदी को चोरी छिपे बाहर ले जाया जाना

7605. **श्री डी० के पण्डा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या इस वर्ष मई के प्रथम सप्ताह में उत्तरी बम्बई में वरसोवा से दूर समुद्र तल से 11 लाख रुपये के चांदी से पिंड़ बरामद किये गये थे। और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या तथा नाम क्या हैं; और

(ख) देश से चांदी को चोरी छिपे बाहर ले जाने की रोकथाम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 2 मई, 1972 को बम्बई में वरसोवा की संकरी खाड़ी से लगभग 11 लाख रुपये के मूल्य की चाँदी की 68 छड़ें बरामद की गई थी। प्रत्येक छड़ का भार 30 किलोग्राम है। अभी तक किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया है।

(ख) देश से बाहर चांदी के तस्कर-निर्यात को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

गुप्त सूचना एकत्रित करने के लिये व्यवस्थाओं में और तेजी लाना, समुद्रतट के क्षेत्रों की बार-बार गश्त लगाना, समुद्र में तेज रफ्तार से चलने वाली नौकाओं को प्राप्त करना तथा अपनी भू-सीमा पर और अधिक चौकियाँ स्थापित करना, तस्कर-विरोधी कार्य की अनन्य रूप से देखभाल करने के लिए समाहर्ताओं तथा अपर समाहर्ताओं के ओहदे के वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात करना।

जनवरी, 1969 में सीमाशुल्क अधिनियम का संशोधन किया गया था जिसमें भारत के पश्चिमी समुद्र तट के तथा पूर्वी तट से उस भाग के लिये जो तमिलनाडु राज्य तथा पांडिचैरी के संघ राज्य क्षेत्र में आता है, 50 किलोमीटर अन्दर तक एक विशिष्ट क्षेत्र की गयी है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत जिन स्थानों में 15,000/ रु० के बाजार मूल्य से अधिक की चांदी रखनी होती है उन्हें पहले ही घोषित करना होता है।

परिवहन वाउचर के अन्तर्गत चांदी को लाना-ले जाना, निर्धारित खातों को रखना तथा ज़ाली व्यक्तियों के नाम में बिक्री से बचने के लिये उठाये जाने वाले उपयुक्त उपायों का भी पालन करना होता है।

उपर्युक्त उपायों की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

Distribution of Mail for P. O. Ws. in India

7606. **Shri Jagannathrao Joshi :**

Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) The broad outlines of arrangements for distrbution of mail a nong the Pakistan P. O. Ws. in India.

(b) whether mail distributed among them does not bear any postal stamp and whether such a facil ity in regard to letters and parcels without any postal stamp is being provided to Indian P. O. Ws. in Pakistan; and

(c) the approximate number of parcels and letters distributed by Government so far among the P. O. Ws. and the revenue which could have been earned by way of postal stamps ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) : All mail for Pa istani P. O. Ws. in India is received by Ministry of Defence through the International Committee of Red Cross and forwarded to Army Headquarters, who pass it on, through Army Postal Service, to POW Camps fcr distribution.

(b) According to Geneva Convention, such correspondence and gift parcels are exempt from postal charges. This facility is also being provided by Pakistan for the Indian POWs held by them.

(c) About 4,19,627 letters and 120 parcels have so far been distributed among the Pakistani POWs and the civilians in custody. It is not possible to calculate now the revenue that could have been earned since the postal charges would vary according to size and weight.

इण्डियन ग्रायल कारपोरशन तथा इसके ग्रधिकारियों के विरूद्ध शिकायतें

7607. **श्री के० कोंड्डा रामी रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम ग्रौर रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इण्डियन ग्रायल कारपोरेशन तथा इसके उच्च ग्रधिकारियों के कार्य-करण के बारे में संसद विज्ञों से ग्रनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि ग्रौर न्याय तथा पेट्रोलियम ग्रौर रसायन मन्त्री (श्री एच० ग्रार० गोखले) : (क) ग्रौर (ख) : समय-समय पर कुछ शिकायतें प्राप्त होती हैं। इनमें से प्रत्येक पर गुणावगुणों के ग्राधार पर उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

Seizure of Hemp in Rajasthan

7608. **Shri Chandu Lal Chandraker** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Nepali hemp (Ganja) worth Rs. 30 thousand has recently been recovered from a car in Rajasthan;

(b) whether hemp worth lakhs of rupees had also been seized earlier from the same accused person;

(c) whether the person is connected with an international gang of smugglers; and

(d) if so, the action taken by Government against him ?

The Minister of state in the Minisitry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) : The Rajasthan Police have recovered 221 kilos. of ganja suspected to have been brought from Nepal from a car on the 27th/28th April, 1972 in Rajasthan, near the house of Shri Madan Lal S/o Nath Mal resident of Churu.

(b) 1,272 kilos. of ganjga was earlier recovered by the Rajasthan Police from the same

person.

(c) and (d) : Investigations are still in progress.

बज-बज अमलगामेटेड मिल्स लिमिटेड

7609. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बज-बज अमलगामेटेड मिल्स लिमिटेड ने 'धर्मार्थ तथा अन्य विधियों में अंश दान देने सम्बन्धी निदेशकों की शक्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से, जिसमें वे किसी एक वित्तीय वर्ष में 25000 रुपये से पांच लाख रुपये का अंशदान दे सकें; 15 मार्च 1972 को एक असाधरण महा सभा बुलाई थी;

(ख) क्या निर्धारित सीमा से अधिक मांगी गई बहुउद्देशीय शक्तियों को लेने पर कुछ अंशधारियों द्वारा असफलता पूर्वक आपत्ति की गई;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार शिकायतों की जांच करायेगी कि पटसन उद्योग के इस प्रकार के प्रमुख एकक द्वारा 1971 में, जो कि तेजी पर वर्ष था, अपने कार्यकरण में ऐसे बुरे परिणाम दिखाये जाने के क्या कारण थे; और

(घ) क्या लेखापरीक्षकों की दिखाये गये रिकार्ड से कम्पनी की लाइसेंस प्राप्त क्षमता की पुष्टि नहीं की जा सकती ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कम्पनी ने, 15 मार्च 1972 को हुई साधारण बैठक में, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 293 (1) (ङ) के अन्तर्गत निदेशक मंडल को प्राधिकृत करते हुये यह संकल्प पारित किया था, कि वह कम्पनी के व्यापार से प्रत्यक्ष रूप से असंबद्ध धर्मार्थ एवं अन्य निधियों को, अथवा कर्मचारियों के कल्याण के लिये चन्दा दे सकता है; परन्तु इस प्रकार का धन किसी एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये से अधिक न होने साथ ही यह चन्दे ठीक पहले, तीन वित्तीय वर्षों में, धारा 349 व 350 के अन्तर्गत निर्धारित 25000 रु० अथवा माध्य शुद्ध लाभ के 5 प्रतिशत से अधिक हो सकते हैं।

(ख) से (घ) सूचना संग्रह की जा रही है **व** यह सदन के पटल पर प्रस्तुत करदी जायेगी।

भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में वृद्धि

7610. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 40 रुपये प्रतिमास पेंशन पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में हाल में की गई वृद्धि से लाभ नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : **(क) और** (ख) : सामाजिक सुरक्षा उपचार के रूप में सरकार ने यह निर्णय किया है कि भूतपूर्व सैनिकों की (रिजर्व वालों को निकाल कर) न्यून्तम पेंशन (अस्थायी और अथवा तदर्थ बढ़ोतरियों सहित) 40 रुपये प्रति मास होनी चाहिये। वे जो 40 रुपये प्रतिमास अथवा अधिक दर पर पेंशन पा रहे हैं उन्हें इस निर्णय से लाभ नहीं हुआ है। सभी मामलों में पेंशन में आम वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है।

भूमि विकास के बारे में कृषि पुर्नवित निगम द्वारा स्वीकृत योजनायें

7611. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में भूमि विकास तथा अन्य प्रयोजनों हेतु कितनी योजनायें कृषि पुर्नवित निगम के विचाराधीन हैं; और

(ख) प्रत्येक योजना पर कब तक निर्णय ले लिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : संम्भव सीमा तक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

इण्डियनएयर लाइन्स के तकनीकी और गैरतकनीकी कर्मचारियों को दिया गया समयोपरि भत्ता

7612. **श्री कृष्ण चन्द पांडे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बराने की कृपा करेंगे कि पहली अप्रैल, 1971 से 30 सितम्बर 1971 तक और 1970 में इस अवधि के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स के तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों को अलग-अलग कितना समयोपरि भत्ता दिया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मत्री (डा० कर्ण सिंह) : इण्डियन एयरलाइन्स के तकनीकी तथा गैर-तकनीकी कर्मचारियों को दिये गये समयोपरि भत्ते की राशि निम्न प्रकार है—

	1-4-70 से 30-9-70 तक रुपये	1-4-71 से 30-9-71 तक रुपये
तकनीकी कर्मचारी	70,24,474	57,64,165
गैर-तकनीकी कर्मचारी	61,45,847	68,03,805

महालेखापाल त्रिचुर, केरल के कर्मचारियों के लिये कार्यालय भवन का निर्माण

7613. **श्री सी जनार्दनन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महालेखापाल, त्रिचूर केरल के कार्यालय के लिये भवन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिपुरा में आसाम अगरतला रोड को देखभाल के लिये दायित्व

7614. **श्री दशरथ देव** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने त्रिपुरा में आसाम-अगरतला रोड के देखभाल का अपना दायित्व राज्य सरकार को हस्तान्तरित करने का निर्णय किया है ।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ।

(ग) क्या जब से आसाम-अगरतला रोड का कार्य केन्द्रीय सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया था तब से त्रिपुरा के लोगों की गैंग श्रमिकों के ग्रूप में नियुक्त नहीं किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) त्रिपुरा के लोगों को सड़क पर गैंग-आकस्मिक श्रमिक के ग्रूप में नियुक्त किया जाता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामोफन कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा जारी किये गये शेयर

7615. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामोफोन कम्पनी आफ इण्डिया, लिमिटेड ने हाल में जनता में भारी संख्या में शेयर जारी किये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और शेयरों की अलाटमेंट के लिये कम्पनी की क्या योजना है ;

(ग) क्या सरकार को यह पता है कि दूसरी श्रेणी के प्रत्येक अभ्यार्थी को 25 शेयर अलाट किये गये थे जबकि प्रथम, तीसरी तथा चौथी श्रेणी को अपनी बारी की प्रतीक्षा करने को कहा गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या अभ्यार्थियों का चयन लाटरी द्वारा किया गया अथवा किसी अन्य ढंग से ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : ग्रामोफोन कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड कलकत्ता ने 2 दिसम्बर, 1971 की एक विवरणिका द्वारा 8 रुपये प्रति शेयर के अधिमूल्य पर दस-दस रुपये के 97,500 सामान्य शेयर लोक अभिदान के लिये पेश किये थे। विवरणिका में यह निर्धारित था कि प्रार्थना पत्र कम से कम 50 शेयरों या इसके गुणितों के लिये होने चाहिये। 6,76,550 शेयरों के लिये 5005 प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए अतः जनता द्वारा प्रस्तुत अभिदान लगभग 6·9 गुणा अधिक था। शेयर बाजार में सूची बद्ध करने के उद्देश्य से जारी प्रतिभूतियों में अधिक अभिदान होने की सूरत में शेयरों के आवंटन के आधार को, भारत सरकार शेयर बाजारों को पहले से जारी अनुदेशों के अनुसार, जिसके अन्तर्गत ऐसे मामलों में एक प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी, अन्तिम रूप दिये जाने से पहले सम्बद्ध शेयर बाजार को अनुमोदन लेना आवश्यक होता है। इस मामलों में शेयरों के आवंटन की योजना को, कम्पनी, द्वारा, सम्बद्ध शेयर बाजार अर्थात कलकत्ता शेयर बाजार के अनुमोदन से अन्तिम रूप दिया गया था। आवंटन योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में विवरण में दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3060/72]**

(ग) : जी, हां।

(घ) : आवंटन में दिखाई देने वाली विस्कृति का कारण यह था कि प्रार्थनापत्रों को, इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा दिये गये अनुदेशों की भावना के अनुरूप, श्रेणी बद्ध नहीं किया गया था। इस मामले में शेयरों के आवंटन की योजना में पायी जाने वाली कमियों को कलकत्ता शेयर बाजार के ध्यान में लाया गया था और उसने अब यह आश्वासन दिया है कि भविष्य में सरकारी अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जायगा।

Smuggling of Mica

7616. **Shri Phool Chand Verma** :

Dr. Laxminarain Pandey :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether smugglers have again started smuggling Mica in the areas of Kodarma and Giridih these days; and

(b) if so, the action taken by Government to check the smuggling of Mica ?

The Minister of State in the Ministry of Finaace (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) : Reports being received by the Government of India show that smuggling of mica from the areas of Kodarma and Giridih in India to Nepal has been on the decline. However, the following steps have been taken by the Government of India to check the smuggling of mica and other goods from India to Nepal :—

(i) At Kodarma and Giridih, some staff have posted since about the last 2 years to collect and transmit intelligence about smuggling of mica from these areas to Nepal.

(ii) Several mobile preventive parties have been set up on the Indo-Nepal border to check smuggling of goods from India to Napal and vice versa,

(iii) A number of jeeps have been provided to make the staff more mobile and effective.

(iv) The man-power in the Preventive parties has been increased.

(v) Close liasion is being maintained with the State authorities on the Indo-Nepal border to check smuggling of goods to Nepal.

(vi) Co-operation of the H. M. G. of Nepal has also been sought repeatedly in this connection. Nepal Government have informed that they have stopped issuing fresh licences for the export of mica form Nepal since the last on year. They have also banned the export of mica from Nepal by gift parcels.

Visitors to camps of P. O. Ws in India

7617. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state

(a) whethers certain persons are permitted to visit the Pakistani Prisoners of war in India:

(b) whether the Prisoners of war are provided with requisite equipment by these visitors for their escape from the camps; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Only persons on official duty or officially approved assignments are permitted to visit Pskistani Prisoners of war in India.

(b) & (c) : Does not arise.

Meeting of International Union of Official Travel Organisations in Ankara.

7618. **Shri Mahadeepak Singh in Ankara** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) Whether a General meeting of International Union of Official Travel ORGANISATIONS was held in Ankara in October, 1971;

(b) Whether the Organisation had decided to open their office in the South Asian region;

(c) If so, when and where this office will be opened ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir. The General Assembly of the International Union of official Travel Organisation (IUCTO) was held in Ankara, Turkey, from 19th to 27th October 1971.

(b) Yes, Sir, IUCTO have decided to open a regional office in the South Asian region.

(c) The office will be opened in Colombo. but the date has not been fixed.

Opening of Banks for Low Grade and Harijan Employees Working on Western Railway

7619. **Shri Onkar La Berwa** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether some branches of banks for low grade and Harijan employees working on the Western Railway have been opened;

(b) If so, the names of the places where such Branches have been opened,

(c) Whether this facility would also be provided to these employees at Kotah (Rajasthan); and

(d) If so, when and the names of the Banks ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (d) . Bank branches operating in a particular locality serve the public as a whole, including Harijans and separate branches for a particular community are not opened by nationalised banks. Bs a matter of policy, public sector banks have been providing credit on an increasing scale to hitherto neglected sectors. In Kotah town as such there were as many as 17 bank offices at the end of the year 1971.

कूच बिहार शरणार्थी सेवा

7620. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूच बिहार शरणार्थी सेवा से आयकर की अपेक्षा की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या एजेन्सी ने सम्बन्धित वर्षों के लिये आयकर विवरणियाँ दर्ज कर दी हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) कूच बिहार शरणार्थी सेवा एजेन्सी का अभीं तक आयकर निर्धारण नहीं किया जाता । कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इस बात का पता लगाने के लिए जाँच-पड़ताल की जा रही है कि कूच बिहार शरणार्थी सेवा एजेन्सी पर आयकर लगाया जा सकता है अथवा नहीं । कर निर्धारण प्राधिकारियों से इस संबंध में निर्णय प्राप्त होते ही उसे सदन की मेज पर रख दिया जायगा ।

(ख) उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

Raids Conducted by Income-Tax Authorities in Bombay

7621. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether Government are aware that the film stars whose residences in Bombay were raided by Income-Tax Authorities in May, 1972 have accounts in foreign countries also, and

(b) If so, the action proposed to be taken by Government to ensure that their deposits abroad are brought back to the Country ?

Tho Minister of Stare in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) . During the course of the searches recently made at the primises of some cinema artistes and

others in Bombay, some cheque books relating to accounts in banks in U. K. were found at the premises of one of the artistes. It has been claimed that the accounts belonged to the brother of the artistes and that they were closed some time ago. Further enquiries in the matter are being made.

आयकर आयुक्त, नई दिल्ली के कार्यालय में आयकर निरीक्षकों के लिए पैनल

7622. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर आयुक्त नई दिल्ली के कार्यालय में आयकर निरीक्षकों के ग्रेड में पदोन्नति के लिए 1971 में हुई विभागीय परीक्षा के आधार पर एक पैनल बनाया गया था;

(ख) क्या उस पैनल में शामिल अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के कुछ उम्मीदवारों को अभी खपाया जाना है;

(ग) क्या वह, पैनल अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के अनेक उम्मीदवारों को खपाये बिना ही पहली जुलाई, 1972 को समाप्त कर दिया जायगा; और

(घ) यदि हां, तो सभी उत्तीर्ण उम्मीदवारों को खपाने के लिए क्या सरकार का विचार पैनल की अवधि बढाने का है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं । परीक्षा परिणाम मार्च 1972 में घोषित किया गया था । शीघ्र ही पैनल बनाने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) से (घ) : ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

आयकर आयुक्त नई दिल्ली के कार्यालय में आयकर निरीक्षकों के लिये विभागीय परीक्षा

7623. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर आयुक्त नई दिल्ली के कार्यालय में आयकर निरीक्षकों के ग्रेड में पदोन्नति के लिए जुलाई, 1971 में एक विभागीय परीक्षा हुई थी;

(ख) उस परीक्षा में अनुसूचित जातियां/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं;

(ग) उस परीक्षा में बैठने वाले और उत्तीर्ण हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों की अलग अलग संख्या क्या है; और

(घ) क्या उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदि जाति के उम्मीदवारों को अब तक खपा लिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जुलाई 1971 में हुई विभागीय परीक्षा के परिणाम मार्च, 1972 में घोषित किये गये थे । विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा जब निरीक्षक संवर्ग में पदोन्नति के लिए पैनल तैयार किया जायगा उस समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिये क्रमशः 15 प्रतिशत और $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत रिक्त स्थान आरक्षित रखे जायेंगे ।

(ग)	परीक्षा में बैठने वालों की संख्या	उत्तीर्ण होने वालों की संख्या
अनुसूचित जाति	12	2
अनुसूचित जन-जाति	शून्य	शून्य

(घ) विभागीय पदोन्नति समिति को, जिसकी बैठक संभवत: 27 जुलाई, 1972 के बाद ही होगी, सफल अभ्यर्थियों के बारे में पहले विचार करना होगा और अनुमोदन करना होगा।

Underground tunnel dou; hy P. O. Ws. in Ranchi Camp.

7624. **Shri Chandulal Chandrakar :**
Shri Mahadeepak Singh Shakya :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) Whether a 100 feet long underground tunnel was dug by Pakistani Prisoners of War in Ranchi camp;

(b) If so, the nature of equipment employed to dig the turnel and the sources wherefrom such equipment was obtained; and

(c) The action taken by Government in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) : An 8 feet vertical and 102 feet horizonatal tunnel was found dug under a stack of fire-wood in a POW Camp at Ranchi.

(b) and (c) : Enquiries have been instituted by the Army authorities and report is awaited. Steps have been taken to intensify security measures in this and other Camps.

बैंकों में धोखाधड़ी के मामले

7625. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री बेकारिया :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 और 1972 के प्रथम चार महीनों में बैंकों में किस प्रकार के धोखाधड़ी के मामले हुये;

(ख) कुल कितने धन की धोखाधड़ी हुई है;

(ग) कितने मामलों में अपराधियों को पकड़ा गया है और उनपर मुकदमा चलाया गया; और

(घ) कितने मामलों में अपराधियों को दण्ड दिया गया है और प्रत्येक मामले में किस प्रकार का दण्ड दिया गया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) . अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

कालगेट पामोलिव कम्पनी आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड

7626 **श्री के० लकप्पा :** क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में कालगेट पामोलिव कम्पनी आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई द्वारा कितना 'मार्जिनल' लाभ अर्जित किया गया ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : गत तीन वर्षों, अर्थात 1968, 1969 व 1970 के मध्य, मैं० कालगेट पामोलिव इण्टिया (प्रा०) लिमिटेड द्वारा करों के पहले व पश्चात कमाये गये लाभ निम्न प्रकार थे :—

	(लाख रुपयों में)		
	1968	1968	1970
करों से पहले लाभ व सुरक्षित के लिये अन्तरण	224·92	264·71	241·29
करों के पश्चात, परन्तु सुरक्षित के अन्तरण से पहले, लाभ	92·65	90·32	100·63

कालगेट पामोलिव इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के तैयार माल और मशीनों को रहन रखना

7627. **श्री के० लकप्पा : क्या कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालगेट पामोलिव इण्डिया (प्राइवेट) कम्पनी का तैयार माल और मशीन और मशीन बैंक आफ अमरीका, जिसके साथ उसको जमा राशि से अधिक राशि निकालने की व्यवस्था है, के यहाँ रहन रखी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी का कितना लाभ इस देश में रहता है ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कम्पनी रजिस्ट्रार, बम्बई के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इस कम्पनी ने अपने वर्तमान व भविष्य के समान, उत्पाद एवं सेक्री में कम्पनी के खारखाने में रक्खी हुई या पड़ी हुई सामग्री की प्रतिभूति पर बैंक आफ अमेरिका से 40 लाख रुपये, फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक से 20 लाख रुपये एवं यूनियन बैंक आफ इण्डिया से 20 लाख रुपये प्राप्त किये हैं।

(ख) कम्पनी के 31-12-70 की वर्ष समाप्ति के लाभ-हानि लेखा के अनुसार इसको 1,00,54,332 रु० का शुद्ध लाभ हुआ। (1,40,66,108 रु० करों एवं 8,305 रु० विकास कठौती सुरक्षित की व्यवस्था के पश्चात) इस वर्ष में कम्पनी ने 74,14,871 रु० की राशि के गत वर्ष के लाभ के शेष को जोड़कर 72,91,000 रु० की राशि का लाभांश घोषित कर दिया है, एवं शेष 1,01,88,203 रु० सुरक्षित में बदल दिये गये हैं।

एलेम्बिक फार्मास्युटिकल कम्पनी के उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

7628. **श्री डी० के पण्डा : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में एलेम्बिक फार्मास्युटिकल कम्पनी को 90 प्रतिशत उत्पादों के मूल्यों को बढ़ाने की कई बार अनुमति दी गयी जबकि उनके बहुत कम अप्रचलित उत्पादों के मूल्य कम किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में मूल्यों में वृद्धि/कमी किस सीमा तक हुई और उनके प्रचलित उत्पादों के मूल्यों में इस प्रकार बार बार वृद्धि की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पादन लागत में वृद्धि के आधार पर यह वृद्धि किस सीमातक न्याय संगत थी ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 के प्रवृत्त होने के पश्चात् सरकार ने एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स कम्पनी के मूल्य निर्धारण के बारे में प्रार्थना पत्रों पर विचार किया था और उनके विभिन्न उत्पादों/सूत्रयोगों के 250 पैकों में से केवल 26 पैकों के मूल्यों में वृद्धि की अनुमति दी गयी थी। इसके साथ-साथ 125 पैकेजों के मूल्यों में कमी भी की गयी थी। उससे पहले, मूल्य नियन्त्रण आदेश के लागू होने से पूर्व, वर्ष 1970 तक 5 पैकेजों के मूल्यों का पुनरीक्षण करने की भी अनुमति दी गई थी। उत्पादन, कच्चा माल एवं पैकेजिंग सामग्री के मूल्य में वृद्धि के कारण इस प्रकार की वृद्धियों का अनुमोदन किया गया था। उपर्युक्त 26 पैक वर्ष 1969 में विक्रयों का लगभग 14 प्रतिशत थे। इस कम्पनी के ग्लाइकोडिन टर्प वसका, शर्कोफिरोल जैसे प्रचलित उत्पादों के लघु उपभोक्ता पैकों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की वृद्धि की अनुमति नहीं दी गयी थी।

सोने का मूल्य

7629. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय बाजारों में सोने का मूल्य अत्यधिक बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो सोने के मूल्य में वृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) सोने के मूल्य में वृद्धि के बुरे प्रभाव से भारतीय और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां; यूरोपीय बाजारों में सोने के अनाधिकृत अथवा "मुक्त" मूल्य में काफी वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) : सोने का अधिकृत मूल्य, जिस पर राष्ट्रीय मुद्राओं का डालर सम-मूल्य निर्भर होता है, अपरिवर्तित रहा है अर्थात् लगातार 38 अमरीकी डालर प्रति औंस बना रहा है। इसलिए यूरोप में सोने के मुक्त बाजार मूल्य में हुई वृद्धि का, हमारे विदेश व्यापार पर अथवा हमारी विदेशी परिसम्पत्तियों और देनदारियों सम्बन्धी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः विदेशों में सोने के मुक्त बाजार मूल्यों में हो रही वृद्धि से अपनी अर्थव्यवस्था को अप्रभावित रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Confirmation of Employees belonging to scheduled castes in the narcotics departments.

7630. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Finance** pleased to state :

(a) Whether reservations have been made for the Scheduled Castes for Class III posts in the Narcotics Department under his Ministry;

(b) Whether certain Scheduled Caste employees have been appointed to the posts of Kothi Moharrars and Sub-Inspectors reserved for them and confirmed on due dates;

(c) If so, the number of such employees; and

(d) The number of Scheduled Caste employees working in the aforesaid posts who have not been confirmed ?

The Minister of State in the Minister of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

सेना के नियन्त्रणाधीन फार्म

7631. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1972 तक सेना के नियंत्रणाधीन कितने फार्म स्थापित किये गये;

(ख) ये फार्म कहां-कहां स्थापित किये गये हैं और इन फार्मों में कब से कार्य हो रहा है;

(ग) उनमें से कितने कृषि फार्म हैं, कितने डेरी फार्म हैं और कितने मुर्गी पालन फार्म हैं; और

(घ) इनमें से कितने फार्मों से लाभ हो रहा है और कितने घाटे में चल रहे हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 80 (अस्सी)।

(ख) सेना फार्म, उनकी स्थिति और उनकी स्थापना का वर्ष बताते हुए सूची संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3061/72]**

(ग)	(1) पूर्णतया कृषि फार्म	शून्य
	(2) डेरी तथा कृषि कार्य में — लगे फार्म	25
	(3) शावक पालन और कृषि कार्य — में लगे सेना फार्म	6
	(4) डेरी फार्म, दूध प्राप्ति और — दूध प्रोसेसिन्ग में लगे सेना फार्म	38
	(5) चारा, फसल काटना, प्राप्ति और गठर बनाने की डिपो	11

पाकिस्तानी में बीमार भारतीय युद्धबन्दी

7632. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भारतीय बीमार युद्धबन्दी अभी तक पाकिस्तानी की हिरासत में हैं;

(ख) बीमार पाकिस्तानी युद्धबन्दियों के बदले में कितने बीमार भारतीय युद्धबन्दी अब अब तक भारत वापस आ चुके हैं;

(ग) क्या भारतीय युद्धबन्दियों ने शिकायतें की हैं कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार किया गया ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) : भारत ने अभी तक 99 सख्त बीमार और जख्मी पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों को लौटाया है और पाकिस्तान से 19 ऐसे भारतीय युद्ध बन्दियों को प्राप्त किया है।

रेड क्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति के अनुसार पाकिस्तान में इस क्षेत्री का कोई और भारतीय युद्ध बन्दी नहीं है।

(ग) तथा (घ) : कुछ लौटाये गये भारतीय युद्ध बन्दियों ने शिकायत की है कि पकड़े जाने के समय उनके साथ सख्ती का बर्ताव किया गया था। उन्होंने यातना तथा उनके घावों की परवाह न करने की शिकायत की है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में अन्य कर्मचारियों की तुलना में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों की संख्या

7633. **श्री अम्बेश** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मन्त्रालय तथा विभागों/कार्यालयों में श्रेणी एक, दो, तीन और चार के अधिकारियों की संख्या क्या है और प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों को संख्या कितनी है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : मत्रालय से सम्बन्धित ब्यौरे इस प्रकार है :—

पद की श्रेणी	1-1-1972 को अधिकारियों की संख्या	अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों की संख्या
श्रेणी I	38	2
श्रेणी I।	125	6
श्रेणी III	85	9
श्रेणी	69	21

इस मन्त्रालय के अधीन कोई सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय नहीं है।

संसाधनों में कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को विशेष सहायता

7634. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969–70 से 1971–72 तक विभिन्न राज्यों को राज्यवार तथा वर्षवार दी गयी विशेष सहायता के आंकड़े क्या हैं;

(ख) 1972-73 और 1973-74 में विभिन्न राज्यों को राज्यवार दी जाने वाली विशेष सहायता की राशि क्या है; और

(ग) भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इस प्रकार की विशेष सहायता किस आधार पर दी जाती है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया हैं

(क) और (ग) : ऋणों के रूप में विशेष सहायता केवल उन्हीं राज्यों को दी जाती है, जिनके साधनों से आयोजना आयोग के मूल्यांकन के अनुसार, चौथी आयोजना की अवधि में, अपरिहार्य कमी थी।

इन राज्यों को कितनी रकम की विशेष ऋण सहायता हर वर्ष दी जाय, इसका निर्धारण, पांचवे वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखकर तथा अपरिहार्य आयोजना भिन्न वचन-

बद्धताओं के बारे में आयोजना आयोग के मूल्यांकन, आयोजना-भिन्न व्यय में किफायत की गुंजाइश को देखकर तथा सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा राजस्व बढ़ाने और कर संग्रह के लिये किये जाने वाले उपायों तथा अन्य सामान्य बजट सम्बन्धी साधनों को जुटाने के प्रयत्नों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। 1972-73 तथा 1973-74 के लिए इस प्रकार के मूल्यांकन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

1969–70, 1970–71 तथा 1971–72 में राज्यों को दी गया विशेष सहायता

(करोड़ रुपयों में)

	राज्य	दी गयी विशेष सहायता 1969–70	1970–71	1971–72*	जोड़
	1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र-प्रदेश	21.71	24.82	—	46.53
2.	असम	48.54	25.41	16.49	90.44
3.	जम्मू और कश्मीर	56.92	6.43	42.86	106.29
4.	केरल	17.88	20.80	8.61	47.29
5.	मध्य-प्रदेश	1.50	—	—	1.50
6.	मेघालय	—	0.20	—	0.20
7.	मैसूर	15.60	18.05	12.07	45.72
8.	उड़ीसा	28.78	26.78	20.21	75.37
9.	राजस्थान	60.41	23.10	24.06	107.57
10.	तमिलनाडु	7.00	—	—	7.00
11.	पश्चिम बंगाल	6.21	25.41	—	31.62
	जोड़	264.55	170.60	124.30	559.45

ब्रिटेन में विमान प्रदर्शनी में नैट विमान को रखा जाना

7635. **श्री पीलू मोदी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने जी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस वर्ष ब्रिटेन में होने वाली विमान प्रदर्शनी में सुधरे किस्म का नैट विमान और विमान के कुछ ऐसे पुर्जे, जिनको अधिक कर्मचारी बनाते हैं, रखने का है;

(ख) यदि हां, तो यह किस प्रकार के होंगे और इस प्रदर्शनी में किस प्रकार की वस्तुयें रखी जावेंगी;

(ग) इससे भारत के हित को किस प्रकार लाभ पहुंचेगा ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख)

* 1- अनन्तिम

हिन्दुस्तान एरोनटिका लिमिटेड का फार्नवरों विमान प्रदर्शनी में भाग लेने और भारत में बने एच० जे० टी०–16 जैट ट्रेनर के अतिरिक्त वर्तमान में बनाए जा रहे नैट विमान के प्रदर्शन का प्रस्ताव है। निम्नांकित वस्तुयें भी प्रदर्शनी में रखी जाएगी :—

(1) लेवर-इन्टेन्सिव कासटिंगस, गुढ़ी वस्तुयें और एच० ए० एल० द्वारा उत्पादित मशीनी पुर्जों के नमूने।

(2) एच० ए० एल० द्वारा रूपांकित एयर स्टारटर जैसी वस्तुयें।

(3) माडलस और फोटोग्राफ।

(ग) इसका मुख्य उद्देश्य विदेश में भारत के उद्योग की पूर्णता और नवीनता के स्तर की जानकारी बढ़ना और गहन श्रम से ढलाई, ढली वस्तुयें, मशीन के पुर्जे, पुर्जे आदि के उत्पादन तथा प्रतियोगी शर्तों में पूर्ति क्षमता की जानकारी कराना है।

विदेशी मुद्रा की भारी हानि

7636. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 मई, 1972 के 'इकनामिक टाइम्स' में हयूज एक्सचेंज लास' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गत तीन वर्षों में वर्षवार भूल चूक के अन्तर्गत कितनी राशि दिखाई गई ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) : जी, हां

(ख) और (ग) : पिछले तीन वर्षों में 'भूल-चूक' की रकम इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपयों में)
1968—69	—113.7
1969—70	— 14.4
1970—71	— 78.7

1971–72 के पूरे वर्ष के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं परन्तु प्रारम्भिक संकेतों से पता चलता है कि अप्रैल-सितम्बर, 1971 की अवधि में भूल–चूक की रकम +·23 करोड़ रुपये की है।

जनता से एकत्रित की गई पूंजी में वृद्धि

7637. **श्री पीलू मोदी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 मई, 1972 के 'इकोनामिक टाईम्स' में 'कैपीटल इशूज टू एक्सीड रूपीज वन हण्डरेड करोर्स' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) : अब 1972 में अब तक किए गए पूंजी निर्गमों तथा वर्ष की शेष अवधि में किए ाने वाले संभावित निर्गमों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 1972 में पूंजी निर्गमों की राशि यदि 100 करोड़ रुपये से अधिक न हुई तो उसके आस पास तक पहुंच ही जायेगी।

रूस से सहायता

7638. **श्री वी० मायावन:**

श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा भारत को सहायता देना स्थगित करने के निर्णय के परिणामस्वरूप आयी कमी को पूरा करने के लिए रूस ने सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) ऐसी कोई पेशकश नहीं की गयी है क्योंकि दोनों सरकारों की स्वीकृत नीति यह है कि एक-दूसरे की आवश्यकताओं और सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सहयोग के सभी सम्भव क्षेत्रों का पता लगाया जाय। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और इसी भावना से बातचीत होती रहती है।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में सैनिक स्कूलों का खोलना

7639. **श्रीमती भार्गवी तनकपप्पन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल के किन जिलों में सैनिक स्कूलों को खोलने का विचार है; और

(ख) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) कझाकूतम, केरल में एक सैनिक स्कूल राज्य जनवरी 1962 से है। सैनिक स्कूल राज्य सरकारों के अनुरोध पर खोले जाते हैं जो स्कूल के लिए इमारतों, तथा स्कूल में प्रवेश पाने वाले लड़कों के लिए छात्रवृतियों की व्यवस्था करता है। केरल सरकार ने इस राज्य में सैनिक स्कूल खोलने के लिए कोई भी अनुरोध नहीं किया है। अतः केरल में कोई दूसरा सैनिक स्कूल खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में व्यक्तियो व्यापारिक प्रतिष्ठानो पर छापे

7640. **श्रीमती भार्गवी तनकपन :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में उन व्यक्तियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों तथा उनके मालिकों के नाम क्या है जिनके मकान आदि पर आयकर अधिकारियों ने 1971 में छापा मारा था; और

(ख) इन छापों के परिणामस्वरूप कितना कितना धन बरामद किया गया तथा किस प्रकार के दस्तावेज जब्त किये गये ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जिन व्यक्तियों के मामलों में तलाशियां ली गई उनके नाम और तलाशी के दौरान पकड़ी गई नकदी की रकम नीचे दी गई है। अधिकांश मामलों में ऐसी खाता-बहियां तथा दस्तावेज पकड़े गये जिनसे आय

छिपाये जाने का संकेत मिलता है। इनकी छानबीन की जा रही है।

नाम	पकड़ी गई नकदी रू०
1. के० एस० परमेश्वर सास्त्रीगल	4,50,000
2. वी० मुकुन्ददासन्	25,000
3. मित्र चिट्स एण्ड कैश क्रेडिट्स (प्रा०) लिमिटेड	—
4. के० के० रामचन्द्रन नायर	—
5. वी० ए० वेलायुद्यन	—
6. यूनीक प्रोडक्शन्स (मालिक वी० ए० वेलायुद्यन	—
7. टी० जे० जोशुश्रा	—
8. मित्र चिट्स एण्ड कैश क्रेडिट्स (प्रा०) लि० (शाखा)	—
9. पी० सोमन पिल्ले	22,920
10. मेघजी मेहसी एण्ड कं० (प्रा०) लि०	—
11. मेघजी मेहसी एण्ड सन्स	—
12. मेघजी मेहसी का निवासस्थान आई० सी० ई० हाउस	—
13. एसोसियेटड ट्रेडर्स	71,700
14. अब्दुल अजीज एण्ड कं०	—
15. अब्दुल अजीज का निवासस्थान	—
16. हरिदास ब्रदर्स	—
17. हरिदास का निवासस्थान	—
18. एम० प्रसन्न कुमार ब्रदर्स	—
19. मेसर्स एम० अप्पकुट्टी	—
20. एम० अप्पुकुट्टी का निवासस्थान	—
21. मेसर्स के० असनकोया	—
22. के० असनकोया का निवासस्थान	12,00,000
23. एन० एस० कृष्ण अय्यर	—
24. चेम्पियन फायर वर्क्स इन्डस्ट्रीज	—
25. पी० एल० ओसेफ का निवासस्थान,	—
26. मालिक चेम्पियन फायर वर्क्स	
26. के० एसैनार	50,000

27, के० रंगनाथन्	—
28. इस्तूमानून मोटर्स	—
29. फादर पुतेनपुरा का निवासस्थान	—
30. केरल आयल मिल्स	—
31. टी० एल० जोसफ	—
32. टी० एल० मेथ्न	—
33. क्लार्क जेम्स के० कुनील का निवासस्थान	—
34 कार्यालय, मेसर्स जी० आर० के० नायर एण्ड कं० चार्टेड लेखाकार	—
35. कार्यालय, मेसर्स-एन० एस० परिणकर एण्ड कं०, चार्टर्ड लेखाकार	—
36. चन्द्र प्रकाश नाडार एण्ड कम्पनी	—
37. वी० चन्द्र प्रकाश नाडार का निवासस्थान	—
38. लीलाराम सेवाराम (इन्डिया) लिमिटेड	—

केरल में औद्योगिक वित निगम द्वारा दिये गये ऋण

7641. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा केरल में बड़े माध्यम दज के और लघु औद्योगिक एककों को वर्ष-वार अलग-अलग कितनी राशि के ऋण दिये गये हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में कितने आवेदन-पत्र अब तक अनिर्णीत पड़े हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, निगम से सावधिक ऋणों को प्राप्त करने के लिए केवल पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां और सहकारी संस्थाये ही पात्र हैं ।

केरल मैं निगम द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों को दी गयी ऋण-सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

(लाख रूपयों में)

वित्तीय वर्ष	मध्यम पैमाने के		बड़े पैमाने के		जोड़	
	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित
1969–70	13·50	—	—	—	13·50	—
1970–71	—	13·50	55·00	—	55·00	13·50
1971–72	7·50	6·50	15·00	25·00	22·50	31·50
जोड़	21·00	20·00	70·00	25·00	91·00	45·00

संवितरित की गई रकमों में पहले स्वीकृत की गयी रकमों के संवितरण भी शामिल हैं ।

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, निगम को जो 7 कम्पनियों से आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे उनमें से एक कम्पनी ने अपना आवेदन-पत्र वापिस ले लिया, तीन कम्पनियों के लिए सहायता स्वीकृत की गयी और शेष 3 कम्पनियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कारवाई की जा रही है।

केरल में 'सी' श्रेणी के नगर

7642. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में उन नगरों के नाम क्या हैं जिनको गत दो वर्षों में 'सी' श्रेणी के नगर घोषित किया गया है;

(ख) किसी नगर को 'सी' श्रेणी का नगर घोषित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कसौटी अपनाई जाती हैं; और

(ग) केरल में उन नगरों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिसके बारे में यह मांग की गई है कि उनका दर्जा बढ़ाकर उनको 'सी' श्रेणी का नगर घोषित किया जाये ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) कन्नूर ।

(ख) मकान किराया भत्ता मन्जूर करने के प्रयोजन के लिए 50,000 जनसंख्या वाले और इससे अधिक परन्तु 4 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को 'सी' श्रेणी में रखा जाता है।

(ग) हाल में ऐसा कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

Proposal to Develop sea-side tourist resorts in the coatsal areas of various Districts of Kerala

7643. **Shrimati Bhargavi Thankappan** : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether Government propose to develop any sea-side tourist resorts in the coastal areas of various Dis'ricts of Kerala, and

(b) if so, the broad outlines of the proposed scheme ?

The Minister of tourism and civil aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Kovalam is being developed as a sea-side resort of international standards.

The main features of the Kovalam Project are a 100-room hotel, 40 cottages, a beach service centre, an open air theatre, a yoga-cum-nrs age centre and provision of aquatic spor's facilites.

तमिलनाडु में पांच रुपये के नोटो का परिचलन

7644. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में एम० जी रामचन्द्र के चित्र वाला पांच रुपये का नोट परिचलन में हैं ताकि परिवार नियोजन को लोक प्रिय किया जा सके;

(ख) क्या उक्त जाली नोट से तमिलनाडु में अनेक निर्दोष व्यक्तियों को धोखा दिया गया है; और

(ग) यदि हा, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). तमिलनाडु

सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से राज्यों को ऋण तथा अग्रिम धन

7645. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा राज्य सरकारों को ऋण तथा अग्रिम धन देने के कार्य में तेजी के साथ गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) . भारतीय रिजर्व बैंक से राज्यों को दिये गये ऋणों और अग्रिमों की, जिसमें बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घावधि कार्य) निधि से दिए गये अग्रिम और ओवरड्राफ्ट भी शामिल है, बकाया राशि जो 28 अप्रैल 1972 को 762·42 करोड़ रुपया थी वह घट कर 19 मई 1972 को 100·28 करोड़ रुपया हो गयी है । यह कमी अधिकांशतः, राज्य सरकारों द्वारा लिए गये ओवरड्राफ्टों के चुकाये जाने के कारण हुई है ।

Melting of Small coins in Mathura

7646. **Shrimati Agamdas Minimata** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) Whether Government are aware that metal obtained by melting small coins is being palmed off as silver in Mathura city; and

(b) If so, the action taken or being taken by Government to check this illegal practice ?

The Minister of state in the Ministery of Finance (Shri K. R. Ganesh) (a) and (b) : According to the Central Bureau of Investigation who have made inquiries in the matter, there is no evidence to suggest that metal obtained by melting small coins is being passed off as silver in Mathura city.

बम्बई स्थित रूबी कोच एण्ड बोडी बिल्डर्ज के स्वामी श्री कापाशी से कुछ दस्तावेजों का पकड़ा जाना

7647. **श्री मल्लिकार्जुन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसर्स रूबी कोच एण्ड बोडी बिल्डर्ज, बम्बई के स्वामी श्री कापाशी को सोमा शुल्क अधिकारियों ने बम्बई के सान्ता कुज हवाई अड्डे पर पकड़ा था और उसके नाम में स्विस बैंक का लेखा विवरण उससे बरामद किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंक का लेखा विवरण आगे जांच पड़ताल करने हेतु एनफोसमेन्ट निदेशालय को भेज दिया गया था;

(ग) क्या पकड़े गये दस्तावेजों से आयकर विभाग से सम्बन्धित मामलों का पता चला था; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में आय-कर अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) . सीमाशुल्क अधिकारियों ने बम्बई के सान्ताकुज हवाई अड्डे पर 15 नवम्बर 1971 को बम्बई के मैसर्स रूबी कौच एण्ड बौडी बिल्डर्ज के श्री डी० एस० कमार्शी को पकड़ा था, उनकी तलाशी पर स्विस बैंक

का कोई लेखा-विवरण नहीं पाया गया, परन्तु स्विस बैंक का एक पत्र बरामद हुआ था जिससे पता चला कि उस बैंक में उनका कुछ रुपया जमा है। यह पत्र आगे जाँच-पड़ताल के लिये प्रवर्तन निदेशालय को भेज दिया या।

(ग) और (घ) : मामले की जाँच की जा रही है।

Procedure Adopted for Appointing Hindi Officers in the Excise Department

7648. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the procdure adopted for appointing Hindi Officers in the Excise Department of his Ministry ?

The Minister of state in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The posts of Hindi officers in the Central Excise Department under the Ministry of Finance are gazetted Class II posts. Normally, appointments to Class II posts by direct recruitment is done through the Union Public Service Commission and, accordingly, the Commission was requested for making recruitment to these posts. However, the Commission could not undertake recruiment to these posts because recruitment conducted by the Commission earlier for similar posts in other Ministries of the Government of India had become the subject matter of a writ petition. The Commission advised that the posts in the Central Excise Department may be filled by the Department on an ad hoc basis for a period of one year without consulting the Commission as was also permissible under the Union Public Service Commission (Exemption from consultation) Regulations. Thereupon these posts were advertised on an All India basis through the Directorate General of Employment and Training and were also notified to the various Departments under the Ministry of Finance. other Ministries of the Government of India and the Heads of the Departments under the Central Board of Excise and Customs. Thr various persons who applied for these posts and who satisfied the prescribed educational and other qualifications, were given a written test, the paper for which was set and the answers were evaluated by a senior officer of the Central Hindi Directorate of the Government of India. Those who qualified in the written test by securing 40% and more marks were then interviewed by a Selection Committee Comprising of a Member of the Central Board of Excise and Customs, a Collector of Central Ex-ise, s senior officer of the Central Hindi Directorate and the Secretary, in charge of Administration in the Central Board of Excise and Customs, A select list of 19 candidates strictly in the order of merit based on the aggregate marks obtained by the candidates in the written test and in the interview was drawn up and out of them; the first 11 candidates have been offered appointments to the posts of Hindi Officers in the various offices in the Central Excise Department. The appointments offered are purely on ad hoc and temporary basis pending recruitment to these posts on a regular basis through the Union Public Service Commissron.

आय कर अधिकारियों द्वारा मारे गये छापे

7649. **श्री मोहन राज :**

श्री सी० डी दण्डपाणि :

क्या वित्त मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में में प्रत्येक राज्य में आयकर अधिकारियों द्वारा कितने व्यक्तियों की तलाशी ली गई है;

(ख) इन तलाशियों का क्या निष्कर्ष निकला; और

(ग) किन स्थानों की तलाशियाँ ली गई और उनसे सम्बन्ध व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) . विवरण-पत्र संलग्न है।

(ग) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। बहुधा, एक विशिष्ट व्यक्ति के संबंध में अनेक स्थानों की तलाशी ली जाती है। चूंकि बहुत बड़ी संख्या में तलाशियां ली गई इसलिये अपेक्षित सूचना इकट्ठी करने में बहुत अधिक समय और श्रम लगेगा। तथापि, इसे इकट्ठा किया जायगा और सदन की मेज पर रख दिया जायगा।

विवरण

(क) 1969-70 के दौरान कुल तलाशियाँ—170 (अधिकार क्षेत्रवार सूचना उपलब्ध नहीं है)

अधिकार क्षेत्रवार, 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान की ली गई तलाशियों का संख्या

अधिकार क्षेत्र	1970-71	1971-72
आन्ध्र प्रदेश-I	2	62
आन्ध्र प्रदेश-II	5	6
बम्बई नगर-I	6	32
बम्बई नगर-II	17	26
बम्बई नगर-III	19	45
बम्बई नगर- V	—	6
बम्बई नगर-V	—	7
बम्बई सेन्ट्रल	1	1
भोपाल	1	5
कलकत्ता सेन्ट्रल	—	—
दिल्ली-I	2	37
लिल्ली-II	1	2
दिल्ली-III	11	22
दिल्ली -IV	—	4
दिल्ली (सेन्ट्रल)	2	—
गुजरात-I	6	7
गुजरात-II	13	12
गुजरात-III	—	—
जयपुर	—	—
कानपुर	—	31
केरल	8	32
लखनऊ	6	3
मद्रास-I	17	49

मद्रास-II	20	56
मद्रास (सेण्ट्रल)	7	12
मैसूर	14	28
नागपुर	—	—
उड़ीसा	—	—
पटना	5	5
पटियाला	24	8
पूना	5	4
शिलांग	—	—
पश्चिम बंगाल-I	1	1
पश्चिम बंगाल-II	—	1
पश्चिम बंगाल-III	2	—
पश्चिम बंगाल-IV	—	—
पश्चिम बंगाल-V	—	—
निरीक्षण निदेशालय (जांच-पड़ताल)	—	12
योग	195	516

(ख) जब्त की गई परिसम्पत्तियों का मूल्य

वित्तीय वर्ष	लाख रुपयों में
1969-70	95
1970-71	140
1971-72	243

छावनी निधि कर्मचारी नियमों का पुनरीक्षण

7650. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी निधि कर्मचारी नियमों के पुनरीक्षण को पिछले चार वर्षों से अन्तिम रूप नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो नियम को शीघ्र ही अन्तिम रूप देने के बारे में क्या कार्यवाही करने विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) . छावनी निधि कर्मचारी नियमावली, 1937 के पुनरीक्षण का कार्य 4 वर्षों से चल रहा है। नियमावली में प्रस्तावित संशोधन को दूसरी बार नवम्बर 1969 में प्रकाशित किया गया था और उस पर आपत्ति तथा सुझाव मांगे गये थे, उस पर विचार करने के पश्चात, नियमावली को अब अन्तिम रूप दे दिया गया हैं; उनको शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया जाएगा।

छावनी बोर्ड और कर्मचारी संग के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार नामजद व्यक्ति को नियुक्ति

7651. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या रक्षा **मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी बोर्डों और कर्मचारी संघ के बीच हुए 13 मई, 1969 के समझौता ज्ञापन के पैरा 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को मनोनीत कर दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) छावनी बोर्डों के कर्मचारी संघ ने इस प्रकार के मामले उठाए हैं, तथा मैत्रीपूर्ण समझौता करने को दृष्टि में रखते हुए उनके साथ इन विषयों पर चर्चा की जायगी । यदि कोई मामला जो समझौता ज्ञापन के पैरा 20 के विषय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है तथा अनिर्णीत रहता है तब उसमें दी गई व्यवस्था के अनुसार सन्दर्भ भेजा जायगा ।

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देवगढ़ उड़ीसा में प्राकृतिक जल प्रपात के रख रखाव के लिये कार्यवाही

7652. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये देवगढ़ (उड़ीसा) में प्राकृतिक जल प्रपात को रख रखाव के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : इस सम्बन्ध में कोई स्कीम पर्यटन विभाग के विचाराधीन नहीं है ।

युद्ध विराम रेखा के पार मनव्वर तवी क्षेत्र में पाक सैनिकों द्वारा गोलीबारी तथा पुंछ हाजी पीर क्षेत्र के साथ-साथ सेना का भारी जमाव

7653. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** · क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सैनिक दस्ते युद्ध विराम रेखा के पार मनव्वर तवी क्षेत्र में 12 मई, 1972 से गोलाबारी कर रहे हैं;

(ख) क्या पुंछ हाजी पीर क्षेत्र के साथ-साथ पाकिस्तानी सेना का भारी जमाव हो रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हाँ, श्रीमन् ।

(ख) यद्यपि पाकिस्तान ने उस सैक्टर में अपने सैन्य-दल को कुछ सीमा तक मजबूत कर लिया है परन्तु ऐसी कोई सूचना नहीं है कि पूंछ हाजी पीर क्षेत्र में उसने अपने सैन्य-दल का भारी जमाव किया है ।

(ग) हमारे रक्षा उपचारों का पुनरीक्षण करते समय युद्ध-विराम रेखा के पार हुई प्रगति पर भी ध्यान रखा जाता है ।

बैंकों द्वारा अन्य नगरों के चैकों की वसूली

7654. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसी योजना बना रही है कि बैंक अन्य नगरों के चैकों और बिलों का शीघ्रता से भुगतान कर सके; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की रूपरेखा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : भारतीय बैंक संघ ने अपने सदस्य बैंकों के विचारार्थ अभी हाल ही में एक योजना बनाई है जिसकी अधिक महत्वपूर्ण बातें ये हैं—

(i) बैंक संबद्ध विभागों में काम के बोझ को देखते हुये पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था करे;

(ii) जोड़ लगाने की मशीनें दी जाये।

(iii) संगृहीत राशियों को संभालने के लिये समय सम्बंधि अनुशासन के बारे में नियम बनाये जाये।

(iv) लेखाकार्य और अभिलेख कार्य में अनावश्यक दोहरापन न हो।

(v) बैंकों के भीतर प्रेषण की विशेष व्यवस्था की जाये।

(vi) अगस्त 1971 में प्रारम्भ की गई इण्डियन बैंक्स एसौसिएशन की हवाई मार्ग से प्रेषण की सुविधाओं का लाभ सभी भागीदार बैंकों द्वारा उठाया जाये।

आन्ध्र प्रदेश में पर्यटक सुविधाओं का विकास करने हेतु भारतीय पर्यटन विकास निगम का कार्यक्रम

7655 **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कितने होटल (स्टार्ड कटेगरीज) मोटल, यूथ होस्टल, पर्यटक सूचना केन्द्र तथा कितनी अन्य पर्यटक सुविधाएं विद्यमान हैं, और

(ख) वर्ष 1972-73 में आंध्र प्रदेश में पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिये भारतीय पर्यटक विकास निगम का क्या कार्यक्रम है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) आन्ध्र प्रदेश में उपलब्ध वर्तमान आवास और अन्य पर्यटक सुविधाओं को दिखाने वाली एक सूचि संलग्न है। **[ग्रन्थाल में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3062/72]**

(ख) चौथी पंच वर्षीय योजना में भारत पर्यटन विकास निगम ने हैदराबाद में एक परिवहन यूनिट की स्थापना की व्यवस्था की थी। इस यूनिट का जुलाई, 1970 से परिचालन हो रहा है।

Amount Spent on Tourist Centres in Rajasthan

7656. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the amount spent on each Tourist Centre In Rajasthan dnriug the last three yeats; and

(b) whether there are such Tourist Centre in Rajasthan on which entire expenditure has been incurred by the Central Government and if so, the names there of ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation : (Dr. Karan Singh) : (a) & (b) : In the Central sector the following tourism schemes have been taken up in Rajasthan in the last 3 years:

Department of Tourism :

(1) A youth hostel at an estimated cost of Rs. 3·59 lakhs at Jaipur has been completed.

(2) A rest house with a capacity of 50 beds at Bharatpur Bird Sanctuary is under construction. The total estimated cost is Rs. 11,57,000.

(3) Towards the construction of a tourist bungalow at Jaisalmer, Rs. 50,000/ have already been spent. The total estimated cost is Rs. 5 lakhs.

(4) One coach and one mini-bus costing Rs. 1 lakh have been provided for the use of tourists at Jaipur, in the transport unit.

(5) One mini-bus and two Ambassador cars costing Rs. 1 lakh have been provided for the use of tourists at Udaipur, and I. T. D. C. Transport Unit is looking after the same.

India Tourish Development Corporation :

(1) The Laxmi Vilas Palace Hotel at Udaipur is being enlarged at an estimated cost of Rs. 25 lakh. The amount spent so for is Rs. 6·20 lakhs.

(2) A Transport Unit has been set up at Jaipur at a cost of Rs. 3·65 lakhs.

(3) A Transport Unit has been set up at Udaipur at a cost of Rs. 1·78 lakhs.

केन्द्रीय उत्पादशुल्क कलक्टरों, गुंटर तथा हैदराबाद में कार्य कर रहे इन्सपैक्टर और सब-इन्सपैक्टर

7657 **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसी अन्य कलक्टरियों में कार्य कर रहे इन्सपैक्टरों और सब-इन्सपैक्टरों की तुलना में केन्द्रीय उत्पादनशुल्क कलक्टरी, गुंटूर तथा हैदराबाद में इस समय उनका अनुपात क्या है, और

(ख) हैदराबाद तथा गुंटूर कलक्टटिरयों में ऐसे सबइन्सपैक्टरों की संख्या कितनी है जो 15 वर्ष से अधिक समय से सेवा हैं और उसमें से कितने सब-इन्सपैक्टर अपने अधिकतम वेतन-मान पर पहुंच गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) गुंटूर और हैदराबाद सहित केन्द्रीय उत्पादशुल्क समाहर्ता-कार्यालयों में, देश में इसी तरह के अन्य समाहर्ता-कार्यालयों की तुलना में निरीक्षकों एवं उप-निरीक्षकों एवं की संख्या के वर्तमान अनुपात के बारे में एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ख) गुंटूर और हैदराबाद स्थित समाहर्ता-कार्यालयों में आज की तारीख तक 19 उप-निरीक्षकों ने 15 वर्ष की सेवा की अवधि पूरी कर ली है, परन्तु उनमें से कोई भी वेतन-मान के अधिकतम तक नहीं पहुंचा है।

विवरण

विभिन्न केन्द्रीय उत्पादशुल्क समाहर्ता-कार्यालयों में निरक्षकों तथा उप-निरीक्षकों के पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या और उनके परस्पर अनुपात के बारे में विवरण-पत्र—

क्र० सं०	समाहर्ता-कार्यालय का नाम	पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या निरीक्षक	उपनिरीक्षक	अनुपात
1	2	3	4	5
1. 2.	हैदराबाद गुण्टूर	905	132	87:13
3.	गोश्रा	12	2	86:14
4.	शिलांग	421	64	87:13
5. 6.	पश्चिम बंगाल कलकत्ता और उड़ीसा	1554	290	90:10
7.	पूना	525	47	92:8
8. 9.	इलाहाबाद कानपुर	1098	77	93:7
10.	कोचीन	305	22	93:7
11.	बंगलौर	505	33	94:6
12.	नागपुर	440	25	94:5
13. 14.	दिल्ली चंडीगढ़	1013	39	96:4
15.	मदुरै	345	14	96:4
16.	पटना	569	—	100:00
17.	मद्रास	586	3	100:00
18.	बम्बई	1002	—	100:00
19. 20.	बड़ौदा अहमदाबाद	1289	—	100:00
		10,570	748	93:7

आंध्र प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान

7658. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश में वन्य पशु संरक्षित स्थल, धार्मिक, संस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पुरातत्वीय दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रीष्म ऋतु में पिकनिक मनाने के स्थल, कौन-कौन से हैं जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : पर्यटन की दृष्टि से हैदराबाद और नागार्जुनकुण्ड आन्ध्र प्रदेश में आकर्षण के प्रमुख स्थाम हैं। यहां धार्मिक महत्व

के बहुत सारे स्थान हैं विशेषरूप से तिरुपति का विख्यात मन्दिर ।

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे ग्रामीण उद्योगपतियों को ऋण दिया जाना

7659. **श्री प्रताप सिंह** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंक हिमाचल प्रदेश के गांवों में छोटे ग्रामीण उद्योगपतियों को अपनी भूमि सुधारने तथा उद्योग चलाने हेतु अपेक्षित ऋण दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्ष-वार तथा बैंकवार कितने-कितने ऐसे उद्योग-पतियों ने इस प्रयोजन के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों को आवेदन पत्र दिये थे; और

(ग) उन आवेदकों की संख्या क्या है तथा उनके नाम क्या हैं जिनके ऋण सम्बन्धी आवेदन पत्र रद्द कर दिये थे ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां । नीति के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंक (स्टेट बैंक आफ इण्डिया और उसके सहायक तथा 14 राष्ट्रीयकृत बैंक) शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार के क्षेत्रों में स्थित लघु उद्योगों की सभी वास्तविक उत्पादक आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

(ख) और (ग) : सम्भव सीमा तक सूचना इकट्ठी करके सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

ग्रीक जहाज को छोड़ना

7660. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाक युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने जिस 1600 मीटरी टन के ग्रीक माल वाहक जहाज 'मिनिलाबोर' को पकड़ा था क्या उसे छोड़ दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे और कितने जहाज अब भी भारत के कब्जे में हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : **(क) तथा (ख)** : भारतीय नौसेना द्वारा ग्रीक जहाज 'मिनिलेवारे' पकड़ा नहीं गया था । 9 दिसम्बर 1971 को यह चिटगांव से परे छोड़ा हुआ और इधर–उधर बहता हुआ भारतीय नौसेना द्वारा बचाया गया था इस प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अधीन यह भारत सरकार की सम्पत्ति बन गया है । तदनन्तर ग्रीक सरकार ने जहाज को वापिस करने का अनुरोध किया । ग्रीक सरकार और उसकी जनता के साथ सद्भावना प्रदर्शन के रूप में इस पर सहमति हो गई । इस समय ऐसा कोई अन्य जहाज भारतीय हिरासत में नहीं है ।

——————

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

Re : Question of privilege

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति–अप्रैल 1970 के 63 वें प्रतिवेदन में, जो राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के बारे में है, अन्य बातों के साथ-

साथ यह लिखा है कि समिति की यह राय हैं कि उन्हें प्रबन्धक निदेशक ने 28 जुलाई, 1969 को साक्ष्य देते समय गुमराह किया था । प्रबन्धक निदेशक ने यह भी कहा है कि उक्त निगम ने सरकारी क्षेत्र में पांच परियोजनायें अर्थात् हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, इण्डियन ड्रास एण्ड फार्मेसिटिकल्स, हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, दी भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स और दो गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं–सिंथेटिक रबड़ और टुंगस्टन कार्बाइड पूरी की हैं। समिति यह जानना चाहती थी उक्त निगम ने इन परियोजनाओं की क्रियान्विति में क्या विशेष कार्य किया है। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने अपने लिखित उत्तर में कुछ ऐसी बातो का उल्लेख किया था जो एक दम गुमराह करने वाली थीं। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उक्त निगम ने इण्डियन ड्रास एण्ड फार्मेसिटिकल्स को छोड़कर सरकारी क्षेत्र की पांच परियोजनाओं और गैर-सरकारी क्षेत्र का दो परियोजनाओं की क्रियान्विति में कोई सराहनीय कार्य नहीं किया। यह बहुत ही गम्भीर मामला हैं कि सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धक निदेशक जैसे जिम्मेदार व्यक्ति ने संसदीय समिति को, जो इस देश की जनता के हित में सर्वोच्च है, गुमराह करने का साहस किया है। यह प्रतिवेदन वर्ष में प्रकाशित हुआ था। मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया था परन्तु मुझे प्रतीक्षा करने को कहा गया था। मैंने मंत्री महोदय को भी लिखा था कि उन्होंने प्रबन्धक निदेशक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है परन्तु मुझे अन्य साधनों से यह जनकर दुख हुआ है कि उसके बिरुद्ध कोई कार्यवाही करने के बजाये उसका दर्जा बढ़ा दिया गया है और कुछ आर्थिक लाभ भी पहुंचाया गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये तो तथ्यों का पता लगाकर उचित कार्यवाही की सिफारिश करें।

अध्यक्ष महोदय : समिति इस मामले पर विचार कर रही थी परन्तु उसकी कालावधि समाप्त हो गई थी। मैंने पुरानी समिति के सभापति श्री एम० बी० राना का 26 अप्रैल, 1972 का नोट देखा था। उन्होंने अपने नोट में यह भी लिखा है कि उन्होंने आपके साथ इस सम्बन्ध में बातचीत की थी। उन्होंने लिखा है कि इस मामले को नई समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। आप कुछ दिन तक और प्रतीक्षा कीजिये ताकि नई समिति इस मामले पर विचार करके उचित कार्यवाही कर सकें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मूल प्रतिवेदन अप्रैल 1970 में प्रकाशित हुआ था परन्तु दो वर्ष और एक महीने की अवधि में कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं आपकी बात मानने के लिये तैयार हूं परन्तु उन्हें इस सत्र की समाप्ति से पहले इस सारे मामले को अन्तिम रूप दे देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह सत्र तो आगामी सप्ताह में समाप्त हो रहा है। आगामी सत्र के आरम्भ तक हो जाये तो ठीक होगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : इसी प्रकार के एक मामले में श्री वांचू और श्री मुकर्जी अन्तग्रस्त थे जिसे श्री मधुलिमये ने उठाया था। उस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने का निर्णय किया गया था। अतः इस मामले को नई समिति के सुपुर्द क्यों किया जा रहा है। इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेज देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : समिति इस मामले पर विचार कर रही थी कि उसकी कालावधि समाप्त हो गई। अतः हमें नई समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिये।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) यदि आप इस मामले को नई समिति के पास भेजते है तो यह बात अनियमित होगी। यह समिति इस प्रयोजन के लिये गठित नहीं की गई है। पिछली समिति के सामने कुछ बातें आई जो उनके विचार में उचित नहीं थी और उन्होंने उनका उल्लेख अपने प्रतिवेदन में कर दिया। वह प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिया गया। अब इस मामले को नई समिति के पास भेजना अनियमित बात होगी ?

अध्यक्ष महोदय : की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है; वे उस पर विचार कर रहे हैं।

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन में सामान्यतः क्रियान्विति के लिये की गई सिफारिशों पर हो विचार किया जाता है। जब तक समाप्ति की ओर से विशेष हिदायत न दी जाये, सम्भव है कि वह इस मामले पर विचार न करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। नई समिति के सभापति की नियुक्त आज ही की गई है और उन्होंने मुझे बताया है कि वह इस मामले पर विचार कर रहे हैं।

श्री पीलू मोदी : वह ऐसे मामले पर विचार कर रहे हैं जिस पर उन्हें विचार नहीं करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे हर बात को ध्यान में रखना होता है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तरपूर्व) : इस मामले में सरकार क्यों चुप है ?

अध्यक्ष महोदय : हमें नई समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर लेनी चाहिये अन्यथा यह मामला और पेचीदा हो सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : श्री सेठी को, जो इस मामले में अन्तर्ग्रस्त है, हर प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा है उन्हें पदोन्नत भी किया गया है परन्तु उक्त प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री पीलू मोदी : नई सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का इस मामले के साथ कोई सम्बन्ध रही हैं। यह प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जा चुका है और अब यह सभा ही इस मामले में आगे कार्यवाही कर सकती है। इसे नई समिति को सौंपना अनुचित बात होगी।

श्री समर गुह (कंटाई) : पिछली समिति के सभापति ने अपना विचार व्यक्त किया था कि इस पर नई समिति को पुनः विचार करना चाहिये परन्तु उन्होंने समिति के प्रतिवेदन को अनुमोदित करके सभा-पटल पर रखा था अतः अब इसे नई समिति को भेजना उचित नहीं होगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : जब आपने श्री ज्योतिर्मय बसु को यह मामला उठाने की अनुमति दी है, तो आपने इस बात की सूचना मन्त्री महोदय को भी दी होगी। श्री सेठी के विरुद्ध इतने गम्भीर आरोप लगाये जा रहे है परन्तु मन्त्रिमण्डल चुप बैठा है, इसका क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : जब अध्यक्ष की अनुमति से कोई विशेषाधिकार स्वीकार किया जाता है तभी सम्बन्धित मन्त्री को सूचित किया जाता है। इस मामले में मैं आप को बताना चाहता हूँ कि सरकारी उपक्रम समिति ने अपना कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। उसके

बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। मैं नये सभापति से कह रहा हूँ कि वह इस मामले को शीघ्र निपटायें।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता है :

1. विदेशी कम्पनियों द्वारा बिहार और पश्चिम बंगाल स्थित उद्योगों में पूंजी लगाई जाने के बारे में कुमारी कमला कुमारी के अतारांकित प्रश्न संख्या 2251 के 7 अप्रैल 1972 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने और उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारणों के सम्बन्ध में एक विवरण।

2. विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा पूंजी निवेश के बारे में कुमारी कमला कुमारी के अतारांकित प्रश्न संख्या 3446 के 21 अप्रैल, 1972 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने और उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारणों के सम्बन्ध में एक विवरण। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3051/72**]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

1. दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में यथा प्रवृत्त, बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली बिक्रय कर (चौथा संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे, जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या एफ. 4 (80)/71-फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे।

2. उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3052/72**]

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालश में राज्य मन्त्री (श्रीमती सरोजिनी महिषी) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूँ :—

1. भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1970–71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

2. भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेट, नई दिल्ली, का वर्ष 1970–71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक और महालेखा-परीक्षिक की टिप्पणियां। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3353/72**]

संसद कार्य विभाग और नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम् मेहता) : मैं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 352 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 मई, 1772 में प्रकाशित हुयी थी। (**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3054/72**]

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : मैं केरल में मई, 1972 में भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ और उससे हुई क्षति के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3055/72]**

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) (एक) इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इन्डियन ड्रग्स एन्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1970–71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक और महालेखा-परीक्षिक की टिप्पणियाँ। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3056/72]**

(2) (एक) पाइराइट्स फास्फेट्स एन्ड कैमिकल्स लिमिटेड, से वर्ष 1970–71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पाइराइट्स, फास्फेट्स एन्ड कैमिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1970–71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3057/72]**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के कार्यवाही-सारांश

COMMI TTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS—MINITES

श्री जी० जी० स्वैल : मैं गैर-सरकारी सदस्यो के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई नौवीं से चौदहवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूँ।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा 17 मई, 1972 को अपनी बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से, कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी समिति में श्री ब्रह्मानन्द पण्डा और और श्री सुखदेव प्रसाद के 2 अप्रैल, 1972 को राज्य सभा की सदस्यता से निवृत्त होने के कारण रिक्त हुए स्थानों के लिये राज्य सभा दो सदस्यों का निर्वाचन करें, सहमत हुई और राज्य सभा ने उक्त समिति के लिये

निर्वाचित राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम भी बताये—

(1) श्री ब्रह्मानन्द पण्डा

(2) श्री सुखदेव प्रसाद

(दो) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा 22 मई, 1972 को पास किये गये विनियोग (रेल) सख्या 3 विधेयक, 1972 के सम्बन्ध में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

विधेयक पर सम्पत्ति
ASSENT TO BILL

मैं संसद् की दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र के दौरान पास किया गया और राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1972 सभा पटल पर रखता हूँ।

सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य
STATEMENT ON GOVERNMENT BUSINESS

29 मई, 1972 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में सरकारी कार्य

संसदीय कार्य तथा नौवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूँ कि सोमवार, 29 मई, 1972 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा:—

संविधान (31वां संशोधन) विधेयक, 1972
(विचार तथा पास करना)

संविधान (32वां संशोधन) विधेयक, 1972
(विचार तथा पास करना)

अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक, 1972
(संयुक्त समिति को सौंपना)

कराधान विधि (जम्मू और कश्मीर पर विस्तार) विधेयक, 1972
(विचार तथा पास करना)

साधारण बीमा (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1972
(संयुक्त समिति को सौंपना)

दिल्ली भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक 1972
(विचार तथा पास करना)

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1972
(विचार तथा पास करना)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, 1972
(विचार तथा पास करना)

अवक्रय विधेयक, 1972 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में,

(विचार तथा पास करना)

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) संविधान (29वां संशोधन) विधेयक कुछ समय पूर्व पुनः स्थापित किया गया था। लेकिन सरकार इसको पारित नहीं कर रही है।

वियतनाम के बारे में सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये अथवा इस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिये।

जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को पूर्ण मान्यता दी जानी चाहिये और इस बारे में प्रधान मन्त्री द्वारा एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : हमें सरकारी कार्य के बारे में सम्बन्धित प्राथमिकताओं पर विचार करना होता है।

संविधान (31 वां संशोधन) विधेयक आई० सी० एस अधिकारियों के विशेषाधिकारों से सम्बन्धित है और संविधान (32 वां संशोधन) विधेयक केरल भूमि सुधार अधिनियम के कुछ उपबन्धों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने से सम्बन्धित है। हमने इन विधेयकों को प्राथमिकता दी है। वियतनाम की स्थिति और जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को मान्यता देने के बारे में चर्चा करने के लिये हमारे पास समय नहीं बचा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। दिल्ली में हमारा संसद सदस्य के रूप में काम करना असम्भव हो गयी है। पुलिस द्वारा हमारे कार्यालय पर लगातार निगरानी रखी जाती है।

———

सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई

ARREST AND RELEASE OF MEMBER

(श्री ए० के० गोपालन)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को त्रिवेन्द्रम के पुलिस आयुक्त से 25 मई, 1972 को बेतार से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :—

(एक) कि लोक सभा के सदस्य श्री ए० के० गोपालन को पूजाप्पपुरा, त्रिवेन्द्रम, में एक गैर-सरकारी भूमि में अतिक्रमण करने और अतिक्रमण से रोकने के लिये पुलिस के विधि सम्मत अनुदेशों का पालन करने से इन्कार करने पर, केरल पुलिस अधिनियम की धारा 38 (2) के अधीन 25 मई, 1972 को मध्यान्ह पश्चात् 4 बजे पुलिस द्वारा वहां से हटाया गया।

(दो) कि सदस्य को पूजाप्पुरा पुलिस थाने के मामूली मामला संख्या 97/72 में केरल पुलिस अधिनियम 1960 की धारा 47 और 52 के अन्तर्गत आने वाले अपराधों के कारण सब मजिस्ट्रेट, न्यायालय 2, त्रिवेन्द्रम के समक्ष पेश किया गया, और सदस्य ने अपने आपको निर्दोष बताया और उन्हें न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया गया। मामला 5 जून, 1972 तक के लिए स्थगित किया गया, और

*(तीन) कि श्री ए० के० गोपालन ने, जिन्हें इससे पूर्व उसी न्यायालय के पूजाप्पपुरा पुलिस थाने के मामूली मामला संख्या 97/72 में हटाया गया था और सब मजिस्ट्रेट त्रिवेन्द्रम के समक्ष पेश किया गया था, न्यायालय का कमरे छोड़ने से इन्कार कर दिया, यद्यपि, उन्हें 25 मई, 1972 को 17.10 बजे रिहा कर दिया गया था। सदस्य ने न्यायालय के कर्मचारियों की प्रार्थना की अवहेलना और पुलिस के विधि सम्मत अनुदेशों की अवज्ञा करते हुए न्यायालय के कमरे में ही रहने की जिद की। मजिस्ट्रेट ने भी मामले के सम्बन्ध में पुलिस से शिकायत की। अतः सदस्य को केरल पुलिस अधिनियम 1960 की धारा 32 (2) के अधीन 25 मई, 972 को 22.45 बजे न्यायालय के कमरे से हटाया गया और उसी अधिनियम की धारा 38 (2), 47 और 52 के अधीन वांचीयूर पुलिस थाने के मामूली आरोप संख्या 44/72 में सब मजिस्ट्रेट न्यायालय 2, त्रिवेन्द्रम के समक्ष पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने सदस्य को 26 मई, 1972 को 11.00 बजे मध्यान्ह पूर्व न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने के निदेश के साथ उन्हें सैन्ट्रल जेल, त्रिवेन्द्रम में न्यायिक हवालात में भेज दिया।

कराधान विधि (जम्मू और काश्मीर पर विस्तार) विधेयक

(TAXATION LAWS (EXTENSION TO JAMMU AND KASHMIR) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आ० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि कुछ कराधान विधियों के जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार के लिए उपलब्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कुछ कराधान विधियों के जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

संविधान (31वाँ संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (THIRY-FIRST AMENDMENT) BILL

गृह-मन्त्रालय और कार्तिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान का और संधोधन करने वाले विधेयक को पुर स्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री राम निवास मिर्धा : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूँ।

संशोधन (32वाँ संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (THIRTY-SECOND AMENDMENT) BILL

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जायें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री एच० आर० गोखले : मैं विधेयक को पुर:स्थापति करता हूँ।

दिल्ली भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक
DELHI LAND (RESTRICTION ON TRANSFER) BILL

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि केन्द्रीय सरकार अर्जित भूमियों के अथवा जिन भूमियों के अर्जन के लिए सरकार द्वारा कार्यवाहियां आरम्भ की जा चुकी हैं, उनके अत्यधिक मात्रा में तात्पर्यित अन्तरणों अथवा ऐसी भूमियों के असतर्क जनता को किये जाने वाले अन्तरणों को निवारित करने की दृष्टि से कतिपय निर्बन्धन लगाने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अर्जित भूमियों के अथवा जिन भूमियों के अर्जन के लिये सरकार द्वारा कार्यवाहियां आरम्भ की जा चुकी हैं, उनके अत्यधिक मात्रा में तात्पर्यित अन्तरणों अथवा ऐसी भूमियों के असतर्क जनता को किये जाने वाले अन्तरणों को निवारित करने की दृष्टि से कतिपय निर्बन्धन लगाने वाले को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री आई० के० गुजराल : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक-जारी
INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) BILL-CONTD

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, आगे खण्डवार विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गए रूप में, आगे खण्डवार विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 1,—पंक्ति 14 से 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :

"(क) एक उपक्रम जिसमें—

(एक) पचास से कम कर्मचारी नियुक्त हैं

अथवा

(दो) पूर्वगामी 12 महीनों में काम के प्रतिदिन औसतन पचास से कम कर्मचारी नियुक्त किये गये थे।"

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : संशोधन को हमें परिचालित किया चाना चाहिये था।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : संशोधन की प्रतियां हमें परिचालित नहीं की गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आज इसकी अनुमति देता हूँ। लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री आर० के० खाडिलकर : माननीय सदस्यों के लाभ के लिये मैं संशोधन फिर पढ़ सकता हूँ।

श्री समर गुह (कन्टाई) **:** मैंने भी कुछ संशोधन रखे हैं, मैं उन्हें प्रस्तुत करना चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि वह सरकारी संशोधन था इसलिये मैंने उसको प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी थी।

श्री आर० ये० खाडिलकर : हमारा यह विचारहै कि छोटी संस्थाओं को विधेयक के क्षेत्र से अलग रखा जाना चाहिये। गत दो महीनों के दौरान बन्द हुए उपक्रमों के बारे में कार्यवाही करनी कठिन है।

अधिनियम की धारा 25 क में यह उल्लेख किया गया है कि उक्त, उपबन्ध ऐसे औद्योगिक संस्थानों में लागू नहीं होगें जिनमें पूर्वगामी 12 महीनों में काम के प्रतिदिन औसतन 50 से कम कर्मचारी नियुक्त किये गये हें। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कोई अन्य संशोधन स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : खंड दो के बारे में संशोधन संख्या 1 से 6 तक हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मन्त्री महोदय ने श्री सोमनाथ चटर्जी के संशोधन संख्या 6 के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उसे स्वीकर नहीं किया है। अब मैं संशोधन संख्या 1 से 6 को सभा में मतदान के लिये रखता हूँ।

सभी संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All the Amendments were put and negalned

अध्यक्ष महोदय : अब श्री खाडिलकर द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 है। प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1 पर पंक्ति 14 से 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेः—

(क) एक उपक्रम जिसमें—

(एक) पचास से कम कर्मचारी नियुक्त हैं— अथवा

(दो) पूर्वगामी 12 महीनों में काम के प्रतिदिन औसतन पचास से कम कर्मचारी नियुक्त किये गये थे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खंड 2 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 2 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

अध्यक्ष महोदय : द्वारा संशोधन संख्या 7 और 8 प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 1, the -nacting Formula and Title were added to the Bill

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये"

श्री समर गुह : मैं विधेयक के उद्देश्य से सहमत हूं। लेकिन इस विधेयक में कुछ कमियां हैं। मैं इस बारे में कुछ संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। विधेयक के अन्तर्गत न्यायधीश को इच्छानुसार कार्य करने की छूट दी गई है। विधेयक में 6 महीने की सजा अथवा 5000 रुपये जुर्माना करने की व्यवस्था है। लोग करोड़ों रुपये कमाते हैं जिसके लिये 5000 रुपया का जुर्माना बहुत कम है। विधेयक की कमियों के कारण यह विधेयक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : माननीय मन्त्री को पश्चिम बंगाल की स्थिति का पुनर्विलोकन करना चाहिये। कारखानों को खोलने के बाद कर्मचारियों को पहले उपलब्ध होने वाले विशेषाधिकार और सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

श्री आर० के० खाडिलकर : पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापना के लिये आवश्यक वातावरण नहीं है। औद्योगिक जीवन लगभग व्यस्त हो गया है। नये शासन के बाद उद्योगों की

फिर स्थापना की जा रही है। मुझे आशा है कि बन्द उद्योगों को फिर से चालू करने में यह विधेयक सहायक होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

छावनी (भाटक नियंत्रण विधियों का विस्तारण) संशोधन विधेयक

CANTONMENT (EXTENSION OF RENT CONTROL LAWS) AMENDMENT BILL

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि छावनी (भाटक नियंत्रण विधियों का विस्तारण) अधिनियम, 1957 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

This is a simple legielation and has been passed by Rajya Sabha there is no need for a dilatory discussion on it. After the Constitution came into force, it became the right of Parliament alove to frame laws regulating the rights of Landlords aud tenants of houses in Cantonmeat area. Since certain issues have arisev, it is imperative to give retrospective effect to such Laws in the interest of tenants.

I, therefore, commend this Bill to the House.

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि छावनी (भारक नियंत्रण विधियों का विस्तारण) अधिनियम, 1957 में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में विचार किया जाये।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने 1970 में निर्णय दिया था कि राज्य सरकारें संगत विधियां अधिसूचना द्वारा छावनियों पर लागू नहीं कर सकती। इस लिये यह विधेयक संसद में लाना पड़ा। एक बात खटकती है कि निजी मकानों को छावनी क्षेत्रों से क्यों बाहर रखा गया है। आशा है मन्त्री महोदय इस बात पर ध्यान देंगे।

पृष्ठ 2 पर उपखण्ड (3) की भाषा इतनी अस्पष्ट है कि इसका अर्थ निकालना बहुत ही कठिन हो गया है। उपखण्ड (3) के अनुसार राज्यों द्वारा पहले बनाये गये अधिनियमों को लागू किया जा सकेगा परन्तु यदि कोई अधिनियम निरस्त करके नया बना दिया जाये तो वह लागू नहीं किया जा सकेगा। सिद्धांत रूप में हम यह विधेयक स्वीकार करते हैं। आशा है मन्त्री महोदय इन सभी बातों पर ध्यान देकर उपखण्ड (3) की त्रुटी दूर करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri S. M. Banerji (Kanpur) : Although, there is nothing in this Bill to be oppised but as pointed out by Shri Chatterjee, the language of sub clause (3) is quite cumbersome and needs simplification. Lest it should be successfully challenged in the court I therefore, request Babu Jagjivan Ram look into it.

Secondly, a non-official Bill was brought here by Shri Bhakat Darshan in 1958 or 1959, in reply to which the then Deputy Minister of Defence had assured that a comprehensive Bill will be brought to replace the Cantonment Act. I feel that the Cantonments are having vast areas of land which are put to no gainful use. Now that time have changed and land is acutely needed, all surplus land in Cantonment areas should be put to use, particularly when Government are armed with powers to acquire.

Regarding Bazars in these areas, their names should be changed and there should be named after our martyrs.

Shri R V. Bade (Kharjone) : This bill was long overdue. In fact the idea of having cantonments away from civil populate was a British idea, who wanted to keep their army away from the public but now times have changed and therefore there is no need for retaining such cantonment.

I support this Bill becuase it goes in favour of the tenants and it will end a lot of litigatin and harassment. I am afraid if this legislation will go unchallanged in a Court of Law.

Shri Jagjivan Ram : I shall not take much time of the House in replying to the points raised on this bill. The West Bangal premises (Tenancy) Act would fall within Sub-Clause (3) of clause 3. So this is covered. Even then if the jurists and draftsmen deem any amendments necessary they can do so later on. Initially when cantonments were set up, they were quite far away from cities and civilian population, but as time passed, cities developed and now almost everywhere cities have surrounded the cantonments. Hence this Bill to obviate consequent hurdles and problem. As far as possible, bazars shall be excluded from the preview of this Bill A Team has been set up to go into this.

As it has received all round sopport, it may be passed.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं :

"कि छावनी (भारक नियंत्रण विधियों का विस्तारण) अधिनियम, 1957 का संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं : "कि खण्ड 2 से 4, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

खण्ड 2 से 4, खन्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 4, clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill

श्री जगजीवन राम : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पास किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

सिकन्दराबाद तथा औरंगाबाद छावनी गृह किराया नियन्त्रण कानून (निरसन) विधेयक

SECUNDERABAD AND AURANGABAD CANTONMENTS HOUSE RENT CONTROL LAW (REPEAL) BILL

श्री जगजीवन राम : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि सिकन्दराबाद तथा औरंगाबाद छावनी गृह-किराया नियंत्रण कानून, 1949, के निरसन का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

At the time of merger of the state of Hyderabad with the Indian Union, the military administration had formed rules for both Aurangabad and Secunderabad, now that Aurangabad is a part of Maharashtra, this law has to be repealed to obviate the difficulties of the respective states. Hence this Bill.

As it is also for the facility of tenants, it may, therefor be passed.

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि सिकन्दराबाद तथा औरंगाबाद छावनियां गृह-किराया नियन्त्रण विधि, 1949 के निरसन का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये।"

श्री सोमनाथ चटर्जी : अभी पास किए गए विधेयक को लागू करने से ही इस विधेयक का मनोर्थ सिद्ध हो सकता था। यह भी स्पष्ट नहीं हैं कि विद्यमान कानून किस प्रकार किराये दारों के हितों के विरुद्ध है। फिर भी इस विधेयक का हम समर्थन करते हैं और आशा है कि आवश्यक अधिसूचना शीघ्र जारी कर दी जायेगी।

श्री जगजीवन राम : मैं इसका आश्वासन देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिकन्दराबाद तथा औरंगाबाद छावनी गृह-किराया नियंत्रण कानून, 1949 के निरसन की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए, रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्डों को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 2 से 4, खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जगजीवन राम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पास किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री एस.एम. बनर्जी (कानपुर): गणपूर्ति हो जाने दीजिए, फिर ही विधेयक पास किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति तो हैं परन्तु वक्ताओं की कमी है।

(घन्टी बजाई जा रही है)

अध्यक्ष महोदय : अब गणपूर्ति हो गई है।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पास किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

सदस्य की गिरफ्तारी
ARREST OF A MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मैं त्रिवेन्द्रम के पुलिस आयुक्त से प्राप्त दिनांक 26 मई, 1967 के निम्नलिखित बेतार संदेश की सूचना देता हूं :

कि श्री ए० के० गोपालन ने, जिन्हे इससे पूर्व उसी न्यायालय के पूजाप्पपुरा पुलिस थाने के मामूली मामला संख्या 97/72 में हटाया गया था और सब मजिस्ट्रेट त्रिवेन्द्रम के समक्ष पेश किया गया था, न्यायालय का कमरा छोड़ने से इन्कार कर दिया, यद्यपि उन्हें 25 मई, 1972 को 17.10 बजे रिहा कर दिया था। सदस्य ने न्यायालय के कर्मचारियों की प्रार्थना की अवहेलना और पुलिस के विधि सम्मत अनुदेशों की अवज्ञा करते हुए न्यायालय के कमरे में ही रहने की जिद की। मजिस्ट्रेट ने भी मामले के सम्बन्ध में पुलिस से शिकायत की। अतः सदस्य को केरल पुलिस अधिनियम 1960 की धारा 32 (2) के अधीन 25 मई, 1972 को 22.45 बजे न्यायालय के कमरे से हटाया गया और उसी अधिनियम की धारा 38 (2), 47 और 52 के अधीन वांचीयूर पुलिस थाने के मामूली आरोप संख्या 44/72 में सब मजिस्ट्रेट न्यायालय 2, त्रिवेन्द्रम के समक्ष पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने सदस्य को 26 मई, 1972 को 11·00 बजे मध्याह्न पूर्व न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने के निदेश के साथ उन्हे सैन्ट्रल जेल, त्रिवेन्द्रम में न्यायिक हवालात में भेज दिया।

अतः उन्हें पहले भी पेश किया जा सकता था।

केरल और पश्चिमी घाट में कृषिजन्य वस्तुओं की कीमतों में भारी गिरावट के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE STEEP FALL IN THE PRICES OF AGRICULTURAL COMMGDITIES IN KERALA AND WEST COAST

अध्यक्ष महोदय : श्री उन्नीकृष्णन् अनुपस्थित है। श्री चन्द्रप्पन

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : केरल और पश्चिमी घाट के कतिपय अन्य राज्यों में कृषिजन्य वस्तुओं की कीमतों में भारी गिरावट पर चर्चा करते हुए मैं विशेषतः नारियल के मूल्यों की गिरावट के बारे में कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair

नारियल की खेतीं केरल राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, गत एक वर्ष से नारियल तथा नारियल उत्पादों के मूल्यो में गिरावट आ रही हैं, इसका कारण मुख्यतः सरकार की नीति है, देश के अन्य भागो में कृषिजन्य वस्तुओं के मूल्यों मे वृद्धि हो रही है परन्तु हमारे राज्य में नारियल, सुपारी और काली मिर्च तथा अन्य कृषिजन्य पदार्थों के मूल्यों में गिरावट आती जा रही हैं, इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

जबकि नारियल और गरी के मूल्यो में भारी गिरावट आ रही है, सरकार श्रीलंका से इसका आयात कर रही है इससे तो उसके मूल्यों में और भी गिरावट आयेगी।

नारियल का तेल न केवल खाने में प्रयोग किया जाता हैं अपितु इसका प्रयोग औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में भी होता है। इसके कीमतों का निर्धारण बड़े बड़े व्यापार गृह करते हैं जो कभी तो इनके मूल्य बढ़ा देते हैं और कभी घटा देते है, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है।

सरकार एकाधिकार व्यापार गृहों द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की कार्यवाहियों को, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है रोक सकती है।

क्या सरकार नारियल, गरी, तेल आदि पदार्थों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिए तैयार है ? फिर आप किस प्रकार यह सुनिश्चित करेंगे कि यह मूल्य उत्पादकों को मिल जायेगा ? इसके लिए राज्य व्यापार निगम तथा इस प्रकार के अन्य निगम मंडी में आकर उन वस्तुओं को खरीद सकते है। सरकार को भय नहीं होना चाहिए कि उसे इन वस्तुओं के लिए मंडी नहीं मिलेगी।

सुपारी का गिरता हुआ मूल्य चिंता का विषय है। इसका निर्यात बंगला देश को किया जाता था परन्तु वहाँ हाल ही के संघर्ष के कारण यह व्यापार बन्द हो गया था। आज वहां पुन: व्यापार की बातचीत चल रही है इसलिए सरकार को वहां सुपारी का निर्यात करने की बात उठानी चाहिए। इसके अतिरिक्त सुपारी के निर्यात के लिए नई मंडियां खोजी जानी चाहिए। आज सरकार की उपयुक्त नीति के अभाव में कई कृषिजन्य वस्तुओं का निर्यात नहीं हो रहा है जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा हैं।

मुझे आशा है कि सरकार इस समस्या के हल के लिए ठोस कार्यवाही करेगी। सभी लोग चाहते हैं कि केरल तथा पश्चिमी घाट के क्षेत्रों के उत्पादकों को अपने कृषिजन्य उत्पादों का उचित मूल्य मिले। इसके अतिरिक्त मैं सरकार का ध्यान स्थानापन्न तेलों के बारे में दिलाना चाहता हूँ जिन्हे सरकार नारियल के तेल के स्थानापन्न के रूप में आयात कर रही है, हम आत्मनिर्भर होने की बात करते है तो फिर क्यों ऐसे तेलों का आयात किया जा रहा है आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बडागरा) : केरल की अर्थव्यवस्था सामाजिक जीवन, जनता के स्वप्न तथा आकांक्षाओ में नारियल का स्थान विशिष्ट है, अन्य राज्य इन वस्तुओं पर इतने निर्भर नहीं है जितने कि हम।

हमारी कृषि की एक विशेषता यह है कि हम व्यापारिक फसलों पर बहुत निर्भर है। ऐसा भौगोलिक परिस्थितियों के कारण होता है। हमारे राज्य की नारियल की खेती अन्य राज्यो की व्यापारिक फसल से भिन्न है। यहाँ एक पेड़ को फलदायी बनने में सात वर्ष लग जाते है यहां इस खेती में दो करोड़ व्यक्ति लगे हुए है और जोतें बहुत कम हैं इसलिए नारियल के मूल्य केरल में तथा विशेषकर पश्चिमी क्षेत्र में वहां के लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं, केरल में भूमि सुधारों के परिणाम स्वरूप प्रत्येक घर में पांच अथवा छ: नारियल के पेड़ होगे।

नारियल के लाभप्रद मूल्य देने से कृषकों को लाभ पहुँचेगा जिनके लिए पांच अथवा छ: पेड़ ही सब कुछ है। नारियल के मूल्यों में इस अर्थ में बहुत कमी हुई है कि 1964-65 से इनके

मूल्य 500 रुपये से 600 रुपये तक स्थिर रहे हैं। गत छह से आठ महीनों के दौरान केरल के लोगों को नारियल के व्यापार में 60 करोड़ रुपयों की हानि हुई है जो उनकी सीमा से बाहर की बात हैं। आज केरल में प्रत्येक परिवार साहूकारों का गुलाम बन गया है। केवल नारियल के ही मूल्य कम नहीं हुए है अपितु यह स्थिति सुपारी, काली मिर्च आदि वस्तुओं के साथ भी हुई है। उनके मूल्य 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक कम हुए हैं।

सरकार वास्तव में इस स्थिति को समझ नहीं सकी है, क्या सरकार ने इस स्थिति का सामना करने के लिए कोई तात्कालिक योजना बनाई है। यदि मूल्यों में इस प्रकार गिरावट आती रही तो कौन व्यक्ति नारियल की खेती में रुची दिखायेगा? यह बात सच हैं कि एकाधिकार गृहो के कारण इनके मूल्यों में गिरावट आ रही है।

एक अन्य पहलू भी है, सौदर्य प्रसाधनों के उद्योगों में नारियल के तेल तथा इसके उप-उत्पादों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। आज जब कि सोंदर्य प्रसाधनों के मूल्यों में वृद्धि हुई है, नारियल के मूल्य में गिरावट आई है।

व्यापारिक फसलों की कठिनाइयाँ हमारी अर्थव्यवस्था की कठिनाइयां है। मैं विशेषकर यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इनके मूल्यों को वर्तमान स्तर पर ही रखा जायेगा? क्या इसके लिए कोई तात्कालिक योजना बनाई गई है। यह हो सकता है कि संसद में हमारा वैसा गुट नहीं है जैसा बड़े जमींदारो, कुलाक वर्ग का है, चूंकि हम अमीर किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते है, इसलिए हमारी संसद में कोई सुनवाई नहीं है।

मूल्य समर्थन नीति के बारे में मेरी जानकारी नहीं हैं, यह कार्य कृषि मन्त्रालय का है जिसका काम अन्य संबन्धित मन्त्रालयों के साथ मिलकर इसे निर्धारित करना है, आज मूल्य समर्थन नीति की मांग करने के अलावा और कोई विकल्प नही है।

मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूँ कि इस कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी। मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ पर इतना कहना चाहूँगा कि केरल की जनता संगठित रूप से इसके विरुद्ध आवाज उठायेगी, मेरा उद्देश्य मन्त्री महोदय के लिए विकट स्थिति पैदा करना नहीं है। मेरा उनसे यह अनुरोध है कि वे अन्य संबन्धित मन्त्रालयों के साथ मिलकर इस समस्या को हल करें।

मैं यह बता देना चाहता हूँ कि यह खाद्य तेल नहीं है। साबुन बनाने वाले बड़े उत्पादक इसका प्रयोग औद्योगिक कार्य के लिए करते हैं और लोगो को बताते हैं कि यह खाद्य तेल हैं। वे इसका मूल्य कम रखने के लिये ऐसा करते हैं. सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए अन्यथा केरल की अर्थव्यवस्था ग्रस्त व्यस्त हो जाएगी।

मैं मन्त्री महोदय को बता देना चाहता हूँ कि वहां अध्ययन दल भेजना ही पर्याप्त नहीं होगा, हम जानना चाहते हैं कि सरकार की इस संबन्ध में क्या स्पष्ट नीति हैं।

काली मिर्च एक निर्यात प्रधान वस्तु है। इसके बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है। इसी प्रकार क्या सरकार ने नारियल, सुपारी, इलायची अदरक के मूल्यों की ओर भी ध्यान दिया है अन्त में मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वे हमारी भावनाओं को समझकर नीति निर्धारित करें।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि सरकार इन नकदी फसलों के संबन्ध में अपनी स्पष्ट नीति सामने रखे, इन नकदी फसलों पर बड़े व्यापार

गृहों का नियंत्रण है, न केवल बम्बई अपितु श्रीलंका के बड़े व्यापारी केरल में नारियल के मूल्यों को प्रभावित करते है। जब तक उन पर कड़ा नियंत्रण नहीं रखा जायेगा तब तक नारियल के उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य नही मिल सकता है। केरल की अर्थ व्यवस्था के समक्ष संकट आया हुआ है। यदि समय रहते स्थिति संभाली नहीं गयी तो नारियल उत्पादक बड़े व्यापार गृहों के शिकंजे से निकलने के लिए सघर्ष करने पर विवश हो जायेंगे, सरकार गरीबी हटाओ का नारा लगाती है परन्तु केरल में नारियल उत्पादक इतनी मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से दो चून रोटी जुटा पाता है। जिस प्रकार सरकार ने पश्चिम बंगाल में पटसन के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित किया है उसी प्रकार केरल में नकदी फसल उत्पादकों के लिए ऐसा किया जा सकता है।

नारियल की मन्डियों को बड़े व्यापार गृहों के शिकजों से बचाने के लिए सरकार द्वारा कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये तथा उनके मूल्यो को गिरने नहीं देना चाहिए, इन नकदी फसलो के उत्पादक छोटे किसान हैं जिन पर बड़े एकाधिकारवादियों का नियंत्रण है, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे इन फसलो के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट नीति बताएं।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : आज राज्य की संपूर्ण अर्थव्यवस्था डांवाडोल स्थिति में है। मैं अन्य पहलुओं पर चर्चा न करके नारियल के मूल्य के बारे में ही अपने विचार रखूंगा।

नारियल उद्योग से राज्य को प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये की आमदनी होती है, लाखो किसान नारियल तथा इससे संबन्धित विभिन्न उद्योगों में लगे हुए है। वस्तुतः राज्य में जनता का एक बड़ा वर्ग इस उद्योग में कार्यरत है।

केरल में नारियल की खेती की एक विशेषता यह है कि 90 प्रतिशत खेती छोटे किसानों के हाथ में है और प्रत्येक जोत 1 हेक्टेयर से कम है। उनकी आमदनी का स्रोत यहीं है अतएव मूल्यों में कमी होने से छोटे किसानों को अधिक हानि उठानी पड़ती है। सरकारी आंकड़ो के अनुसार वर्ष 1970 में नारियल की दर प्रति 100 पर 55 रुपये थी और अब 1972 में यह दर प्रति 100 पर 39 रुपये हो गई है। यह सरकारी आंकड़े है, यह दर प्रति 100 पर 16 रुपये तक पहुंची है। हम प्रति वर्ष 400 करोड़ रुपये का नारियल पैदा करते हैं और सरकारी आंकड़ो के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था को 64 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

इसी प्रकार इलायची, काली मिर्च आदि नकदी फसलो के मूल्यों में कमी हुई हैं, हमारे यहां उद्योग नहीं हैं, श्रमिको की मजूरी बहुत कम है, हमारा राज्य बहुत छोटा है परन्तु यहां के लोग मेहनती हैं, उन्होने कोई भी भूमि खाली नहीं छोडी हैं। केरल का किसान ईमानदारी और मेहनत से फसल पैदा करके अपना जीवन यापन करता है। उसे मूल्यों कीं इस गिरावट से हानि पहुंची है। अतएव मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह अपने दायित्व के प्रति जागरुक नही है।

मैं मन्त्री महोदय के प्रति कृतज्ञ हूं कि उन्होंने हमारे अभ्यावेदन के उत्तर में केरल की स्थिति का अध्ययन करने हेतु वहां एक समिति भेजी थी, उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि समिति की सिफारिशे क्या हैं। परन्तु

ऐसा समझा जाता हैं कि कीमतें बनावटी है और वे उचित नहीं हैं। सरकार को अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनाने हेतु कार्यवाही करनी चाहिए। मेरे विचार में मूल्यों में यह अचानक भारी कमी जानबूझकर पैदा की गई है।

अब इसे खाद्य तेल बताया गया है। खाद्य तेल के मामले में सट्टा व्यापार पर रोक लगा दी गई हैं। साबुन उद्योग में खाद्य तेल के प्रयोग पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है। साबुन उद्योग को आयातित तेल और आयातित चर्बी सप्लाई की जा रही है। हमारे उत्पादक का अधिकांश भाग भारत के बाहर ही नहीं, बल्कि हमारे राज्य से भारत के अन्य राज्यों में भी निर्यात किया जा रहा हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि नारियल के तेल में कुछ ऐसे तत्व है, जिनका हृदय पर कुप्रभाव पड़ता है। इसलिए खाद्य तेल के रुप में नारियल के तेल के मूल्य में गिरावट आ गई है। मूल्यों में गिरावट बनावटी हैं और सरकार को इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिए।

नारियल की उत्पादन लागत में लगातार वृद्धि होती जा रही है। आर्थिक सांख्यिकी ब्यूरों के अनुसार नारियल की प्रति एकड़ कृषि पर 1100 रुपये व्यय आता है। सभी प्रकार के उत्पादन व्यय को हिसाब में लेने पर प्रति नारियल लागत 50 पैसे पड़ती है। इस प्रकार कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होता और परिणाम स्वरूप किसान उर्वरक आदि का प्रयोग नहीं कर पाता।

नारियल तेल के बारे में सट्टा बाजार पर रोक समाप्त होनी चाहिए। सरकार उत्पादक और राजनेतिक दल सभी माँग कर रहे है कि सट्टा बाजार पर रोक समाप्त हो। इस रोक के समाप्त होने पर किसान बैंक मे बेहतर ऋण सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। 17000 टन गोले का आयात किया जा रहा है और यहां उसकी कीमतों में भारी कमी आ रही हैं। इस गोले को सुरक्षित भण्डार के रूप में रखा जा सकता है।

नारियल बागान 807,000 हेक्टेयर क्षेत्र में, काली मिर्च 100,000 हेक्टेयर क्षेत्र में, इलायची 47,000 हेक्टेयर क्षेत्र में है। इन सभी के मूल्यों में भारी गिरावट आ गई है और केरल की अर्थ व्यवस्था में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले (मावलिवन्करा): मैं नारियल के अलावा काली मिर्च, इलायची और अन्य फसलों का भी मैं उल्लेख करना चाहूँगा। वर्ष 1969-70 में नरियल की कीमत 80 रु० प्रति सो नारियल थी। अब वह घटकर 40 रु० प्रति सो नारियल पर आ पहुँची है। नारियल गोले की कीमत देश में गिर रही है, मगर फिर भी श्रीलंका से 11-12 करोड़ रुपये की लागत का नारियल गोला कपड़े के बदले आयात किया जाता है। मैं मन्त्री महोदय से इस बारे में स्परटीकरण चाहूंगा।

काली मिर्च के बारे में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हैं। 1951 में काली मिर्च की कीमत 20,000 रु० प्रति टन थी। अवमूल्यन के पश्चात् कीमत 30,000 प्रति टन होनी चाहिए थी, इस समय कीमत 5000 रु० प्रति टन है। किसानों को अब काली मिर्च की खेती में कोई रुचि नही है। काली मिर्च पर भारी निर्यात शुल्क का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हैं।

पिछले वर्ष इलायची की कीमत 102 रु० प्रति किलोग्राम थी। इस वर्ष कीमत 19 रु० प्रति किलोग्राम है। हमें जो पिछले वर्ष घाटा हुआ, उसका चौथाई भाग भी इस वर्ष मूल्य के

रुप में नही मिल पाया है । कम कीमत मिलने के कारण अदरक की खेती किसान पहले ही छोड चुके हैं ।

नारियल, रबड, सोंठ और इलायची सभी के बारे में केरल को नुकशान पहुँचा हैं । मूल्य स्तर का विनियमन करने के लिए कोई मूल्य नीति अथवा व्यवस्था नही है । कृषि मन्त्रालय अथवा विदेश व्यापार मन्त्रालय किसी एक ही एजेन्सी को चाय, काफी, इलायची आदि का नियत्रण करना चाहिए । केरल में भेजे गये अध्ययन दल की रिपोर्ट पर शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए । बाढ़ के कारण भी वहा के किसानों पर भारी विपत्ति आ पड़ी हैं । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि किसानों को उत्पादन लागत के अनुरुप अपने उत्पादों का मूल्य निश्चित होना चाहिए ।

श्री वयालार रवि (चिरयिकील) : कृषि उत्पादों के मूल्य में भारी कमी के कारण राज्य की जनता को हो रही परेशानियों पर मैं यहां प्रकाश डालना चाहता हूँ । कृषि मूल्य आयोग ने अभी हाल ही में गेहूँ की कीमत में 4 पैसे प्रति किलोग्राम की कमी करने का सुझाव दिया था । इस समय में भारी विरोध किया गया और कई मुख्य मन्त्रियों ने भी विरोध किया था । सरकार ने यह तर्क देकर मूल्य में कमी अस्वीकार कर दी थी कि गेहूँ उत्पादकों को गेहूँ बोते समय यह नहीं बताया गया था कि बाद में गेहूँ के मूल्य में कमी की जायेगी । आप यही तर्क केरल के बारे में भी लागू करें । नारियल, इलायची, रबड़, काफी, चाय, काली मिर्च आदि के पेड़ों के उगने में क्रमश: 7 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष 5 वर्ष का समय लगता है । क्या गेंहूँ वाला तर्क इनके बारे में भी लागू किया जायगा ? वर्ष 1969 में नारियल की जो कीमत 750 रु० थी वह घटकर 340 रु० रह गई हैं । अदरक की कीमत घटकर आधी रह गई है ।

राष्ट्रीय आय में केरल का योगदान 1200 करोड़ रुपया है और 200 करोड़ रुपया तो केवल नारियल उद्योग का ही योगदान है । राज्य को कीमत में कमी के कारण 65 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ रहा है । हम नारियल, सुपारी और रबड़ में आत्म-निर्भर हैं, फिर भी विदेश मन्त्रालय ने नारियल गोला और रवड़ का श्रीलंका से आयात करने का निर्णय करके गलत कदम उठाया है । केरल सरकार ने भी आयात बन्द करने की माँग की है । मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार के अध्ययन दल की रिपोर्ट पर मन्त्री महोदय शीघ्र विचार करेंगे ।

भूमि कानूनों के कारण अब प्रत्येक परिवार के पास 6 से 8 पेड़ हैं अर्थात् 200 नारियल उन्हें प्राप्त हो सकते हैं । उचित मूल्य मिलने पर ही दोनो समय भरपेट भोजन परिवार को उपलब्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं । इसीलिए प्रत्येक राजनैतिक दल इस बारे में चिन्तित है ।

स्थिति में सुधार लाने के लिये रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को अधिक सहायता देनी चाहिए । एन० सी० डी० सी० को भी आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए । मूल्य स्तर बनाये रखने के लिये सहकारी विपणन समितियों की सहायता की जानी चाहिए ।

श्री के० बालकृष्णन (अम्बलपुजा) : केरल में नारियल की कीमत में भारी कमी होने पर मुझे भी काफी चिन्ता है । नारियल केरल की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ है । प्रत्येक स्थान पर नारियल के पेड़ को वहां देखा जा सकता हैं । नारियल के पेड़ के प्रत्येक हिस्से-पत्ती, तना, जटा, जड़ आदि का उपयोग किया जाता है ।

नारियल और नारियल का तेल केरल में खाद्य पदार्थ है और केरल के बाहर वह अखाद्य हैं ।

यह एक आर्थिक वृक्ष है और नारियल के मूल्य में गिरावट के क्या कारण है ?

मूल्य मांग और पूर्ति पर आधारित होता है। काली मिर्च की कोई फसल नहीं उगानी पड़ती, परन्तु हमें उसकी अच्छी कीमत प्राप्त होती हैं। परन्तु नारियल की कीमत में कमी के क्या कारण है ?

इसमें कमी के कारण ढूँढ़ने के लिए जांच होनी चाहिए।

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा (चिकमगलूर) : नारियल के सभी पहलुओं के बारे में मेरे पूर्व वक्ता मित्र बोल चुके हैं। मैं इलायची और सुपारी के बारे में बोलना चाहूंगा।

इलायची विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली सामग्री है। वर्ष 1969–70 और 1970–71 में इलायची का कुल उत्पादन क्रमश: 2300 टन और 3170 टन था। वर्ष 1970-71 में 1972 टन इलायची के निर्यात से लगभग 11.2 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय देश को हुई।

वर्ष 1968-69 में इलायची की कीमत 80 रु० और 120 रु० प्रति किलोग्राम थी। अब वह घटकर 15 रु० और 28 रु० प्रति किलोग्राम रह गई है। कीमत में कमी का मुख्य कारण उत्पादन में कमी अथवा वृद्धि नहीं, वल्कि बिचौलिया है।

वर्ष 1968-69 में निर्यात कम था, परन्तु वर्ष 1970-71 में निर्यात अधिक होने के बावजूद भी इलायची की कीमत में कमी आ गई है। इस बारे में विदेश व्यापार मन्त्रालय को गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। मेरे विचार से, समस्या का एकमात्र समाधान यह है कि इलायची के निर्यात व्यापार को अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार विनियमित किया जाय।

एक अन्य सुझाव यह है कि इलायची के निर्यात प्रचार को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाय। इलायची बोर्ड ने देश के भीतर या बाहर कभी किसी प्रदर्शनी अथवा मेले में भाग नहीं लिया है। मेरा अनुरोध यह है कि विदेश मंत्रालय इस बात की व्यवस्था करे कि इलायची बोर्ड विदेशों में और कम से कम मध्य-पूर्व के देशों को शिष्टमण्डल भेजे जिससे इलायची उद्योग का विकास हो सके।

इलायची बोर्ड में उन व्यक्तियों को नाम-निर्देशित किया जाता है जो बागान मालिक हैं और जो निर्यातकर्ता व आयातकर्ता हैं। इस प्रकार के आयात-निर्यात का ही नियन्त्रण नहीं करते, इलायची बोर्ड पर भी अपना प्रभुत्व जमाये रखते हैं। इलायची उत्पादक को नाम मात्र का लाभ प्राप्त होता है। निर्यातकर्ता अधिकतम मूल्य पर निर्यात दिखाते हैं और न्यूनतम मूल्य लेकर शेष धन से अन्य वस्तुओं का आयात करते हैं।

सुपारी एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। इसका उत्पादन सारे मैसूर राज्य और केरल तथा मद्रास के कुछ भागों में होता है। इसके मूल्य में 50 प्रतिशत तक कमी आ गई है। इसका कारण श्रीलंका से सुपारी का आयात है। विदेश व्यापार मन्त्रालय को इस बारे में सही स्थिति का पता लगाना चाहिए यदि इसका कारण यही है अथवा कुछ और। देश की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिये सुपारी का उत्पादन यहां हो रहा है। समाचार पत्रों के अनुसार श्रीलंका की सरकार को विदेशी मुद्रा संबंधी कठिनाइयों में सहायता करने के लिए वहां से सुपारी का आयात किया जा रहा है। परन्तु श्रीलंका की सरकार को सहायता पहुंचाने के लिए हमारे देश के सुपारी उत्पादकों को हानि पहुंचाने में कोई औचित्य नहीं है।

मैसूर राज्य का रायचूर जिला देश में कपास का सबसे बड़ा केन्द्र है। परन्तु कपास

उत्पादकों की स्थिति बहुत शोचनीय है। कपास व्यापार निगम ने इस वर्ष यहां पर केवल 5000 गांठों का क्रय किया है जबकि यहां का उत्पादन 1,25,000 गांठे है। इसके परिणामस्वरूप कपास के मूल्यों में गिरावट भी आ रही है। कृषि मन्त्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कपास व्यापार निगम कपास का पूरा कोटा खरीदे।

***श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** (अडूर) : केरल में अधिकांश व्यक्ति नारियल और सुपारी की उपज पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। परन्तु इन वस्तुओं का मूल्य इतना अधिक गिर चुका है कि इन निर्धन लोगों को दोनों समय की रोटी प्राप्त करने में भी कठिनाई हो रही है।

खोपडे के मूल्य में गिरावट आ जाने के परिणामस्वरूप अधिकांश तेल तथा साबुन उत्पादक कारखानें बन्द कर दिये गये हैं। मन्त्री महोदय को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार बन्द होने वाले कारखानों को फिर से खोला जाए अथवा नहीं। इसके साथ ही नारियल और खोपडे के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिये एक नारियल बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए यह एक नितान्त आवश्यकता है।

नारियल और सुपारी के पेड़ों को कई बीमारियां लग जाती है। इनके कारणों का पता लगाने तथा इन्हें दूर करने के लिए उपाय किये जाने चाहिए।

भारत के विदेशी मुद्रा उपार्जन में केरल का मुख्य स्थान है। काली मिर्च और अदरक केरल की विदेशी मुद्रा अर्जन करने वाली फसलें हैं। इनके उत्पादन को और निर्यात को बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि इनके मूल्यो में गिरावट को रोका जाए जिससे उत्पादक इनका उत्पादन लाभकारी समझें। मन्त्री महोदय को इस पहलू की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : नारियल एक खाद्य फसल है और इसके साथ साथ यह एक बहु-उद्देश्यीय फसल के रूप में भी लाभदायक हैं। इस देश के समूचे पश्चिमी तट पर काफी अधिक क्षेत्र में नारियल की खेती होती है। नारियल के मूल्यों की ओर गम्भीरता पूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए। हम देखें तो वास्तव में पता लगता है कि उपभोक्ता को किसी भी वस्तु के लिए अधिक मूल्य देना पड़ता हैं और उत्पादक को उसके लिए बहुत कम मूल्य प्राप्त होता है। इस प्रकार बिचौलिये अधिक लाभ कमा कर ले जाते हैं। सरकार को बताना चाहिए कि बिचौलियों को समाप्त करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की गई है।

काफी, रबड़, इलायची आदि के लिए अलग अलग बोर्ड बनाये हुए हैं परन्तु नारियल के लिए कोई बोर्ड नहीं बनाया गया है। कृषि संबंधी सभी वस्तुओं के संबंध में न केवल मूल्य निर्धारित करने चाहिए अपितु न्यूनतम मून्य भी निर्धारित किये जांने चाहिए। सुपारी की खेती भी काफी अधिक क्षेत्र में की जाती हैं अतः इसका भी मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए।

श्री पी० वेंकटा सुब्बया (नन्दयाल) : गेहूँ तथा अन्य खाद्यान्नों के बारे में तो हमने आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है परन्तु वाणिज्यिक फसलों के सम्बन्ध में स्थिति उत्साहवर्धक नहीं है। इनकी खेती कम क्षेत्र में होने लगी है जिससे उत्पादन कम हो रहा है। इसके साथ ही मूल्य भी कम होते जा रहे हैं। नारियल, सुपारी, अदरक, काली मिर्च आदि के द्वारा देश को काफी अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इनके द्वारा भारत के पश्चिमी तट की कृषि सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था को भी व्यवस्थित रखा जा सकता है।

* मलयायम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

* Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Malayalam.

देश में कपास और इसके मूल्य के संबंध में भी ऐसी ही स्थिति है । हमारा देश प्रतिवर्ष मिश्र और सूडान से लगभग 90 करोड़ रुपये की कपास का आयात करता है परन्तु दूसरी ओर हम अपने देश में कपास उत्पादकों को उचित मूल्य देने में विफल रहे हैं । कपास निगम बाजार में उतरा तो है परन्तु वह समस्या का उचित तरीके से मुकाबला करने और उत्पादकों को राहत देने में असफल रहा हैं । इस निगम के कार्यकरण में कदाचार व्याप्त है । वास्तविक उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा हैं । सरकार का यह कर्त्तव्य है कि उत्पादकों को संरक्षण दें । उत्पादकों को न केवल न्यूनतम मूल्य अपितु लाभदायक मूल्य दिलाया जाना चाहिए ।

हम प्रत्येक वाणिज्यिक वस्तु के लिए सांविधिक बोर्ड बना रहें है वास्तव में प्रत्येक वाणिज्यिक वस्तु के लिए पृथक बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है । मैं समझता हूँ कि न केवल न्यूनतम तथा लाभदायक मूल्य के लिए अपितु कृषि उत्पादों के संवर्धन और विपणन के लिए सांविधिक बोर्ड तुरन्त बनाये जाने चाहिए ।

श्री पी० नरसिन्हा रेड्डी (चित्तूर) : यह विषय केवल मात्र केरल अथवा केरल के लोगों से संबंधित नहीं है । आए दिन कपास, पटसन, गन्ना, नारियल, सुपारी के उत्पादकों की कठिनाइयों की बातें सुनने में आती हैं । इससे स्पष्ट है कि देश में कृषि उत्पादन संबंधी सारी स्थिति अस्त-व्यस्त हैं । यह एक मौलिक प्रश्न हमारे सामने है और मेरे विचार से सरकार को इस बारे में अवहेलना नहीं करनी चाहिये । हमने देखा है कि नारियल के मूल्यों में अभूतपूर्व गिरावट आई है । 6 महीने की अवधि में इस व्यापार में 60 करोड रुपये की हानि हुई है । इसके परिणाम स्वरूप 2 करोड व्यक्ति प्रभावित हुए है । यदि यह स्थिति बनी रही तो केरल के नारियल के उत्पादक नारियल के पेड़ों को काटना और उस भूमि पर अन्य फसल उगाना प्रारंभ कर देंगे ।

यह समस्या आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मैसूर में भी फैल रही है । यदि मूल्यों में ऊंच नीच बम्बई के कुछ एकाधिकार घरानों के नियंत्रण मे रहने दी गई तो नारियल तथा इस प्रकार की अन्य फसलों का भविष्य अत्यन्त अन्धकारमय होगा । अतः सरकार को प्रत्येक कृषि उत्पाद के बारे में एक उपयुक्त न्यूनतम मूल्य नीति अपनानी चाहिए ।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी शिन्दे) : केरल के सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि गेहूँ तथा कुछ अन्य फसलों के क्षेत्रों का सरकार में काफी प्रभाव है और चूंकि नारियल एवं इस प्रकार की अन्य फसलों के बारे में उनका कोई प्रभाव नहीं अतः सरकार को उनके बारे में उपेक्षा की नीति है । वास्तव में यह आरोप सही नहीं है ।

कृषि के सबंध में देश की स्थिति अब आगे से सुधर चुकी है । इस सुधरी हुई स्थिति का कारण न्यायपूर्ण मूल्य नीतियां ही हैं । यह कहना गलत है कि सरकार किसी दवाब के आधार पर मूल्य नीतियां बनाती है । अब तक हमारा देश आयात पर निर्भर करता था । इसलिए उत्पादन बढाकर आयात बन्द करना हमारे राष्ट्रीय हित में होगा । जिन क्षेत्रों में हम अभी आयात पर निर्भर करते हैं उनका उत्पादन बढाने की नीति का हमें पालन करना होगा ।

कपास के बारे में हमें विवेकपूर्ण नीति अपनानी होगी जिससे आगामी तीन-चार वर्षों में हम आयात को समाप्त करने की स्थिति प्राप्त कर सकें । इसी भांति हम औद्योगिक उद्देश्यों के लिए तिलहनों का आयात करते हैं । इस बारे में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि तिलहनों के संबंध में भी हमारा देश आत्म निर्भर हो । इसके लिए हमें इस बारे में न्यूनतम मूल्य निर्धारित

करना होगा और इसके लिए आवश्यक संरक्षण देना होगा। नारियल भी इसी वर्ग के अन्तर्गत आ जाता है।

नारियल उत्पादन उद्योग मुख्यतया छोटे उत्पादकों और छोटे किसानों के हाथ में है। सरकार इन छोटे किसानों के हितों को संरक्षण देने के प्रति उत्सुक है। हम ऐसी नीतियाँ बनाने पर विचार कर रहे हैं जिनसे छोटे किसान यह समझें कि इस कठिनाई में सरकार उनकी सहायता करेगी।

केरल के सदस्यों ने माँग की है कि नारियल उद्योग सम्बन्धी समस्या का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल प्रतिनियुक्त किया जाए। सरकार ने इसे स्वीकार करके एक अध्ययन दल नियुक्त किया है, जिसने सर्वेक्षण के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करदी है। इस पर विचार किया जा रहा है।

जैसा कि मैंने बताया है कि हमारी अर्थ व्यवस्था में सुधार हो रहा है। इसके अन्तर्गत तिलहनों की स्थिति भी सुधरी है। पिछले वर्ष हमारे देश में तिलहनों का उत्पादन काफी बढ़ा हैं। इसके परिणाम स्वरूप खाने वाले तेलों के मूल्य गिरे हैं। इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप नारियल के तेल और खोपडे के मूल्यों में भी गिरावट आई हैं। और फिर मूल्य निर्धारित करने में उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों के हितों पर भी सरकार को ध्यान में रखना पड़ता है।

श्री के० एन० तिवारी (बेतिया) : उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों के हितों को ध्यान में रखने के विचार से सरकार जापान की तरह खाद्य वस्तुओं पर राज सहायता दे।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : यह सब अर्थ व्यवस्था पर निर्भर करता है। हमारी अर्थ-व्यवस्था अभी इस स्तर तक नहीं पहुँची है। एक बात मैं अवश्य स्वीकार करूंगा कि नारियल के मूल्य स्तर में स्थिरता लाने की आवश्यकता हैं। केरल में विपणन व्यवस्था इस प्रकार की है कि लघु उत्पादक बाजार में नहीं आ सकते हैं। फसल कटाई से पहले ही बेच दी जाती है। इस प्रकार किसान साहूकारो और व्यापारियों के नियन्त्रण में हैं। अतः केरल में विपणन व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। जिससे उत्पादकों को लाभदायक मूल्य प्राप्त करने में सुविधा हो और बिचौलियों को अधिक लाभ प्राप्त न हो सके।

केरल में इस उद्योग की एक और विशेषता है। केरल से नारियल खरीद कर परिष्करण के लिए बम्बई ले जाये जाते है और तत्पश्चात् उन्हें अधिक मूल्यों पर बेचा जाता है। यह कार्य केरल में होना चाहिए जिससे वहाँ के लोगों को अधिक रोजगार प्राप्त होगा। इस प्रकार समस्या को हल करने के लिए विपणन व्यवस्था को अवश्य बदलना होगा, परिष्करण सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी एवं उचित मूल्य नीति बनानी होगी।

यह पूछा गया है कि सरकार वायदा व्यापार पर से प्रतिबन्ध क्यों नहीं हटाती है। इस बारे में सरकार का व्यापक दृष्टिकोण यह है कि वायदा बाजार से सट्टे को प्रोत्साहन मिलता है अतः यह प्रतिबन्ध हटना नहीं चाहिए। परन्तु यदि नारियल के वायदा बाजार से प्रतिबन्ध हटाने से वायदा बाजार को प्रोत्साहन मिलने की सम्भावना न हो तो इस बारे में विचार किया जा सकता है।

खोपडे के आयात का प्रश्न भी उठाया गया है। इस मामले को विदेश व्यापार मन्त्रालय के साथ उठाया जायेगा। हमने पहिले ही देश को आत्म निर्भरता का नारा दिया है। अनाज का आयात बन्द हो चुका है। अगले तीन-चार वर्षों में कपास और खाने के तेलों का आयात बन्द

होने की संभावना है। परन्तु इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि सप्लाई की कमी के कारण आपात काल में उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

सुपारी के सम्बन्ध में भी यही स्थिति हैं। कभी हम सुपारी का आयात करते थे। परन्तु अब इसके उत्पादन में वृद्धि हो गई। परन्तु इसके कारण मूल्यों में कुछ गिरावट अवश्य आ गई हैं। अतः इसके सम्बन्ध में भी एक नई नीति निर्धारित की जानी होगी।

जहां तक सुपारी के निर्यात का सम्बन्ध है, उसके निर्यात की सम्भावनाएं अत्यन्त सीमित हैं। किन्तु मैंने मन्त्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से इस सम्बन्ध में बात चीत की है कि सुपारी को अन्य किस काम में लाया जा सकता हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि 500 टन सुपारी का आयात भी किया जाता हैं। इस सम्बन्ध मे मैं विदेश व्यापार मन्त्रालय से बातचीत करूंगा। काली मिर्च जैसी कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका निर्यात किया जाता हैं और जिनके देश में प्रचलित मूल्यों पर अन्तर्राष्ट्रीय मन्डी में प्रचलित उनके भावों का प्रभाव पड़ता है। फिर भी मैं यह सुझाव विदेश व्यापार मन्त्रालय को देना चाहता हूँ कि उसके और कृषि मन्त्रालय के बीच अवश्य समन्वय होना चाहिए जिससे इनके उत्पादकों को हानि न उठानी पड़े। जहाँ तक नारियल का सम्बन्ध हैं, मैं केरल के सदस्यों से इस सम्बन्ध में बातचीत कर रहा हूँ। एक महिला सदस्य ने सुझाव दिया है कि नारियल के लिए एक बोर्ड स्थापित किया जाये। मैं सभी सदस्यों को बताना चाहता हूं कि केरल के सदस्यों से इन सब बातों पर मैं विचार करूंगा।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : क्या हमारे इस तर्क से सहमत हैं कि मूल्य संतोषजनक होने चाहिये।

श्री ए० पी० शिन्दे : हां, आपकी बात में काफी दम है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को लेगे।

खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक

PREVENTION OF FOOD ADULTERATION (AMENDMENT) BILL.

श्री भानसिंह भौरा (भटिंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं :

"कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

श्री भानसिंह भौरा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

लाटरी रोक विधेयक

PREVENTION OF LOTTERIES BILLS

श्री आनन्दी चरण दास (जाजपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्य लाटरियों की रोक का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्य लाटरियों की रोक का उपबन्ध करने वाले विधेयक कौ र:स्थापित करने कीं अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

श्री आनन्दी चरण दास : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूँ।

साम्प्रदायिक राजनीति दलों पर प्रतिबन्ध विधेयक

BAN ON COMMUNAL POLITICAL PARTIES BILL

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि साम्प्रदायिक राजनीतिक दलों के क्रियाकलापों पर प्रतिबन्ध लगाने तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह कि :

"कि साम्प्रदायिक राजनीतिक दलों के क्रियाकलापो पर प्रतिबन्ध लगाने तथा तत्संसक्त विषयो का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री समर गुह : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूँ।

पूजा के सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश की स्वतंत्रता विधेयक

FREEDOM OF ENTRY TO PUBLIC PLACES OF WORSHIP BILL

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि धार्मिक पूजा के सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश की स्वतंत्रता का और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि धार्मिक पूजा के सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश कीं स्वतंत्रता का और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

श्री समर गुह : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं।

नागरिक स्वतंत्रता आयोग विधेयक

CIVIL LIBERTIES COMMISSIONS BILL

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि संविधान द्वारा प्रत्याभूत नागरिक स्वतंत्रता के अतिलंघन का अन्वेषण करने के लिए नागरिक स्वतंत्रता आयोगों की स्थापना करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान द्वारा प्रत्याभूत नागरिक स्वतंत्रता के अतिलंघन का अन्वेषण करने के लिये नागरिक स्वतंत्रता आयोगों की स्थापना करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

डा० कर्णी सिंह : मैं विधेयक को पुर : स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT

अनुच्छेद 335 का प्रतिस्थापन

श्री सी० टी० दंडपाणि (धारापुरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर : स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दो जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

श्री सी० टी० दंडपाणि : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

कारखाना (संशोधन) विधेयक

FACTORIES (AMENDMENT) BILL

श्री सी० टी० दन्डपाणि (धारापुरम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि कारखाना अधिनियम 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर : स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कारखाना अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर : स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री सी० टी० दन्डपाणि : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

रेलवे में (आकस्मिक श्रम का उत्सादन) विधेयक

RAILWAYS (ABOLITION OF CASUAL LABOUR) BILL

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Mr. Deputy speaker, Sir; I beg to move :

"That leave be granted to introduce a bill to provide for the abolition of the practice of employing casual labour in the Railways."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलो में आकस्मिक श्रम नियोजित करने की पद्धति के उत्सादन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

Shri Hukam Chand Kachwai : I introduce the Bill.

घरेलू कर्मकार (सेवा की दशा) विधेयक

DOMESTIC WORKERS (CONDITIONS OF SERVICE) BILL

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Sir I beg to move :

"That leave be granted to introduce a bill to provide for the fixation of wages and for improvement of working conditions of domestic workers."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं :

"कि घरेलू कर्मकारों की मजदूरी नियतन के लिये तथा उनके कार्य की दशा में सुधार के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

Shri Hukam Chand Kachwai : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSITUTI N (AMENDMENT) BILL

सप्तम अनुसूची का संशोंधन

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विघेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं :

'कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

श्री अर्जुन सेठी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

अनुच्छेद 74 और 163 का संशोधन

Shri Hukam Chand Rachwai (Morena) : Sir, I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.''

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करते वाले विधेयक को पुर : स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

Shri Hukam Chand Kachwai : I introduce the Bill.

व्यवसाय संघ (मान्यता) विधेयक

TRADE UNIONS (RECOGNITION) BILL

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Sir, I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the procedure for recognition of Trade Unions ."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं :

"कि व्यवसाय संघों को मान्यता देने की प्रक्रिया का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

Shri Hukam Chand Kachwai : I introdnce the Bill,

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

अनुच्छेद 19 का संशोधन और अनुच्छेद 326 का प्रतिस्थापन

Shri Sukhdeo Prasad Verma (Nawada) : Sir, I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

Shri Sukhdeo Prasad verma : I introduce the Bill.

सविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

अनुच्छेद 330 का प्रतिस्थापन और अनुच्छेद 332 आदि का संशोधन

श्री आर० पी० उलगनम्बी (वैल्लोर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ।

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री आर० पी० उलगनम्बी : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक-जारी

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL-CONTD.

नवम सूची में संशोधन

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री सी० के० चन्द्रप्पन के संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक पर अपना विचार करेंगे। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने एक ऐसा ही विधेयक पेश किया है और उस पर अगले सप्ताह विचार होगा। अतः मैं समझता हूं कि इस स्थिति में इस विधेयक पर आगे विचार करना आवश्यक नहीं है।

श्री आर० बी० बड़े (खरगोन) : यदि सरकार ऐसा ही विधेयक ला रही है और श्री चन्द्रप्पन प्रस्तुत विधेयक को वापस लेना चाहते है, तो मुझे इस सम्बन्ध में और कुछ भी नहीं कहना हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि मैं गत अवसर पर बोल रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि श्री डागा का यह संशोधन है कि विधेयक को समझाने के लिए प्रवर समिति को सौप दिया जाये। अतः हम पहले इसे निपटायेंगे।

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : चूंकि श्री डागा उपस्थित नही है इसलिए उनके संशोधन पर मतदान कराया जाये।

उपाध्यक्ष द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रप्पन क्या आप अपना विधेयक वापस लेना चाहेंगे।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : जी, हां। किन्तु इस सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। मुझे प्रसन्नता है कि केन्द्रीय सरकार ने केरल के लोगों की इच्छा का सम्मान किया है। मेरे विधेयक को सभी दलों से जो व्यापक समर्थन मिला है उसी ने सरकार को ऐसा विधेयक लाने को विवश किया है। मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होने

मेरे विधेयक का समर्थन किया है अब मैं सभा से भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को वापिस लेने की अनुमति मांगता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को वापिस लेने की श्री सी० के० चन्द्रप्पन को अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : श्रीमान, मैं विधेयक को वापस लेता हूं।

आयु विषयक छूट (सेवाएं) विधेयक

AGE RELAXATION (SERVICES) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री दास चौधरी के विधेयक को लेगे।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच बिहार) : आयु विषयक छूट विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि बेरोंजगारी की समस्या पर विचार करने के लिए यह उपयुक्त समय है। इसमें जितना विलम्ब होगा बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या उतनी ही बढ़ती जायेगी। और यह समस्या अधिकाधिक जटिल होती जायेगी। दिसम्बर 1970 में देश में बेरोजगारो की सख्या 40,69,000 थी जों दिसम्बर 1971 में बढ़कर 51,00,000 हो गई थी। इसका अर्थ यह हुआ कि बेरोजगारों की सख्या में 25.3% की वृद्धि हुई है। शिक्षित लड़के और लड़कियों को रोजगार पाने के लिए वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जिससे उनकी आयु निर्धारित आयु सीमा से अधिक हो जाती है। तथा उनके सरकारी सेवा में प्रवेश पाने के अवसर समाप्त हों जाते है। ऐसा होने पर उन्हें निराशा होती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक लड़के ने तो ऐसी स्थिति में आत्महत्या कर ली थी।

हम यह दावा करते हैं कि कल्याणकारी राज्य की दिशा में हमने कुछ कदम उठाये हैं। मैं नहीं मानता कि हमारे देश में समाजवाद आ गया है। कल्याणकारी राज्य में इस बात पर बल दिया जाता है कि सभी स्वस्थ लोगों कों रोजगार प्रदान किया जाये। एक ओर तो सरकार युवकों को रोजगार देने में असमर्थ है और दूसरी ओर वह बेरोंजगारी की समस्या को सुलझाने के लिए उपाय भी नहीं करती है। सिद्धान्त रूप में सरकार ने आयु सीमा में छूट देने की वात स्वीकार कर ली है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी यह सिफारिश की थी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 26 वर्ष कर दिया जाये। यदि सरकार यह सिफारिश मानकर आयु सीमा को बढ़ा देती है तो उसे अधिक अर्हता-प्राप्त और अधिक योग्य व्यक्ति प्राप्त हों जायेंगे। इन्जीनियरी सेवा जैसे कुछ मामलो में आयु-सीमा 25 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है। ब्रिटेन में भी आयु-सीमा 30 बर्ष हैं। बेल्जियम अमरीका आदि देशों में भी सरकारी सेवा में प्रवेश की आयु-सीमा में वृद्धि कर दी गई है।

अमरीकां में आयु-सीमा बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी गई है और बेल्जियम में इसे 24 वर्ष से बढ़ाकर 27 वर्ष कर दिया गया है। अब सरकार के लिये उचित समय हैं कि योग्य व्यक्तियों

को ऊंची सेवाओं में आकर्षित करने और कनिष्ठ वर्ग की सेवाओं में लोगों को लेने और उनमें से नैराश्य की भावना को दूर करने के लिए आयु-सीमा में छूट दे।

जैसा कि मैंने अपने विधेयक के खन्ड 2 के उपबन्ध में बताया है, यह आयु-सीमा असीमित अवधि के लिए नही वरन् सीमित अवधि के लिये बढ़ाई जानी चाहिये। यदि कोई व्यक्ति 20 वर्ष की आयु में स्नातक की डिग्री लेता है और तत्पश्चात वह अपना नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत करा लेता है और रोजगार कार्यालय में पंजीकरण की इस निरन्तर प्रक्रिया में उसे सरकारी या सरकार के अन्य अभिकरणो में 7 वर्ष तक कोई रोजगार नही मिलता है तो ऐसे मामलों में उसे रोजगार देने के लिए आयु-सीमा में छूट दी जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 23 वर्ष की आयु में पंजीकरण कराता है तो उसके मामले में 7 वर्ष के लिए अर्थात 30 वर्ष की आयु तक विचार किया जाना चाहिए। यह छूट 30 वर्ष अथवा 35 वर्ष से अधिक आयु तक कभी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन सुधार आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा हैं कि यदि किसी व्यक्ति को 30 अथवा 35 वर्ष की आयु में भी नियुक्ति प्रदान की जाती है तो वह सेवा-निवृति काल तक योग्यतापूर्वक कार्य कर सकता है। सरकार कों इस विधेयक को स्वीकार कर लेना चाहिए जिससे हमारे नवयुवकों को रोजगार के अधिक अवसर मिल सके।

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हमारे देश में निरक्षरता बहुत अधिक है। जो थोड़े बहुत शिक्षित व्यक्ति है उन्हे रोजगार के लिये अधिकारियों के पास जाना पड़ता है। चालू रजिस्टर में लगभग 51 लाख लोगों के नाम दर्ज हैं। उनको नौकरी मिलने का कोई अवसर नहीं मिल पा रहा हैं। रोजगार के मामले में सरकारी सेवाओं आदि में इस आयु-सीमा की इस अवस्था मे व्यवहारतः कोई आवश्यकता नहीं है।

जो लड़के रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज कराते है उनमें से समाज के उच्च वर्ग के लोगों के लड़कों तथा लड़कियों को तो रोजगार मिल जाता है परन्तु समाज के निम्न वर्ग के लोगों लड़कों तथा लड़कियों को रोजगार नहीं मिलता है। कुछ वर्षों के बाद वे इस स्थिति पर पहुँच जाते है कि इस आयु-सीमा के कारण रोजगार की मांग भी नहीं कर सकते। यह बहुत चिन्ता का विषय है।

यह देखने में आया है कि देश में छात्र परिषद् अथवा युवा कांग्रेस जैसे कुछ-संगठन एवं निकाय बनते जा रहे हैं और वे नोकरी के लिये सीधे ही अधिकारियों के पास पहुंच जाते है तथा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से जाना पसन्द नहीं करते हैं। यह एक ऐसी बात हैं जिससे अर्हता प्राप्त तथा शिक्षित युवा लड़को तथा लड़कियों को नौकरी प्राप्त करने से वञ्चित रखा जा रहा है।

रोजगार पाने की समस्या दिन प्रति दिन कठिन होती जा रही है। रोजगार ढूढने वाले व्यक्ति उस समय बौखला उठते है जब वे देखते है कि उनकी आयु-सीमा निकट आ रही हैं और उस सीमा के करण उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलेगा।

प्रस्तावक ने कहा है कि कल्याणकारी राज्य में हृष्ट-पुष्ट लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।

सरकार को इस विधेयक को स्वीकार करने से इन्कार नही करना चाहिये। यदि सरकार

रोजगार ढूढने वाले व्यक्तियो की दुर्दशा के बारे में वास्तव में चिन्तित है तो उसे इस विधेयक को स्वीकार कर लेना चाहिए।

***श्री जे० एम० गौडर** (नीलगीरि) : सरकारी सेवाओं में आयु सीमा को बढ़ाने से कुछ सीमा तक शिक्षित बेरोजगारी की समस्या का हल हो जायेगा तथा युवकों में जो नैराश्य की भावना व्याप्त हो गई है वह भी कम हो जायेगी। यदि कोई छात्र 22 वर्ष की आयु में एम० ए० अथवा एम० एस० सी० करता है तथा उसके तुरंत बाद रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज कराता है तो क्या उसे 25 वर्ष पूरा करने से पहले कोई सरकारी नौकरी मिलने की आशा है।

दिसम्बर 1971, तक रोजगार कार्यालयों के पास पंजीकृत तथा नौकरी के इच्छुक लोगों की कुल सख्या 51 लाख थी। इस अवधि तक उनमें से केवल 4 लाख लड़कों को रोजगार प्राप्त हो सका हैं। इस प्रकार नौकरी की आशा रखने वाले 47 लाख युवकों तथा युवक्तियों के नाम रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में अब भी दर्ज है। जब पहले ही 47 लाख व्यक्ति नौकरी प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हो तो अब नये नाम दर्ज कराने वाले लोगो के लिये 25 वर्ष से पहले कोई नौकरी पाना कैसे संभव हो सकता है। दिसम्बर 1971 तक अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जन जातियो के लोगों की संख्या रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में 6.57 लाख थी। इनमें से केवल 88,705 लड़कों को रोजगार मिल पाया है तथा दिसम्बर, 1971 तक रोजगार कार्यालयों में 5.83 लाख महिलाओं के नाम दर्ज थे जिनमें से केवल 48,000 लड़कियों को रोजगार मिला है।

गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में कमी हुई है। इसके अतिरिक्त सरकारी सेवाओं से सेवा निवृत्त व्यक्ति गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर लेते है जिससे युवक रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। सरकार इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति पर कुछ रोक लगाने तथा गैर सरकारी क्षेत्र को शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने को बाध्य करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर सकती है तो फिर देश के लाखो शिक्षित बेरोजगारों के लिए क्या विकल्प है।

प्रशासन सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि सरकार द्वारा आयोजित प्रतियोगी परोक्षाओं के लिये आयु सीमा को बढाकर 26 वर्ष कर दी जाये। यदि आयु सीमा बढ़ाकर 35 वर्ष करना संभव नहीं है तो इसे 30 वर्ष अथवा 28 वर्ष कर दिया जाये। इससे उन युवकों में आशा जागृत होगी जो वर्षों से अपने नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज कराये हुए हैं तथा इस प्रकार रोजगार कार्यालय भी उनको कुछ हद तक रोजगार दिला सकेंगे।

जैसा कि यह विधेयक सत्ताधारी दल के एक सदस्य द्वारा लाया गया है, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि सरकार का इसे स्वीकार करने में कोई हिचकिचाट नहीं होगी।

Shri Ishwar Chaudhry (Gaya): Sir when our young people do not get employment even after comp leting their education, they are compelled to commit suicide and resort to other tac-tics. In some of the countries, the unemployed people get unemployment allowance. Had our Government done so, our young boys and girls would have got incentries.

*=में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

* Summarised translated version based on English translation of the speech delivred in. =

Our young boys and girls do not get employment even after completi:g their education and they cross their age limit while waiting for employment. The mover of this bill has sought an increase in age limit by 30 or 35 years.

I hope the Government will accept the bill. This bill is a right step at righ time.

श्रीमती एम० गौडफ्रे (नामनिर्देशित-आंग्ल भारतीय) : जब हमारे युवक और युवतियाँ अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं, उस समय उनकी आयु लगभग 22 या 23 वर्ष की होती हैं और सरकारी सेवा में अच्छा रोजगार प्राप्त करने के लिये उन्हें कम से कम 2-3 वर्ष का समय दिया जाना चाहिये। सरकार की त्रुटियों के कारण इन युवक और युवतियों को हानि नहीं उठानी चाहिए कि उन्हें सेवा नही मिल सकती।

हमें यह देखकर बहुत दुःख होता है कि युवक और युवतियाँ दिन भर इधर उधर घूमते रहते है और रोजगार कार्यालयो में लम्बी-लम्बी कतारे बनाये रहते है और दिन समाप्त होने पर पूरी तरह निराश होकर वापिस घर लौट आते है।

अतः यदि आयु सीमा में अधिक वृद्धि नहीं की जाती है तो कम से कम उसे 3 वर्ष तक अवश्य बढ़ाया जाना चाहिये ताकि 3 वर्ष के अन्त तक वे कोई रोजगार प्राप्त करने का प्रयास कर सके।

यदि रोजगार के लिए आयु सीमा में वृद्धि की जाती है तो सेवा-निवृत्ति की आयु में भी वृद्धि करनी होगी क्योंकि उन्हें 25 वर्ष की सेवा करनी होगी अतः उन्हे 60 वर्ष की आयु तक सेवा में रहना होगा। हमें उनके नैराश्य को दूर करने के लिये तुरन्त कुछ करना चाहिये।

मैं विधेयक का भारी समर्थन करती हूँ तथा सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वह आयु सीमा में वृद्धि करे ताकि हमारे युवक और युवतियों को नौकरी ढूंढने में अधिक समय मिले और उन्हें पता चले कि आसानी से तथा समझदारी से नौकरी ढूंढने के लिये उनके पास पर्याप्त समय है और वे अपना कार्य उचित ढंग से करने में अधिक परिपक्व होगे।

Shri Bhagirath Bhonwar (Jhabua) : I cordially welcome and support this Bill. Millions of people in the country get themselves registered with the Employment Exchange for getting employment but before they get any employment most of them cross their age limit while they are on the waiting list in the Employment Exchange.

I therefore, suggest that the age of recruitment should be enhanced upto 35 years for Harijan, Adivasis and women candidates,in view of the fact that due to the non availability of educational facilities they are unable to compete with the other candidates and haveto wait for a long time to get the employment opportunities. Government should accept the bill.

Shri M. C. Daga (Pali):—I hope this bill would be supported by all the parties including the party in power.

The present system of education is full of defects. After completing their education young persons run after employment. This present education does not make them capable of having self employment. It is the fault of the Government to have this type of education in the country,

It has been admitted by the Hon. minister that there is a great need of bringing basic changes in the education system. It has been observed that 20. 3 persent of the educated unemployed persons attempt to commit suicide in the country due to frustation resulting from non avilability of jobs for a long time.

According to the reports appearing in the newspapers students are adopting Hippyism not because of any interst in it but because of the frustation (**Interruption**). If Government are not able to provide employment to qualified persons in time the age of recruitment should be enhanced.

श्रीमती टी० लक्ष्मी कांतम्मा (खम्मम) : यह सच है कि बहुत से उम्मीदवारों को इस कारण नौकरी नहीं मिलती कि उनकी आयु अधिक हो जाती है। सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की इस सिफारिश के आधार पर अखिल भारतीय सेवाओं के लिये आयु में दो वर्ष की छूट दी है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा है कि आयु की अधिकतम सीमा ऐसे उम्मीदवारों का अहित करती है जो इंजीनियरी-या चिकित्सा आदि के क्षेत्र में विशेष योग्यताएं अर्जित करते हैं। यदि ऐसे उम्मीदवारों को प्रतियोगिता में भाग लेने दिया जाए तो अधिक उपयुक्ता होगा। प्रशासनिक सेवा में आयु की सीमा के कारण प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं आये हैं। विधेयक के लक्ष्य और कारणों सम्बन्धी विवरण में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों का उल्लेख किया गया है। कुछ व्यक्तियों ने इंजीनियरी तथा अन्य विशेष सेवाओं में रोजगार पाने के लिये आयु के कारण होने वाली कठिनाइयो के बारे में अभ्यावेदन दिया हैं। स्नातक होने के पश्चात कुछ विद्यार्थी विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने चले जाते हैं किन्तु स्वदेश लौटने पर उनकी आयु अधिक हो जाती है तथा वे प्रतियोगिता में बैठने से वंचित रह जाते हैं। यदि आयु का प्रतिबन्ध हटा कर सभी उम्मीदवारो को परीक्षा में बैठने दिया जाए तो सरकार को प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति मिल सकते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं की प्रतियोगिताओं में पब्लिक स्कूल में पढ़े हुये उम्मीदवार भी बैठते हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र के एसे विद्यार्थी जो प्रतिभावान होकर भी, शिक्षा-सुविधाओ की कमी के कारण अपने प्रतिभा का पूरा विकास नहीं कर पाते और इसी लिये वे इन प्रतियोगिताओं में पीछे रह जाते है। अतः भर्ती के लिए निश्चित आयु की सीमा में वृद्धि करने से इन उम्मीदवारों को कुछ सुविधा हो सकती है।

इंजीनियरी तथा मैडिकल के छात्रों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सिफारिश की थी कि मिली जुली प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन्जीनियरी, चिकित्सा, तथा अन्य तकनीकी विषयों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये।

आशा है सरकार अखिल भारतीय सेवा परीक्षाओं में बैठने के लिए इंजीनियरी तथा चिकित्सा विज्ञान के उम्मीदवारो को आयु सम्बन्धी छूट देगी।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : I Suport this bill whole heartly. The Hon-minister should understand that unless capitalistic system is stopped the problem of unemployment can not be solved.

The magnitude of unemployment in the country can be imagined from the fact that in response of an advertisement for 150 Posts of lower divisions cleark 28,000 candidates sent their application. More than halp of the candidates were graduates or post graduates while the educational qualifications specified in the advertisement was High school About 1.5 crores of persons are jobless in our country. The poblem of increasing unemployment is not existing only in our country but it is a comman problem to all capitalistic countries like America and England. Therefor, socialistic system should be fully implemented to remove unemployment

This bill is an attempt to solve this problem. That is why it is being supported by all sides. I would like to suggest that no person in Government or private service shoul be given extension of service after the age of 55 years in order to increase employment opportunities. Retired personnal should not be given re-employment.

It is a matter of serious concern that unemployment has led the educated unemployed to indulgance incrime like robbery, Bihar, Uttar Pradesh, and Punjab have experienced there anti-social activities committed by the educated unemployed. The proposal of enhancement of recruitment age made in the bill should be accepted by the Government in view of the fact that it is a good measure to provide more changes to the youths.

I am sorry to observe that during the last 25 years Government could not remove the evils of present education system. Universities and colleges are producing graduates and Post graduates but Government are not able to provide all of them with employment resulting in strange resentment among the unemployed. I therefor, suggest that Government should accept the bill so that the problem of unemployment could be solved to some extent.

श्री श्याम सुन्दर मदापात्र (बालासौर) : समाजवाद की ओर बढ़ते हुए भी यदि देश के लाखों युवकों को अधिक आयु हो जाने के कारण बेरोजगार रहना पड़े तो यह दुर्भाग्य की बात हैं। सरकार को हमारे संविधान में रूस की भांति ऐसा संशोधन कर देना चाहिये था जिससे देश में सभी व्यक्तियों को रोजगार पाने का अधिकार मिल जाता है।

यदि अधिक दिनो तक अध्ययन करने अथवा अधिक आयु तक शिक्षा पाते रहने के कारण उम्मीदवारों की आयु निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है तो यह उनका दोष नहीं है तथा इसके लिये उन्हे दण्ड नहीं मिलना चाहिए।

देश में इस समय लाखों व्यक्ति रोजगार की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। क्लर्कों तथा खलासियों आदि की सख्या सबसे अधिक है। क्या उनकी आयु 25 वर्ष से कम होनी चाहिये। जहाँ तक शिक्षा योग्यताओं का प्रश्न है किसी भी पद के लिये निम्नतम शिक्षा योजना निर्धारित कर दी जाती है किन्तु उसके साथ साथ उम्मीदवार का अनुभव भी देखा जाता है।

श्री दास चौधरी ने यह संकल्प लाकर समस्त देश का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है। लाखों व्यक्तियों के पास पर्याप्त शिक्षा और अनुभव है किन्तु आयु अधिक होने के कारण उनको सरकार के अधीन रोजगार नही मिल पाता है। इसके अतिरिक्त रोजगार कार्यालय उम्मीदवारों के नाम तब तक किसी संस्थान के पास नहीं भेजते जब तक वे घूस न दें। अतः आयु को बढ़ा कर 30 या 35 वर्ष करने का प्रस्ताव न्याय संगत है तथा यह स्वीकार करा लिया जाना चाहिए। यदि ऐसे आई० सी० एस० या पी० सी० एस० अधिकारी जिनकी आयु केवल 24 वर्ष है तथा जिन्हें जीवन का कम अनुभव है इतना बड़ा उत्तरदायित्व निभा सकते हैं तो जिन्हें जीवन का अधिक अनुभव है वे शिक्षित लोग क्यों नही उस दायित्व निर्वाह कर सकते। इन शब्दों के साथ में इसका पूरा समर्थन करता हूं।

Shri Ram Bhagat Paswan (Rosera): Our country is facing a serious Problem of unemployment. During the existing circumstances, it is not possible for the educated unemployed to get in to job within the prescribed age limit. Qualified persons run pillar to Post to get service but in vain by that time they cross the age limit and thus they are denied employment. In these circumstances Government should enhance the age of recruitment. I also suggest that the number of chances to appear in the competitue examination for I. A. S. and P. C. S. should be increased with these words I support the bill.

Shri M. Ramgopal Reddy (Nizamabad) : I rise to support the bill. I would like to point out that there is a defect in this bill. After going through the bill it is a fact as if

all persons in country would get a Government service while the total number of posts in the entire country is not more than one crore.

According to the figures available working population of our country is 30 crores and out of them only one crore of persons can be provided with Government service. For the rest of the working population there should be more industries in the country.

With the best educational facilities available to the city dwellers most of them are able to complete their graduation by the age of 20 years while students getting education in rural areas take 25 years in getting degree. In these circumstances candidates from rural area are at disadvantage due to the age limit.

In order to increase the representation of rural population in the Government service it is necessary to enhance the age of recruitment with this argument I support this bill.

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgrah) : I rise to support this bill. The number of educated persons is increasing day by day but they all are not able to get oppo tunity of employment. If Government is not able to provide employment to the person who pass High School or Higher Secondry Examination well in time it is not their fault . If they are over aged, it is the fault of the Government.

Recently Madhya Pradesh Government have increased the age limit from 25 years to 28 years. I suggest the central Government should increase the age limit so that educated persons can get more and more chances and political parties could not utilise then for achieving their interest.

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री : (श्री राम निवास मिर्धा) : हमारे समक्ष जो विधेयक है उस में कहा गया है कि सरकारी सेवा में आने के लिए आयु सीमा उस अवधि तक बढ़ा दी जानी चाहिये जितनी अवधि तक एक व्यक्ति का नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होता है। परन्तु वाद विवाद का मुख्य रूख यह है कि सरकारी सेवा में पदार्पण करने हेतु आयु सीमा बढ़ा दी जानी चाहिये जिससे ग्रामीण लोगो, पिछड़े वर्ग के लोगों और बेरोजगार लोगों को सरकारी सेवा में प्रवेश करने हेतु प्रतियोगिता प्राप्त करने के अवसर मिल सके।

किन्तु इस विधेयक के कार्यान्वियन में अनेक कठिनाइयाँ है। यदि इसे तकनीकी दृष्टि से देखा जाये तो यह भी कहा जा सकता है कि इसमें जैसी परिसीमा की कल्पना की गई है वह असंवैधानिक हैं न्याय और समाज कल्याण मन्त्रालय ने भी सलाह दी है कि ऐसे उपबन्ध से राज्याधीन नौकरियो या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में अवसर-समता का उल्लघन होगा। फिर भी सरकार मोटे तौर पर इस दृष्टि कोण से सहमत है कि आयु की सीमा में वृद्धि की जानी चाहिये। हमने इस प्रस्ताव को स्वीकृत ही नहीं किया है अपितु हमने इस पर पहले से ही कार्य करना भी आरम्भ कर दिया है। इसका नवीनतम उदाहरण यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य सेवाओं की आयु-सीमा में 2 वर्ष की वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त सभी इंजीनियरी सेवाओं के लिये जिनमें तकनीकी इंजीनियरी डिग्री या डिप्लोमा की आवश्यकता पड़ती है, आयु सीमा में 5 वर्ष की वृद्धि की गई है। अर्थात सभी प्रकार की इन्जीनियरी सेवाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष कर दी गई है।

यह तो सदन को विदित ही है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों की आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाती है। तथा विकलांगों और सेवा निवृत सैनिकों को भी आवश्यक छूटें दी जाती है।

बेरोजगारी की समस्या पर भी काफी चर्चा की गई है। परन्तु केवल ग्रायु सीमा में ही वृद्धि करने से इस समस्या का हल नहीं हो सकता। ग्रायु सीमा में वृद्धि करने से नौकरियां उत्पन्न नहीं होगी। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कल्पना की है कि इससे बेरोजगारी कम होगी, परन्तु ऐसी कल्पना करना गलत है।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों में से 42 प्रतिशत ऐसे है जो पहले से ही किसी न किसी नौकरी पर है। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में जो ग्रांकड़े यहां प्रस्तुत किये गये हैं उससे यही सिद्ध होता है कि ये सभी व्यक्ति बेरोजगार हैं, परन्तु ये ग्रांकड़े सही नहीं है। इनमें 42 प्रतिशत लोग पहले से ही नौकरियों में है ग्रौर उन्होंने ग्रच्छी नौकरी के लिए ग्रपने ग्रापको रोजगारों कार्यालयों में पंजीकृत कराया हुग्रा हैं। ग्रतः केवल मात्र रोजगार कार्यालयों में रोजगार के लिए कुछ समय के लिए नाम पंजीकृत कराने से ही बेरोजगार लोगों को पूरा लाभ नहीं मिलेगा। हमारा यह प्रयास गलत सिद्ध होगा कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत लोगों को समय की छूट दी जाए। वास्तव मैं यदि हम ग्रामीण ग्रौर ग्रन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की सहायता करना चाहते हैं तो सरकारी सेवा में प्रवेश पाने के लिये उन्हें सामान्य ग्रायु सीमा की छूट दी जानी चाहिये, ग्रौर यही सरकार कर रही है।

इस विषय पर भी चर्चा हुई हैं कि ग्रामीण लोग जो ग्रपनी शिक्षा देरी से ग्रारम्भ करते हैं जो शहरी लोगों के साथ प्रतियोगिता नही कर पाते। यह बात तो सही है। कि ये लोग ग्रपनी शिक्षा देरी से आरम्भ करते हैं क्योंकि उनके घराने इतने शिक्षित नहीं होते ग्रौर उनके मातापिता उनकी शिक्षा में भी उन्हें सहायता नहीं दे पाते। इस लिए उनकी इस हानि का कम ग्रंशतः समाधान ग्रायु सींमा बढ़ाने से ही हो सकता है जिसे सरकार वास्तव में कर रही है।

जहाँ एक ग्रोर सेवा निवृत्ति की ग्रायु बढ़ाने का उल्लेख किया गया हैं वहां इस ग्रायु को कम करने की बात भी कीं गई है जिससे कि बेरोजगारी कम हो सके। इसलिए हमें सेवा निवृत्ति की ग्रायु कम करनी चाहिए।

सरकार इस विधेयक को प्रस्तुत करने में माननीय सदस्य के मूल दृष्टिकोण से पूर्णरूप से सहमत है परन्तु, जैसा कि कहा गया है कि इस विधेयक से माननीय सदस्य के उद्देश्य की पूर्ति में सहायता नहीं मिल सकती इस विधेयक के समर्थन में जो विचार व्यक्त किये गये हैं सरकार उन से पूर्ण रूप से सहमत है ग्रौर उन्हीं विचारों के ग्रनुरूप भविष्य में संशोधन करने का हमारा प्रयास होगा यह समस्या तो पहले से ही सरकार के सामने है। इस लिये सरकार जहां कही ग्रावश्यकता पड़ी, सरकारी सेवा में प्रवेश करने की ग्रायु को बढ़ायेगी ग्रौर यह सुनिश्चित करेगी कि ग्रामीण और ग्रन्य पिछड़े वर्ग के लोगो को जो हानि उठानी पड़ रही है। उसे यथासम्भव कम किया जायेगा।

ग्रतः मेरा माननीय सदस्य से ग्रनुरोध है कि वह इस विधेयक के लिये जोर न दें ग्रौर इसे वापस ले लें।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य विधेयक को वापस लेते हैं ?

श्री बी० के० दास चौधरी : जी, ग्रभी नही, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मन्त्री महोदय ने उल्लेख किया है कि संविधान के ग्रनुच्छेद 16 के ग्रन्तर्गत इस विधेयक के उपबन्ध सामान्य होंगे। परन्तु यह तर्क मेरी समझ में नहीं ग्राया क्योंकि जब ग्रनुच्छेद 16 में राज्याधीन नौकरी के विषय में अवसर-समता की बात की गई है तो ग्रनुच्छेद 14 में प्रत्येक व्यक्ति की विधि के समक्ष

समता और समान संरक्षण की परिकल्पना की गई है। अब यदि यह मान लिया जाये कि सरकार इस विधेयक को इसके वर्तमान स्वरूप में ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेगी तो इससे वर्तमान व्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा। यह तो सामान्य बात है किसी विशेष परिपाटी, धर्म एवं जन्म स्थान पर आधारित नहीं है। कुछ सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले योग्य व्यक्ति इसके अन्तर्गत आयेंगे। विधि के समक्ष समता का यह तात्पर्य है कि समान स्तर के व्यक्तियों में समानता हो। अतः मन्त्री महोदय अपनी तकनीकी कठिनाइयों में अधिक गहरे नहीं गये हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : जैसा कि मैंने अपने भाषण में कहा है कि यह उचित वर्गीकरण नही होगा और हम एक वर्ग बना रहे हैं, और जहां तक आयु में छूट देने का सम्बन्ध है हमे इससे कुछ लाभ तो होगा। यह उन व्यक्तियों का वर्ग है जो कुछ अवधि से रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं। विधि मन्त्रालय के अनुसार यह वर्गीकरण उचित नहीं है और इससे अनुच्छेद 16 का उल्लंघन होगा।

श्री बी० के० दास चौधरी : मन्त्री महोदय का यह तर्क बिल्कुल गलत है। यह वर्गीकरण का प्रश्न नहीं है। यह तो प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति पर लागू होता हें।

मन्त्री महोदय ने दूसरा तर्क दिया है कि जिन व्यक्तियों ने रोजगार कार्यालयों में अपने आपको पंजीकृत कराया हुआ है उनमें से 42 प्रतिशत तो पहले से ही रोजगार पर लगे हुये हैं। अब यदि आयु सीमा बढ़ा दी जाये तो इन 42 प्रतिशत लोगों को भी इसका लाभ अवश्य ही होगा। यह स्पष्ट ही हैं कि ये 42 प्रतिशत लोग अपनी नौकरियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में बदलने के लिये बहुत इच्छुक है। इस से यह पता चलता है कि इन लोगों ने अपना नाम पंजीकृत करा रखा है कि उन्हें वह नौकरी नही मिली है जो वे चाहते हैं और उन्हें अपनी योग्यता के अनुरूप वेतन नहीं मिलता। कुछ असाधारण परिस्थितियों के वशीभूत उन्होने यह रोजगार स्वीकार किया था।

अन्ततोगत्वा मन्त्री महोदय ने इस विधेयक में निहित भावना की सराहना की है। और यह भी कहा है कि सरकार इस को अवश्य ध्यान में रखेगी। परन्तु इस समस्या से आन्दोलन की भावना बढ़ रही है क्योंकि कुछ राज्य सरकारों ने तो अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है और कुछ राज्य सरकारों का इस बारे में निर्णय करने का विचार है। केन्द्रीय सरकार में नौकरियों के लिए आयु सीमा बढ़ाने से इस विधेयक का सीमित उद्देश्य ही सिद्ध होगा।

यह अच्छा होगा कि यदि मन्त्री महोदय यह आश्वासन दें कि सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र घोषणा करेगी क्योंकि इस से वर्षो से बेरोजगार युवकों में व्याप्त नैराशय की भावना समाप्त हो जायेगी। मैं मन्त्री महोदय द्वारा इस समस्या के प्रति अपनाये गये दृष्टिकोण की सराहना करता हूँ कि सरकार इस बारे में बहुत चिन्तित हैं और वह इस पर विचार करेगी। परन्तु सरकार को इस सम्बन्ध में सभा को बताना चाहिए कि वह आयु सीमा में छूट देने के मामले में अपनी नई सेवा सम्बन्धी नीति की शीघ्र घोषणा करेगी। तभी मैं इस विधेयक को वापस ले लूंगा।

श्री रामनिवास मिर्धा : अधिकतम आयु सीमा में कुछ सुविधाओं की घोषणा गत कुछ महीनों में कर दी गई है। इन सुविधाओं का तात्पर्य यह है कि इन पर बहुत गम्भीरता से विचार करने की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी हैं। इंजीनियरी सेवाओं के मामले में 5 वर्ष की

छूट दी गई है और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के मामले में आयु सीमा बढ़ा कर 26 वर्ष कर दी गई है। तीसरी श्रेणी के सेवाओं के मामले में आयु सीमा 25 वर्ष कर दी गई है। हम अन्य सेवाओं के सम्बन्ध में स्थिति का अविरल भाव से पुनर्विलोकन कर रहे हैं और जैसे ही उचित अवसर आयेगा हम पहले से अपनाई गई नीति के अनुसार कार्यवाही करेंगे।

श्री बी० के० दास चौधरी : मैं मन्त्री महोदय के वक्तव्य से सहमत हूँ। मैं अपना विधेयक वापस लेता हूँ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि कतिपय परिस्थितियों में लोक सेवाओं में प्रवेश के लिए आयु विषयक छूट का उपबंध करने वाले श्री बी० के० दास चौधरी के विधेयक को वापस लेने की उनको अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री बी० के० दास चौधरी : मैं विधेयक वापस लेता हूँ।

संविधान (संशोधन) विधेयक
Constitution (Amendment) Bill
(अनुच्छेद 74 का संशोधन)

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[श्रीमती शीला कौल पीठासीन हुईं]
Shrimati Sheila Kaul in the chair

अनुच्छेद 74 (1) के अनुसार राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये परामर्श देने और सहायता देने हेतु, एक मन्त्री परिषद की व्यवस्था है। अनुच्छेद 124 (2) में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 74 एक सामान्य अनुच्छेद है और अनुच्छेद 124 (2) अनिवार्य अनुच्छेद है। किन्तु अनुच्छेद 71 (1) में इस बात का कोई उल्लेख नहीं हैं कि मन्त्री परिषद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में परामर्श देगी और अनुच्छेद 124 (2) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति को प्रधान मन्त्री द्वारा परामर्श देने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है। अतः इस बारे में इस अनुच्छेद में कुछ अस्पष्टता है और मेरे विधेयक का उद्देश्य इस अस्पष्टता को दूर करना है। अनुच्छेद 74 (2) में यह स्पष्टीकरण जोड़ कर उस अस्पष्टता को दूर किया जाना है कि "सहायता और परामर्श की अभिव्यक्ति से प्रधान मन्त्री को यह शक्ति अथवा अधिकार प्राप्त नहीं होगा कि वह राष्ट्रपति को अनुच्छेद 124 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामलों में सहायता तथा परामर्श दें।

लोकतन्त्र में विश्वास रखने वाले सभी लोगों का यह विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति को जो परामर्श दिया जाए वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया जाना चाहिये न कि किसी अन्य द्वारा। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कार्यपालिका द्वारा हस्तक्षेप किया गया है। इससे उच्चतम न्यायालय की प्रभुसत्ता को खतरा पैदा हो गया है। और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली संसद को इस सम्बन्ध में कुछ

कार्यवाही करनी चाहिये। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कार्यपालिका को इतनी बड़ी शक्तियां देकर हम वास्तव में अपने लोकतन्त्र और अपनी न्यायपालिका की स्वतंत्रता की नींव उखाड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति के आशय को सरकार भली प्रकार समझती है। और यदि न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का मौलिक सिद्धांत बनाये रखना है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिये कार्यपालिका की शक्तियां उससे वापस ले लेनी चाहिये।

गत कुछ वर्षों से उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गये प्रतिकूल निर्णयों को लेकर सरकार और इस सर्वोच्च संसद में हम बहुत असहिष्णुता देख रहे हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने विधानांग, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखा है। परन्तु इस प्रकार के प्रावधानों से न्यायापालिका अपंग बन कर रह जायेगी। और लोकतन्त्र एवं न्याय समाप्त हो जायेगा। इसीलिये मैं इस संशोधन को लाया हूँ कि इस बात पर विचार किया जाये कि हम अपनी अगामी पीढी के लिये किस प्रकार के लोकतन्त्र का निर्माण करने का विचार कर रहे हैं।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भारत इस समय एक ऐसे मोड़ से गुजर रहा है जब कि हमारे लोगों को यह निर्णय करना है कि क्या हम लोकतन्त्र में रहना चाहते हैं अथवा अपने देश को एक सर्वसत्तावादी साम्यवादी राज्य बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि देश के लोग स्वतन्त्रता, मूलभूत अधिकारों का लाभ उठायें न कि ऐसी सरकार जो आमूल परिवर्तन के नाम पर लोगो का दमन करें।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : किन्तु इस से पहले भी यहां इतने अधिक बहुमत की सरकार थी। और अब नेहरू की पुत्री की सरकार है।

डा० कर्णी सिंह : देश में चर्चा हो रही हैं कि जो आजकल हो रहा है उसका अन्तिम परिणाम यह होगा कि न्यायपालिका को बन्द करना पड़ेगा, और यदि सरकार इतनी अधिक शक्तिशाली बन जाती हैं, जैसी कि वह अब बनी हुई है, तो इस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करने का केवल यही ढंग हो सकता है कि हमारे यहां एक ऐसी न्यायपालिका हो जो सरकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की आज्ञाकारी हों। किन्तु लोकतंत्र में विश्वास करने वाले इसका समर्थन नहीं कर सकते।

सरकार की आज्ञाकारी न्यायापालिका की अक्सर चर्चा होती है। हम जहां न्याय और विधि की बात करते हैं वहीं हम सरकार के संकेत पर कार्य करने वाली न्यायपालिका की भी चर्चा करते हैं यह बात मेरी समझ में नहीं आती। संसद निःसन्देह सर्वोच्च है, किन्तु संविधान का ठीक निर्वाचन साधारण व्यक्ति नहीं कर सकते है यह कार्य तो उच्चतम न्यायालय में विशेषज्ञों का है। अतः सर्वोच्च विधान मण्डल अथवा सरकार इस शक्ति को हस्तगत नहीं कर सकती। न्याय वैधानिक है। सरकार की आज्ञाकारी न्यायपालिका अथवा सामाजिक न्याय के नारों से ही संविधान के किसी धारा का निर्वचन नहीं हो सकता। विधि सब के लिये एक समान हैं। यदि वास्तव में न्याय दिया जाना है तो न्यायाधीशों को इन सब बातों से निष्पक्ष रखना होगा।

इसलिये हम अपनी न्यायपालिका को कार्यपालिका अथवा विधानमण्डलों का और कार्यपालिका अथवा विधान मण्डलों को न्यायपालिका का आज्ञाकारी नहीं बनाना चाहते। संविधान

में इस प्रकार के नियन्त्रणों और सन्तुलनों की व्यवस्था की गई है जिससे सरकार के तीनो विभाग सुचारूप से अलग अलग कार्य कर सकें ।

अब भारत स्वतन्त्र देश है । आज कोई भी व्यक्ति, भले ही वह धनवान हो या निर्धन, न्यायपालिका से न्याय की आशा कर सकता है । यदि न्याय की आशा समाप्त हो गई, तो लोकतन्त्र तथा अन्य सब बातों में भी हमारा विश्वास समाप्त हो जायेगा । इन शब्दों के साथ मैं सभा से अनुरोध करता हूँ कि वह इस विधेयक पर विचार करे ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ । आज शासक दल 'एक देश, एक दल, एक नेता' का नारा लगा रहा हैं । वह सारी शक्ति अपने में समेट लेने का प्रयत्न कर रहा है । इस लिये विधि विशेषज्ञों के मन में नागरिक स्वतन्त्रता की रक्षा करने की बात आई है । श्री छागला जैसे महान व्यक्तित्व भी इस दिशा में सोच रहें हैं । आज इस बात का खतरा पैदा हो गया है कि कही न्यायपालिका शासक दल के हितों को ध्यान में रख कर न कार्य करने लगे । यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही तो न लोकतन्त्र रहेगा और न विधि का शासन ही रहेगा । इस संदर्भ में हमें आज विचार करना है कि क्या शासक दल ऐसी न्यायपालिका चाहता है जो प्रधान मत्री की इच्छा से प्रभावित न हों । आज हर काम प्रधान मन्त्री के नाम से हो रहा है । आज कांग्रेस दल जो कहता है वही लोकतंत्र है । इस विधेयक में उल्लिखित है कि समस्त भारत में ऐसे न्यायाधीश नियुक्त किये जा रहे है जो यह नहीं देखेंगे कि न्याय क्या है । वे तो यह देखेंगे कि कांग्रेस दल की इच्छा क्या है । इस दृष्टि से लोकतन्त्र की रक्षा और नागरिक स्वतन्त्रता के विषय में गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिये । पश्चिम बंगाल की स्थिति हमारे सामने है । यदि किसी व्यक्ति के साथ ज्यादती की जाती है और वह न्यायालय में जाना चाहता है तो उसे धमकी दी जाती है कि उसे कत्ल कर दिया जायेगा । न्यायाधीश न्याय करते हुए डरते हैं, वे शासक दल की इच्छा के बिना किसी की जमानत तक स्वीकार नही करते । कम से कम न्यायालयों को तो शासक दल के प्रभाव से मुक्त रखना चाहिए ।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासौर) : जब लोक सभा में पहले ही कहा जा चुका है कि मूलभूत अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है तब इस प्रकार का विधेयक लाया जाना निरर्थक बात है ।

संविधान के अनुच्छेद 124 में लिखा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करके नियुक्त करेगा जिन्हें वह आवश्यक समझेगा । राष्ट्रपति ने कभी पक्षपात करके न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की है । निःसन्देह प्रधान मन्त्री को उनकी सहायता करनी पड़ती है और अपनी सलाह देनी होती है परन्तु प्रधान मन्त्री ने कभी गलत सलाह नहीं दी है । ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब सरकार के निर्णय से असन्तुष्ट होकर लोग न्यायालय में गये हैं और उन्हें वहां न्याय मिला है । बन्दी प्रत्यक्षीकरण की कई याचिकाएं स्वीकार कर ली जाती हैं । अतः यह कहना गलत है कि भारत सरकार न्यायालयों के कार्यकरण में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करती है ।

प्रधान मन्त्री के चुनाव और इण्डियन नेशनल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह का मामला न्यायालय में ले जाया गया था। इन उदाहरणों से पता चलता है कि भारत में न्यायपालिका का दर्जा बहुत ऊंचा है और सरकार ने उसके कार्यकरण में हस्तक्षेप करने की कभी कोशिश नहीं की। परन्तु देश में एक परिवर्तन आ रहा है। समाजवादी देश में ऐसे न्यायाधीशों वाली न्यायपालिका नहीं रह सकती जिसके निहित स्वार्थ हों। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आजकल निम्न वर्ग किसानों और श्रमिकों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। हमारी सरकार में भी श्रमिकों और किसानों के प्रतिनिधि है ऐसी स्थिति में गैर-सरकार क्षेत्र का ध्यान रखने वाले अथवा निहित स्वार्थों की रक्षा करने वाली न्यायपालिका इस देश में नहीं चल सकती। न्यायपालिका को आम जनता के हितों का ध्यान रखना होगा। हमारे मूलभूत अधिकारों को भी देश की आम जनता के हित में बदला जा सकता है। डा० कर्णी सिह गरीब के दु:ख और दर्द को महसूस नहीं कर सकते। कारखाने का मजदूर जो अपना समस्त जीवन देश की सेवा में लगा देता है, उसकी कर्तव्य निष्ठा धनवान लोगो में नहीं आ सकती। न्यायाधीशों में भी ऐसे लोग है जो लाखो के मालिक है। वे नागरिक सम्पति पर लगाई गई रोक, आय पर नियंत्रण आदि उपायो की सराहना नहीं कर सकते। ये नये विचार है, नई मान्याताएं है। न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं है। यह विधान मन्डल सर्वोच्च हैं जो जनता द्वारा निर्वाचित है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रधान मन्त्री मंडल कोई भी सर्वोच्च नहीं है हम सर्वोच्च है क्योंकि जनता सर्वोच्च है।

इस विधेयक का तात्पर्य यह है कि हमने गत एक वर्ष में जो उपाय किये है वे जनता की इच्छा के विरूद्ध है। मैं प्रस्तावक को बताना चाहूंगा कि प्रधान मन्त्री कोई ऐसी बात सोच भी नहीं सकती जो जनता के हित में न हो। हम समाजवाद लाने के लिये बचनबद्ध है। यह एक विचारधारा है। यदि न्यायधीश यह सोचे कि उनका समाजवाद से कोई सम्बन्ध नहीं है और उन्हें केवल विधि पुस्तकों के पृष्ठों तक सीमित रहना है तो निश्चय ही वे गलती पर हैं। अत: उन्हें अपने आपकों जनता की विचाधारा के अनुरूप बदलना होगा। यह विधेयक जनता के मन में भ्रम पैदा करने के लिये प्रस्तुत किया गया है। आज हमें ऐसी कार्यपालिका और न्यायपालिका की आवश्यकता है जो देश द्वारा स्वीकृत आदशों के अनुरूप कार्य करे। अत: मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

श्री आर० डी० भन्डारे (बम्बई मध्य) : डा० कर्णीसिह ने संदेह व्यक्त किया हैं कि कुछ समय के बाद न्यायपालिका शासक दल का इतना अधिक साथ देगी कि विधि का शासन समाप्त हो जायेगा। यदि अनुच्छेद 74 बदला जाता है और यदि प्रस्तावक का स्पष्टीकरण उसमें जोड़ दिया जाये तो उससे राष्ट्रपति को शक्ति मिल जायेगी। आज भी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके उच्च न्यायलय या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करता है। डा० कर्णीसिंह चाहते हैं कि यह शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होनी चाहिये।

[आधे घन्टे की चर्चा के बारे में]
[Re : Half an hour discussion]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अब आधे घन्टे की चर्चा होनी चाहिये। हम चार सदस्य यहाँ बैठे हैं, हमें प्रश्न पूछने से वंचित नहीं किया जाना चाहिये।

Ashoka Printing Works. Modinagar.